


67th वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2016-17



इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड
Indian Rare Earths Limited



वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए डॉ. शेखर बसु, सचिव (पऊव) एवं अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग को लाभांश चेक सौंपते हुए श्री दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री के के महान्ती, निदेशक (विपणन)।

Shri D Singh, CMD, Shri K K Mohanty, Director (Marketing) handing over the dividend cheque to Dr. Sekhar Basu, Secretary (DAE) & Chairman AEC for the financial year 2016-17

चीन में अर्गस रेअर अर्थ सम्मेलन में प्रतिनिधियों को उद्बोधन देते हुए श्री दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईआरईएल।

Shri D Singh, CMD IREL addressing the delegates at Argus Rare Earth Conference, 2016 at China



जापान में आरई मूल्य वर्धित प्लांट के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), संयुक्त सचिव (आईएंडएम) से मिलक बने आईआरईएल प्रतिनिधि का दौरा।

Visit of IREL delegation comprising of CMD, Director(Finance), Joint Secretary(I&M) to RE value added plant in Japan

ऑस्कॉम में आईआरईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं अन्य अधिकारियों को उद्बोधन करते हुए डॉ. शेखर बसु, सचिव (पऊवि) एवं अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग।

Dr. Sekhar Basu, Secretary (DAE) & Chairman AEC addressing CMD and other officials of IREL at OSCOM.





महिला दिवस पर पुरस्कार वितरण करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।

CMD distributing prizes on Women's Day

श्री के के महान्ती, निदेशक (विपणन) का स्वागत करते हुए आईआरईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं टीम।
CMD and team IREL welcoming Shri K KMohanty, Director, (Marketing)



सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2016 के दौरान आयोजित सतर्कता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के लिए श्री संजय बंगा, मुख्य सतर्कता अधिकारी से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री डी. महान्ती, मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी)।

Shri D Mohanty, CGM (Technical) receiving the prize from Shri Sanjay Banga, CVO for Vigilance Quiz Competition held during the VAW 2016

श्री अंसुमान दास, अध्यक्ष, पीईएसबी ऑसकॉम संयंत्र का दौरा।
Shri Ansuman Das, Chairman, PESB visiting OSCOM plant





ऑसकॉम में डॉ. शेखर बसु, सचिव (पऊवि) एवं अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग, उनके दौरे के दौरान स्वागत करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईआरईएल।

CMD, IREL welcomes Dr. Sekhar Basu, Secretary (DAE) & Chairman AEC during his visit at OSCOM.

वर्ष 2014-15 के लिए कैपेक्सिल निर्यात पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।

Shri D Singh, CMD, IREL receiving CAPEXIL Export Award for the year 2014-15



अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह।

Celebration of International Yoga Day.

21 जनवरी, 2017 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन संबंधी विभागीय संबंधित संसदीय स्थाई समिति के अध्ययन के दौरे के दौरान श्री नागेन्द्र सिंह, वन एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं फॉरेस्टसेट बीएआरसी, मुंबई की स्थाई समिति के सदस्य के साथ बातचीत करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईआरईएल।

CMD, IREL interacting with Shri Nagendra Singh, Member of Standing Committee on Science & Technology, Environment & Forests at BARC Mumbai during Study-Visit of the Dept. Related Parliamentary Standing Committee on Science & Technology, Environment & Forests on 21st January, 2017



निदेशक मण्डल / Board of Directors



श्री दीपेन्द्र सिंह / Shri Deependra Singh
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / Chairman & Managing Director



श्री राकेश तुमाने / Shri Rakesh Tumane
निदेशक (वित्त) / Director (Finance)



श्री सी.के. असनानी / Shri C K Asnani
निदेशक (तकनीकी) / Director (Technical)
(31.08.16 तक) / (upto 31.08.2016)



श्री के के महान्ति / Shri K K Mohanty
निदेशक (विपणन) / Director (Marketing)
(01.02.2017 से) / (from 01.02.2017)

सरकारी नामित निदेशक / Government Nominee Directors



श्री संजीव सूद / Shri Sanjeev Sood
संयुक्त सचिव (आई एंड एम) / Jt. Secretary (I & M)
डीएई 22.06.2017 तक / DAE upto 22.06.2017



श्री आर ए राजीव, आईएएस / Shri R A Rajeev, IAS
संयुक्त सचिव (वित्त) / Jt. Secretary (Finance)
डीएई 13.04.2017 तक / DAE upto 13.04.2017



श्री एम ए इन्बरसु / Shri M A Inbarasu
संयुक्त सचिव (आईएंडएम) / Jt. Secretary (I&M)
डीएई 22.06.2017 से / DAE from 22.06.2017



श्री एन. साईबाबा / Shri N Saibaba
मुख्य कार्यकारी, एनएफसी / Chief Executive, NFC
(01.06.16 तक) / (Upto 01.06.2016)



श्री जी कल्याणकृष्णन / Shri G Kalyanakrishnan
मुख्य कार्यकारी, एनएफसी / Chief Executive, NFC
(22.09.16 से) / (from 22.09.2016)



श्री बी. ज्योतिकुमार / Shri B Jyothikumar
कार्यकारी निदेशक, केएसआईडीसी लि. / E.D., KSIDC Ltd
09.09.2016 तक / upto 09.09.2016



श्री पॉल एंटोनी / Shri Paul Antony, IAS
अपर मुख्य सचिव / Addl. Chief Secretary
केरल राज्य 22.12.2016 से / Govt. of Kerala from 22.12.2016

स्वतंत्र निदेशक / Independent Directors



डॉ. अशोक कुमार लोमस / Dr Ashok Kumar Lomas
स्वतंत्र निदेशक / Independent Director
30.05.2017 तक / upto 30.05.2017



श्री शकील अहमद / Shri Shakeel Ahmed
स्वतंत्र निदेशक / Independent Director
30.05.2017 तक / upto 30.05.2017



मुश्री शीला सांगवान / Ms. Sheila Sangwan



श्री संजय बंगा, आई ई एस
Shri Sanjay Banga, IES

बैंकर्स / Bankers

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

State Bank of India

स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

State Bank of Travancore

एचडीएफसी बैंक / HDFC Bank

लेखापरीक्षा / Auditor

मेसर्स गोखले एंड साथे

M/s Gokhale & Sathe

मुंबई / Mumbai

विधि सलाहकार / Legal Advisor

मेसर्स कंसल्टा ज्यूरिस, मुंबई

M/s Consultajuris, Mumbai

मेसर्स मेनन एंड पाई, कोच्चि

M/s Menon & Pai, Kochi

अध्यक्षीय कथन



प्रिय शेयरधारकों,

इंडियन रेअर अर्थ लिमिटेड की 67वीं वार्षिक आम सभा में आप सभी का स्वागत करने में मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। 67वीं वार्षिक आम सभा के आयोजन की सूचना, वर्ष 2016-17 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट, वित्तीय विवरण और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की समीक्षा रिपोर्ट के साथ संवैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पहले ही आपके साथ हैं। आपकी कंपनी के वार्षिक कार्य निष्पादन को प्रस्तुत करने का यह मेरा दूसरा अवसर है। मैं आश्वस्त हूँ कि आप अपनी कंपनी के वित्तीय एवं भौतिक स्वास्थ्य से पूरी तरह अवगत हैं।

बृहत् आर्थिक परिदृश्य :

यह उल्लेख करना जरूरी नहीं है कि कंपनी को बृहत् आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए कंपनी के निष्पादन का मूल्यांकन करना होगा जो प्री-कर्सर के रूप में कार्य करता है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था 2016 में भी कम रही, साथ ही विश्व आर्थिक विकास पहले के वर्षों में 3.4% से 3.1% तक पहुंच गया। मुख्य रूप से पश्चिम की उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मंदी इसका कारण था। तथापि, उबरते बाजारों एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि उत्साहजनक थी। हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था गति प्राप्त कर रही है। आईएमएफ ने पिछले वर्ष की 3.1% वैश्विक वृद्धि से वर्ष 2017 में 3.5% तक की वृद्धि का अनुमान लगाया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था 7.1% पर विश्व की सबसे तेज़ी से वृद्धि करती हुई अर्थव्यवस्था है। मार्च, 2017 के अंत तक भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां करीब यूएसडी 370 बिलियन थीं। निवेशक उत्साही हैं। विदेशी मुद्रा प्रवाह, जो कि वित्तीय वर्ष 2017 में 60 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक थे, नये रिकार्ड दर्ज कर रहे हैं। बाजार शेयर सूचकांकों के साथ उत्साही हैं जो कि नये उच्चतम स्तर प्राप्त कर रहे हैं। भारत की वैश्विक रैंकिंग प्रतिस्पर्धात्मकता और नवाचार सूचकांक पर बढ़ी है। सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न विकास कार्यक्रम और आर्थिक सुधारों ने निरंतर दीर्घकालिक विकास की नींव डाली है। बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय परियोजनाओं और नीति निर्माण के अभिनव दृष्टिकोणों ने सामूहिक रूप से भारत को उच्चतम वृद्धि के प्रेक्ष्य-पथ पर तेज बढ़ने में योगदान किया है। देश में सबसे बड़े सुधारों में से एक जीएसटी का रोलिंग है, जिसका सकारात्मक प्रभाव आगे बढ़ने के लिए होगा। भविष्य में असीम आशा और आत्मविश्वासयुक्त एक स्थायी अनुभव होगा जिसकी प्रस्तुति 7.5% से 8% तक वृद्धि करने के लिए हुई है। निवेश गतिविधि को पुनर्जीवित करने और बड़े पैमाने पर गुणवत्ता की नौकरियों का सृजन करने के उद्देश्य से, सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनमें आसानी से व्यवसाय को बेहतर बनाना, सष्ठ निकासी को तेज़ करने और बुनियादी सुविधाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना सम्मिलित है। एनपीए संकल्प पर रिज़र्व बैंक का केंद्रबिन्दु विकास हेतु एक अच्छे चक्र को उजागर करना है। मेरा मानना है कि यह निजी क्षेत्र के निवेशों से जोर पकड़ने के पूर्व समय की बात है।

क्षेत्र-विशिष्ट व्यापार परिदृश्य :

फीडस्टॉक से टिटानियम पिगमेंट तक टिटानियम मूल्य श्रृंखला में तंग आपूर्ति की स्थिति को लेकर जो 2016 की तीसरी तिमाही में प्रकट होने के संकेतों को वर्ष 2017-18 के दौरान जारी रहने की संभावना है। जबकि तंग आपूर्ति की स्थिति टिटानियम फीडस्टॉक उत्पादकों के लिए शुभ सूचक है और नये स्रोतों से आईआरईएल के पारंपरिक लक्ष्य बाजार में आपूर्ति व्यवसाय की भी संभावना है। चीन की पर्यावरण नितियां चीनी टीआईओ2 और इल्मेनाइट उत्पादकों और साथ ही सिरेमिक निर्माताओं को भी प्रभावित करती है। जिस प्रकार से चीनी उद्योग विनियमों के साथ काम करता है, आईआरईएल द्वारा उत्पादित दो प्रमुख उत्पादों अर्थात इल्मेनाइट और जिरकॉन की मांग-आपूर्ति की गतिशीलता को प्रभावित करने की संभावना है।

ट्रोनोंक्स द्वारा क्रिस्टल के अधिग्रहण और चीन में लोमोना बिलियन्स के औपचारिक रूप से निगमन ने टिटानियम उद्योग के लिए शाखा-विस्तार किया है। शीर्ष एकीकरण दोनों व्यापारों में महत्वपूर्ण कारक हैं, क्योंकि कैप्टिव फीडस्टॉक खपत 30% से 40% तक बढ़ जाता है। इससे कुल खरीद करारों में कुछ बदलाव किए जाने की संभावना है, न केवल खनिज रेत के उत्पादकों की व्यावसायिक रणनीतियों को बदलना, बल्कि अधिकतर पिगमेंट क्षेत्र के लिए फीडस्टॉक मूल्य मिश्रण भी सम्मिलित है।

कुछ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा खानों के बन्द करने से एवं विद्यमान खानों में रिपोर्ट की गई ग्रेड की कमी विशेषतः जिरकॉन खनिज के लिए बाजार पर सकारात्मक प्रभाव होने की संभावना है, क्योंकि इसे फल स्वरूप कुछ समय के लिए तंग मांग-आपूर्ति की स्थिति होगी। अफ्रीकी उत्पादकों से आपूर्ति में बढ़ोतरी ऐसी परिस्थितियों के बावजूद भी हो सकती है जो इस समय के दौरान अनुकूल है।

कैबिनेट द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 (एनएसपी) ने इस्पात क्षेत्र में अधिक क्षमता बनाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना पर परिकल्पना की है। इस नीति में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत चालू स्तर के 61 कि.ग्रा. (विश्व औसत 208 कि.ग्रा.) से 2030 तक 160 कि.ग्रा. तक बढ़ने पर जोर दे रहा है। एनएसपी में यह और इस्पात उद्योग के लिए विभिन्न अन्य उपाय की परिकल्पना की गई है, जो इस्पात क्षेत्र को प्रोत्साहन दे सकता है। इससे सिलिमेनाइट की मांग में बढ़ोतरी होगी जिसका प्रयोग रीफ़्रेक्टरीज़ बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रमुख उपभोक्ता इस्पात उद्योग है।

अवैध खनन और निर्यात पर चीन के नियंत्रण से 2016-17 के अंतिम तिमाही के दौरान रेअर अर्थ का बाजार गरम होने लगा। विशेष रूप से चुम्बकों के उत्पादन के लिए उपयोग किए जानेवाले तत्वों के लिए रेअर अर्थ के बाजार में उत्साह जो हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा प्रेरक शक्ति की तरह जारी रहने की संभावना है। साथ ही, प्रमुख देशों द्वारा कार्बन पदचिह्न को कम करने के सभी प्रयासों से बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

Chairman's Statement



Dear Shareholders,

I am extremely delighted to welcome you all to the 67th Annual General Meeting of Indian Rare Earths Ltd.

The Notice convening 67th Annual General Meeting, Directors' Report, Financial Statements for the year 2016-17 and the report of Statutory Auditors together with the review report of Comptroller & Auditor General of India are already with you. This is the second occasion on my part to present the annual performance of your company. I am sure you are fully aware of the financial and physical health of your company.

Macroeconomic landscape:

It is needless to mention that one needs to appraise the performance of the company keeping in mind the macroeconomic scenario which acts as pre-cursor.

The global economy continued to be subdued in 2016, with world economic growth slowing to 3.1% from 3.4% in the earlier years. This was mainly on account of the slowdown in the advanced economies of the West. The growth in emerging markets and developing economies was however encouraging. Recent data reveals that the global economy is gaining momentum. The IMF has projected global growth to notch up to 3.5% in 2017 from 3.1% last year.

The Indian economy appears to be the fastest growing economy in the world at 7.1%. India's foreign exchange reserves at the end of March 2017 were around USD 370 billion. Investors are bullish. Foreign investment flows, which were at over USD 60 billion in FY-17 are scaling new records. Markets are buoyant with Stock indices achieving new highs. India's global ranking has jumped up in competitiveness and on the innovation index. Various development programs and economic reforms undertaken by the Government have laid the foundation for sustained long term growth. Large scale national projects and innovative approaches in policymaking have collectively contributed in driving India on to a high growth trajectory. One of the biggest reforms in the country is the rolling out of GST, which will have a positive impact, going forward. The abiding sense is one of immense optimism and confidence in the future with the nation slated to grow at 7.5% to 8%. In order to revive investment activity and the creation of quality jobs in large measure, the Government has taken several steps, including a sharp focus on improving the ease of doing business, speeding up of green clearances and stepping up public sector outlays for infrastructure. The Reserve Bank's focus on NPA resolution is aimed at igniting a virtuous cycle of growth. I believe that it is a matter of time before private sector investments pick up.

Sector-specific business Outlook

The tight supply situation in the titanium value chain from feed stock to titanium pigment that showed signs of manifestation from the third quarter of 2016 is likely to continue during the year 2017-18. While the tight supply situation is likely to augur well for titanium feedstock producers, supplies from new sources to the traditional target market of IREL are likely to even things out. The Chinese environment policies that have come to fore are affecting the Chinese TiO₂ and ilmenite producers as well as ceramics manufacturers. The way the Chinese industry copes with the regulations is likely to impact the demand-supply dynamics of two major products produced by IREL viz. Ilmenite and Zircon.

The acquisition of Cristal by Tronox and formal incorporation of Lomon Billions in China have ramification for the titanium industry. Vertical integration is a key factor in both the deals as captive feedstock consumption rises to 40% from 30%. This is likely to lead to some reshuffling of offtake agreements, changing not only the commercial strategies of mineral sands producers but also the feedstock value mix for much of the pigment realm.

Impact of closure of mines by some of the suppliers and grade depletion reported at existing mines is likely to be positive impact on market for minerals especially Zircon at least in the short run as this results in tight demand-supply scenario. Increased supplies from African producers may even out the conditions that are favourable at this juncture.

The National Steel Policy 2017 (NSP) approved by the Cabinet envisages Rs 10 lakh crore investment to create more capacity in the steel sector. The policy also emphasizes at increasing per capita steel consumption to 160 kg by 2030 from the current level of 61 kg (world average being 208 kg). This and the various other measures for the steel industry envisaged in the NSP is likely to give impetus to the steel sector. This would lead to increased demand for Sillimanite that is used for making refractories whose major consumer is the steel industry.

China's curb on illegal mining and exports has resulted in the rare earth market looking up during the last quarter of 2016-17. The buoyancy in the rare earth market especially for elements used for production of magnets is expected to continue as green and clean energy gains impetus. Also, all out efforts to reduce carbon footprint by major nations is likely to have a positive impact on the market.

कंपनी ने अन्य बाजारों के विकास पर जोर देकर निर्यात निधि में विविधता लाने के प्रयास की पहल की है। ये प्रयास 2017-18 में सफल हो सकते हैं और किसी विशेष बाजार पर निर्भरता को कम कर सकते हैं। घरेलू मोर्चे पर, वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन और जीएसटी शासन के लिए प्रवास एक चुनौती हो सकता है जिसके लिए कंपनी को 2017-18 के दौरान तैयार रहना होगा। कंपनी को आशा है कि जीएसटी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा जो कंपनी को भी मददगार साबित होगी। इसके अलावा, आर्थिक मोर्चे पर, भारतीय रुपया अमरीकी डॉलर और अन्य मुद्राओं की तुलना में तेजी से मजबूत हो रहा है। यह निर्यात किए गए उत्पादों के लिए कम प्राप्ति और आयातित सामग्री से ऊंची प्रतिस्पर्धा की ओर अग्रसर है, विशेष रूप से रुटाइल और जिरकॉन के मामले में। भारतीय रुपये की मजबूती को जारी रखा एक चिंता का विषय है।

कंपनी का कार्यनिष्पादन :

वर्ष 2016-17 में आपकी कंपनी रु. 50.75 करोड़ के लाभ से, वर्ष 2015-16 में हुए रु. 106 करोड़ के भारी नुकसान में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकी है। कंपनी का कुल राजस्व रु. 404.04 करोड़ से रु. 514.78 करोड़ तक बढ़कर विदेशी विनिमय आय में 44% की वृद्धि दर्शाई।

दक्षिणी राज्यों में उत्पादन के मोर्चे पर गंभीर असंतोष के बावजूद, कंपनी के एमके और चवरा यूनिट में विपणन मोर्चे पर लगातार प्रयास करने से निष्पादन में यह सुधार हुआ। रेअर अर्थ्स के मामले में वर्ष के पहले तीन तिमाहियों के दौरान की प्रारंभिक मंदी के बाद बाजार गरम हुआ।

वर्ष के दौरान फलीभूत खनिजों पर उत्पाद-शुल्क के संबंध में विभिन्न यूनिटों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के संबंध में उत्पाद-शुल्क के अधिकारियों से अनुकूल निर्णय लेने के लिए आईआईएल का जोरदार प्रयास रहा। उन्नत इल्मेनाइट के रूप में इल्मेनाइट के वर्गीकरण से संकेत लेते हुए, आईआईएल ने फरवरी 2017 के महीने में शिपमेंट से पहले 10% के स्थान पर 2.5% निर्यात शुल्क देना प्रारंभ कर दिया था। इस परिवर्तन के फलस्वरूप आईआईएल में पर्याप्त बचत हो जा रही और आगे इसमें सुधार की संभावना है।

हालांकि, एक तरफ वर्ष के उत्तरार्द्ध में बाजार में जगह बना हुआ था, जब कि चवरा और एमके यूनिट पर उत्पादन के सामने आने वाली चुनौतियाँ कच्ची रेत के धारणीय आधार पर अवमन्दक रहते साबित हुआ। इसके अलावा, संदिग्ध सीआरजेड अधिसूचना के कारण परिवहन परमिट जारी नहीं होने की वजह से, एमके यूनिट की आपूर्तियों में फरवरी 2017 से एक ठहराव आ गया है। हालांकि आईआईएल ने विभिन्न मंचों पर युद्ध समान पद्धति से मुद्दे को उठाया है, किन्तु यह अटक गया है कि वर्ष 2017-18 के दौरान आईआईएल के निष्पादन को भी प्रभावित कर सकता है।

यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में एमओपीपी में उत्पादन में सुधार हुआ है, किन्तु उत्पादन में बढ़ोतरी जारी रही है जिससे कम क्षमता का उपयोग हुआ है। और भी, रेअर अर्थ्स प्रभाग में उच्च शुद्ध रेअर अर्थ यौगिकों (एचपीआई) का उत्पादन अभी तक स्थिर नहीं है। अन्यथा आईआईएल बहुत अधिक कुलविक्री करता।

आईआईएल वर्ष 2017-18 के दौरान एमओपीपी एवं रेअर अर्थ्स प्रभाग में मुद्दों को बाहर निकालने की प्रतीक्षा करता है और बेहतर विक्री प्राप्त कर रहा है। आगे, चवरा में कच्ची सामग्री की समस्या के अनुमानित हल से वर्ष 2017-18 के दौरान राजस्व लाभ को भी बढ़ाने की संभावना है।

नीति पहल :

नीति रुख पर कई पहलें वर्ष के दौरान परमाणु खनिजों के खनन क्षेत्र में और कंपनी के भीतर ली गई है जो कि कंपनी के लिए अनुकूल व्यवसायिक वातावरण देने लायक है।

परमाणु खनिज रियायती नियम (एएमसीआर)-2016 के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा जारी अधिनियम, तटीय रेत में मोनाजाइट सामग्री की सीमा को परिभाषित करता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों को सरकारी कंपनी के पक्ष में आरक्षित किया जाएगा। आईआईएल लगातार राज्य सरकारों के साथ सटीक क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग को खनन पट्टे के माध्यम से आगे की गतिविधियों के लिए आईआईएल को नामांकित करने के लिए सक्षम बना रहा है। इस संबंध में, ओडिशा में ब्रह्मगिरि, आंध्र प्रदेश में डोनकुरुबुरुवा और तमिलनाडु में कन्याकुमारी जैसे तीन क्षेत्रों को पहले ही एएमडी, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है।

खनन भूमि को निर्बाध रूप से प्राप्त करने के उद्देश्य से लक्षित भूस्वामियों को आकर्षित करने के लिए 'प्रोडक्शन शेयरिंग स्कीम' की शुरुआत की गई।

मोनाजाइट के भरपूर अवशेषों के अयस्कों को लेने वास्ते नीति को औपचारिक रूप देने के वास्ते पहल की गयी है। आपकी कंपनी ने प्रायोगिक आधार पर एक 'आईडिया प्लेटफॉर्म' की पहल की है जिसमें सभी स्तर के कर्मचारियों के सृजनात्मक विचारों के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाया गया है, विचारों का मूल्यांकन करके और सर्वोत्तम विचार का चयन करता है और उन विचारों के अनुसार व्यवसाय को आगे बढ़ने एवं अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु परिवर्तित करता है। फीडबैक के संभावित स्रोत के रूप में बंदरगाह क्षेत्र के ड्रेजिंग को विकसित करने की पहल की गई।

रणनीति प्रबंधन योजना 2025

कार्पोरेट योजना 2011-22 जैसे कि पहले तैयार की गई थी, को विद्यमान व्यवसायिक परिदृश्य का फिर से निरीक्षण करना आवश्यक था। इस रणनीति प्रबंधन योजना (एसएमपी) 2025 की दिशा में डीएई को सामरिक सामग्रियों के लिए आपकी कंपनी को एक महत्वपूर्ण योगदान देने पर लक्ष्य बना रहा है और एक पर्यावरणीय रूप से धारणीय ढंग में प्रचालन करने के लिए तैयार किया गया है जो बदले में कंपनी को भारी खनिजों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना देगा। एसएमपी-2015 के मुख्य विचार इस प्रकार है :



The Company has initiated efforts to diversify its export kitty by giving thrust on developing other markets. These efforts may succeed in 2017-18 and reduce reliance on a particular market. On the home front, implementation of Goods and Service Tax and migration to the GST regime is likely to be a challenge which the Company has to brace up during 2017-18. The Company expects GST to have a positive impact on the economy which will also be helpful to the Company. Further on the economic front, the Indian Rupee has been steadily strengthening vis-à-vis US Dollar and other currencies. This is leading to lesser realisations for products exported and higher competition from imported material especially Rutile and Zircon. Continued firming up of the Indian Rupee thus is a concern.

Performance of the company

Your company could make a momentous turnaround from a colossal loss of Rs.106 crores in the year 2015-16 to a Profit of Rs.50.75 crores in the year 2016-17. Total revenue of the company has been increased from Rs.404.04 crores to Rs. 514.78 crores with 44% increase in foreign exchange earnings.

Relentless effort on the marketing front resulted into this improvement in performance despite severe setback on the production front in southern states i.e in MK and Chavara unit of the company. In case of rare earths, market recovered after initial slackness during the first three quarters of the year.

IREL's vigorous efforts for getting favourable verdict from the excise authorities with respect to the show cause notices issued to various units regarding levy of excise duty on minerals fructified during the year. Taking cue from the classification of Ilmenite as upgraded Ilmenite, IREL started paying export duty of 2.5% in place of the earlier 10% from shipment in the month of February 2017. This change would result in substantial savings to IREL and is likely to improve the margins in the long run.

While on one hand there seemed to be uptick in the market place albeit at in the latter half of the year, the challenges faced on production front at Chavara and MK unit due to non-availability of raw sand on a sustained basis proved to be a damper. Further, due to non-issue of transport permit on account of ambiguous CRZ notification MK unit supplies have come to a standstill from February 2017 onwards. Though IREL has taken up the issue on a war footing at various fora, it is apprehended that the same may affect IREL's performance during 2017-18 also.

Though the production at MoPP improved as compared to the earlier year, the ramping up issues continue to take toll on the production thereby leading to low capacity utilization. Also, production of high pure rare earth compounds (HPRE) at Rare Earth Division is yet to stabilize. But for the above, IREL would have achieved a much high turnover.

IREL expects to iron out the issues at MoPP and RE Division during 2017-18 and achieve better sales. Further, expected resolution of problem of raw material at Chavara is also likely to swell the revenue kitty during 2017-18.

Policy initiatives

Number of initiatives at policy front has been taken during the year, in mining sector of atomic minerals and within the company, which is expected to give a favourable business environment to the company.

Notification issued by DAE under Atomic Mineral Concession Rule (AMCR)-2016, defining threshold of monazite content in beach sand which is expected to provide a favourable environment to the company since such areas will be reserved in favour of Govt. company. IREL is continuously following up with respective State Governments to demarcate the precise area enabling DAE to nominate IREL for further activities through mining lease. In this regard three areas such as Brahmagiri in Odisha, Donkuru Baruva in Andhra Pradesh and Kanyakumari in Tamil Nadu have already been notified by AMD, DAE.

Introduction of 'Production Sharing Scheme' to attract targeted landowners with a view to acquire mining land seamlessly.

Initiatives towards formalizing a policy for taking ores of monazite rich tailings.

Your company has initiated an 'Idea Platform' on experimental basis wherein a institutional mechanism is created to generate ideas from employees at all level, evaluate and select the best idea and convert those ideas into action to get maximum benefits for furtherance of business.

Initiatives taken to develop the dredging of harbor area as potential source of feedstock.

Strategic Management Plan 2025

Corporate plan 2011-22 as prepared earlier was required to be re-visited reckoning the prevailing business scenarios. Towards this Strategic Management Plan (SMP) 2025 has been prepared aiming at making your company a significant contributor to strategic materials to DAE and to carry out operations in an environmentally sustainable manner which in turn make the company a leading supplier of heavy minerals.

Key considerations of SMP-2025 are as follows:

व्यापार रणनीति : लंबी पहुंच की व्यापार योजना, ऑपरेटिंग मॉडल, ग्राहक और उत्पाद रणनीति, व्यवसाय उत्कृष्ट रणनीति, पोर्ट-फोलियो का सरलीकरण महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत होगा।

प्रचालन रणनीति : लागत प्रतियोगिता, मूल्य श्रृंखला के डीबॉटलनेकिंग, गुणवत्ता प्रबंधन, सोर्सिंग एवं खरीद। मुख्य केंद्रबिन्दु शेयरधारकों के आवर्तन और कमोडिटी की कीमतों में गिरावट के कारण लाभ प्राप्ति और पूंजी दक्षता पर दबाव पड़ेगा।

धारणीयता रणनीति : विनियामक मानदंडों के लिए अनुपालन का प्रबंधन, उद्यम जोखिम प्रबंधन, नियामकों की मांगके अनुपालन की आवश्यकता का पता लगाना।

पूंजी परियोजना प्रबंधन नीति : समय पर लागत के भीतर ही सही गुणवत्ता में परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए प्रक्रियाओं और क्षमताओं की श्रेणी में सर्वोत्तम।

मानव संसाधन प्रबंधन रणनीति : संगठन एवं प्रशासन, प्रतिभा, नेतृत्व, कौशल विकास आदि प्राप्त करना और प्रबंध करना।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/स्वचालन रणनीति : सर्वश्रेष्ठ आईटी प्रौद्योगिकी उत्पादन जो प्रक्रियाओं को एकीकृत करता है और प्रचालन के सबसे प्रभावी तरीके बनाता है।

वांछित मील के पथर हासिल करने के लिए एसएमपी-2025 को लागू करने में आपकी कंपनी पूर्ण रूप से गतिशील है।

परियोजनाएं :

परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार ने रेअर अर्थ थीम पार्क की स्थापना हेतु आईआरईएल के भविष्य के प्रस्ताव के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दिया है जिसमें अन्य लोगों के साथ रेअर अर्थ कौशल सह-उद्यमी विकास केंद्र आदि की मूल्य श्रृंखला में प्रायोगिक संयंत्र स्थापित करना सम्मिलित है। यह देश में अपनी तरह का पहला थीम पार्क होगा।

परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार ने एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बनाने के लिए समारियम-कोबाल्ट स्थायी चुम्बक की स्थापना हेतु आईआरईएल को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दिया है। मेसर्स. टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स को परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा निवेश निर्णय के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने के वास्ते परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। विशाख में बीएआरसी परिसर में संयंत्र के स्थान को अंतिम रूप दिया गया।

ओडिशा के गंजाम जिले में 1257 हेक्टेयर में तटीय रेत निक्षेप के प्राप्ति के लिए आईआरईएल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड (आईडीसीओएल), भुवनेश्वर के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के निर्माण के लिए एनआईटीआई आयोग के साथ सभी आवश्यक अनुमोदन अपने स्थान पर है।

रेअर अर्थ्स प्रभाग यूनिट, अलूवा ने एनएफसी, हैदराबाद में उत्पन्न नये स्रोत अर्थात प्रसंस्कृत यूरेनियम केक (पीयूसी) से न्यूक्लियर ग्रेड अमोनियम डाई-यूरेनेट (एनजीएडीयू) की आपूर्ति शुरू की है।

ऑसकॉम संयंत्र का क्षमता विस्तार : चरण-1 वन अनुमति प्राप्त करने के लिए कार्यान्वित किए जाने का ग्राम सभा अधिदेश जिसे दो पंचायतों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया। संकल्प को प्राप्त करने के लिए गतिविधियाँ और उसे नोडल अधिकारी, वन विभाग को प्रस्तुत करने का कार्य प्रगति पर है। स्थल गतिविधियाँ चरण-1 वन अनुमति प्राप्त करने के बाद प्रारंभ की जाएंगी।

टिटानियम स्लैग संयंत्र : बिल्ड-ओन ऑपरेट (बीओओ) मॉडल के तहत प्रति वर्ष 1,00,000 टन टिटानियम स्लैग संयंत्र स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए। बीओओ प्रचालक के चयन के लिए संव्यवहार सलाहकार के रूप में मेसर्स. पीडब्ल्यूसी की सहायता से आरएफपी और रियायत समझौते की तैयारी अंतिम चरण में है।

आसपास के क्षेत्रों में निवेश को लुभाने के लिए खनन क्षेत्रों में और आसपास के इको-टूरिज्म पार्क, जो कि कंपनी के लिए उच्चतर व्यवसायिक अवसरों का मार्ग प्रशस्त करता है।

सीएसआर एवं धारणीय विकास

इस वर्ष के दौरान आईआरईएल ने अपने सामाजिक कार्यसूची के अंतर्गत समाज के योगदान हेतु रु. 58.33 लाख की राशि खर्च की, इस तथ्य के बावजूद कि इस संबंध में सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार कोई राशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी।

लाभांश

आपकी कंपनी वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए रु. 34 करोड़ के लाभांश के साथ-साथ लागू करों का भुगतान करने का प्रस्ताव रखती है। इसके लिए कुल व्यय कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 45% से अधिक होगा।

अनुसंधान एवं विकास

चवरा में कॉर्पोरेट अनुसंधान केंद्र और अनुसंधान एवं विकास यूनिट का मूल्यांकन किया गया है और एनएवीएल द्वारा आईएसओ/आईईसी 17025:2005 के स्तर के अनुसार इस मान्यता प्राप्त है। आईआरईएल की अन्य इकाइयां समान मान्यता प्राप्त करने के लिए उन चरण में हैं। वर्ष के दौरान, आप की कंपनी ने लाथानुम जिरकॉनैट को संश्लेषित कर दिया है और यट्रिया स्थिरीकृत जिरकॉनिया जिसे हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), सुनावेदा को लड़ाकू विमानों के एरो-इंजन की नोक में थर्मल बाधा कोटिंग्स के रूप में परीक्षण करने के लिए आपूर्ति की गई थी। इसके अलावा, पिघला हुआ नमक से निपटने के लिए प्रयुक्त उच्च घनत्व ग्राफाइट पर अनुप्रयोग कर, आईजीसीएआर, कलपक्कम में भी लाथानुम जिरकॉनैट परीक्षण किया गया था। यह बताया गया है कि उपर्युक्त अनुप्रयोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, टीडीसी लगातार आईआरईएल के खनिजों एवं सामग्रियों के उपयोग को बढ़ाने के लिए लक्षित परियोजनाओं को आकर्षित कराने और पुरस्कार प्रदान करने के लिए कार्य कर रहा है।



Business Strategy: Long range business planning, Operating Model, Customer and product strategy, Business Excellency Strategy. Simplification of port-folios would be the key drive.

Operations Strategy: Cost competitiveness, Debottlenecking of value chain, quality management, Sourcing and procurement. Key focus would be on declining shareholders' returns and commodity prices putting pressure on profitability and capital efficiency.

Sustainability strategy: Managing Compliances to regulatory norms, Enterprise Risk Management. Addressing the demanding compliance requirement of regulators.

Capital Project Management policy: Best in class processes and capabilities to execute projects on-time, within cost, at right quality.

Human Resources Management Strategy: Organisation and Governance, Acquiring and Managing Talent, Leadership, skill development etc.

IT /Automation Strategy: Best-in breed IT Technology that integrates processes and enables most efficient ways of operating. Your company is in full swing in implementing SMP-2025 to achieve desired Milestones.

Projects:

DAE, Govt. of India has accorded in-principle approval for the futuristic proposal of IREL towards setting up of rare earth theme park which inter alia includes setting up of pilot plants in the value chain of rare earths, skill-cum-entrepreneur development centre etc. This will be a first of its kind theme park in the country.

DAE, Govt. of India has accorded in-principle approval to IREL for setting-up of Samarium-Cobalt permanent magnet by forming a special purpose vehicle (SPV). M/s. Tata Consulting Engineers appointed as Consultant to prepare the Detailed Project Report for investment decision by DAE. Plant location finalized at BARC campus in Vizag.

All necessary approvals including that of NITI Aayog are in place for forming a JV Company between IREL and Industrial Development Corporation of Odisha Ltd. (IDCOL), Bhubaneswar for winning the beach sand deposit over an extent of 1257 Ha in Ganjam District in Odisha.

RED unit, Auva has commenced supply of Nuclear Grade Ammonium Di-Uranate (NGADU) from new source i.e., Processed Uranium Cake (PUC) generated at NFC, Hyderabad.

Capacity Expansion of OSCOM Plant: Grama Sabha mandated to be carried out for obtaining Stage-I Forest clearance which was carried out successfully in two Panchayats. Activities for obtaining the resolution and submitting the same to Nodal Officer, Forest Department are in progress. Site activities will start after obtaining Stage-I Forest clearance.

Titanium Slag Plant: Steps taken up to set up a 1,00,000 tons per annum titanium slag plant under Build-Own-Operate (BOO) model. Preparation of RFP and concession agreement with the help of M/s PwC as the transaction adviser for the selection of BOO operator is in the final stage.

Eco-tourism park in and around mining areas to allure investment in the surrounding areas which in turn pave the way for higher commercial opportunities to the company.

CSR & Sustainable development

During the year IREL spent an amount of Rs.58.33 lakhs towards contribution to the society as a part of its social agenda despite the fact that no amount was required to be spent as per statutory guidelines in this regard.

Dividend

Your company proposes to pay dividend of Rs.34 crores plus applicable taxes for the financial year 2016-17. Total outgo for the same would be more than 45% of paid-up equity share capital of the company.

Research & Development

Corporate research centre and R & D unit at Chavara have been assessed and accredited in accordance with the standard ISO / IEC 17025:2005 by NaBL. The other units of IREL are in advanced stages of obtaining similar accreditation.

During the year, your company has synthesized Lanthanum Zirconate and Yttria stabilized zirconia which was supplied to Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL) Sunabeda for testing as Thermal barrier coatings in the nozzle of aero-engines of fighter aircrafts. Further, Lanthanum zirconate was also tested at IGCAR, Kalpakkam by applying on high density graphite used for molten salt handling. It has been reported that the applications of the above material are encouraging. In addition, TDC is relentlessly working to attract and award projects targeted to enhance the usage of IREL minerals and materials.

कापोरिट शासन

जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी कंपनी हमेशा शासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कापोरिट शासन में आपकी कंपनी का दर्शन अपने विश्वास से पैदा होता है कि सुशासन की भावात्मक पारदर्शिता, जवाबदेही, नैतिक व्यवसाय प्रथा एवं कानून का सच्चा अनुपालन, पर्याप्त प्रकटीकरण, कापोरिट निष्पक्षता, सामाजिक जवाबदेही और हितधारकों की आकांक्षाओं एवं सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संगठन को प्रतिबद्धता उच्च स्तरीय।

आपकी कंपनी कापोरिट शासन की आवश्यकता का अनुपालन किया करती है जो कंपनी अधिनियम, डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित है और अपने कापोरिट शासन के दर्शन को अपनी कापोरिट संरचना, व्यवसाय और प्रकटीकरण प्रथाओं के संचालन के साथ संरेखित कर रही है।

औद्योगिक संबंध

लंबी अवधि वेतन समझौते के संबंध में दक्षिणी यूनिटों में संघों के द्वारा आयोजित कुछ द्वार बैठकों के बावजूद, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंधों का परिदृश्य सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण था। कर्मचारियों के वेतन संशोधन के संबंध में, प्रबंधन ने अपने यूनिटों में से एक यूनिट में वेतन संशोधन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जो अन्य यूनिटों को भी समान समझौते के लिए रास्ता तैयार करेगा।

पुरस्कार और प्रशंसा

आपकी कंपनी और उसके मुख्य कार्यकारी को प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए एक भावपूर्ण प्रशस्ति के रूप में हाल ही के समय के दौरान निम्नलिखित पुरस्कारों को प्रदान किया गया है :

25 वाँ खान पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण सप्ताह 2017 में आईआरईएल, एमके को प्रथम पुरस्कार।

डीजीएमएस, भुवनेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी धातु की खानों के बीच अर्ध-वार्षिक ओडिशा धातुमय खान संरक्षा सप्ताह, 2016-17 के दौरान "खानों में संविदात्मक कामगारों के लिए संरक्षा एवं कल्याण ड्राईव" में प्रथम पुरस्कार।

भारतीय खान ब्यूरो, भुवनेश्वर क्षेत्र के तत्वावधान में पालन किए गए खान पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण (एमई एवं एमएसी) सप्ताह, 2016-17 के दौरान ऑसकॉम यूनिट को "भूमिसुधार एवं पुनर्वास" में प्रथम पुरस्कार दिया गया।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा इल्मेनाइट, गारनेट एवं सिलिमेनाइट के विशेष में आईआरईएल की निर्यात उपलब्धि की मान्यता में कैपेक्सिल-विशेष निर्यात पुरस्कार।

डीजीएमएस, भुवनेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी धातु की खानों के बीच अर्ध-वार्षिक ओडिशा धातुमय खान संरक्षा सप्ताह, 2016-17 के दौरान "खानों में जल प्रबंधन/मानसून तैयारियां" में प्रथम पुरस्कार।

वर्ष 2016 में 56वाँ खान संरक्षा सप्ताह में आईआरईएल, एमके को चोट दर निष्पादन के लिए प्रथम पुरस्कार।

इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2016 और अपने सम्मानित संगठन को अधिक ऊंचाई तक के संचालन में उत्कृष्ट योगदान के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को सुविधा प्रदान की।

मानव संसाधन उन्मुखीकरण के साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सम्मान के रूप में टाइम्स एसेंट विश्व मानव संसाधन विकास कांग्रेस पुरस्कार।

विपणन में सीएमओ एशिया पुरस्कार।

इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा कापोरिट गवर्नर्स अवार्ड-रनर अप पुरस्कार।

आभार

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से, अपने निरंतर समर्थन और विश्वास के लिए हमारे मूल्यवान श्रेयधारकों को मैं अपना गहरा आभार प्रकट करना चाहता हूँ। यह हमें अपने सभी कार्यों में उत्कृष्टता लाने और हमारे लिए और साथ ही राष्ट्र के लिए सदा मूल्य पैदा करने के लिए प्रेरित करता है। आपकी कंपनी भारत के समग्र विकास के उद्देश्य से भारत सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी रहेगी।

मैं परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार से प्राप्त अत्यधिक समर्थन एवं मूल्यवान मार्गदर्शन की सराहना करता हूँ। मैं अन्य केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, सभी कर्मचारियों, ट्रेड संघों, लेखापरीक्षकों, उपभोक्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य सभी हितधारकों को उनके निरंतर सहयोग के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूँ।

जय हिन्द !

दीपेन्द्र सिंह
अध्यक्ष

मुंबई

दिनांक : 26 सितम्बर, 2017



Corporate Governance

As you are aware your company is always committed to uphold highest standards of governance. Your company's philosophy of corporate governance stems from its belief that the spirit of good governance lies in adherence to highest standards of transparency, accountability, ethical business practices, compliance of law in the letter and spirit, adequate disclosures, corporate fairness, social responsiveness and commitment to the organisation to meet stakeholders' aspirations and social expectations. Your company has been complying with the requirement of corporate governance as stipulated in the Companies Act, DPE guidelines and has aligned its corporate governance philosophy to its corporate structure, conduct of business and disclosure practices.

Industrial relations

Industrial Relations scenario during the year under review was by and large cordial and peaceful notwithstanding a few gate meetings held by the unions in southern units' in connection with the long term wage settlement. As regards the wage revision of workmen, the management signed an MoU on wage revision in one of its units paving the way for similar settlement in other units too.

Awards and accolades

Your company and its Chief Executive have been bestowed following awards during the recent time as an eloquent tribute for outstanding performance in various field of operation:

1st Prize to IREL MK in 25th Mines Environment and Mineral Conservation Week 2017.

1st Prize in "Safety and Welfare Drive for Contractual Workers in Mines" during half-yearly Odisha Metalliferous Mines Safety Week, 2016-17 among all the metal mines coming under DGMS, Bhubaneswar Region.

1st Prize in "Reclamation & Rehabilitation" awarded to IREL OSCOM unit during Mines Environment & Mineral Conservation (ME&MC) Week, 2016-17 observed under the aegis of Indian Bureau of Mines, Bhubaneswar Region.

CAPEXIL-Special Export Award in recognition of IREL's export achievement in respect of Ilmenite, Garnet, and Sillimanite by Ministry of Commerce & Industry.

1st Prize in "Water Management / Monsoon preparedness in Mines" during half-yearly Odisha Metalliferous Mines Safety Week, 2016-17 among all the metal mines coming under DGMS, Bhubaneswar Region.

1st Prize for injury rate performance to IREL MK unit in 56th Mines Safety week in 2016.

PSE Excellence Awards 2016 by Indian Chamber of Commerce and facilitated CMD for outstanding contribution in steering your esteemed organisation to greater heights.

Times Ascent World HRD Congress award as a tribute to CEO with HR Orientation.

CMO Asia Award in Marketing.

Corporate Governance Award-Runner up award by Indian Chamber of Commerce.

Acknowledgment

On behalf of your company's Board of Directors, I wish to convey my deep gratitude to our valued shareholders for your continued support and trust. This motivates us to excel in all our pursuits and constantly create value for you as well as for the nation. Your company will continue to play critical role in various flagship programme of Government of India aimed at overall development of India.

I appreciate the unstinted support and valuable guidance received from the Department of Atomic Energy, Govt. of India. I also express my sincere thanks to other Central Government Ministries and Departments, State Governments, all employees, Trade Unions, Auditors, Consumers, Suppliers and all other stakeholders for their continuous co-operation.


Jai Hind

Mumbai

Dated: 26th September, 2017

D. Singh
Chairman


तरलता अनुपात (सावधि)
Liquidity ratios (times)



	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
त्वरित अनुपात Quick Ratio	1.22	2.40	2.56	2.32	2.84	2.67	2.28	2.56	2.61	2.71	2.88
वर्तमान अनुपात Current Ratio	1.41	2.80	2.97	2.75	3.21	3.00	2.79	3.25	3.31	2.10	2.30

कुल आय, पीबीटी एवं पीएटी (रु. लाख में)


Total Income, PBT and PAT (Rs. in lakh)



	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कुल आय Total income	39024	34179	38974	37270	43007	68116	59383	45615	46349	40404	56239
पीबीटी PBT	10005	22876	8288	4782	5244	24984	23744	7177	315	-11373	4159
पीएटी PAT	6423	15557	5677	2307	3189	17045	15659	4678	67	-10612	5075

लाभांश का भुगतान लाभांश वितरण कर सहित (रु. लाख में)

Dividend payout including Dividend Distribution Tax (Rs in lakh)



	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
लाभांश वितरण कर सहित लाभांश Dividend including dividend distribution tax	1193	2021	2021	2014	2008	4010	3744	2021	2079	0	4092

वर्ष 2016-17 के लिए लाभांश वर्ष 2017-18 के दौरान भुगतान किया जाता है।

Dividend for 2016-17 is paid during 2017-18.

विषयवस्तु / CONTENTS

विवरण <u>Particulars</u>	पृष्ठ सं. <u>Page No.</u>
निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	01-32
कारपोरेट शासन प्रमाणपत्र Corporate Governance Certificate	33-35
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी C & AG Comments	36
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report	37-47
तुलन पत्र Balance Sheet	48
लाभ एवं हानि का विवरण Statement of Profit & Loss	49
नकदी प्रवाह विवरण Cash Flow Statement	50
नोट्स Notes	51-107

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण
इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2017 को समाप्त, वित्तीय वर्ष के लिए स्वतःसिद्ध संक्षिप्त वित्तीय विवरणों के साथ साथ आपकी कंपनी के व्यापार एवं प्रचालनों पर 67वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

1.0 वित्तीय परिणाम

1.0 मुख्य बातें

1.1 वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के प्रचालनों एवं कार्यनिष्पादन की मुख्य बातें तथा पिछले वर्ष से इसकी तुलना निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत की गई है :

(रु लाख में)

	वित्तीय वर्ष	2016-17	2015-16
1.	कुल राजस्व	51,478	40,404
2.	मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय से पूर्व लाभ (हानी), पूर्व अवधि समायोजन, असाधारण एवं अपवाद मर्दे	3,082	(8,383)
3.	घटाएं : मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	3,684	2,990
4.	जोड़े/(घटाएं) : अपवाद मर्दे	4,761	0
5.	कर से पूर्व लाभ/(हानी)	4,159	(11,373)
6.	घटाएं : कर व्यय	(916)	(761)
7.	अवधि के लिए कर के बाद लाभ/(हानी)	5,075	(10,612)
8.	जोड़ें : अन्य व्यापक आय	(1)	155
9.	कुल व्यापक आय	5,074	(10,457)
10.	विदेशी मुद्रा अर्जन	19,843	13,794

2.0 विक्री एवं विपणन

2.1 वर्ष 2016-17 में आईआरईएल के प्रमुख उत्पाद - इल्मेनाइट के लिए बाजार में गिरावट आई थी। टीआईओ2 उद्योग, जो आईआरईएल द्वारा उत्पादित प्रमुख खनिजों का मुख्य उपभोक्ता है, इल्मेनाइट ने वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में सकारात्मक वृद्धि देखी। टीआईओ2 उद्योग के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण पूरे वर्ष के दौरान जारी रहा जिसके परिणामस्वरूप टीआईओ2 फीडस्टॉक उद्योग के लिए सकारात्मक प्रभाव पड़ा। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु से निर्यात के रुकावट के कारण बाजार को अस्थिरता भी हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप "ओआर" ग्रेड इल्मेनाइट की बेहतर मांग आई थी, जिसका आईआरईएल द्वारा वर्ष के उत्तरार्द्ध के दौरान अधिशेष निर्यात किया गया था। अन्य प्रमुख खनिजों का बाजार रुट्टाइल और जिरकोन अधिक या कम स्थिर बना रहा। रेअर अर्थ्स के मामले में, वर्ष के पहले तीन तिमाहियों के दौरान शुरुआती ढिलाई के बाद बाजार में सुधार हुआ। दिसंबर, 2016 तक बाजार लगभग नीचे छू गया था। चीन में अनौपचारिक उत्पादन और रीसाइक्लिंग की सुविधा के कारण बाजार में रियायती सामग्री की बाढ़ आ गई, जिससे मांग की कमी बनी रही।

2.2 वर्ष के दौरान उत्पन्न खनिजों पर उत्पाद शुल्क के उपकर के संबंध में विभिन्न इकाइयों को जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उत्पाद प्राधिकरण से अनुकूल निर्णय पाने के लिए आईआरईएल का जोरदार प्रयास था। ऑस्कॉम एवं एमके में मामलों को उत्पाद प्राधिकारियों द्वारा कंपनी के पक्ष में निपटारा किया गया था। फलस्वरूप, आईआरईएल ने 01 फरवरी 2017 से उत्पाद शुल्क का प्रभार के बिना सभी खनिजों को चालान करना शुरू कर दिया। उनयन इल्मेनाइट के रूप में इल्मेनाइट के वर्गीकरण पंक्तिबद्ध होकर, आईआरईएल ने फरवरी 2017 के माह में शिपमेंट से पूर्व 10% के बजाय 2.5% की निर्यात शुल्क देना शुरू कर दिया। इस परिवर्तन से आईआरईएल को पर्याप्त बचत होगी और लंबी अवधि में मार्जिन में सुधार करने की संभावना है।



DIRECTORS' REPORT

To,
The Members
Indian Rare Earths Limited

Your Directors take pleasure in presenting the 67th Annual Report on the business and operations of your Company along with the standalone summary of financial statements for the year ended 31st March, 2017.

1.0 Financial Results

1.0 Highlights

- 1.1 The highlights of the operations and performance of the Company for the year 2016-17 and its comparison with the previous year have been presented in following table:

		(₹ lakh)	
	Financial Year	2016-17	2015-16
1.	Total Revenue	51,478	40,404
2.	Profit/(Loss) before depreciation & amortization expenses, prior period adjustments, extra ordinary & exceptional items	3,082	(8,383)
3.	Less: Depreciation and amortization expenses	3,684	2,990
4.	Add/ (Less): Exceptional items	4,761	0
5.	Profit / (Loss) before tax	4,159	(11,373)
6.	Less: tax expenses	(916)	(761)
7.	Profit / (Loss) after tax for the period	5,075	(10,612)
8.	Add: Other Comprehensive Income	(1)	155
9.	Total Comprehensive Income	5,074	(10,457)
10.	Foreign Exchange earnings	19,843	13,794

2.0 Sales & Marketing

- 2.1 The year 2016-17 bucked the downward trend in the market for IREL's major product – Ilmenite. The TiO₂ industry, that is main consumer of the major mineral produced by IREL viz. Ilmenite, saw positive impetus at the beginning of the financial year. The positive outlook for TiO₂ industry continued during the entire year which resulted in positive impact for the Ti feedstock industry. The supply shortage on account of the stoppage of export from southern state of Tamil Nadu also resulted in market volatility which resulted in better demand for 'OR' grade ilmenite, whose surplus is exported by IREL, during the latter half of the year. Market for other major minerals viz. Rutile and Zircon remained more or less stable. In case of rare earths, market recovered after initial slackness during the first three quarters of the year. The market had almost touched a bottom by December 2016. This was presumably on account of lack of demand owing to unofficial production and recycling facilities in China continuing to flood the market with discounted material.
- 2.2 IREL's vigorous efforts for getting favourable verdict from the excise authorities with respect to the show cause notices issued to various units regarding levy of excise duty on minerals fructified during the year. Cases at OSCOM and MK were settled in favour of the Company by the excise authorities. Consequently, IREL started invoicing all the minerals without charging excise with effect from 1st February 2017. Taking cue from the classification of Ilmenite as upgraded Ilmenite, IREL started paying export duty of 2.5% in place of the earlier 10% from shipment in the month of February 2017. This change would result in substantial savings to IREL and is likely to improve the margins in the long run.

- 2.3 एक तरफ़, वर्ष के उत्तरार्द्ध में बाज़ार में जगह बना हुआ दिख रहा था, किन्तु, धारणीय आधार पर कच्ची रेत की अनुपलब्धता के चलते चवरा और एमके यूनिट में उत्पादन के सामने आने वाली चुनौतियाँ अवमन्दक साबित हुई। इसके अलावा, अस्पष्ट सीआरजेड अधिसूचना के कारण परिवहन परमिट जारी नहीं होने की वजह से, एमके यूनिट की आपूर्तियाँ फरवरी, 2017 से ठहराव में आ गयी है। यद्यपि, आईआरईएल ने विभिन्न मंचों पर युद्ध पद्धति के मुद्दों को उठाया है, किन्तु यह माना जाता है कि वर्ष 2017-18 के दौरान भी आईआरईएल के निष्पादन को प्रभावित कर सकता है।
- 2.4 चवरा और एमके में उत्पादन के मोर्चे पर असफल होने के बावजूद, विपणन मोर्चे पर लगातार प्रयासों ने वर्ष के दौरान 355000 मीट्रिक टन से अधिक खनिजों की बिक्री की, जबकि पिछले वर्ष 333000 मीट्रिक टन जो की तुलना में 6% से अधिक की वृद्धि हुई। मूल्य के संदर्भ में, मुख्य रूप से निरंतर मार्केटिंग प्रयासों के कारण खनिज बिक्री में लगभग 24% की वृद्धि हुई। रसायनों के मामले में मिश्रित रेअर अर्थ्स क्लोराइड और ट्राइसोडियम फॉस्फेट की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में करीब 54% की वृद्धि हुई है। यह उल्लेखनीय है कि कम मूल्य वाली उच्च मात्रा को धक्का देने के लिए टोस प्रयासों से सिलिमेनाइट 27% से अधिक की बिक्री के साथ वृद्धि हुई। उपर्युक्त प्रयासों के कारण, उत्पाद शुल्क का बिक्री राजस्व 454.71 करोड़ रुपये था, जो कि एक वर्ष पहले 354.37 करोड़ रुपये था - 28% से अधिक की वृद्धि हुई।
- 2.5 यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में एमओपीपी में उत्पादन में सुधार हुआ था, लेकिन उत्पादन में गिरावट जारी रही जिससे उत्पादन में कम क्षमता का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा, रेअर अर्थ्स प्रभाग में उच्च शुद्ध रेअर अर्थ यौगिकों (एचपीआरई) का उत्पादन अभी तक स्थिर नहीं है। किन्तु उपर्युक्त हेतु आईआरईएल ने बहुत अधिक कुल बिक्री की होगी।
- 2.6 आईआरईएल को 2017-18 के दौरान एमओपीपी एवं रेअर अर्थ्स प्रभाग के मुद्दों को बाहर निकालने की आशा है और बेहतर बिक्री हासिल करना है। इसके अलावा, चवरा में कच्ची सामग्री के समस्या का अनुमानित संकल्प 2017-18 के दौरान राजस्व लाभ भी बढ़ने की संभावना है।

3.0 उत्पादन

- 3.1 कच्चे रेत के संग्रह के लिए चवरा यूनिट में विभिन्न विकल्पों का पता लगाया गया। विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक कारणों की वजह से फरवरी 2013 के बाद से, वीटी खनन क्षेत्र में खनन गतिविधियों को रोक दिया गया पर भूमि क्षतिपूर्ति। थोत्तपल्लि बंदरगाह क्षेत्र से रेत को इकट्ठा करने और परिवहन के लिए थोत्तपल्लि बंदरगाह क्षेत्र में एमडीओ (खान विकास प्रचालक) अनुबंध को अंतिम रूप दिया गया था। उपर्युक्त सभी प्रयासों के साथ कच्ची रेत के संग्रह में लगभग 46% की वृद्धि हुई और कुल खनिज उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 133% से अधिक वृद्धि हुई। पैकेज को अंतिम रूप देने के बाद से मई 2016 में चालु कर दिया गया।
- 3.2 एमके प्रचालन को उपलब्ध तटीय धुलाई प्रदाय स्टॉक की कम गुणवत्ता और सतह अधिकार की अनुपलब्धता के कारण अन्तर्भूमि खनन में कठिनाई, भूविज्ञान एवं खनन विभाग द्वारा 20.01.2017 के प्रभाव से परिवहन परमिट की रोकथाम के कारण क्षति पहुँची। उपर्युक्त कारणों की वजह से, कुल खनिज उत्पादन 51,678 टन से घटकर पिछले वर्ष की तुलना में 43,208 टन हो गया।
- 3.3 ऑसकॉम यूनिट ने अन्य सहबद्ध खनिजों के साथ 1,83,015 मीट्रिक टन इल्मेनाइट का उत्पादन किया, जो कि इसके प्रतिष्ठापित क्षमता का लगभग 83% है (इल्मेनाइट के संदर्भ में)।

4.0 परियोजनाएं

- 4.1 रेअर अर्थ मैग्नेट : परियोजना के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त हुआ। मेसर्स. टाटा कन्सल्टिंग इंजीनियर्स को परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा निवेश निर्णय के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के लिए परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया। विज्ञान में बीएआरसी परिसर में संयंत्र के स्थान को अंतिम रूप दिया गया।
- 4.2 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड (आईडीसीओएल) के साथ संयुक्त उद्यम : आईआरईएल और आईडीसीओएल के निदेशक मण्डल का अनुमोदन प्राप्त किया।
- 4.3 ऑसकॉम संयंत्र का क्षमता विस्तार : चरण-1 वन अनुमति प्राप्त करने के लिए ग्राम सभा को पूरा करने के लिए अनिवार्य किया गया था, जिसे दो पंचायतों में सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। संकल्प प्राप्त करने और उसे नोडल अधिकारी, वन विभाग को प्रस्तुत करने की गतिविधियाँ प्रगति पर हैं। चरण-1 वन अनुमति प्राप्त करने के बाद, स्थल क्रियाकलाप प्रारंभ होगा।



- 2.3 While on one hand there seemed to be uptick in the market place albeit at in the latter half of the year, the challenges faced on production front at Chavara and MK unit due to non-availability of raw sand on a sustained basis proved to be a damper. Further, due to non-issue of transport permit on account of ambiguous CRZ notification MK unit supplies have come to a standstill from February 2017 onwards. Though IREL has taken up the issue on a war footing at various fora, it is apprehended that the same may affect IREL's performance during 2017-18 also.
- 2.4 Despite the setback on the production front at Chavara and MK, relentless efforts on the marketing front resulted in sales of over 355000 MT of minerals during the year as against about 333000 MT during the previous year – an increase of over 6%. In value terms, the mineral sales increased by about 24% - mainly on account of sustained marketing efforts. In case of chemicals higher sales of mixed rare earths chloride and trisodium phosphate resulted in the revenue increase by about 54% over the previous year. It is noteworthy that concerted efforts to push low value high volume Sillimanite fructified with sales volume growth of over 27%. On account of the above efforts, the sales revenue net of excise was Rs 454.71 crore as compared to Rs 354.37 crore a year back – an increase of over 28%.
- 2.5 Though the production at MoPP improved as compared to the earlier year, the ramping up issues continue to take toll on the production thereby leading to low capacity utilization. Also, production of high pure rare earth compounds (HPRE) at Rare Earth Division is yet to stabilize. But for the above, IREL would have achieved a much high turnover.
- 2.6 IREL expects to iron out the issues at MoPP and RE Division during 2017-18 and achieve better sales. Further, expected resolution of problem of raw material at Chavara is also likely to swell the revenue kitty during 2017-18.

3.0 Production

- 3.1 Various options were explored at Chavara unit for collection of raw sand. Mining activity stopped at VT mining area since February 2013 due to various socio-political reasons resumed during May 2016 after finalization of land compensation package. MDO (Mine Development Operator) contract was finalized at Thottappally Harbour area for collecting and transporting sand from the area. With all above efforts raw sand collection increased by about 46% and total mineral production increased by 133% over the previous year.
- 3.2 MK operation suffered due to stoppage of transport permit w.e.f 20.1.2017 by Department of Geology and Mining, Chennai, low quality of available beach wash feed stock and difficulty in inland mining due to non-availability of surface right. Due to above reasons, total mineral production dropped from 51,678 ton to 43,208 ton over previous year.
- 3.3 OSCOM unit produced 1,83,015 MT of Ilmenite along with other associated minerals, which is about 83% of its installed capacity (in terms of Ilmenite).

4.0 Projects

- 4.1 **Rare Earth Magnet:** In-principle approval received from the DAE for the Project. M/s. Tata Consulting Engineers appointed as Consultant to prepare the Detailed Project Report for investment decision by DAE. Plant location finalized at BARC campus in Vizag.
- 4.2 **Joint Venture (JV) with Industrial Development Corporation of Odisha Ltd. (IDCOL):** Approval of the Board of Directors of IREL and IDCOL received.
- 4.3 **Capacity Expansion of OSCOM Plant:** Grama Sabha mandated to be carried out for obtaining Stage-I Forest clearance which was carried out successfully in two Panchayats. Activities for obtaining the resolution and submitting the same to Nodal Officer, Forest Department are in progress. Site activities will start after obtaining Stage-I Forest clearance.

- 4.4 **टिटानियम स्लैग संयंत्र** : कंपनी की सामरिक प्रबंधन योजना (एसएमपी) में परिकल्पना की गई, बिल्ड-ओन-ऑपरेट (बीओओ) मॉडल के तहत 1,00,000 टन प्रति वर्ष टाइटेनियम स्लैग संयंत्र स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए। उपर्युक्त की दिशा में ब्याज की अभिव्यक्ति के विरुद्ध अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। बीओओ प्रचालक के चयन के लिए विभिन्न दस्तावेज तैयार करने के लिए संयवहार सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रगति पर है।

5.0 **मानव संसाधन प्रबंधन**

- 5.1.1 कंपनी मानव संसाधनों की सेवाओं की गुणवत्ता के रूप में सबसे मूल्यवान संपत्ति के रूप में मानव संसाधन बनाने के मुख्य दर्शन में मानती है कि मानव संसाधन सीधे संगठन के परिणामों को प्रभावित करता है। कभी-कभी चुनौतीपूर्ण व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने और धारणीय प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बनाए रखने के प्रयास में, कंपनी संगठनात्मक रणनीति / योजना के साथ लगातार अपने मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) रणनीति को संशोधित कर रही है। कंपनी के रणनीतिक लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ एचआरएम नीतियों को नियमित रूप से संगृहीत करने के लिए समीक्षा की जाती है।
- 5.1.2 उपर्युक्त के अनुपालन में, कंपनी ने संशोधित निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली की शुरुआत करने और निष्पादन प्रबंधन प्रणाली, नेतृत्व विकास, प्रशिक्षण और विकास आदि की फिर से निरीक्षण करने के लिए पहल की है। प्रतिभा/कैडर निर्माण पहल भी प्रबंधन प्रशिक्षुओं (एमटी) को शामिल करने के लिए योजना बनाई गई है।
- 5.1.3 सरकार द्वारा शुरू की गई कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से मौजूदा कर्मचारियों के लिए कौशल उनयन और विकास पर कदम उठाए गए हैं और उद्योग के लिए कुशल जनशक्ति का निर्माण किया गया है। शुरुआत करने के लिए, कंपनी ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के अंतर्गत "स्किल काउंसिल फॉर खनन सेक्टर" (एससीएमएस) से ट्रेनिंग पार्टनर (टीपी) के रूप में संबद्धता प्राप्त की है। एक मान्यताप्राप्त टीपी के रूप में कंपनी एससीएमएस के जरिए प्रीयर लर्निंग (आरपीएल) स्कीम और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

5.2 **कर्मचारी कल्याण गतिविधियाँ**

- 5.2.1 कर्मचारी कल्याण कर्मचारियों की प्रतिबद्धता को तेज करने और कंपनी के निष्पादन में प्रभावी योगदान के लिए समर्पण को दृढ़ करने के लिए केंद्रित क्षेत्र का एक केंद्र रहा।

5.3 **आरक्षण नीति**

- 5.3.1 आईआरईएल आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के साथ नियमित बैठकों का आयोजन किया जाता है और उससे यदि किसी की शिकायत निवारण और विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी (एनसीएल)/पीडब्ल्यूडी/एक्सएसएम पर लागू होने वाले भर्ती और पदोन्नतियों में आरक्षण के संबंध में सरकार के दिशानिर्देश आईआरईएल द्वारा स्वाभाविक रूप से अनुसरण किए जा रहे हैं।
- 5.3.2 आईआरईएल के पास पिछले वर्ष 1790 की तुलना में 31.03.2017 को 1662 कर्मचारियों का सुदृढ़ दल है जो कि पिछले वर्ष 1790 था। 31.03.2017 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति का प्रतिनिधित्व क्रमशः 317 एवं 45 है। जब कि आईआरईएल के रोल पर भूतपूर्व सैनिकों एवं विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व क्रमशः 46 एवं 17 है। अप्रैल 2016 से 22 व्यक्ति भर्ती किए गए हैं तथा 150 व्यक्ति त्याग पत्र/सेवा निवृत्ति/मृत्यु/समापन इत्यादि के कारण सेवा में नहीं रहे।

5.4 **औद्योगिक संबंध**

- 5.4.1 "लंबी अवधि के मज़दूरी के निपटारे के संबंध में वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध परिदृश्य समीक्षाधीन दक्षिणी यूनिटों में संघों के द्वारा आयोजित कुछ द्वार बैठकों के बावजूद बहुत सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण था। प्रबंधन ने इसके एक यूनिट में वेतन संशोधन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया और अन्य यूनिटों में इसी प्रकार के निपटान के लिए रास्ता बनाया।"



- 4.4 **Titanium Slag Plant:** As envisaged in the Strategic Management Plan (SMP) of the Company, steps taken up to set up a 1,00,000 tons per annum titanium slag plant under Build-Own-Operate (BOO) model. Good response received against the Expression of Interest floated towards the above. Process of appointing the transaction adviser for framing various documents for the selection of BOO operator is in progress.

5.0 **Human Resource Management**

- 5.1.1 The Company believes in core philosophy of creating Human Resources as the most valued assets as the quality of services that the human resource delivers directly impacts the results of the organisation. In an endeavour to meet the ever-challenging business requirements and to maintain sustainable competitive advantage, the company has been continuously aligning its Human Resources Management(HRM) Strategy with the Organizational Strategy/Plan. The HRM Policies are regularly reviewed for aligning the same with the company's strategic goals and objectives.
- 5.1.2 In pursuance to the above, the company has taken initiative for introduction of revised Performance Appraisals System & re-visited Performance Management System, Leadership Development, Training & Development etc. Talent/Cadre Building Initiatives has also been planned for induction of Management Trainees (Mts).
- 5.1.3 Steps have also been taken on skill upgradation and development for the existing workforce and building skilled manpower for the industry through government initiated skill development programmes. To start with, the company has obtained affiliation as a Training Partner (TP) from the "Skill Council for Mining Sector" (SCMS) under National Skill Development Corporation(NSDC). The company as an accredited TP is taking necessary steps to provide training in Recognition of Prior Learning(RPL) Scheme & Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana(PMKVY) through SCMS.

5.2 **Employees Welfare Activities**

- 5.2.1 Employees Welfare continued to be one of the focused area to accelerate and reinforce employees' commitment, dedication for effective contribution in company's performance.

5.3. **Reservation Policy**

- 5.3.1 IREL is committed to the welfare of the reserved category employees. Regular meetings are held with SC/ST employees to redress grievances if any and for providing guidance for development. Government guidelines in respect of reservation in recruitment and promotions as applicable to SC/ST/OBC(NCL)/PWD/XSM are being scrupulously followed by IREL.
- 5.3.2 IREL has a strong team of 1662 employees as on 31-03-2017 as against 1790 of the previous year. The representation of scheduled castes and scheduled tribes as on 31-03-2017 is 317 and 45 respectively. Whereas, the representation of Ex-servicemen and Persons with disability on the roles of IREL is 46 and 17 respectively. Since April 2016, 22 persons have been recruited and 150 persons ceased to be in employment on account of resignations/ retirements / deaths / termination etc.

5.4 **Industrial Relations**

- 5.4.1 "Industrial Relations scenario during the year under review was by and large cordial and peaceful notwithstanding a few gate meetings held by the unions in southern units' in connection with the long term wage settlement. As regards the wage revision of workmen, the management signed an MoU on wage revision in one of its units paving the way for similar settlement in other units too".

6.0 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) एवं धारणीयता

6.1. परिकल्पना : अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को प्रदर्शित करती हुई सीएसआर नीतियों के साथ एक कारपोरेट बनना जो मूलभूत व्यापार में सन्निहित हो तथा समाज के समावेशी उन्नति के लिए मिलकर चले ।

लक्ष्य : एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना जो स्वास्थ्य, साक्षरता, आधारभूत संरचना विकास, स्वच्छ पेय जल, पर्यावरण सुरक्षा, धारणीयता एवं अन्य सामाजिक रूप से संबंधित मामलों के क्षेत्र में पहल करके आसपास के समुदायों के जीवन दशाओं का उत्थान करता हो और अभिवृद्ध करता हो ।

आईआरईएल कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और सरकार द्वारा सीएसआर गतिविधियों का चयन और कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है। सीएसआर और धारणीयता योजनाओं के कार्यान्वयन के क्षेत्र में खनन स्थलों और पिछड़े जिले के आसपास के क्षेत्र हैं जहां कंपनी की प्रचालन इकाइयां हैं। बाद में, इस तरह के कार्यक्रमों को 10 किलोमीटर के संयंत्र के स्थान के दायरे के भीतर विस्तारित करने का प्रस्ताव है। कंपनियों के अधिनियम 2013, कंपनियों के (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014 और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आईआरईएल की सीएसआर गतिविधियों के लिए बजट आवंटन है।

6.2 सीएसआर समिति का संघटन :

डॉ. अशोक कुमार लोमस, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष
श्री शकील अहमद, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य
श्री राकेश तुमाने, निदेशक (वित्त), सदस्य

6.3 पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ :

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ नकारात्मक था। अतः वर्ष 2016-17 के दौरान सीएसआर व्यय के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था।

6.4 2016-17 के लिए निर्धारित सीएसआर व्यय : शून्य

6.5 वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च सीएसआर का विवरण :

क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल धनराशि : शून्य *

ख) खर्च नहीं हो पायी धनराशि : शून्य *

ग) वित्तीय वर्ष के दौरान जिस ढंग से धनराशि खर्च की गयी उसका विवरण नीचे दिया गया है :

*: यद्यपि वर्ष 2016-17 के लिए सीएसआर बजट शून्य है, कुछ आवश्यकता आधारित सीएसआर गतिविधियों को व्यापारिक औचित्यता पर आधारित किया गया था।

क्र.सं.	चिह्नित सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि	वह क्षेत्र जिसमें परियोजना सम्मिलित	परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य एवं जिला विनिर्दिष्ट है। माध्यम से करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम चालू थे।	व्यय धनराशि (रु. लाख)	खर्च धनराशि (रु. लाख)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	खर्च धनराशि : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के
1	निवारक स्वास्थ्य देखभाल, जलापूर्ति, स्वच्छता इत्यादि	(i)			23.24	23.24	



6.0 **Corporate Social Responsibility (CSR) & Sustainability**

6.1 Vision: To be a corporate with CSR policies demonstrating its social responsibilities that is embedded in the core business and aligned for inclusive growth of the society.

Mission: To implement a program that uplifts and enhance the living condition of the community surrounding by way of initiatives in the areas of health, literacy, infrastructure developments, clean drinking water, environment protection, sustainability and other socially relevant matters.

IREL complies with the provisions of Companies Act 2013 and the guidelines issued by the Government from time to time for selecting and implementing its CSR activities. The area of implementation of CSR & sustainability schemes is around the vicinity of mining sites and backward districts where the company has its operating units. Later, it is proposed to extend such programs within the radius of 10 kms of plant location. Budgetary allocation for CSR activities of IREL is in accordance with the Companies, Act 2013, Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules 2014 and guidelines issued by the Government from time to time.

6.2 **Composition of CSR Committee:**

Dr. Ashok Kumar Lomas - Independent Director, Chairman
Shri Shakeel Ahmed - Independent Director, Member
Shri Rakesh Tumane - Director (Finance), Member

6.3 **Average net profit of the Company for the previous three financial years:**

Average net profit of the Company for the previous three financial years was negative hence no provisions for CSR expenditure were made during the year 2016-17.

6.4 **Prescribed CSR Expenditure for 2016-17: NIL.**

6.5 **Details of CSR spent during the financial year:**

- Total amount to be spent for the financial year: Nil*
- Amount unspent, if any: Nil*
- Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below:

*: Though CSR budget for the year 2016-17 is Nil, certain need based CSR activities were undertaken based on business expediency.

Sr. No.	CSR project or activity identified	Sector in which the project is covered	Projects or programs (1) local area or other (2)Specify the state and district where projects or program was undertaken	Amount outlay (₹ Lakh)	Amount Spent (₹ Lakh)	Cumulative expenditure upto the reporting period	Amount spent: Direct or through implementing agency
1	preventive health care, water supply, sanitation, etc	(i)			23.24	23.24	

2	शिक्षा, रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल इत्यादि	(ii)	स्थानीय क्षेत्र, कोल्लम केरल; गंजाम, ओडिशा	शून्य	22.80	22.80	आईआरईएल द्वारा सीधे कार्यान्वित की जाती हैं
3	लिंग समानता का प्रचार	(iii)			0.00	0.00	
4	पर्यावरणीय धारणीयता	(iv)			0.00	0.00	
5	सांस्कृतिक विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण, पुस्तकालियों का निर्माण आदि	(v)			12.10	12.10	
6	खेल	(vii)			0.18	0.18	
7	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	(x)			0.00	0.00	
	कुल			शून्य	58.33	58.33	

6.6 यदि कंपनी ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों या उसके किसी भी भाग के औसत शुद्ध लाभ के दो प्रतिशत खर्च करने के लिए चूक गयी है, तो कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में धनराशि खर्च न करने के लिए कारण प्रदान करेगी।

लागू नहीं, चूंकि वर्ष 2016-17 के लिए सीएसआर बजट शून्य है।

सीएसआर समिति के उत्तरदायित्व वक्तव्य जो सीएसआर नीति के कार्यान्वयन एवं अनुवीक्षण कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों एवं नीति के साथ अनुपालन में है।

आईआरईएल अपनी सीएसआर गतिविधियों के चयन एवं कार्यान्वयन के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों एवं समय समय पर सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों का अनुपालन करती है। सीएसआर एवं धारणीय योजनाओं के कार्यान्वयन का क्षेत्र खनन स्थलों के आस पास एवं पिछड़े जिले हैं जहां कंपनी की अपनी प्रचालन यूनिटें हैं। बाद में ऐसे कार्यक्रमों को प्लांट स्थानों के 10 किलो मीटर की परिधि के अंदर विस्तारित करने का प्रस्ताव दिया गया। आईआरईएल की सीएसआर गतिविधियों के लिए बजटरी आबंटन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत विनिर्दिष्ट सीमाओं के अनुसार है।

7.0 राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है तथा इसके अनुसरण में निम्नलिखित पहल कर रही है :

- भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए स्थापित लक्ष्यों का पालन करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
- राजभाषा प्रयोग को बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान एवं हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा के दौरान कई कार्यशालाएं और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। इन प्रतियोगिताओं एवं कार्यशालाओं ने कर्मचारियों के दैनिक कार्यों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में बढ़ोतरी की हैं।
- उपर्युक्त के अतिरिक्त, कंपनी के कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा हाल ही में प्रवर्तित “पारंगत पाठ्यक्रम” में प्रशिक्षित किए गए और प्रशिक्षित सभी कर्मचारियों को पारंगत परीक्षा में सफल घोषित किया गया।

8.0 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

8.1 कंपनी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की अपेक्षाओं का अनुपालन करती आ रही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान के अनुपालन में, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलेट प्राधिकारी

2	Education, employment enhancing vocation skills, etc	(ii)	Local area, Kollam Kerala; Ganjam, Odisha	NIL	22.80	22.80	Implemented directly by IREL
3	promoting gender equality	(iii)			0.00	0.00	
4	environmental sustainability	(iv)			0.00	0.00	
5	Protection of cultural heritage, art & culture, setting up of libraries, etc	(v)			12.10	12.10	
6	Sports	(vii)			0.18	0.18	
7	Rural development projects	(x)			0.00	0.00	
	Total			NIL	58.33	58.33	

6.6 In case the company has failed to spend the two per cent of the average net profit of the last three financial years or any part thereof, the company shall provide the reasons for not spending the amount in its Board report:

Not applicable, since CSR budget for the year 2016-17 is Nil.

A responsibility statement of the CSR committee that the implementation and monitoring of CSR policy is in compliance with the CSR objectives and policy of the company.

IREL complies with the provisions of Companies Act 2013 and the guidelines issued by the Government from time to time for selecting and implementing its CSR activities. The area of implementation of CSR & sustainability schemes is around the vicinity of mining sites and backward districts where the company has its operating units. Later on it was proposed to extend such programs within the radius of 10 kms of plant location. Budgetary allocation for CSR activities of IREL is in accordance with the limits specified under the Companies Act 2013.

7.0 Implementation of Official Language Policy

Indian Rare Earths Limited is committed to implement official language policy and in pursuance of the same, it has undertaken the following initiatives:

1. Efforts were made to fulfill the targets set for the implementation of Official Language Policy of the Government of India.
2. To encourage the use of Official language, several workshops and various competitions were organized throughout the year and during the Hindi Day/Hindi Fortnight. These competitions and workshops have increased progressive use of Hindi by employees of the company in their day-to-day working.
3. Besides the above, employees of the company were trained in "Parangat Course", a recently launched initiative by Government of India and all the employees trained were declared as successful in the Parangat examination.

8.0 Right to Information Act, 2005

- 8.1 The company has been complying with the requirements of RTI Act, 2005. In compliance with the provisions of RTI Act, 2005, Central Public Information Officer, Assistant Public Information

को नामित किया गया है और समय पर अनुपालन हेतु अत्याधिक सावधानी बरती जा रही है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित जानकारी प्रदान की जाती है। आरटीआई आवेदनों के अलावा, कंपनी ने केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध प्राप्त अपील को जिसे प्रथम अपील प्राधिकारी द्वारा ध्यान दिया गया और उचित रूप से निपटाया गया। वर्ष 2016-17 के दौरान, 191 आरटीआई आवेदन, 11 अपील प्राप्त हुए और क्रमशः केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी द्वारा उचित रूप से निपटाया गया। उपर्युक्त के अलावा माननीय केंद्रीय सूचना आयोग एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी के सामने 01 दूसरा अपील को वर्ष 2016-17 के दौरान वरीयता दी गई।

9.0 सतर्कता

9.1 जागरूकता का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने और सक्रिय, शिक्षाप्रद और सहभागी हस्तक्षेप के माध्यम से संगठन में निर्णय लेने में सहायता देना है। यह प्रबंधकों में आत्म विश्वास को सही व्यवसाय निर्णय लेने के लिए बनाता है और एक संस्कृति की शुरुआत करती है जहाँ सतर्कता का दर निष्क्रियता के लिए एक क्षमा-याचना की तरह उपयोग नहीं किया जाता है।

9.2 वर्ष 2016-17 में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार उचित सतर्कता प्रशासन को निश्चित करने के लिए कदम उठाए गए। सतर्कता विभाग ने सीवीसी, सीवीआई और संगठन के बीच में एक प्रभावी लिंक के रूप में कार्य किया। प्राप्त शिकायतों को उचित रूप से अन्वेषण किया गया और संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श से सीवीसी और परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के साथ समुचित कार्रवाई की गई।

9.3 कार्पोरेट सतर्कता विभाग ने आईआरईएल के सभी यूनिटों में नियमित रूप से निवारक सतर्कता गतिविधि का आयोजन किया है जिसमें वर्ष के दौरान 16 सीटीई प्रकार की जांचें, 48 आवधिक निरीक्षणों और यूनिटों के 193 अनियमित निरीक्षणों का आयोजन किया गया था। वित्त मंत्रालय से प्राप्त व्यापक एंड-टू-एंड ई-प्रापण के कार्यान्वयन पर एक अनुदेश जारी किया गया था और उसे सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया था।

9.4 सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2016 को कार्पोरेट कार्यालय एवं आईआरईएल के सभी यूनिटों द्वारा सफलतापूर्वक मनाया गया। आईआरईएल के सभी यूनिटों के साथ वीडियो सम्मेलन के माध्यम से मुख्य सतर्कता अधिकारी, आईआरईएल द्वारा ग्राहक बैठक आयोजित की गई थी। ग्राहकों/विक्रेताओं को केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा पहल की गई सत्यनिष्ठा ई-प्रतिज्ञा के बारे में मुख्य सतर्कता अधिकारी, आईआरईएल द्वारा संवेदित किया गया। मुख्य सतर्कता अधिकारी ने विक्रेताओं को उनके परिवार सदस्यों के द्वारा ई-प्रतिज्ञा देने के लिए प्रोत्साहित किया।

10.0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक खरीद पर सूचना का प्रकटन।

10.1 वर्ष 2016-17 के दौरान एमएसई से खरीदे गए सामान एवं सेवाओं का कुल मूल्य (एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाली एमएसई सहित) रु. 57.24 करोड़ है जो रु. 177.81 की कुल वार्षिक खरीद की 32% है और रु. 119.74 करोड़ की कुल वार्षिक खरीद की 48% छोड़कर मदे जिसके लिए एमएसई प्रतिनिधियां वर्तमान में नहीं हैं।

11.0 जन जागरूकता पहलें

11.1 आईआरईएल अपने यूनिटों के आसपास में अपनी दृश्यता एवं छवि को बढ़ाने के लिए व्यापक-स्तर पर लोक जागरूकता के क्रियाकलापों में अग्र सक्रिय रूप से लगी हुई है। आईआरईएल के यूनिटों में विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों, कालेजों से विद्यार्थियों द्वारा औद्योगिक निरीक्षण के लिए सुविधा बढ़ाये गये। आईआरईएल नियमित रूप से संयंत्र के आस-पास में उनके जीविका, रोजगार, पुनर्वास पैकेजों एवं सीएसआर क्रियाकलापों के लिए स्थानीय स्टैकहोल्डर्स के साथ लोक जागरूकता एवं संवादात्मक तंत्र आयोजित करता है।



Officer and First Appellate Authority have been notified and utmost care is being taken for timely compliance and providing requisite information as per the provisions of RTI Act, 2005. Apart from RTI applications, the Company also received appeals against the decision of the Central Public Information Officer, which too were attended to and appropriately disposed-off by the First Appellate Authority. During the year 2016-17, 191 RTI applications, 11 Appeals were received and appropriately disposed of by the CPIO and the First Appellate Authority respectively. Besides the above, 01 Second Appeal was preferred during the year 2016-17 before the Hon'ble Central Information Commission and Second Appellate Authority.

9.0 **Vigilance**

- 9.1 Vigilance aims at reaching out to every individual and aids decision making in the organization through the proactive, educative and participative interventions. This builds the confidence in managers to take the right business decision and inculcates a culture where the fear of vigilance is not used as an excuse for inaction.
- 9.2 Steps to ensure proper vigilance administration in accordance with the guidelines issued by the Central Vigilance Commission (CVC) were taken in the year 2016-17. Vigilance Department worked as an effective link between CVC, CBI and organization. Complaints received were properly investigated and appropriate actions were taken in consultation with the concerned authorities including CVC and Department of Atomic Energy (DAE).
- 9.3 Corporate Vigilance Department has conducted the preventive vigilance activity regularly in all the units of IREL in which 16 CTE type examinations, 48 Periodic inspections and 193 Surprise inspections of the units were conducted during the year. An instruction on implementation of comprehensive-end-to-end-e-procurement received from Ministry of Finance was issued and was successfully implemented.
- 9.4 The Vigilance Awareness Week-2016 was successfully observed by the Corporate Office and all the units of IREL. Customer meet was organized by CVO, IREL via video conferencing with all the units of IREL. Customers/Vendors were sensitized by CVO, IREL about the integrity e-pledge initiated by CVC. CVO encouraged the vendors to take e-pledge by them and their family members.

10.0 **Disclosure of information on public procurement notified by the Government under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.**

- 10.1 Total value of goods and services procured from MSEs (including MSEs owned by SC/ST entrepreneurs) during 2016-17 is Rs.57.24 crores which is 32% of the total annual procurement of Rs.177.81 crore and 48% of total annual procurement of Rs.119.74 crore excluding items for which MSEs representatives are non-existent.

11.0 **Public Awareness Initiatives**

- 11.1 IREL proactively engages in wide-ranging public awareness activities to enhance its visibility and image in the vicinity of its units. Industrial visits by students from various Universities, Institutions/colleges to IREL's units were facilitated. IREL regularly conducts public awareness and interactive sessions with local stakeholders for their livelihood, employment, rehabilitation packages and CSR activities in and around the plants.

- 11.2 ओलिव रिडले समुद्री कछुओं की रक्षा एवं संरक्षित करने के उद्देश्य से, आईआरईएल ने स्थानीय स्टैकहोल्डर्स, एनजीओ और वन अधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित की हैं। आईआरईएल ने भी समुदाय के लिए आईआरईएल की मूल गतिविधियों, आईआरईएल के उत्पादों के उपयोग पर विद्यार्थियों के लिए व्याख्यान दिये।

12.0 अनुसंधान एवं विकास

- 12.1 आईआरईएल प्रौद्योगिकी विकास परिषद (आईआरईएल टीडीसी) ने रु. 1477.53 लाखों की कुल लागत में 21 परियोजनाएं अनुमोदित किया था। परमाणु ऊर्जा विभाग ने इस परियोजना में हिस्सा लेने वाले विभिन्न अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों के वितरण हेतु रु. 893.81 लाख निर्मुक्त किया है। 2016-17 के अंत तक इस अनुसंधान एवं विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों को वितरित कुल धनराशि रु. 752.86 लाख है।

- 12.2 आईआरईएल टीडीसी परियोजनाओं से व्युत्पन्न लाभ :

21 परियोजनाओं में से 15 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। संयंत्र/प्रायोगिक संयंत्र में अपनाई जाने वाली परियोजनाओं में रेअर अर्थ प्रभाग में पीआरईई सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन परीक्षण सुविधा सहित, एनूलर सेंट्रीफ्यूगल एक्सट्रैक्टर (एसीई) की अभिकल्पना एवं उचित अनुपात, मोनाजाइट की वसूली के लिए एयर टेबिल के लिए प्रतिस्थापन के रूप में चुंबकीय सेपरेटर्स की उपयुक्तता और नैनो आकार रेअर अर्थ फास्फेट का प्रायोगिक मान उत्पादन है।

वाणिज्यीकरण के लिए संभावित होने वाली परियोजनाओं की सूची में रेअर अर्थ आधारित रंगों का विकास, सल्फ्यूरिक एसिड रूट, बहुमुखी नैनो-ज़िरकोनिया उत्पादन सुविधा, आरई ऑक्साइड आदि के आधार पर उच्च क्षेत्र समग्र प्रकार के वार्विस्टर्स का विकास, मोनोजित प्रसंस्करण आदि शामिल है।

13.0 ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन एवं विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बहिर्गमन

- 13.1 कंपनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(एम) की अपेक्षा के अनुसार ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्गमन के संबंध में जानकारी एवं विवरण अनुलग्नक - 'क' के रूप में इसमें संलग्न है तथा इस रिपोर्ट का भाग बनाता है।

14.0 सरकारी लेखापरीक्षा

- 14.1.1 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियाँ दी हैं।

“मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नजर नहीं आई है जिसकी वजह से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर अथवा उसके अनुपूरक पर कोई टिप्पणी करनी पड़े।”

15.0 कराधान

- 15.1 कंपनी ने आयकर अधिनियम 1961 के तहत सभी स्वीकार्य कटौतियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015-16 के दौरान कराधान के लिए प्रावधान नहीं बनाया है।

16.0 लाभांश

- 16.1 निदेशक मण्डल ने 26 सितम्बर 2017 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लाभांश रकम के लिए रु. 34 करोड़ की सिफारिश की है।



- 11.2 With view to protect and conserve Olive Ridely Sea Turtles, IREL has conducted various workshops with local stakeholders, NGOs and Forest Officials. IREL also delivered lectures to students on IREL's core activities, uses of IREL's products to the society.

12.0 Research & Development

- 12.1 IREL Technology Development Council (IRELTDC) had approved 21 projects at a total cost of Rs.1477.53 lakhs. DAE has released Rs.893.81 lakhs for disbursement to various research and academic institutions participating in the projects. Total amount disbursed to various institutions under this R&D scheme till the end of 2016-17 is Rs.752.86 lakhs.

- 12.2 Benefits derived from IRELTDC Projects:

Out of the 21 projects, 15 projects have been completed. The projects which are adopted in plant/pilot plant scale include augmentation of PREE Solvent Extraction Test facility at RED, design and scale up of Annular Centrifugal Extractor (ACE), suitability of magnetic separators as replacement for air tables for recovery of monazite and pilot scale production of Nano sized Rare Earth Phosphate.

List of projects having potential for commercialization for which efforts are underway include development of rare earth based colorants, monazite processing by sulphuric acid route, versatile nano-Zirconia production facility, development of high field composite varistors based on RE Oxide, etc.

13.0 Conservation of Energy, Technology Absorption & Foreign Exchange Earnings and Outgo

- 13.1 In accordance with the requirements of section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Accounts) Rules, 2014 information and details in respect of Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo is annexed hereto as **Annexure- 'A'** and forms part of this report.

14.0 Government Audit

- 14.1 Pursuant to the provisions of Section 143(6) of the Companies Act, 2013 the Comptroller and Auditor General of India has given their comments on the audit report for the financial year 2016-17.

"Based on my supplementary audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditors' report under section 143(6) of the Companies Act, 2013."

15.0 Taxation

- 15.1 The company has made provision towards income tax under MAT after considering set off of carried forward loss and applicable provisions under the Income Tax Act, 1961

16.0 Dividend

- 16.1 Board of Directors at their meeting held on 26th September, 2017 has recommended dividend amounting to ₹ 34 crores for the year 2016-17.

17.0 सार्वजनिक जमा

- 17.1 कंपनी ने रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के अभिप्रेत अन्दर जनता से न तो कोई जमा आमंत्रित किया है और न ही स्वीकार किया है।

18.0 निदेशकगणों अथवा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण जिन्हें वर्ष के दौरान नियुक्त किया गया अथवा जिन्होंने त्यागपत्र दिया गया अथवा सेवानिवृत्त हो गए।

- 18.1 श्री के.के. महान्ति ने 01 फरवरी 2017 से निदेशक (विपणन) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
- 18.2 श्री जी. कल्याणकृष्णन, मुख्य कार्यकारी (एनएफसी) ने 22 सितम्बर, 2016 से अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
- 18.3 श्री पॉल एंटोनी, अपर मुख्य सचिव, केरल सरकार ने 22 सितम्बर, 2016 से अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
- 18.4 श्री सी.के. असनानी, निदेशक (तकनीकी) ने 31 अगस्त, 2016 को आईआरईएल की सेवाओं से त्याग पत्र दिया।
- 18.5 नामित निदेशक श्री एन. साईबाबा का कार्यकाल 01 जून 2016 को समाप्त हुआ।
- 18.6 श्री सी.के. असनानी, निदेशक (तकनीकी) के त्याग-पत्र को 31 अगस्त 2016 को स्वीकार कर लिया गया है।
- 18.7 श्री बी. ज्योतिकुमार, केरल सरकार द्वारा नामित का कार्यकाल 09 सितम्बर, 2016 को समाप्त हुआ।
- 18.8 श्री आर.ए. राजीव, नामित निदेशक का कार्यकाल 13 अप्रैल 2017 को समाप्त हुआ।
- 18.9 डॉ. अशोक कुमार लोमस, स्वतंत्र निदेशक ने 30 मई 2017 को अपनी नियुक्ति की शर्तें पूरी कीं।
- 18.10 श्री शकील अहमद, स्वतंत्र निदेशक ने 30 मई, 2017 को अपनी नियुक्ति की शर्तें पूरी कीं।
- 18.11 श्री संजीव सूद, नामित निदेशक का कार्यकाल 22 जून 2017 को समाप्त हुआ।

19.0 कर्मचारियों का विवरण

- 19.1 कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 5(2) एवं 5(3) के तहत प्रकट किए जाने के लिए यथा अपेक्षित कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं अन्य विवरणों से संबन्धित सूचना नहीं दी गयी है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान किसी भी कर्मचारी ने उपर्युक्त नियमों में दी गयी सीमा रेखा के समान या उससे अधिक पारिश्रमिक अथवा उसका भाग आहरित नहीं किया है।

20.0 लेखापरीक्षक

- 20.1 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षक मेसर्स. गोखले एंड साथे, सनदी लेखापाल, मुंबई की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
- 20.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपने पत्र सं सी.ए.वी./सीओवाई/केंद्र सरकार, आईआरईएल (1)/470 दिनांक 25.07.2017 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मेसर्स. गोखले एंड साथे, सनदी लेखापाल, मुंबई को पुनः नियुक्त किया है।



17.0 Public Deposit

- 17.1 During the year under report the Company has neither invited nor accepted any deposit from public within the meaning of section 73 of the Companies Act, 2013.

18.0 The details of directors or key managerial personnel who were appointed/ resigned/ superannuated during the year

- 18.1 Shri K K Mohanty, has joined as Director (Marketing) with effect from 1st February 2017.
- 18.2 Shri G Kalyanakrishnan, Chief Executive (NFC) has joined as part time official (Nominee) Director with effect from 22nd September 2016.
- 18.3 Shri Paul Antony, Addl. Chief Secretary, Govt. of Kerala, has joined as part time official (Nominee) Director with effect from 22nd December 2016.
- 18.4 Shri MA Inbarasu, JS (I &M) and Nominee Director from DAE joined on 22nd June, 2017
- 18.5 Tenure of Nominee Director Shri N Saibaba, has ceased w.e.f 1st June, 2016.
- 18.6 Resignation of Shri C K Asnani, Director (Techincal), has been accepted from 31st August, 2016.
- 18.7 Tenure of Shri B Jyothikumar, Nominated by the Govt. of Kerala, has ceased w.e.f 9th September, 2016.
- 18.8 Tenure of Nominee Director Shri RA Rajeev has ceased w.e.f 13th April, 2017
- 18.9 Dr.Ashok Kumar Lomas, Independent Director completed his terms of appointment on 30th May 2017
- 18.10 Shri Shakeel Ahmed, Independent Director completed his terms of appointment on 30th May 2017
- 18.11 Tenure of Nominee Director Shri Sanjeev Sood, ceased w.e.f 22nd June, 2017

19.0 Particulars of Employees

- 19.1 Information pertaining to remuneration and other details of employees as required to be disclosed under Rule 5(2) and 5(3) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, are not given, as none of the employees drew remuneration during the financial year 2016-17 or part thereof which is equal to or more than the threshold limits specified in the above said rules.

20.0 Auditors

- 20.1 Report of the Statutory Auditors M/s Gokhale & Sathe, Chartered Accountants, Mumbai on the accounts of the company for the year ended 31st March, 2017 is annexed to this report.
- 20.2 The Comptroller & Auditor General of India has re-appointed M/s Gokhale & Sathe, Chartered Accountants - Mumbai as Statutory Auditors of the Company for the financial year 2017-18 vide its letter No. CA.V/COY/CENTRAL GOVERNMENT, IRARTH(1)/470 dated 25.07.2017.

21.0 लागत लेखापरीक्षा

21.1 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के अनुसार कंपनी से एक अभ्यासगत लागत लेखाकार द्वारा अपने लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा कराया जाना अपेक्षित है। उपर्युक्त को देखते हुए निदेशक मण्डल ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के उत्पादों के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा कराने के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों के रूप में मेसर्स के.जी. गायल एंड कंपनी, लागत लेखाकार की रु. 48,817/- (सर्व निहित) के पारिश्रमिक पर भावी आम सभा में इसकी संपुष्टि के अधीन नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

22.0 निदेशकगणों के उत्तरदायित्व का विवरण

22.1 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 की उप धारा (3) के खंड (सी) के अधीन, निदेशकगण अपनी सर्वश्रेष्ठ जानकारी तथा विश्वास के आधार पर बताते हैं कि :

- वार्षिक लेखाओं की तैयारी में तात्त्विक रूप से अनुसरण नहीं किए जाने से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है ;
- निदेशकगणों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया एवं निरंतरता से उनका अनुप्रयोग किया तथा ऐसे तर्कसंगत और बुद्धिमतापूर्ण निर्णय लिए एवं अनुमान लगाए ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के मामलों की स्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि का सत्य एवं सही दृश्य प्रस्तुत कर सकें ;
- निदेशकगणों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा ;
- निदेशकगणों ने वर्तमान चिंताओं के आधार पर वार्षिक लेखाओं को तैयार किया था,
- निदेशकगण सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार करने तथा ऐसी प्रणाली की पर्याप्तता एवं प्रभावी रूप से कार्य कर पाना सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में हैं।

22.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान धारा 143(12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के संबंध में विवरण

लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा समिति या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के तहत कोई सामग्री धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई थी।

23.0 स्वतंत्र निदेशकगणों (आईडी) द्वारा घोषणा

23.1 स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अनुसार स्वतंत्रता की घोषणा प्रस्तुत की है, जिसमें कहा गया है कि वे स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं, यथा उक्त अधिनियम की धारा 149(6) में दिया गया है।

24.0 जोखिम प्रबंधन नीति का विकास एवं कार्यान्वयन के साथ जोखिम के तत्वों की पहचान पर विवरण

24.1 बोर्ड द्वारा अनुमोदित उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) कार्यान्वयन योजना के अनुसार, यूनिट स्तर में जोखिम अधिकारियों ने प्रत्येक विभाग के परामर्श विभिन्न जोखिमों एवं प्रत्येक जोखिम के लिए सुझाव दिए गए उपशमन उपायों की पहचान की। जोखिम अधिकारी द्वारा सुझाव दिए प्रयोज्य जोखिमों एवं उपशमन उपायों की समीक्षा करने के बाद, यूनिट प्रमुख ने जोखिम प्रबंधन समिति नीति (आरएमसी) द्वारा समीक्षा के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी को की गई कार्यवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की।

24.2 आरएमसी ने यूनिटों एवं परामर्शदाता द्वारा पहचान की गई विभिन्न जोखिमों की समीक्षा की और कंपनी पर घटना की आवृत्ति और जोखिम के प्रभाव पर आधारित न्यून तीव्रता जोखिम, मध्यम तीव्रता जोखिम और उच्च तीव्रता जोखिम के रूप में (जोखिम समीक्षा प्रक्रिया के अनुसार) विभिन्न जोखिमों का वर्गीकृत किया।



21.0 Cost Audit

- 21.1 Pursuant to section 148 of the Companies Act, 2013, the Company is required to have the audit of its cost records conducted by a Cost Accountant in practice. In view of above, the Board of Directors has on the recommendation of the Audit Committee, approved the appointment of M/s K G Goyal & Co., Cost accountants as cost auditors of the company to conduct audit of cost records of the Company for the financial year 2016-17, at a remuneration of ₹ 48,817/- (all inclusive).

22.0 Directors' Responsibility Statement

- 22.1 As required under clause (c) of sub-section (3) of section 134 of the Companies Act, 2013, directors, to the best of their knowledge and belief, state that:

- in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;
- the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;
- the directors are in the process of devising proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and to ensure that such systems are adequate and operates effectively.

22.2 Details in respect of frauds reported by auditors under section 143(12) during the year under review,

No material frauds were reported by the auditors to the Audit Committee or the Board under section 143 (12) of the Companies Act, 2013.

23.0 Declaration by the Independent Directors

- 23.1 The independent directors have submitted the declaration of independence, as required pursuant to section 149(7) of the Companies Act, 2013 stating that they meet the criteria of independence as provided in section 149 (6) of the said Act.

24.0 Statement on development and implementation of Risk Management Policy including identification of elements of risk

- 24.1 As per Enterprise Risk Management (ERM) implementation plan approved by Board, Risk officers at unit level identified various risks in consultation with each department and suggested mitigation measures for each risk. After reviewing the applicable risks and mitigation measures suggested by Risk Officer, Unit Head submitted the action taken report to Chief Risk Officer for review by Risk Management Committee (RMC).
- 24.2 RMC reviewed various risks identified by units & consultant and categorize the various risks (as per risk review process) as Low intensity risk, Medium intensity risk and High intensity risk based on frequency of occurrence and impact of the risk on the company.

- 24.3 ईआरएम कार्यक्रम के अनुसार, न्यून तीव्रता जोखिम यूनिट को रिपोर्ट की गई, मध्यम तीव्रता जोखिम व्यवसाय प्रमुख स्तर के (संबंधित निदेशक) को आवश्यक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट की गई। उच्च तीव्रता जोखिम मण्डल की सूचना एवं आवश्यक निदेश के लिए लेखा परीक्षा समिति के माध्यम से निदेशक मण्डल को रिपोर्ट की गई।
- 25.0 संरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं पर्यावरण**
- 25.1 संरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में कंपनी द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों का विवरण इस रिपोर्ट का भाग बनाते **अनुलग्नक 'ख'** में दिया गया है।
- 26.0 कॉर्पोरेट शासन**
- 26.1 कॉर्पोरेट शासन के साथ साथ अभ्यासगत कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणित कॉर्पोरेट शासन पर एक अनुपालन रिपोर्ट तथा प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट पर अलग से एक खंड अनुलग्नक 'ग' में दिया गया है तथा इस रिपोर्ट का भाग बनाता है।
- 27.0 संबंधित पार्टी संव्यवहार**
- 27.1 वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए को छोड़कर कंपनी तथा निदेशकगणों, प्रबंधन अथवा संबंधियों के बीच कोई संबंधित पार्टी संव्यवहार नहीं किया गया है। तदनुसार धारा 188(1) में संदर्भित संबंधित पार्टियों के साथ संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं का विवरण तथा इसके साथ फॉर्म एओसी-2 में ऐसी संविदा अथवा व्यवस्था करने के औचित्य इस रिपोर्ट का भाग नहीं बनाते हैं।
- 28.0 नियामकों अथवा न्यायालयों द्वारा दिये गए महत्वपूर्ण एवं तात्त्विक आदेश**
- 28.1 नियामकों अथवा न्यायालयों अथवा ट्रिब्यूनलों द्वारा कंपनी की वर्तमान चिंता की स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण एवं तात्त्विक आदेश नहीं दिये गए हैं।
- 29.0 वार्षिक प्रतिफल का उद्घरण**
- 29.1 वार्षिक प्रतिफल का उद्घरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) के प्रावधानों तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12(1) के अनुसार फॉर्म एमजीटी-9 के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है (**अनुलग्नक-घ**)।
- 30.0 व्हिसल ब्लोवर नीति**
- 30.1 आईआरईएल ने एक व्हिसल ब्लोवर नीति बनाई है जो अपने कर्मचारियों को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, अथवा कंपनी के आचरण या आचार नीति पर सामान्य मार्ग निर्देशों के उल्लंघन के बारे में प्रबंधन को तथा अपवाद मामले में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को सूचित करने में सुविधा प्रदान करती है। यह नीति कंपनी में हो रहे किसी कदाचार अथवा अनैतिक क्रियाकलाप को सही मायने में उजागर करने तथा व्हिसल ब्लोवर को सुरक्षा प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है। बोर्ड को अवगत कराया गया कि वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी को व्हिसल ब्लोवर नीति के तहत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उपर्युक्त के आधार पर लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष ने इस बात की पुष्टि कि वर्ष 2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा समिति तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचने से किसी भी कर्मचारी को रोका नहीं गया है। व्हिसल ब्लोवर नीति कंपनी की वेबसाइट www.irel.co.in पर उपलब्ध है।
- 31.0 आभार**
- 31.1 निदेशक मण्डल विभिन्न सरकारी विभागों एवं एजेंसियों, बैंकों एवं अन्य व्यापारिक सहयोगियों सहित परमाणु ऊर्जा विभाग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों का समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उनके मूल्यवान सेवाओं एवं सतत समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता है।
- 31.2 निदेशक मण्डल इस अवसर पर कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर दिये गए योगदान के लिए उनकी सराहना भी करता है।

कृते बोर्ड

(दिपेन्द्र सिंह)

दिनांक : 26 सितंबर, 2016

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



24.3 As per ERM programme, low intensity risks were reported to unit, medium intensity risks were reported to business head level (concerned Director) for necessary action. High intensity risks were reported to Board of Directors through Audit Committee for information & necessary direction of Board.

25.0 **Safety, Healthcare & Environment**

25.1 Details of Safety, Health Care and activities related to Environment Protections undertaken by the Company are given in the **Annexure 'B'** forming part of this report.

26.0 **Corporate Governance**

26.1 A separate section on Corporate Governance alongwith a Compliance Report on the Corporate Governance certified by a practicing Company Secretary and the Management Discussion & Analysis Report are placed in **Annexure 'C'** and forms part of this Report.

27.0 **Related Party Transactions**

27.1 There have been no related party transactions between the Company and the Directors, the management or the relatives except for those disclosed in the financial statements. Accordingly, particulars of contracts or arrangements with related parties referred to in Section 188(1) along with the justification for entering into such contract or arrangement in Form AOC-2 does not form part of this report.

28.0 **Significant and Material Orders Passed by the Regulators or Courts**

28.1 There have been no significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting Company's going concern status.

29.0 **Extract of the Annual Return**

29.1 The extract of the Annual Return in Form MGT-9 as per provisions of section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is annexed to this report [**Annexure – D**].

30.0 **The Whistle Blower Policy**

30.1 IREL has formulated a "Whistle Blower" Policy which facilitates its employees to report to the management and in exceptional cases to the Chairman of the Audit Committee about unethical behaviour, actual or suspected fraud, or violation of the company's general guidelines on conduct or ethics policy. This policy provides employees of IREL to genuinely blow the whistle on any misconduct or unethical activity taking place in the Company and to protect the whistleblower. Board noted that during the year 2016-17, Company has not received any complaint under the Whistle Blower Policy, based on affirmation by the chairman of the audit committee to the effect that none of the employees has been denied any personnel access to the Audit Committee during the year 2016-17. Whistle blower policy is available on the company's website www.irel.co.in.

31.0 **Acknowledgements**

31.1 The Board of Directors' wishes to place on record their sincere thanks to the Department of Atomic Energy, Bhabha Atomic Research Centre, Central and State Governments including various Government departments and agencies, banks and other business associates for their valuable service and continued support during the year under review.

31.2 The Board also takes this opportunity to place on record its appreciation of the contribution made by the employees at all levels.

For and on behalf of the Board

(D.Singh)

Chairman & Managing Director

Date: 26th day of September, 2017

अनुलग्नक “क”

(निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक)

कंपनी (लेखा) नियम 2014 की धारा 8 के अनुसार 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अपेक्षित विषय।

क) ऊर्जा के संरक्षण पर उठाए गए कदम और प्रभाव :

परंपरागत ट्यूब लाइट का एलईडी ट्यूब लाइट से परंपरागत फ्लड लाइट का एलईडी फ्लड लाइट से, मेटल हल्लिडे फिटिंग्स एलईडी स्ट्रीट लाइट्स आदि का प्रतिस्थापन, पुराना वायु सम्पीड़क का नयी पीढ़ी सम्पीड़क के साथ वीएफडी से और एकोस्टिक एनक्लोसर का प्रतिस्थापन, प्रक्रिया पुनर्निर्गमन द्वारा जल पंपों में कटौती, पुराने मोटरों का ऊर्जा दक्ष आईई2 एवं आईई3 मोटरों से प्रतिस्थापन, एक्सेल्स शीटों की जगह ट्रांसलूसेंट पॉली कार्बोनेट शीटों का उपयोग आदि का प्रतिस्थापन।

उपर्युक्त कदम लिए जाने से, करीब 3.30 लाख यूनिट की बचत की गई।

ख) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग करने के लिए उठाए गए कदम :

सौर स्ट्रीट लाइटों एवं सौर जल तापकों का अधिष्ठापन।

ऑसकॉम में 5 मेगावॉट सौर शक्ति संयंत्र का अधिष्ठापन एवं एमके में 1 मेगावॉट सौर शक्ति संयंत्र का अन्वेषण किया जा रहा है।

ग) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजीगत निवेश :

वर्ष 2016-17 के लिए ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर कुल पूंजीगत निवेश करीब 16 लाख है।

प्रौद्योगिकी आभेदन :

क) प्रौद्योगिकी आभेदन के लिए किए गए प्रयास :

- i) सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रक्रिया के माध्यम से रेअर अर्थ पृथक्करण प्रणाली में बंद लूप ऑटोमेशन किया गया।
- ii) रुटाइल परिपथ में नयी पीढ़ी रेअर अर्थ रोल चुम्बकीय सेपरेटर्स (आईआरएमएस) से पुरानी पीढ़ी रोटार हम्बोल्ट चुम्बकीय सेपरेटर्स (आएचएमएस) और गारनेट परिपथ में रेअर अर्थ ड्रम चुम्बकीय सेपरेटर्स का प्रतिस्थापन किया गया।
- iii) नये मूल्य-वर्धित उत्पादों का विकास जैसे कि उच्च शुद्ध टिटानियम डायऑक्साइड, जिरकोनियम आक्सीक्लोराइड, उच्च शुद्ध सिलिका आदि किया गया।

ख) उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास अथवा आयात स्थानापन्न जैसे व्युत्पन्न लाभ :

- i) देशी रेअर अर्थ रोल चुम्बकीय सेपरेटर (आईआरएमएस) और रेअर अर्थ ड्रम चुम्बकीय सेपरेटर (आईडीएमएस) से रोटार हम्बोल्ट चुम्बकीय सेपरेटर (आएचएमएस) के आयातित उपकरण का प्रतिस्थापन करना।



Annexure 'A'

(Annexure to the Directors' Report)

Matters required to be included in the Board's report for the year ended 31st March, 2017 pursuant to Rule 8 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

(A) Steps taken and impact on conservation of energy:

Replacement of conventional tube light with LED tube light, conventional flood light with LED flood light, Metal halide lamp fittings LED street lights etc., replacement of old air compressors with new generation compressor with VFD and acoustic enclosure, reduction in water pumps by process reorientation, replacement of old motors with energy efficient IE2 & IE3 motors, use of translucent poly carbonate sheets in place of asbestos sheets etc.

By taking above steps, about 3.30 lakh unit was saved.

b) Steps taken for utilizing alternate sources of energy:

Installation of solar street lights and solar water heaters.

Installation of 5 MW solar power plant at OSCOM and 1MW solar power plant at MK is being explored.

c) The capital investment on energy conservation equipments:

Total capital investment on energy conservation equipments for the year 2016-17 is about 16 lakhs.

(B) Technology Absorption:

a) Efforts made towards technology absorption:

- i) Closed loop automation for Rare Earth separation system through solvent extraction process.
- ii) Replacement of old generation Rotor Humboldt Magnetic Separators (RHMS) with new generation Rare Earth Roll Magnetic Separator (RERMS) in Rutile circuit and Rare Earth Drum Magnetic Separator (REDMS) in Garnet circuit.
- iii) Development of new value-added products such as high pure titanium dioxide, zirconium oxychloride, high pure Silica etc.

b) The benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution as a result of the above efforts:

- i) Replacement of imported equipment Rotor Humboldt Magnetic Separator (RHMS) with indigenous Rare Earth Roll Magnetic Separator (RERMS) and Rare Earth Drum Magnetic Separator (REDMS).

- ii) नये मूल्य-वर्धित उत्पादों का विकास।
- iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित वित्तीय वर्ष की शुरुआत से गिना गया)
 - क) आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण - शून्य
 - ख) आयात का वर्ष - लागू नहीं।
 - ग) क्या प्रौद्योगिकी पूर्ण रूप से आमेलित हो गई है - लागू नहीं।
 - घ) यदि पूर्ण रूप से आमेलित नहीं किया गया है; तो उन क्षेत्रों में जहां आमेलन नहीं हो रहा है, और उसके कारण - लागू नहीं।

iv) अनुसंधान एवं विकास पर वहन किया गया व्यय :

विवरण (रु. लाख)

क) पूंजी : 0.00

ख) आवर्ती : 192.96

ग) कुल : 192.96

घ) कुल टर्नओवर की प्रतिशत के रूप में कुल अनुसंधान एवं विकास का व्यय : 0.37%

ग) विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्गमन

1. निर्यात के मार्ग द्वारा अर्जन - 19,843 लाख

2. आयात के मार्ग द्वारा बहिर्गमन - 24.15 लाख



- ii) Development of new value-added products.
- iii) In case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year)
 - a) The details of technology imported – Nil.
 - b) The year of import – NA
 - c) Whether the technology been fully absorbed – NA.
 - d) If not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reasons thereof – NA.

- iv) The expenditure incurred on Research & Development

Particulars (₹. Lakhs)

- a) Capital : 0.00
- b) Recurring : 192.96
- c) Total : 192.96
- d) Total R&D expenditure as a percentage of total turnover: 0.37 %

(C) Foreign Exchange Earnings and Outgo

- 1. Earnings by way of export - ₹. 19,843 lakh
- 2. Outgo by way of import - ₹. 24.15 lakh

अनुलग्नक “ख”

1.0 संरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं पर्यावरण

कंपनी कर्मचारियों और पड़ोस के संरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं पर्यावरण के लिए उचित महत्व दे रही है। इससे कंपनी को संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, उच्च उत्पादकता, सुरक्षित कार्य पर्यावरण और उत्पाद/सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया है।

सभी प्रचालन यूनिटों को आईएसओ 9001-2008, 14001-2004 एवं ओएचएसएस 18001-2007 प्रमाणीकरण और आईआरईआरसी पर कार्पोरेट अनुसंधान एवं संरक्षा इकाई के साथ आईएसओ 9001-2008 से मान्यता प्राप्त है। आईएस 17025 के आधार पर खनिज एवं रासायनिक प्रयोगशालाओं के लिए एनबीएल मान्यता प्राप्त करने के लिए उपाय किए गए हैं।

2.0 संरक्षा

सभी प्रचालन संयंत्रों के संरक्षा मानकों के निर्धारण एवं मूल्यांकन के एक स्थापित प्रणाली सभी यूनिटों में उपयुक्त स्थान पर है। संरक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति ने सभी प्रचालनीय यूनिटों का दौरा किया तथा सभी प्रचालनीय यूनिटों के संरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ऊर्जा एवं जल संरक्षण मानकों का मूल्यांकन किया तथा संरक्षा, हाउस कीपिंग, पर्यावरण एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शील्ड प्रदान करने के लिए सिफारिश की। कुछ मामूली दुर्घटनाओं को छोड़कर, वर्ष के दौरान कोई घातक दुर्घटना नहीं हुई थी।

3.0 स्वास्थ्य देखभाल

3.1 कंपनी की सभी प्रचालनीय यूनिटों में कर्मचारियों एवं उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों की स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए सभी आधुनिक उपकरण के साथ साथ पात्र, अनुभवी, प्रशिक्षित एवं सक्षम पुरुष एवं महिला चिकित्सक एवं पारा मेडिकल स्टॉफ के साथ व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र है। कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत, कंपनी आस पास के गांवों में चिकित्सा शिविर, विद्यालयों को सहायता प्रदान करने के लिए आयोजन करती है।

4.0 पर्यावरण देखभाल

4.1 प्रचालनीय (प्लांट) संयंत्र पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए खनन किए जा चुके क्षेत्रों, कॉलोनिजों एवं आवासीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर रहे हैं। उन क्षेत्रों के जल स्तर को सुधारने के लिए वर्षा जल संरक्षण बिन्दु स्थापित किए गए हैं। कॉर्बन फूट प्रिंट को कम करने हेतु सौर लाइटिंग सिस्टम का अधिष्ठापन किया गया है।

कंपनी अपने कार्यस्थल और आस-पास के क्षेत्रों में स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी की प्रचालनीय इकाइयां संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य अभियंता निकायों द्वारा तय किए गए सभी सुरक्षा मानदंडों / मानकों का पालन कर रही हैं जो सीमाओं के भीतर बारीकी से निगरानी रखी जाती है और बनाए रखी जाती है।

Annexure 'B'

1.0 Safety, Health care & Environment

- 1.1 The company is giving due significance to Safety, Health Care and Environment of the employees and neighborhood. This has enabled the company to achieve optimum utilization of resources, higher productivity, safe working environment and better quality of product/services.

All the operating plants are accredited with ISO 9001-2008, 14001-2004 and OHSAS 18001-2007 certification and Corporate Research and Safety unit at IRERC is accredited with ISO 9001-2008. Measures are taken to obtain NABL accreditation for the mineral & chemical Laboratories based on IS 17025.

2.0 Safety

- 2.1 An established system for assessment and evaluation of safety standards of all the operating plants is in place in all units. An expert committee with members of prominence in the field of safety visited all operating units and evaluated/ assessed & audited the safety, health, environment, energy & water conservation standards/ condition of all the operating units and recommended for the award of CMD shield in the areas of safety, housekeeping, environment and water conservation. Barring few minor accidents, there was no fatal accident during the year.

3.0 Health Care

- 3.1 All the operational units of the company are having occupational health centers with qualified, experienced, trained & competent male and female medical practitioners and para medical staff along with modern gadgets to look after the health of the employees and their dependent family members. As part of corporate social responsibility Company conducts medical camps, provide assistance to schools, in the nearby villages.

4.0 Environment Care

- 4.1 The operating plants are planting saplings in the mined out areas, colony and residential areas with a view to maintain ecological equilibrium. Rain water harvesting points are set up to improve the water table of that area. Solar lighting systems are installed to reduce the carbon foot print.

The company is committed to provide clean environment both at its work place and surrounding areas. The operational units of the company are adhering to all safety norms/standards fixed by the respective state pollution control boards/Central Pollution Control Board and other statutory bodies which are closely monitored and maintained well within limits.

अनुलग्नक - ग

कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट

1.0 कॉर्पोरेट शासन पर कंपनी का दर्शन

आईआरईएल में हम सुनिश्चित करते हैं कि हम डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन मार्ग निर्देशों तथा सभी स्टैक होल्डर्स के अधिकारों का आदर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों का विकास एवं गंभीरतापूर्वक अनुपालन करें। कंपनी की नीति पारदर्शिता, व्यावसायिकता एवं उत्तरदायित्व के प्रकट मूल्यों द्वारा प्रदर्शित होते हैं। हम समझते हैं कि हमारे वित्तीय एवं कार्यनिष्पादन के साथ साथ कंपनी के शासन के संबंध में समयबद्ध एवं सही सूचना प्रकट करना हमारा निहित उत्तरदायित्व है।

2.0 निदेशक मण्डल

2.1 निदेशकों का संघटन एवं वर्ग

बोर्ड में 12 निदेशक हैं जिसमें से 4 पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक हैं तथा 8 गैर-अधिशासी निदेशक हैं। 8 गैर-अधिशासी निदेशकों में से 4 अंशकालिक सरकारी/नामित निदेशक हैं तथा 4 स्वतंत्र निदेशक (कार्यात्मक निदेशक का एक पद 01.09.2016 से रिक्त है और स्वतंत्र निदेशक का एक पद 23.09.2014 से रिक्त है।) कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-2(77) के तहत दिये गये संबंधी के अर्थ के अनुसार किसी अन्य निदेशक से संबंधित नहीं है।

2.2 बैठकें

वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशक मण्डल की पांच बैठकें की जिसमें एक स्थगित बैठक हुई और दो बैठकों के बीच का अंतर चार माह से अधिक का नहीं था। उक्त बैठकों की तारीखें इस प्रकार हैं :

10 अप्रैल, 2016, 8 जुलाई, 2016, 26 सितम्बर, 2016, 20 दिसम्बर, 2016 और 20 मार्च, 2017। सभी बोर्ड बैठकों में अपेक्षित कोरम उपस्थित था।

वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति तथा 31 मार्च, 2017 को के अनुसार उनका बाह्य निदेशकत्व नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	निदेशकत्व की प्रकृति	बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की सं.	बाह्य निदेशकत्व की सं.	टिप्पणी
1	श्री दीपेन्द्र सिंह	कार्यात्मक	5	1	
2	श्री राकेश तुमाने	कार्यात्मक	5	-	
3	श्री के के महान्ति	कार्यात्मक	1	-	निदेशन (विपणन) के रूप में 01.02.2017 को कार्य प्रभार ग्रहण।
4	श्री सी. के. असनानी	कार्यात्मक	2	-	31.08.2016 को त्यागपत्र
5	श्री संजीव सूद	नामित	5	3	22.06.2017 को समाप्ति
6	श्री आर ए राजीव	नामित	4	-	12.04.2017 को समाप्ति
7	श्री एन साईबाबा	नामित	1	-	01.06.2016 को समाप्ति
8	श्री बी ज्योतिकुमार	नामित	2	-	09.09.2016 को समाप्त
9	श्री जी कल्याणकृष्णन	नामित	1	1	22.09.2016 को नियुक्त
10	श्री पाल एंटोनी	नामित	1	7	22.12.2016 को नियुक्त
11	श्री शकील अहमद	स्वतंत्र	5	-	30.05.2017 को समाप्ति
12	डॉ. अशोक कुमार लोमस	स्वतंत्र	5	-	30.05.2017 को समाप्ति
13	सुश्री शीला सांगवान	स्वतंत्र	3	8	

Annexure – 'C'**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE****1.0 Company's Philosophy on Corporate Governance**

At IREL, we ensure that we evolve and sincerely follow the corporate governance guidelines issued by DPE and best practices to respect all stakeholder rights. The company's policy is reflected by the very values of transparency, professionalism and accountability. We consider it our inherent responsibility to disclose timely and accurate information regarding our financials and performance, as well as the governance of the Company.

2.0 Board of Directors**2.1 Composition and category of Directors**

The Board consists of 12 Directors of which 4 are whole time Functional Directors and 8 are Non-Executive Directors. Out of 8 Non-Executive Directors, 4 are part time Official/ Nominee Directors and 4 are Independent Directors (one post of functional director is vacant since 01.09.2016 and one post of independent Director is vacant since 23.09.2014). None of the Directors are related with other Directors' as per the meaning of relatives provided under section – 2(77) of the Companies Act, 2013.

2.2 Meetings

The Board of Directors' met five times during the year 2016-17 including one adjourned meeting and the gap between two meetings did not exceed four months. The dates on which said meetings were held are as follows:

10th April, 2016, 8th July, 2016, 26th September, 2016, 20th December, 2016 and 20th March, 2017. Required quorums were present at all the Board meetings.

Attendance of the Directors' at the Board Meetings held during the year 2016-17 and their outside directorship as on 31st March, 2017 are given hereunder:

Sl. No.	Name of the Director	Nature of Directorships	No. of Board meetings attended	No. of outside Directorships	Remarks
1	Shri D Singh	Functional	5	1	
2	Shri Rakesh Tumane	Functional	5	-	
3	Shri K K Mohanty	Functional	1	-	Joined as Director (Mktg) on 01.02.2017
4	Shri C K Asnani	Functional	2	-	Resigned on 31.08.2016
5	Shri Sanjeev Sood	Nominee	5	3	Ceased on 22.06.2017
6	Shri R A Rajeev	Nominee	4	-	Ceased on 12.04.2017
7	Shri N Saibaba	Nominee	1	-	Ceased on 01.06.2016
8	Shri B Jyothi kumar	Nominee	2	-	Ceased on 09.09.2016
9	Shri G Kalyanakrishnan	Nominee	1	1	Appointed on 22.09.2016
10	Shri Paul Antony	Nominee	1	7	Appointed on 22.12.2016
11	Shri Shakeel Ahmed	Independent	5	-	Ceased on 30.05.2017
12	Dr. Ashok Kumar Lomas	Independent	5	-	Ceased on 30.05.2017
13	Ms. Sheila Sangwan	Independent	3	8	

2.3 इस रिपोर्ट को तैयार करने की तारीख तक नियुक्त हुए निदेशकों का संक्षिप्त जीवन वृत्त :

2.3.1 श्री के के महान्ति

श्री के के महान्ति का जन्म 01 अगस्त 1962 को हुआ और आईआरईएल के बोर्ड में 01 फरवरी 2017 के प्रभाव से निदेशक (विपणन) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। वे संबलपुर विश्वविद्यालय, ओडिशा से भौतिक ऑनर्स में सम्मान प्राप्त स्नातक हैं, उसके बाद इंडियन अन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस से धातु विज्ञान में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की हैं। उन्होंने नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग (एनआईटीआईई, मुंबई) से इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग स्नातकोत्तर और इंटरनेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एंटरप्राइज (आईसीपीई ल्यूब्लियाना) ल्यूब्लियाना युनिवर्सिटी, स्लोवेनिया से एमबीए किया है। आईआरईएल बोर्ड में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, वे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अपने दिल्ली और हरियाणा राज्य कार्यालय, एवं ओडिशा राज्य कार्यालय के उपभोक्ता बिक्री (संस्थागत) प्रधान थे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन एक सीपीएसयू एवं फोर्चून ग्लोबल 500 कंपनी के आईओसी लिमिटेड में 31 वर्षों के उनके लंबे कार्यकाल के दौरान, उन्होंने मानव संसाधन विकास, प्रबंधन सेवाएं, खुदरा बिक्री और उपभोक्ता बिक्री (संस्थागत) के क्षेत्रों में कार्य किया है। श्री महान्ति आईओसीएल की खुदरा परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत खुदरा रणनीति सूत्रीकरण और खुदरा की रोलिंग के अतिरिक्त (संस्थागत) बिक्री रणनीति और नीतियों में सक्रिय रूप से क्षेत्र स्तर पर जुड़े हुए थे।

2.3.2 श्री जी कल्याणकृष्णन

श्री जी कल्याणकृष्णन का जन्म 20 फरवरी 1958 को हुआ। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी, एनएफसी ने 22 सितम्बर, 2016 से आईआरईएल बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। उन्होंने भूतपूर्व रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, वाराणसी से रासायनिक अभियांत्रिकी में स्नातक डिग्री हासिल की और उसके बाद उन्होंने परमाणु अभियांत्रिकी में एक वर्षीय अभिमुखीकरण पाठ्यक्रम के लिए बीएआरसी, मुंबई के 1980-81 प्रशिक्षण विद्यालय के 24वें बैच में कार्य आरंभ किया। उन्हें भारी पानी संयंत्र के उत्पादन एवं कमीशन एवं प्रचालन में विशाल अनुभव है और विभिन्न भारी पानी संयंत्रों में गुणवत्ता आश्वासन, रखरखाव और तकनीकी सेवाओं में भी जुड़े हैं। उन्होंने पलयकायल, तूतुकुडि, तमिलनाडु में जिरकोनियम कॉम्प्लेक्स के सफल कमीशन में असीम योगदान दिया है और उन्हें जिरकोनियम कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने कलपाक्कम पर निर्माण किए जा रहे आगामी 500 मेगावॉट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) के लिए रिएक्टर घटकों की आपूर्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

2.3.3 श्री पॉल एंटोनी

श्री पॉल एंटोनी का जन्म 27 जून 1958 को हुआ। अपर मुख्य सचिव, केरल सरकार (उद्योग एवं शक्ति) ने 22 दिसम्बर 2016 से आईआरईएल के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। उन्हें दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थ-शास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त है और बर्मिंगहम युनिवर्सिटी, यू.के. से लोक अर्थ-शास्त्र प्रबंधन प्रबंधन में मास्टर डिग्री भी हासिल की। उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा में 33 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। श्री पॉल एंटोनी कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे और वे केईएसबी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी रहे। उन्होंने केरल सरकार में विभिन्न पदों पर सेवा की जैसे केरल सरकार के प्रधान सचिव, बिजली विभाग और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति विभाग, वाणिज्यिक कर के आयुक्त, केरल राज्य सिविल आपूर्ति कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक आदि। वे केरल में कोल्लम और आलपुषा जिलों के भी जिलाधीश थे।



2.3 Brief Resume of the Directors who were appointed till the date of preparation of this report:

2.3.1 Shri K K Mohanty

Shri K K Mohanty, born on 1st August, 1962 and has joined the Board of IREL as Director (Marketing) with effect from 1st February, 2017. He is a graduate in Physics Honours with distinction from Sambalpur University, Odisha followed by Bachelor of Engineering in Metallurgy with distinction from Indian Institute of Science, Bengaluru. He has done his Post graduation in Industrial Engineering from National Institute of Industrial Engineering (NITIE, Mumbai) and MBA from International Centre for promotion of Enterprises (ICPE Ljubljana) and Ljubljana Univeristy, Slovenia. Prior to joining IREL Board, he was Consumer Sales (Institutional) Head of Indian Oil Corporation Ltd, in its Delhi and Haryana State Office, and Odisha State Office. During his long tenure of 31 years in IOC Ltd a CPSU and Fortune Global 500 Company under the Ministry of Petroleum and Natural Gas. During his long tenure he has worked in the areas of HRD, Management Services, Retail Sales and Consumer Sales (Institutional). Shri Mohanty was actively involved in Retail Strategy formulation under Retail Transformation Project of IOCL and rolling out of retail as well as Consumer (Institutional) Sales strategy and policies at field level.

2.3.2 Shri G Kalyanakrishnan

Shri G Kalyanakrishnan, born on 20th January, 1958, Distinguished Scientist, Chairman & Chief Executive, NFC has joined the IREL Board as a nominee Director from 22nd. September, 2016. He attained bachelor degree in Chemical Engineering from the-then Regional Engineering College, Warangal and after that he joined the 24th batch of 1980-81 training school of BARC, Mumbai for one year Orientation Course in Nuclear Engineering. He has vast experience in erection & commissioning and operation of Heavy Water Plants and also involved in the quality assurance, maintenance and technical services at various Heavy Water Plants. He has immensely contributed in the successful commission of Zirconium Complex at Pazhayakayal, Tuticorin, Tamilnadu and was conferred with the DAE Excellence Award for establishment of the Zirconium complex. He has also played a key role in the supply of reactor components for the forthcoming 500 MWe Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR) being constructed at Kalpakkam.

2.3.3 Shri Paul Antony

Shri Paul Antony, born on 27th June, 1958, Additional Chief Secretary, Govt. of Kerala (Industries & Power) has joined the Board of IREL as nominee Director from 22nd December, 2016. He completed his masters in economics from Delhi School of Economics and also completed masters in Public Economic Management from Birmingham University, UK. He is having 33 years of experience in the Indian Administrative Service. Shri Paul Antony was the Chairman of the Cochin Port Trust and he was also CMD of the KSEB Ltd. He served various posts in Govt of Kerala like Principal Secretary to Govt. of Kerala, Power Department and SC/ST Dept., Commissioner of Commercial Taxes, Managing Director of the Kerala State Civil Supplies Corporation, Directors of Industries and Commerce etc. He was also collector of Kollam and Alappuzha Districts in Kerala.

2.3.4 श्री एम ए इन्वरसु

श्री एम.ए. इन्वरसु का जन्म 10 अक्टूबर, 1959 को हुआ। संयुक्त सचिव (आई एंड एम), परमाणु ऊर्जा विभाग ने 02 जून 2017 से आईआरईएल के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। उन्होंने आई.आई.टी., मद्रास से बी.टेक (यांत्रिक) एवं एम.टेक (औद्योगिक प्रबंधन) पूरा किया। उन्हे विमानन क्षेत्र में दो वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है, उसके बाद भारतीय रेलवे में ग्रुप-ए सर्विस में 32 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। वे पीसीआरए (पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान अभिकरण) की सहायता से कदाचार पर नियंत्रित करने और विभिन्न उपायों को कार्यान्वित करने, ऊर्जा संरक्षण के लिए नोडल अधिकारी के रूप में पर्याप्त ईंधन लागत को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी), तिरुवनंतपुरम में अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने अनेक विकासों का परिचय दिया जैसे भर्ती किए जाने वाले कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, 13 रेलवे भर्ती बोर्डों के लिए केन्द्रीकृत परीक्षा आयोजित, इंटरनेट आधारित ऑनलाइन परीक्षा आदि। उन्होंने एक ई-बुक कार्यशाला, डीज़ल शेड्स और प्रभागों में उपयोगकर्ताओं के रेडी रेकनर के रूप में यांत्रिक अवसरंचना पर प्रकाशित की जो दक्षिण रेलवे की वेबसाइट में उपलब्ध है।

2.4 26 सितम्बर, 2016 को 66वीं आम बैठक में उपस्थिति इस प्रकार थी :

शेयरधारकों के नाम

1.	माननीय भारत के राष्ट्रपति	-	उपस्थित (प्रतिनिधि के माध्यम से)
2.	डॉ. शेखर बसु	-	उपस्थित (प्रोक्सी के माध्यम से)
3.	श्री दीपेन्द्र सिंह	-	उपस्थित
4.	श्री आर ए राजीव	-	उपस्थित
5.	श्री संजीव सूद	-	उपस्थित

3.0 लेखापरीक्षा समिति

3.1.1 लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

- क) बोर्ड के समक्ष प्रस्तुति से पूर्व तिमाही / वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।
- ख) आंतरिक लेखापाल, सांविधिक लेखापरीक्षा एवं सरकारी लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा करना।
- ग) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं इसकी पर्याप्तता की प्रबंधन, सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ समीक्षा करना।
- घ) वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए लागू लेखांकन मानकों एवं अन्य सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- ड) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं परिवर्तनों, यदि कोई हों, की समीक्षा करना।
- च) लेखा परीक्षक योग्यताओं, यदि कोई हों, की समीक्षा करना।
- छ) लागत परीक्षकों की नियुक्ती की सिफारिश करना।



2.3.4 **Shri M A Inbarasu**

Shri M A Inbarasu, born on 10th October, 1959, JS(I&M), DAE has joined the Board of IREL as nominee Director from 2nd June, 2017. He completed B.Tech (Mechanical) and M.Tech (Industrial Management) from I.I.T, Madras. He is having an experience in the aviation sector for more than two years followed by 32 year experience in Group A service in Indian Railways and he was instrumental in saving substantial fuel cost as a nodal officer for energy conservation by curbing malpractices and carrying out various measures with the help of PCRA (Petroleum Conservation Research Agency). As a Chairman in the Railway Recruitment Board (RRB), Thiruvananthapuram, he introduced several developments like online registrations for recruiting staff, conducted centralised examination for 13 Railway Recruitment Boards, Internet based on line examination etc. He published an e-book on mechanical infrastructure as a ready reckoner to users in workshop, diesel sheds and Divisions which is available in the Southern Railway website.

2.4 **The attendance at the 66th AGM held on 26th September 2016 were as under:**

Name of the Shareholders

1.	Hon'ble President of India	-	Present (through representative)
2.	Dr. Sekhar Basu	-	Present (through proxy)
3.	Shri D Singh	-	Present
4.	Shri R A Rajeev	-	Present
5.	Shri Sanjeev Sood	-	Present

3.0 **Audit Committee**

3.1.1 Brief description of the terms of reference of the Audit Committee are as follows:

- Review the quarterly/annual financial statements before submission to the Board.
- Review of internal audit, statutory audit and Government audit reports.
- Reviewing with the management, statutory auditors and internal auditors about internal control system and its adequacy.
- Ensure compliance with the applicable Accounting Standards and other statutory requirements for the preparation of financial statements.
- Review of Significant Accounting Policies and changes, if any.
- Reviewing audit qualifications, if any.
- Recommending appointment of cost auditors

- ज) सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं लागत लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा शुल्क के निर्धारण के लिए बोर्ड को सिफारिश देना।
- झ) कर लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की सिफारिश करना।
- ट) सांविधिक लेखापरीक्षकों को कोई अन्य सेवाओं के लिए भुगतान का अनुमोदन देना जिन पर सांविधिक रूप से निषेध नहीं है।
- ठ) लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट एवं कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा।
- ड) किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष एवं उन पर अनुवर्ती कार्रवाई पर आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा।

3.1.2 लेखापरीक्षा समिति का संघटन एवं अन्य विवरण

निदेशक मण्डल की लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन 8 जुलाई 2016 को आयोजित बोर्ड बैठक संख्या 345 में किया गया। लेखापरीक्षा समिति की वर्ष के दौरान 8 जुलाई, 2016, 26 सितम्बर, 2016, 20 दिसम्बर, 2016 और 20 मार्च, 2017 को चार बैठकें आयोजित हुई। लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों के नाम एवं उपस्थिति इस प्रकार थी :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	वर्ग	बैठकों में उपस्थिति की संख्या	टिप्पणी
1	श्री शकील अहमद	स्वतंत्र	4	31 मई, 2017 के प्रभाव से कार्यकाल की समाप्ति
2	डॉ. अशोक कुमार लोमस	स्वतंत्र	4	31 मई, 2017 के प्रभाव से कार्यकाल की समाप्ति
3	सुश्री शीला सांगवान	स्वतंत्र	2	-
4	श्री आर ए राजीव	नामित	3	13.04.2017 के प्रभाव से नामांकन आहरित
5	श्री संजीव सूद	नामित	3	13.04.2017 के प्रभाव से नामांकन आहरित
6	श्री एम ए इन्वरसु	नामित	-	6 जुलाई, 2017 के प्रभाव से नामित
7	श्री पॉल एंटोनी	नामित	-	6 जुलाई, 2017 के प्रभाव से नामित

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) तथा आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के प्रधान लेखापरीक्षा समिति के स्थायी रूप से आमंत्रित सदस्य होते हैं तथा कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

4.0 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

4.1.1 विचारार्थ विषय संक्षिप्त में:

- h) Recommending to the Board for the fixation of audit fees of statutory auditors & Cost Auditors.
- i) Appointment & fixation of remuneration of Tax Auditors.
- j) Approving payment to statutory auditors for any other services, which are not statutorily prohibited.
- k) Review of Cost Audit report and Tax Audit report.
- l) Discussion with internal auditors of any significant findings and follow up thereon.

3.1.2 Composition & other particulars of Audit Committee

The Audit Committee of the Board of Directors was reconstituted in the Board meeting no:345 held on 8th July, 2016. The Audit Committee met four times during the year on 8th July, 2016, , 26th September 2016, 20th December, 2016 and 20th March, 2017. The name and attendance of the members at the Audit Committee Meetings were as follows:

Sl. No.	Name of Director	Category	No. of meetings attended	Remarks
1	Shri Shakeel Ahmed	Independent	4	Tenure ceased w.e.f 31 st May, 2017
2	Dr. Ashok Kumar Lomas	Independent	4	Tenure ceased w.e.f 31 st May, 2017
3.	Ms. Sheila Sangwan	Independent	2	-
4.	Shri R A Rajeev	Nominee	3	Nomination withdrawn w.e.f 13.04.2017
5.	Shri Sanjeev Sood	Nominee	3	Nomination withdrawn w.e.f 23.06.2017
6.	Shri M A Inbarasu	Nominee	-	Nominated w.e.f 6 th July, 2017
7.	Shri Paul Antony	Nominee	-	Nominated w.e.f 6 th July, 2017

Chairman & Managing Director, Director (Finance) and Head of Internal Audit Department are permanent invitees and the Company Secretary acts as Secretary to the Audit Committee.

4.0 Nomination and Remuneration Committee

4.1.1 Terms of reference in brief:

निर्धारित सीमा में अधिकारियों एवं गैर संघीकृत पर्यवेक्षकों के बीच वितरण के लिए वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल एवं नीति का निर्णय करना तथा ऐसे अन्य मामलों की जांच एवं अनुमोदन करना जिन्हें बोर्ड पारिश्रमिक समिति के पास समय समय पर भेजे।

4.1.2 पारिश्रमिक समिति का संघटन एवं अन्य विवरण

निदेशक मण्डल की पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित है :

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	वर्ग	टिप्पणी
1	डॉ. अशोक कुमार लोमस	स्वतंत्र निदेशक	31 मई, 2017 से कार्यकाल से समाप्ति
2	श्री शकील अहमद	स्वतंत्र निदेशक	31 मई 2017 से कार्यकाल से समाप्ति
3	सुश्री शीला सांगवान	स्वतंत्र निदेशक	20 दिसम्बर, 2016 को नियुक्त

4.1.3 वर्ष के दौरान बैठकें एवं उपस्थिति

पारिश्रमिक समिति 20 दिसम्बर, 2016 को आयोजित हुई। वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित बैठक में डॉ. अशोक कुमार लोमस, श्री शकील अहमद और सुश्री शीला सांगवान उपस्थित थे।

4.1.4 पारिश्रमिक नीति

कार्यनिष्पादन से संबंधित वेतन (पीआरपी) कंपनी के समय कार्यनिष्पादन के साथ साथ कंपनी में प्रत्येक अधिकारी एवं गैर संघीकृत पर्यवेक्षकों के कार्यनिष्पादन द्वारा चलती है।

5.0 स्वतंत्र निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक

वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी ने बोर्ड एवं बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों की प्रत्येक बैठक में उपस्थिति के लिए अपने गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को रु. 10,000/- प्रति बैठक की दर से सिटिंग फीस का भुगतान किया। कंपनी बोर्ड एवं उसकी समितियों की बैठक में उपस्थिति के लिए बाह्य स्थानों के स्वतंत्र निदेशकों के दैनिक भत्तों का भुगतान भर करती है तथा स्वतंत्र निदेशकों द्वारा वहन किए गए स्थानीय यात्रा शुल्क, यात्रा व्यय एवं आवास व्यय की प्रति पूर्ति करती है। वर्ष 2016-17 के दौरान सिटिंग फीस के रूप में स्वतंत्र निदेशकों को रु. 3,40,000/- की धनराशि का भुगतान किया गया।

5.1.2 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण

अलग अलग मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक को वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स के नोट-39 में प्रकट किया गया है।

6.0 आम सभा बैठक

6.1.1 प्रभादेवी, मुंबई में आईआरईएल के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित कंपनी की पिछली तीन आम सभा बैठकें इस प्रकार है :

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय
2015-16	26.09.2016	अपराह्न 1.00
2014-15	28.09.2015	अपराह्न 1.00
2013-14	22.09.2014	अपराह्न 1.00



To decide the annual bonus/ variable pay pool and policy for its distribution across the executives and non unionized supervisors, within the prescribed limits and such other matters as the Board may from time to time refer to the remuneration committee to examine and approve.

4.1.2 Composition & other particulars of Remuneration Committee

The Remuneration Committee of the Board of directors consists of the following members:

Sl. No.	Name of Directors	Category	Remarks
1.	Dr.Ashok Kumar Lomas	Independent Director	Tenure ceased from 31 st May,2017
2.	Shri Shakeel Ahmed	Independent Director	Tenure ceased from 31 st May,2017
3.	Ms.Sheila Sangwan	Independent Director	Appointed on 20 th December 2016

4.1.3 Meeting and attendance during the year

Remuneration Committee met on 20th December, 2016. Dr. Ashok Kumar Lomas, Shri Shakeel Ahmed and Ms. Sheila Sangwan were present in the meeting held during 2016-17.

4.1.4 Remuneration policy

Performance Related Pay (PRP) is driven by the overall performance of the Company vis-a-vis performance of each executives and non unionized supervisors across the company.

5.0 Remuneration paid to Independent Directors

- 5.1.1 During the year 2016-17, the Company paid sitting fees @ Rs. 10,000/- per meeting to its Non-Executive Independent Directors for attending each meetings of the Board and Board appointed committees. The Company also pays daily allowance to outstation Independent Directors and reimburses local conveyance, travelling expenses and accommodation expenses incurred by the Independent Directors for attending meetings of the Board and committees thereof. An amount of Rs.3,40,000/- was paid to the Independent Directors towards sitting fees during the year 2016-17.

5.1.2 Details of remuneration paid to the Key Managerial Personnel

Remuneration paid to the individual key managerial personnel has been disclosed in Note - 39 of the Notes forming part of financial statements.

6.0 General Body Meetings

- 6.1.1 The last three Annual General Meetings of the Company were held at the registered office of the Company at Prabhadevi, Mumbai as under:

Financial year	Date	Time
2015-16	26.09.2016	1.00 p.m
2014-15	28.09.2015	1.00 p.m
2013-14	22.09.2014	1.00 p.m

6.1.2 पिछली तीन आम सभा बैठकों के दौरान कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।

6.1.3 वर्तमान वर्ष की आम सभा बैठक की तारीख, समय एवं स्थान :

कंपनी की 67वीं आम सभा बैठक इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, मुंबई के पंजीकृत कार्यालय में मंगलवार 26 सितम्बर, 2017 को शाम 5.00 बजे आमंत्रित होगी।

7.0 सूचना प्रेषण के उपाय

7.1.1 लेखापरीक्षा नहीं किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाती है तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदन दिया जाता है तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाते हैं। चूंकि आईआरईएल एक गैर सूचीबद्ध कंपनी है अतः सरकार की अपेक्षा के अनुसार समय समय पर सूचनाएं बाहर भेजी जाती हैं।

8.0 लेखापरीक्षा योग्यताएं

8.1.1 कंपनी बिना योग्यता के वित्तीय विवरणों के शासन काल की ओर बढ़ रही है। 2005-06 से ना तो सांविधिक लेखापरीक्षक से तथा ना ही सरकारी लेखापरीक्षक से कोई योग्यता प्राप्त हुई है।

9.0 प्लांट स्थान

9.1.1 खनन एवं खनिज पृथक्करण प्लांट मणवालकुरिच्चि-तमिलनाडु, चवरा-केरल तथा छत्रपुर-ओडिशा में स्थित है। एमओपीपी प्लांट छत्रपुर-ओडिशा में स्थित है। रसायनों में कार्य व्यवहार करने वाला रेअर अर्थ्स प्रभाग, अलूवा, केरल में स्थित है।

10.0 प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

10.1 कार्य वातावरण एवं उद्योग संरचना

10.1.1 चालू वर्ष के दौरान, वृद्ध के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था अन्य वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी मजबूत रही। भारत में, मेक इन इंडिया पहल के कारण मुख्य रूप से आने वाले वर्ष में अर्थव्यवस्था को और अच्छी तरह से निष्पादन करने की आशा की जाती है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में बड़े टिकट सुधार के संभावित कार्यान्वयन से आशा की जाती है कि देश को एक विपणन स्थान में एक जुट करने के साथ ही जीएसटी के कई कर्षों को सम्मिलित कर देगा। इससे उद्योग पर अनुपालन का भार कम हो जाएगा और अच्छी तरह से व्यापार के वातावरण में परिणाम होगा।

10.1.2 टीआईओ2 बाजार की स्थिरता ने वर्ष 2016-17 के दौरान टीआई फीडस्टॉक बाजार पर एक व्यापक प्रभाव देखा। वर्ष 2016 के अन्त में तमिलनाडु के निर्यात को रोकने के कारण बाजार में एक अस्थायी कमी आई जिससे इल्मेनाइट की मांग में बढ़ोतरी हुई। तथापि मांग-आपूर्ति अंतराल के साथ अफ्रिका की सामग्री से पूरी की जा रही है और वर्ष 2017-18 में आईआरईएल के सहित टीआई फीडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं को इस गणना में कोई लाभ नहीं होगा। जिरकॉन के मामले में, बड़े उत्पादकों द्वारा आपूर्ति में कटौती, परिणामस्वरूप आईआरईएल से सामग्री की बढ़ती मांग की संभावना है। रेअर अर्थ बाजार जो वर्ष 2016-17 के अधिकांश भाग के लिए मन्द था, ने भी स्थिरता की है और मांग में बढ़ोतरी की प्रत्याशा की जाती है। यह प्रवृत्ति 2017-18 में जारी रहने का अनुमान है और आईआरईएल आने वाले वर्ष में रेअर अर्थ्स क्लोराइड एवं एचपीआई यौगिकों के लिए बेहतर विक्री की उम्मीद कर सकता है। कुल मिलाकर, आईआरईएल को आशा है कि 2016-17 की तुलना में 2017-18 में बाजार थोड़ा बेहतर होगा। हालांकि, चवरा और एमके में उत्पादन प्रतिबंध और स्थानीय अधिकारियों द्वारा एमक यूनिट को परिवहन परमिट न जारी करने से कंपनी के निष्पादन पर प्रभाव पड़ सकता है।



6.1.2 No Special Resolution was passed during the previous three Annual General Meeting.

6.1.3 Date, Time & Venue of the Current years AGM:

The 67th Annual General Meeting of the Company will be held on Tuesday, 26th September, 2017 at 5.00 PM at the registered office of Indian Rare Earths Ltd, Mumbai.

7.0 Means of Communication

7.1.1 Unaudited quarterly financial results are reviewed by the audit committee and approved by the Board which are furnished to the administrative ministry concerned. Since, IREL is un-listed company, external communications are made as required by the Government from time to time.

8.0 Audit Qualifications

8.1.1 Company is moving towards a regime of financial statements without qualification. There is no qualification either from the statutory auditor or the government auditor since, 2005-06.

9.0 Plant Locations

9.1.1 Mining & Mineral Separation Plants are located at Manavalakurichi - Tamil Nadu, Chavara – Kerala, and Chatrapur - Odisha. The MoPP plant is located at Chatrapur- Odisha and the Rare Earths Division dealing in chemicals is located at Aluva Kerala.

10.0 MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

10.1 Business environment & Industry Structure

10.1.1 During the current year, the Indian economy on a macro basis stayed fairly robust as compared to other global economies. In India, the economy is expected to do better in the coming year mainly on account of Make in India initiative. The likely implementation of big ticket reform in the form of Goods and Service Tax is expected to unify the nation into one market place with GST subsuming multiple taxes. This would reduce the compliance burden on the industry and result in better business environment.

10.1.2 Firming up of the TiO₂ market saw a cascading effect on the Ti feedstock market during 2016-17. The stoppage of exports from Tamil Nadu at the fag end of 2016 created a temporary shortage in the market that resulted in surge in demand for Ilmenite. However, with the demand-supply gap is being filled by material from Africa and there would be no advantage to Ti feedstock suppliers including IREL in 2017-18 on this count. In case of Zircon, curtailing of supply by large producers is expected to result in increased demand for material from IREL. The rare earth market that was lackluster for most part of 2016-17 has also firmed up and an uptick in demand is expected. This trend is expected to continue in 2017-18 and IREL can expect better sales for Rare Earths Chloride and HPRE compounds in the coming year. Over all, IREL expects the market to be slightly better in 2017-18 as compared to 2016-17. However, the production constraints at Chavara and MK and non-issue of transport permit to MK unit by local authorities are likely to have impact on performance of the Company.

10.1.3 परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड तटीय रेत खनिजों एवं रेअर अर्थ यौगिकों के खनन एवं उत्पादन में संलिप्त है। आईआरईएल द्वारा उत्पादित कुछ खनिज व्यापक स्तर पर औद्योगिक अनुप्रयोगों के अलावा, भारत सरकार के नाभिकीय कार्यक्रमों में भी उपयोग किए जाते हैं। आईआरईएल द्वारा केरल, तमिलनाडु एवं ओडिशा में स्थित तीन यूनिटों में तटीय रेत से पृथक्कृत प्रमुख खनिज इल्मेनाइट, रुआइल, ल्यूकोक्विन, सिलिमेनाइट, गारनेट, जिरकॉन एवं मोनाजाइट हैं। आईआरईएल यूरेनियम, थोरियम एवं रेअर अर्थ लवणों का भी उत्पादन करता है।

10.2.1 शक्ति

- स्थापित एवं सिद्ध प्रक्रिया फ्लो शीट होना।
- आंतरिक अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों से रासायनिकों के प्रयोग में सफल लागू कटौती की पद्धति की।
- क्षमता विस्तार के लिए ऑसकॉम में बृहत खनन पट्टा क्षेत्र की उपलब्धता होना।
- सामरिक अनुप्रयोग के लिए एनजीएडीयू की आपूर्ति का देशी स्रोत होना।
- बाह्य स्रोतों से निधि पर शून्य निर्भरता होना।
- अनुकूल उत्पाद गुणवत्ता एवं आला क्षेत्र प्रदान करने के उत्पादों सहित घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में प्रतिष्ठा होना।
- परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होने के आधार पर परमाणु खनिजों एवं निर्धारित सामग्री की हैंडलिंग करना।
- खनिज एवं रेअर अर्थ्स के लिए मजबूत आंतरिक अनुसंधान एवं विकास के निर्माण के अलावा, डीएई के अन्य यूनिटों की अनुसंधान एवं विकास की सुविधा तक पहुंच भी है।
- खनिज पृथक्करण संयंत्र में कम मूल्य हास के कारण लागत लाभ होना।

10.2.2 दुर्बलता

- रेअर अर्थ्स प्रभाग में संयंत्र और मशीनरी, इमारत बहुत पुराना है जो आशोधन में बाधक होता है।
- भूमि स्रोत से अपर्याप्त कच्ची रेत उपलब्धता एवं तटीय धुलाई की निःशेषित गुणवत्ता होना।
- केरल एवं तमिलनाडु में तटीय धुलाई के एचएम अन्तर्वस्तु में कमी को क्षतिपूर्ति करने के लिए कच्ची रेत के वैकल्पिक स्रोतों की अनुपलब्धता होना।
- एमके में सभी खनन पट्टा क्षेत्र और एमएसपी सीआरजेड क्षेत्र में स्थित हैं, अतः ईआईए - 2006 एवं सीआरजेड अधिसूचना, 2011 के अधीन अनुमति की आवश्यकता है।
- एमएमडीआर अधिनियम, 1957 और एमसीआर, 2016 के प्रावधान के अंतर्गत खनिज वहनीय भूमि के आरक्षण हेतु राज्य एवं जिला प्राधिकरणों से समर्थन की कमी है।
- वर्तमान एमएस क्षेत्र के भीतर ही कोई खनन योग्य रिक्त भूमि उपलब्ध नहीं है जो एमएसपी प्रचालन के लिए कच्ची सामग्री की कमी का कारण है।
- चावारा के खनन क्षेत्र में उच्च जनसंख्या घनत्व होना।
- एंड यूजर सत्यापन के कारण असंगठित आईटी प्रणाली / साफ्टवेयर होना।

10.2.3 अवसर

- देश के भविष्य परमाणु कार्यक्रम को पूरा करने के लिए थोरियम की बहुल उपलब्धता होना।
- उच्च शुद्ध रेअर अर्थ्स के उत्पादों के लिए बढ़ती मांग होना।
- भारत में निर्धारित सामग्री को संभालने के लिए एकाधिकार होना
- टीआई/जेडआर और रेअर अर्थ्स के मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए अच्छी बाजार क्षमता होना।
- गारनेट, सिलिमेनाइट, टिटानियम वहनीय खनिजों और थोरियम नाइट्रेट की बढ़ती मांग होना।



10.1.3 Indian Rare Earths Limited, under the Administrative control of the Department of Atomic Energy (DAE) is engaged in mining and production of beach sand minerals and rare earth compounds. Some of the minerals produced by IREL find use in the Nuclear Power Programme of the Govt. of India apart from wide ranging industrial applications. The main minerals separated by IREL from the beach sands at its three Units located at Kerala, Tamilnadu and Orissa are ilmenite, rutile, leucoxene, silimanite, garnet, zircon and monazite. IREL also produces uranium, thorium and rare earth salts.

10.2.1 Strength

- Established and proven process flow sheet
- Successful cost reduction methods in use of chemicals by in house R&D efforts
- Availability of vast mining lease area in OSCOM for capacity expansion
- Indigenous source of supply of NGADU for strategic application.
- Zero dependence on fund from external sources
- Reputation as credible supplier in domestic and international market with consistent product quality and products catering niche sector
- Handling of atomic minerals and prescribed material by virtue of being under administrative control of DAE
- Strong in-house R&D setup for minerals and rare earths besides having access to R&D facility of other DAE units
- Cost advantage due to lower depreciation in Mineral Separation Plant

10.2.2 Weakness

- Plant and Machineries, Building are very old impeding the modification at RED
- Insufficient raw sand availability from land source and depleted quality of beach washing
- Non-availability of alternate sources of raw sand to compensate reduction in HM content of beach washings in Kerala & Tamilnadu
- In MK all mining lease areas as well as MSP are located in CRZ area therefore requires clearance under EIA- 2006 & CRZ notification of 2011.
- Lack of support from State & District Authorities for reservation of mineral bearing land under MMDR Act., 1957 and the provision of AMCR, 2016
- No minable vacant land are available within existing ML areas leading to scarcity of raw material for MSP operation.
- High population density in the mining areas of Chavara.
- Non-integrated IT system/ software due to end-user verification issue.

10.2.3 Opportunities

- Abundant availability of Thorium to meet country's future nuclear program.
- Growing demand for high pure rare earths product.
- Monopoly for handling prescribed material in India
- Good market potential for value added products of Ti/Zr and rare earths
- Growing demand of Garnet, Silimanite, Titanium bearing minerals as well as Thorium Nitrate
- Enhanced opportunities of supply option to rest of the world due to inconsistent Chinese policies

- असंगत चीनी नीतियों के कारण विश्व के बाकी हिस्सों को आपूर्ति विकल्प के बढ़ने के अवसर होना।
- भारत और अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रत्याशित विकास की क्षमता होना।
- रेअर अर्थ यौगिकों की आवश्यकता वाले उच्च तकनीक अनुप्रयोगों के लिए बाजार में वृद्धि होना।
- उत्पाद विविधीकरण के लिए व्यापक प्रयोजन होना।

10.2.4 आशंकाएं

- पर्यावरण / सीआरजेड अनुमति की आवश्यकता के लिए तमिलनाडु राज्य भूविज्ञान एवं खनन विभाग द्वारा परिवहन परमिट की रोकथाम और यह मामला एमओईएफ एवं सीसी के साथ लंबित है।
- तमिलनाडु राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इंटर टाइडल क्षेत्र में खनन गतिविधियों का निषेध करना।
- आईआरईएल द्वारा तलाशे गये एवं प्रयोग में लाये जा रहे खनन पट्टा क्षेत्रों के अन्दर तमिलनाडु सरकार द्वारा निजी संस्थाओं को खनन पट्टा प्रदान करना।
- आईआरईएल के खनन पट्टा क्षेत्र में चयनित स्थानों पर निजी प्रतियोगियों द्वारा भूमि की खरीद के परिणामस्वरूप खनन प्रचालनों तक पहुंचने में अवरोध करना।
- निषिद्ध सीआरजेड क्षेत्र में खनिज पृथक्करण संयंत्र का विस्तार करना।
- भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने व्यापार बाधाओं के आयात और निष्कासन के लिए कम टैरिफ की ओर अग्रसर होना।
- भूमि स्वामियों की बढ़ती प्रतीक्षाएं जो भूमि अधिग्रहण को कठिन बनाता है।
- रेडियोधर्मी उत्पादों को संभालना।
- चीन से सस्ते उत्पादों की उपलब्धता के कारण प्रतिस्पर्धा होना।
- चवरा एवं एमके में जटिल सामाजिक-राजनीतिक मुद्दे होना।

10.3 खंडवार अथवा उत्पादवार कार्यनिष्पादन

- 10.3.1 वर्ष 2016-17 की शुरुआत में आईआरईएल के उत्पादों के लिए बाजार मन्द पड़ गया। तथापि, वर्ष चलते इल्मेनाइट के लिए बाजार स्थिर हो गया। तमिलनाडु के विकास के चलते अस्थायी रूप से उत्पन्न मांग की आपूर्ति के असंतुलन से आगे आईआरईएल इल्मेनाइट के लिए मांग बढ़ी। इसने निरंतर विपणन प्रयासों के साथ मिलकर, पिछले वर्ष के संबंध में राजस्व प्राप्त किया जिससे इस प्रकार समझौते ज्ञापन लक्ष्य निर्धारित किया गया। इल्मेनाइट मात्रा एवं मूल्य के संदर्भ में दोनों कंपनी के लिए मुख्य स्थान बने रहे। रुटाइल और जिरकॉन राजस्व के लिए अन्य प्रमुख योगदानकर्ता थे।
- 10.3.2 यथा अतीत में, थोक खनिज के 99% से अधिक इल्मेनाइट का उपभोग टिटानियम डाइऑक्साइड पिगमेंट निर्माताओं और अन्य टीआई मध्यस्थ फीडस्टॉक उत्पादकों द्वारा किया गया था। जिरकॉन के मामले में, रेफ्रेक्टरी, रसायन और सिरेमिक उद्योग उपभोक्ता थे। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड निर्माताओं ने लगभग रुटाइल की पूरी मात्रा में बेचा। सिरेमिक उद्योग एक दुर्लभ द्वितीय होने के साथ रेफ्रेक्टरी उद्योग सिलिमेनाइट का प्रमुख उपभोक्ता था। गार्नेट के लिए, सैण्ड ब्लास्टिंग एवं वाटर जेट कटिंग उद्योग के मुख्य उपभोक्ता थे।

10.4 परिदृश्य

- 10.4.1 फीडस्टॉक से टिटानियम पिगमेंट तक टिटानियम मूल्य श्रृंखला में तंग आपूर्ति की स्थिति को लेकर जो 2016 की तीसरी तिमाही में प्रकट होने के संकेतों को वर्ष 2017-18 के दौरान जारी रहने की संभावना है। जबकि तंग आपूर्ति की स्थिति टिटानियम फीडस्टॉक उत्पादकों के लिए अच्छी तरह से बढ़ने की संभावना है, नये स्रोतों से आईआरईएल के पारंपरिक लक्ष्य बाजार में आपूर्ति व्यवसाय की भी संभावना है। चीन के पर्यावरण की नितियां, चीनी टीआईओ2 और इल्मेनाइट उत्पादकों और साथ ही सिरेमिक निर्माताओं को भी प्रभावित करती है। जिस प्रकार से चीनी उद्योग नियमों के साथ काम करता है उससे आईआरईएल द्वारा उत्पादित दो प्रमुख उत्पादों की मांग-आपूर्ति की गतिशीलता को प्रभावित करने की संभावना है, अर्थात इल्मेनाइट और जिरकॉन।



- Anticipated growth potential in India and other developing economies
- Increasing market for hi-tech applications requiring rare earth compounds
- Wide scope for product diversification

10.2.4 Threats

- Stoppage of transport permit by the Tamilnadu State Geology & Mining department for want of environment/CRZ clearance and the matter is pending with MoEF & CC
- Prohibition of mining activities in the inter tidal zone by the Tamilnadu State Coastal Zone Management Authority
- Grant of mining leases to private entities by Govt. of Tamilnadu within the explored & applied mining lease areas of IREL.
- Purchase of land by private players in selected locations in the mining lease areas of IREL resulting in blockage of access to the mining operations
- Expansion of mineral separation plant in CRZ area prohibited.
- Globalization of Indian economy leading to reduced tariff for imports and removal of trade barriers.
- Increasing expectations of land owners making land acquisition difficult
- Handling radioactive products
- Competition due to availability of cheaper products from China
- Complex Socio-political issues in Chavara and MK

10.3 Segment-wise or Product-wise performance

10.3.1 At the start of 2016-17 the market for IREL's products was subdued. However, as the year went by the market for Ilmenite firmed up. The demand supply imbalance temporarily created due to the developments in Tamil Nadu further enhanced demand for IREL Ilmenite. This coupled with sustained marketing efforts resulted in better revenues with respect to the previous year thereby exceeding the MoU target set. Ilmenite continued to be the main stay for the company both in volume and value terms. Rutile and Zircon were other major contributors to the revenue.

10.3.2 As in the past, over 99% of the bulk mineral – Ilmenite was consumed by Titanium dioxide pigment manufacturers and other Ti intermediary feedstock producers. In case of Zircon, Refractory, Chemical and Ceramics industry were the consumers. Welding electrode manufacturers virtually accounted for the entire quantity of Rutile sold. Refractory industry was the major consumer of Sillimanite with Ceramic industry being a distant second. For Garnet, sand blasting and water jet cutting industry were the main consumers.

10.4 Outlook

10.4.1 The tight supply situation in the titanium value chain from feed stock to titanium pigment that showed signs of manifestation from the third quarter of 2016 is likely to continue during the year 2017-18. While the tight supply situation is likely to augur well for titanium feedstock producers, supplies from new sources to the traditional target market of IREL are likely to even things out. The Chinese environment policies that have come to fore are affecting the Chinese TiO₂ and ilmenite producers as well as ceramics manufacturers. The way the Chinese industry copes with the regulations is likely to impact the demand-supply dynamics of two major products produced by IREL viz. Ilmenite and Zircon.

- 10.4.2 ट्रोनोंक्स द्वारा क्रिस्टल के अधिग्रहण और चीन में लोमोना विलियन्स के औपचारिक रूप से निगमन ने टिटानियम उद्योग के लिए उप शाखा किया है। शीर्ष एकीकरण दोनों सौदों में महत्वपूर्ण कारक हैं, क्योंकि कैप्टिव फीडस्टॉक खपत 30% से 40% तक बढ़ जाता है। इससे कुल खरीद करारों में कुछ बदलाव किए जाने की संभावना है, न केवल खनिज रेत के उत्पादकों की व्यावसायिक रणनीतियों को बदलना, बल्कि अधिकतर पिग्मेंट क्षेत्र के लिए फीडस्टॉक मूल्य मिश्रण भी सम्मिलित है।
- 10.4.3 कुछ आपूर्तिकर्ताओं के खानों के बन्द का प्रभाव एवं विद्यमान खानों में रिपोर्ट की गई ग्रेड की कमी विशिष्ट रूप से जिरकॉन खनिज के लिए बाजार पर सकारात्मक प्रभाव होने की संभावना है, क्योंकि इसके फल स्वरूप कुछ समय के लिए तंग मांग-आपूर्ति की स्थिति होगी। अफ्रीकी उत्पादकों से आपूर्ति में बढ़ोतरी ऐसी परिस्थितियों के बावजूद भी हो सकती है जो इस समय के दौरान अनुकूल है।
- 10.4.4 कैबनित द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 (एनसीपी) ने इस्पात क्षेत्र में अधिक क्षमता बनाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना पर परिकल्पना की है। इस नीति में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत चालू स्तर के 61 कि.ग्रा. (विश्व औसत 208 कि.ग्रा.) से 2030 तक 160 कि.ग्रा. तक बढ़ने पर जोर दे रहा है। एनएसपी में यह और इस्पात उद्योग के लिए विभिन्न अन्य उपाय की परिकल्पना की गई है, जो इस्पात क्षेत्र को प्रोत्साहन दे सकता है। इसमें सिलिमेनाइट की मांग में बढ़ोतरी होगी जिसका प्रयोग रीफ्रेक्टरीज़ बनाने के लिए किया जाता है जिसका प्रमुख उपभोक्ता इस्पात उद्योग है।
- 10.4.5 अवैध खनन और निर्यात पर चीन के नियंत्रण से 2016-17 की अंतिम तिमाही के दौरान दिखने वाले रेअर अर्थ के बाजार में प्रभाव हुआ है। विशेष रूप से चुम्बकों के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले तत्वों के लिए रेअर अर्थ के बाजार में उत्साह जो हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा प्रेरक शक्ति की तरह जारी रहने की संभावना है। साथ ही, प्रमुख देशों द्वारा कार्बन पदचिह्न को कम करने के सभी प्रयासों से बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- 10.4.6 कंपनी ने अन्य बाजारों के विकास पर जोर देकर निर्यात लाभ को विविधता लाने के प्रयास की पहल की है। ये प्रयास 2017-18 में सफल हो सकते हैं और किसी विशेष बाजार पर निर्भरता कम कर सकते हैं। घरेलू मोर्चे पर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के कार्यान्वयन और जीएसटी शासन के लिए प्रवास एक चुनौती हो सकता है जो कंपनी को 2017-18 के दौरान तैयार करना होगा। कंपनी को आशा है कि जीएसटी को अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जो कंपनी को भी मददगार साबित होगा। इसके अलावा, आर्थिक मोर्चे पर, भारतीय रुपया अमरीकी डॉलर और अन्य मुद्राओं की तुलना में तेजी से मज़बूत हो रहा है। यह निर्यात किए गए उत्पादों के लिए कम प्राप्तियाँ और आयातित सामग्री से ऊँची प्रतिस्पर्धा की ओर अग्रसर है, विशेष रूप से रुटाइल और जिरकॉन। भारतीय रुपये की मज़बूती को जारी रखना एक चिंता का विषय है।

10.5 जोखिम एवं चिंताएं

- एमके में संयंत्र की क्षमता को पूरा करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली कच्ची रेत की अनुपलब्धता होना।
- एमके में तटीय धुलाई के ग्रेड में कम और हर वर्ष तटीय धुलाई संग्रह की लागत में वृद्धि होना।
- एमके में खनिज समृद्ध क्षेत्रों पर बस्तियों की बढ़ी हुई वृद्धि और इमारतों की बढ़ती संख्या होना।
- खनन एवं खनन की अर्थव्यवस्थाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक राजनीतिक मुद्दों के कारण भूमि के अधिग्रहण में निवेश में वृद्धि होना।
- ऑस्कॉम में ज्यादातर खनन कार्य तटीय इलाके में स्थित है, जो चक्रवात मौसम, भारी वर्षा के गिरने और सुनामी आदि से ग्रस्त हैं और खनन क्षेत्र के जलमग्न/बाढ़ के कारण बन सकते हैं और खनन प्रचालन को कमजोर कर सकते हैं।
- संयंत्र क्षमता और उप अनुकूल संयंत्र प्रचालन का कम उपयोग होना।
- रेअर अर्थ्स प्रभाग में एचपीआरई संयंत्र के सुचारु कार्य के लिए आरई क्लोराइड की बढ़ी हुई उत्पादकता और स्थिर आपूर्ति के लिए एमओपीपी, ऑस्कॉम में उत्पादन का स्थिरीकरण।
- प्रतिस्पर्धियों का एवं विकल्प की उपलब्धता खनिज बाजार को प्रभावित कर सकती है।



- 10.4.2 The acquisition of Cristal by Tronox and formal incorporation of Lomon Billions in China have ramification for the titanium industry. Vertical integration is a key factor in both the deals as captive feedstock consumption rises to 40% from 30%. This is likely to lead to some reshuffling of offtake agreements, changing not only the commercial strategies of mineral sands producers but also the feedstock value mix for much of the pigment realm.
- 10.4.3 Impact of closure of mines by some of the suppliers and grade depletion reported at existing mines is likely to be positive impact on market for minerals especially Zircon at least in the short run as this results in tight demand-supply scenario. Increased supplies from African producers may even out the conditions that are favourable at this juncture.
- 10.4.4 The National Steel Policy 2017 (NSP) approved by the Cabinet envisages Rs 10 lakh crore investment to create more capacity in the steel sector. The policy also emphasizes at increasing per capita steel consumption to 160 kg by 2030 from the current level of 61 kg (world average being 208 kg). This and the various other measures for the steel industry envisaged in the NSP is likely to give impetus to the steel sector. This would lead to increased demand for Sillimanite that is used for making refractories whose major consumer is the steel industry.
- 10.4.5 China's curb on illegal mining and exports has resulted in the rare earth market looking up during the last quarter of 2016-17. The buoyancy in the rare earth market especially for elements used for production of magnets is expected to continue as green and clean energy gains impetus. Also, all out efforts to reduce carbon footprint by major nations is likely to have a positive impact on the market.
- 10.4.6 The Company has initiated efforts to diversify its export kitty by giving thrust on developing other markets. These efforts may succeed in 2017-18 and reduce reliance on a particular market. On the home front, implementation of Goods and Service Tax and migration to the GST regime is likely to be a challenge which the Company has to brace up during 2017-18. The Company expects GST to have a positive impact on the economy which will also be helpful to the Company. Further on the economic front, the Indian Rupee has been steadily strengthening vis-à-vis US Dollar and other currencies. This is leading to lesser realisations for products exported and higher competition from imported material especially Rutile and Zircon. Continued firming up of the Indian Rupee thus is a concern.

10.5 Risks and concerns

- Non-availability of good quality raw sand to meet the plant capacity in MK
- Low in beach washing grade at MK and increase in cost of beach wash collection year to year.
- Exponential increase of habitations and mushrooming of buildings over the mineral rich areas in MK
- Increase in investment in the acquisition of land due to socio political issues to make land availability for mining and economies of mining.
- In OSCOM mostly mining operations are situated in coastal area which are prone to Cyclonic weather, heavy rain fall and Tsunami etc. and may lead to submergence/flooding of mining area and paralyze the mining operations
- Underutilization of plant capacity and suboptimal plant operation
- Stabilisation of production in MoPP, OSCOM towards increased productivity and steady supply of RE chloride for smooth functioning of HPRE plant in RED.
- The entry of competitors and availability of substitutes may affect the mineral market

10.6 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता

कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य निरंतर रूप से आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रभावकारिता पर निगरानी रखना है जो लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मण्डल को प्रदान करने के उद्देश्य से, संगठन के नियंत्रण और शासन प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर एक उद्देश्य और उचित आश्वासन देता है। आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग का कार्यक्षेत्र और प्राधिकार लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षा चार्टर से प्राप्त होता है।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ एवं उनपर अनुवर्ती कार्रवाइयों की सूचना लेखापरीक्षा समिति को दी जाती है। लेखापरीक्षा समिति कंपनी के आंतरिक लेखा नियंत्रण वातावरण की पर्याप्तता और प्रभावकता की समीक्षा भी करती है। राजस्व के साथ साथ पूंजीगत व्यय का अनुमोदन करने के लिए निर्णय लेने की सुचारु प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत शक्ति का प्रत्यायोजन विद्यमान है। लेखापरीक्षा समिति ने वित्तीय विवरणों के साथ वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, लेखा नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन, कंपनी द्वारा अपनाये आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर उनके दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों से भी बैठक आयोजित की।

10.7 प्रचालनीय कार्यनिष्पादन से संबंधित वित्तीय कार्यनिष्पादन पर चर्चा

10.7.1 समग्र कार्य निष्पादन

वर्ष के दौरान, कंपनी ने रु. 514.78 करोड़ का कुल राजस्व एवं रु. 41.59 करोड़ का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) प्राप्त किया। कंपनी का राजस्व 27% तक की वृद्धि हुई है। कर पूर्व लाभ (पीबीटी) में पिछले वर्ष में उठाये गये नुकसान में सुधार, मुख्य रूप से उच्च राजस्व एवं प्रमुख उत्पादों की सुधारित मांग के साथ-साथ पूर्ववर्ती वर्षों में उत्पाद शुल्क के लिए किए गए प्रावधानों को पुनः विन्यस्त के लिए किया गया था।

10.7.2 प्रचालनों से राजस्व

वर्ष के दौरान, बिक्री से कुल राजस्व रु. 460.01 करोड़ था जो पिछले वर्ष की तुलना में 27% अधिक है। कुल बिक्री में 57% घरेलू और 43% निर्यात सम्मिलित हैं।

10.7.3 कुल व्यय

उपयोग की गई सामग्री की लागत, मुख्य रूप से पिछले वर्ष में 13% तक उच्च खनिज के उत्पादन के कारण और पिछले वर्ष में एमओपीपी में रसानों के उत्पादन में 105% की वृद्धि के कारण रु. 19.04 करोड़ ऊंची रही। कर्मचारी लाभ व्यय 8.81 करोड़ की धनराशि के साथ नियमित वेतनवृद्धि के कारण 4% की वृद्धि हुई।

10.7.4 कर पश्चात लाभ

आयकर के लिए रु. (9.16) करोड़ का समायोजन करने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी का कर पश्चात लाभ रु. 50.75 करोड़ रहा।

10.7.5 लाभांश

आपके निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लाभांश के रूप में रु. 34 करोड़ की सिफारिश की है।

10.6 Internal control systems and their adequacy

Internal audit function of the company continuously monitors the efficacy of internal financial controls with the objective of providing to the Audit Committee and the Board of Directors, an objective and reasonable assurance on the adequacy and effectiveness of the Organisation's control and governance processes. The scope and authority of the internal audit department is derived from the audit charter approved by the Audit Committee.

During the year 2016-17, the Audit Committee met regularly to review reports submitted by the Internal Audit Department. Significant audit observations and follow up actions thereon are reported to the audit committee. Audit Committee also reviews adequacy and effectiveness of the Company's internal control environment. Detailed delegation of power exists to ensure smooth decision making process towards approving revenue and capital expenditure. Audit committee also met the company's statutory auditors to ascertain their views on financial statements, including the financial reporting system, compliance to accounting policies and procedures, the adequacy and effectiveness of the internal control systems followed by the Company.

10.7 Discussion on financial performance with respect to operational performance

10.7.1 Overall performance

During the year, the company recorded total revenue of Rs.514.78 crore and profit before tax(PBT) of Rs. 41.59 crore. Company's revenue has increased by 27%. Improvement in PBT over the losses incurred in previous year was mainly on account of higher revenue and improved demand of major products as well as write back of provisions made for excise duty in earlier years.

10.7.2 Revenue from Operations

During the year, total Revenue from sales was Rs.460.01 crore which is 27% more than the previous year. Total sales comprises of 57% domestic and 43% export.

10.7.3 Total expenses

Cost of Material consumed was higher by Rs.19.04 crore mainly on account of higher mineral production by 13% over the previous year and 105% increase in production of chemicals at MoPP over the previous year. Employee Benefits expense amounting to Rs.8.81crore with an increase of 4% on account of regular increment.

10.7.4 Profit after tax

After making adjustment of Rs.(9.16) crore towards income tax, profit after tax of the Company during the financial year 2016-17 was Rs. 50.75 crore.

10.7.5 Dividend

Your Directors have recommended Rs.34 crore as dividend for the financial year 2016-17.

10.8 चेतावनी कथन

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट में कंपनी की योजना बनाने वाले अग्रदर्शी विवरण सम्मिलित है। कंपनी योजना के कार्यान्वयन की गारंटी नहीं दे सकती है क्योंकि वास्तविक कार्यान्वयन विभिन्न कारकों के कारण अलग हो सकते हैं जो प्रबंधन या अन्य कारणों के लिए नियंत्रण से परे हैं जिनमें बाद की किसी गतिविधि, सूचना अथवा घटनाओं के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।

11.0 समझौता ज्ञापन

11.1 कंपनी ने भारत सरकार के साथ 2016-17 के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है तथा पिछले तीन वर्षों की एमओयू रेटिंग इस प्रकार है :

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	एमओयू रेटिंग
1	2016-17	उत्कृष्ट (अनंतिम)
2	2015-16	अच्छा
3	2014-15	अच्छा

11.2 कंपनी की एमओयू रेटिंग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान उत्कृष्ट (अनंतिम) है जो कंपनी के निष्पादन में समग्र सुधार का संकेत देता है।

10.8 Cautionary statement:

The Management Discussion and Analysis Report contain forward looking statements describing the Company's plan. The Company cannot guarantee the implementation of plan as the actual implementation may differ due to factors which are beyond the control of Management or for other reasons. The Company assumes no responsibility in respect of forward looking statements which may undergo change on the basis of any subsequent developments, information or events.

11.0 MOU

- 11.1 The Company has signed MoU for 2016-17 with the Government of India and MoU ratings for the previous three years are as follows:

SI No	Financial year	MoU rating
1	2016-17	Excellent (Provisional)
2	2015-16	Good
3	2014-15	Good

- 11.2 The Company's MoU rating is "Excellent" (provisional) during the current financial year 2016-17 which indicates overall improvement in the performance of the Company.

अनुलग्नक 'घ'

प्रपत्र संख्या एमजीटी - 9

वार्षिक विवरणी का उद्धरण

31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12(1) के अनुसार)

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण :

i.	सीआईएन	यू 15100 एमएच 1950जीओआई 008187
ii.	पंजीकरण तिथि	18 अगस्त 1950
iii.	कंपनी का नाम	इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड
iv.	कंपनी का वर्ग/उप वर्ग	मिनिरल - वर्ग - 1
v.	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण	प्लॉट सं. 1207, वीर सावरकर मार्ग, सिद्धि विनायक मंदिर के पास, प्रभादेवी, मुंबई- 400028
vi.	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	जी नहीं
vii.	रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता एवं संपर्क विवरण	लागू नहीं

II. कंपनी की प्रमुख व्यापारिक गतिविधियां

कंपनी के कुल टर्न ओवर में 10% या अधिक का योगदान देने वाली सभी व्यापारिक गतिविधियों का विवरण दिया जाएगा :

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों का नाम एवं विवरण	उत्पाद का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्न ओवर का %
1.	इल्मेनाइट	13209	47.12%
2.	रुटाइल	13209	12.84%
3.	जिरकोन	13209	11.81%

III. नियंत्रणाधीन, अनुषंगी एवं सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/ जीएलएन	नियंत्रणाधीन/ अनुषंगी/सहयोगी	धारित शेयरों का %	लागू अनुभाग
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

FORM NO. MGT - 9

**EXTRACT OF ANNUAL RETURN
AS ON THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31.03.2017**

*[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies
(Management and Administration) Rules, 2014]*

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

I.	CIN	U15100MH1950GOI008187
II.	Registration Date	18 th August, 1950
III.	Name of the Company	INDIAN RARE EARTHS LTD
IV.	Category/Sub-Category of the Company	Miniratna - Category-I
V.	Address of the Registered office and contact details	Plot No.1207, Veer Savakar Marg, Near Siddhi Vinayak Temple, Prabhadevi, Mumbai - 400 028
VI.	Whether listed company	No
VII.	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	Not applicable

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

Sr.No.	Name and Description of main products	NIC Code of the Product	% to total turnover of the company
1	ILMENITE	13209	47.12%
2	RUTILE	13209	12.84%
3	ZIRCON	13209	11.81%

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

Sr. No.	Name and address Of the Company	CIN/GLN	Holding/ Subsidiary Associate	% of shares held	Applicable Section
	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्यौरा)

I. वर्गवार शेयरहोल्डिंग

शेयरधारकों का वर्ग	वर्ष की शुरुआत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डिमेंट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमेंट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
प्रमोटर्स									
1) भारतीय									
(क) व्यक्तिगत/ एचयूएफ									
(ख) केंद्र सरकार	-	863650	863650	100%	-	863650	863650	100%	शून्य
(ग) राज्य सरकार (सरकारें)									
(घ) निकाय निगम									
(ङ) बैंक/एफआई									
(च) कोई अन्य									
नोट : 4 इक्विटी शेयर केंद्र सरकार के नामितों द्वारा धारित हैं ।									
उप कुलयोग (क)(1) :-		863650	863650	100%		863650	863650	100%	शून्य
2) विदेशी									
(छ) एनआरआई- व्यक्तिगत									
(ज) कोई अन्य -									
(झ) निकाय निगम									
(ञ) बैंक/एफआई									
(ट) कोई अन्य									
उप कुलयोग (क)(2) :-									
प्रमोटर की कुल शेयरहोल्डिंग (क) = (क)(1)+(क)(2)		863650	863650	100%		863650	863650	100%	शून्य
आ. सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग			एनए						
1. संस्थान			एनए						
(क) म्यूचुअल फंड									
(ख) बैंक/एफआई									
(ग) केंद्र सरकार									
(घ) राज्य सरकार (सरकारें)									
(ङ) वेंचर कैपिटल फंड									
(च) बीमा कंपनियाँ									

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i. Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
Promoters									
1) Indian									
a) Individual/ HUF									
b) Central Govt	-	863650	863650	100%	-	863650	863650	100%	NIL
c) State Govt(s)									
d) Bodies Corp									
e) Banks / FI									
f) Any Other Note:	Out of above 4 number of equity shares are held by Nominees of the Central Govt.								
Sub-total(A)(1):-		863650	863650	100%		863650	863650	100%	NIL
1) Foreign									
g) NRIs-Individuals									
h) Other-Individuals									
i) Bodies Corp.									
j) Banks / FI									
k) Any Other....									
Sub-total(A)(2):-									
Total shareholding of Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2)		863650	863650	100%		863650	863650	100%	NIL
B. Public Shareholding				N A					
1. Institutions				N A					
a) Mutual Funds									
b) Banks / FI									
c) Central Govt									
d) State Govt(s)									
e) Venture Capital Funds									
f) Insurance Companies									



(छ) एफआईआई									
(ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड									
(झ) अन्य(विनिर्दिष्ट करें)									
उप कुलयोग (आ)(1)									
2. गैर संस्थान				एनए					
(क) निकाय निगम									
(i) भारतीय									
(ii) विदेशी									
(ख) व्यक्तिगत									
(i) रु.1 लाख तक की नाम मात्र की शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक									
(ii) रु 1 लाख से अधिक की नाम मात्र की शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक									
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)									
उप कुलयोग (आ)(2)				एनए					
कुल सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग									
(आ)=(आ)(1)+(आ)(2)									
इ. जीडीआर एवं एडीआर के लिए संरक्षक द्वारा धारित शेयर									
कुलयोग (अ+आ+इ)		863650	863650	100%		863650	863650	100%	शून्य

ii. प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरहोल्डिंग			वर्ष के अंत में शेयरहोल्डिंग			वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन %
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों का %	
1	भारत सरकार	863650	100 %	0	863650	100 %	0	शून्य
2								
3								
	कुलयोग	863650	100 %	0	863650	100 %	0	शून्य



g) FIs									
h) Foreign Venture Capital Funds									
i) Others (specify)									
Sub-total(B)(1)									
2. Non Institutions			N A						
a) Bodies Corp.									
(i) Indian									
(ii) Overseas									
b) Individuals									
(i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh									
(ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh									
c) Others(Specify)									
Sub-total(B)(2)			N A						
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+ (B)(2)									
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs									
GrandTotal (A+B+C)		863650	863650	100%		863650	863650	100%	NIL

ii. Share holding of Promoters

Sr. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in share holding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged / encumbe red to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged / encumbe red to total shares	
1.	Govt. of India	863650	100%	0	863650	100%	0	NIL
2.								
3.								
	Total	863650	100%	0	863650	100%	0	NIL

iii. प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन (कृपया विनिर्दिष्ट करें, यदि कोई परिवर्तन नहीं है।)

क्र. सं.		वर्ष के आरंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
	प्रत्येक निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधन कर्मिकों के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के आरंभ में				
	वृद्धि / कमी के कारणों का विनिर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में तारीखवार वृद्धि / कमी (उदाहरणार्थ आबंटन/स्थानांतरण/ बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि) :	कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के अंत में				

iv. टॉप टेन शेयरधारकों का शेयरहोल्डिंग पैटर्न (निदेशकों, प्रमोटरों एवं जीडीआर एवं एडीआर धारकों के अलावा) :

क्र. सं.		वर्ष के आरंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
	प्रत्येक निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधन कर्मिकों के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	टॉप टेन शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए				
	वर्ष के आरंभ में वृद्धि/कमी के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में तारीखवार वृद्धि/कमी (उदाहरणार्थ आबंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि)	लागू नहीं			
	वर्ष के अंत में (अथवा अलग होने की तिथि को, यदि वर्ष के दौरान अलग हुए हैं)				

III. Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

Sr. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	For Each of the Directors and KMP				
	At the beginning of the year				
	Date wise Increase / Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):	No Change			
	At the End of the year				

iv. Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sr. No		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	For Each of the Top 10 Shareholders				
	At the beginning of the year Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus / sweat equity etc):	Not applicable			
	At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)				

V. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरहोल्डिंग :

क्र. सं.		वर्ष के आरंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
	प्रत्येक निदेशक एवं केएमपी के लिए	शेयरो की सं.	कंपनी के कुल शेयरो का %	शेयरो की सं.	कंपनी के कुल शेयरो का %
	वर्ष के आरंभ में	3	-	3	-
	वृद्धि/कमी के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरी शेयरहोल्डिंग में तारीखवार वृद्धि/कमी (उदाहरणार्थ आबंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि) :	लागू नहीं			
	वर्ष के अंत में	3	-	3	-

V. ऋण

बकाया/अर्जित किए गए परंतु भुगतान नहीं किए जाने वाले ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

	जमाओं को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमाएँ	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋण ग्रस्तता				
i) मूल धन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) देय ब्याज परंतु भुगतान नहीं किया गया				
iii) अर्जित किया गया ब्याज परंतु देय नहीं				
कुलयोग (i+ii+iii)				
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
- योग				
- कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शुद्ध परिवर्तन				
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋण ग्रस्तता				
i) मूल धन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) देय ब्याज परंतु भुगतान नहीं किया गया				
iii) अर्जित किया गया ब्याज परंतु देय नहीं				
कुल योग (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

v. Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sr. No		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	For Each of the Directors and KMP				
	At the beginning of the year	3	-	3	-
	Date wise Increase / Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):	Not applicable			
	At the End of the year	3	-	3	-

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount	NIL	NIL	NIL	NIL
ii) Interest due but not paid				
iii) Interest accrued but not				
Total(i+ii+iii)				
Change in Indebtedness during the financial year				
- Addition	NIL	NIL	NIL	NIL
- Reduction				
Net Change				
Indebtedness at the end of the financial year				
i) Principal Amount	NIL	NIL	NIL	NIL
ii) Interest due but not paid				
iii) Interest accrued but not due				
Total (i+ii+iii)	NIL	NIL	NIL	NIL

VI. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकी कार्मिक का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों एवं/अथवा प्रबन्धक का पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम		कुल धनराशि (लाख में)
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में दिये गए प्रावधानों के अनुसार वेतन	श्री दीपेन्द्र सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	30.47
		श्री सी.के. असनानी	निदेशक (तकनीकी) 31.08.2016 तक	23.11
		श्री राकेश तुमाने	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	23.94
		श्री के के महान्ति	निदेशक (विपणन) 01.02.2017 से	4.16
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलब्धियों का मूल्य	श्री दीपेन्द्र सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	4.86
		श्री सी.के. असनानी	निदेशक (तकनीकी) 31.08.2016	2.33
		श्री राकेश तुमाने	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	4.37
		श्री के के महान्ति	निदेशक (विपणन) 01.02.2017 से	0
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले में लाभ	श्री दीपेन्द्र सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	0
		श्री सी.के. असनानी	निदेशक (तकनीकी)	0
		श्री राकेश तुमाने	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	0
		श्री के के महान्ति	निदेशक (विपणन) 01.02.2017 से	0
2.	स्टॉक विकल्प			शून्य
3.	स्वेट इक्विटी			शून्य
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, विनिर्दिष्ट करें			शून्य शून्य शून्य
5.	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें			शून्य
6.	कुलयोग (क)			93.24
	अधिनियम के अनुसार सीमा			

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTM/ Manager		Total Amount (in lakhs)
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	Shri D Singh	CMD	30.47
		Shri C K Asnani	Director (Technical) upto 31.08.2016	23.11
		Shri Rakesh Tumane	Director (Finance) & CFO	23.94
		Shri K K Mohanty	Director (Marketing) from 01.02.2017	4.16
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	Shri D Singh	CMD	4.86
		Shri C K Asnani	Director (Technical) upto 31.08.2016	2.33
		Shri Rakesh Tumane	Director (Finance) & CFO	4.37
		Shri K K Mohanty	Director (Marketing) from 01.02.2017	0
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	Shri D Singh	CMD	0
		Shri C K Asnani	Director (Technical)	0
		Shri Rakesh Tumane	Director (Finance) & CFO	0
		Shri K K Mohanty	Director (Marketing) from 01.02.2017	0
2.	Stock Option			NIL
3.	Sweat Equity			NIL
4.	Commission - as % of profit - others, specify			NIL
5.	Others, please specify			NIL
6.	Total (A)			93.24
	Ceiling as per the Act			

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक :

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबन्धक का नाम		कुल धनराशि (लाख में)
	<u>स्वतंत्र निदेशक</u> - बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थिति हेतु शुल्क	डॉ. अशोक कुमार लोमस	आई डी	1.40
		श्री शकील अहमद	आई डी	1.10
		सुश्री शीला सांगवान	आई डी	0.70
	कमीशन -अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें ।			शून्य शून्य
	कुलयोग (1)			3.20
	<u>अन्य गैर अधिशासी निदेशक</u> <u>बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थिति</u> <u>हेतु शुल्क</u> (केरल सरकार के राजकोष में जमा करने के लिए त्रावणकोर टिटैनियम प्रोडक्ट्स लि. को प्रेषित)	श्री बी. ज्योतिकुमार	नामित निदेशक	0.20
	-कमीशन -अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें ।			शून्य शून्य
	कुलयोग (2)			0.20
	कुलयोग (ख) = (1+2)			3.40
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक			
	अधिनियम के अनुसार समय सीमा			

B. Remuneration to other directors:

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/ Manager		Total Amount (in lakhs)
	<u>Independent Directors</u> - Fee for attending board committee meetings	Dr. Ashok Kumar Lomas	ID	1.40
		Shri Shakeel Ahmed	ID	1.10
		Ms. Sheila Sangwan	ID	0.70
	.Commission			NIL
	-Others, please specify			NIL
	Total(1)			3.20
	<u>Other Non-Executive Directors</u> Fee for attending board committee meetings (Remitted to Travancore Titanium Products Ltd for depositing to Kerala Govt.Treasury)	Shri B Jyothikumar	Nominee Director	0.20
	- Commission			NIL
	- Others, please specify			NIL
	Total(2)			0.20
	Total(B)=(1+2)			3.40
	Total Managerial Remuneration			
	Overall Ceiling as per the Act			

ग. एमडी/प्रबन्धक/डबल्यूटीडी के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
		सीईओ	कंपनी सचिव	सीएफओ	कुलयोग (लाख में)
1.	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में दिये गए प्रावधानों के अनुसार वेतन		15.29	सीएफओ के रूप में पदनामित निदेशक (वित्त)	15.29
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलब्धियों का मूल्य		0		0
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले में लाभ		0		0
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन - लाभ के के % रूप में - अन्य, विनिर्दिष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	कुलयोग		15.29		15.29

VII. अपराधों के अर्थदंड/दंड/समझौते : शून्य

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	अधिरोपित अर्थदंड/दंड/समझौता शुल्क का विवरण	प्राधिकरण (आरडी/एनसीएलटी/न्यायालय)	की गयी अपील, यदि कोई हो, (विवरण दें)
क. कंपनी					
अर्थदंड					
दंड					
समझौता					
ख. निदेशक					
अर्थदंड					
दंड					
समझौता					
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी					
अर्थदंड					
दंड					
समझौता					

C. Remuneration to Key Managerial Personnel Other than MD/Manager/WTD

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		CEO	Company Secretary	CFO	Total (in lakhs)
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	0.00 0.00 0	15.29 0.00 0	Director (Finance) designated as CFO	15.29 0.00 0
2.	Stock Option	NIL	NIL	NIL	NIL
3.	Sweat Equity	NIL	NIL	NIL	NIL
4.	Commission - as % of profit - others, specify...	NIL	NIL	NIL	NIL
5.	Others, please specify	NIL	NIL	NIL	NIL
	Total		15.29		15.29

VII. PENALTIES/PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCES: NIL

Type	Section of the companies Act	Brief description	Details of Penalty/ Punishment/Compounding fees imposed	Authority [RD /NCLT/Court]	Appeal made, If any (give details)
A. Company					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
B. Directors					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
C. Other Officers In Default					
Penalty					
Punishment					
Compounding					



मेहता एण्ड मेहता
कंपनी सचिव

नवजीवन सोसायटी बिल्डिंग नं.3,
12वी मंजिल, ऑफिस नं.9,
लेमिंग्टन रोड,
मुंबई - 400 008.
ईमेल : diptimehta-mehta.com

फोन :022-6611 9696

कारपोरेट शासन अनुपालन प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड

हमारे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) 2010 (मार्गनिर्देश) के लिए कारपोरेट शासन पर मार्गनिर्देश में यथा निर्धारित, 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (कंपनी) द्वारा कारपोरेट शासन की शर्तों की जांच की है।

कारपोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है। हमारी जांचें कारपोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गयी प्रक्रियाओं एवं उनके अनुपालन तक सीमित रहीं। यह न तो कोई लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने इस प्रमाणपत्र के अनुलग्नक "क" में यथा उल्लिखित को छोड़कर मार्गनिर्देश में यथा निर्धारित कारपोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम आगे कहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के रूप में कोई आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता है जिसके साथ प्रबंधन कंपनी का कार्य करता है।

कृते मेहता एंड मेहता

कंपनी सचिव

(आईसीएसआई यूनिक कोड पी 1996 एमएच 007500)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 13 सितंबर 2017

दिप्ति अतुल मेहता

पार्टनर

सीपी सं. : 3202

एफसीएस सं. : 3667



**MEHTA & MEHTA
COMPANY SECRETARIES**

201-206 SHIV SMRITI
2ND FLOOR, 49/A
DR. ANNIE BESANT ROAD
ABOVE CORPORATION BANK
WORLI, MUMBAI- 400 018
Email: dipti@mehta-mehta.com
Tel: 022-6611 9696

COMPLIANCE CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To,
The Members of
Indian Rare Earths Limited

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by **Indian Rare Earths Limited** ("the Company") for the financial year ended March 31, 2017 as stipulated in Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises ("CPSE") 2010 ("the Guideline").

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the Compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Company has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the Guideline except as mentioned in the "**Annexure A**" to this Certificate.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

**For Mehta & Mehta,
Company Secretaries
(ICSI Unique Code P1996MH007500)**

Place: Mumbai
Date: September 13, 2017

Dipti Atul Mehta
Partner
FCS No.: 3667
CP No.: 3202

अनुलग्नक क

क्र. सं.	खंड	प्रावधान	टिप्पणियाँ
1.	3.1.3	सरकार अथवा अन्य सीपीएसई द्वारा नियुक्त नामित निदेशकों की संख्या अधिकतम दो तक सीमित होगी।	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष में बोर्ड की संरचना में चार नामित निर्देशित निदेशक सम्मिलित हैं, जो दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं हैं।
2.	3.1.4	अन्य सभी सीपीएसई (स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध परंतु बिना किसी अधिशासी अध्यक्ष के, अथवा गैर सूचीबद्ध सीपीएसई) के मामले में बोर्ड के कम से कम एक तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।	01 अप्रैल, 2016 से 31 मई, 2016 की अवधि में और 01 फरवरी, 2017 से 31 मार्च, 2017 के अवधि में, बोर्ड के सदस्यों की रचना में कंपनी के बोर्ड पर अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों का गठन नहीं हुआ था।
3.	3.3.1	बोर्ड बैठकों की संख्या : बोर्ड की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होनी चाहिए और प्रत्येक वर्ष में कम से कम ऐसी चार बैठकें आयोजित होनी चाहिए। आगे, किसी भी दो बैठकों के बीच का समय अंतर तीन महीने से अधिक नहीं होना चाहिए।	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-2017 के दौरान चार बोर्ड की बैठकें आयोजित की हैं, तथापि, बोर्ड की कोई बैठक तिमाही अप्रैल से जून, 2016 के दौरान आयोजित नहीं की गई है।
4.	3.3.2	एक निर्देशक दस से अधिक समितियों में सदस्य नहीं होंगे या सभी कंपनियों में पांच से अधिक समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं जिसमें वे एक निदेशक हैं। इसके अलावा, प्रत्येक निदेशक के लिए कंपनी को सूचित करना अनिवार्य वार्षिक आवश्यकता होनी चाहिए कि वे अन्य कंपनियों में शामिल समिति की स्थिति के बारे में बताएं और जब वे घटती हैं, तब परिवर्तनों को सूचित करना है।	कंपनी के प्रत्येक निदेशक से कंपनी की जानकारी एकत्रित की जाएगी और अतः हम उस प्रावधान के अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
5.	3.3.3	समीक्षा किए जाने के लिए कानूनों का अनुपालन : बोर्ड कंपनी द्वारा तैयार किए गए कंपनी के लिए लागू सभी कानूनों के साथ साथ कंपनी द्वारा गैर अनुपालन के उदाहरणों को सुधारने के लिए उठाए गए कदमों की अनुपालन रिपोर्ट की आवधिक समीक्षा करेगा।	हमारे सत्यापन के लिए दिए गए कार्यवृत्त के आधार पर, बोर्ड द्वारा ऐसी कोई समीक्षा नहीं की गई है।
6.	4.1.1	लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के रूप में कम से कम तीन निदेशक होंगे लेखापरीक्षा समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे।	01 अप्रैल, 2016 से 07 जुलाई, 2016 की अवधि के दौरान, लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के रूप में चार निदेशक थे, तथापि लेखापरीक्षा समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।



Annexure A

Sr. No.	Clause	Provisions	Observations
1.	3.1.3	The number of Nominee Directors appointed by Government/other CPSEs shall be restricted to a maximum of two.	The Board composition as at the year ended March 31, 2017 consists of four Nominee Directors which is not as per the guidelines.
2.	3.1.4	In case of all other CPSEs (i.e. listed on Stock Exchange but without an Executive Chairman, or not listed CPSEs), at least one-third of the Board Members should be Independent Directors.	During the period April 01, 2016 to May 31, 2016 and the period February 01, 2017 to March 31, 2017, the composition of the Board members did not comprised of requisite number of Independent Directors on the Board of the Company.
3.	3.3.1	Number of Board Meeting : The Board shall meet at least once in every three months and at least four such meetings shall be held every year. Further, the time gap between any two meetings should not be more than three months.	The Company has held four Board meetings during the financial year 2016-2017, however, no Board meeting has been held during the quarter April to June 2016.
4.	3.3.2	A Director shall not be a member in more than 10 committees or act as Chairman of more than five committees across all companies in which he is a Director. Furthermore it should be a mandatory annual requirement for every Director to inform the Company about the committee positions he occupies in other companies and notify changes as and when they take place.	The Company shall be collecting the information from each of the Directors of the Company and hence we are unable to comment on the compliance of the said provision.
5.	3.3.3	Compliance of Laws to be reviewed: The Board shall periodically review compliance reports of all laws applicable to the Company, prepared by the Company as well as steps taken by the Company to rectify instances of non-compliances.	On the basis of the minutes provided for our verification, no such review has been done by the Board.
6.	4.1.1	The Audit Committee shall have minimum three Directors as members. Two-thirds of the members of audit committee shall be Independent Directors.	During the period April 01, 2016 to July 07, 2016, Audit Committee consisted of four Directors as Members, however, two third of the Members of the Audit Committee were not Independent Directors.



क्र. सं.	खंड	प्रावधान	टिप्पणियाँ
7.	5.1	प्रत्येक सीपीएसई कम से कम तीन निदेशकों के एक पारिश्रमिक समिति का गठन करेगी, जिनमें से सभी अंशकालिक निदेशक होंगे (अर्थात् निमंत्रित निदेशक या स्वतंत्र निदेशक)।	01 मार्च, 2016 से 19 दिसम्बर, 2016 की अवधि के दौरान, बोर्ड के नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में सदस्यों के रूप में केवल दो निदेशक शामिल थे, जो सदस्यों के रूप में तीन निदेशकों की न्यूनतम आवश्यकता के विरुद्ध सदस्य थे।
8.	7.5.2	वरिष्ठ प्रबंधन सभी भौतिक वित्तीय और वाणिज्यिक लेनदेन से संबंधित बोर्ड को प्रकटीकरण करेगा, जहां उनका निजी हित है कि उस कंपनी के हित के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है (उदाहरण कंपनी के शेयरों में काम करना, निकायों के साथ वाणिज्यिक लेन-देन, जिनके प्रबंधन और उनके रिश्तेदारों के शेयरहोल्डिंग हैं।	कंपनी के प्रत्येक वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक से कंपनी प्रकटीकरण को एकत्रित की जाएगी और अतः हम उस प्रावधान के अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

कृते मेहता एंड मेहता

कंपनी सचिव

(आईसीएसआई यूनिफ कोड पी 1996 एमएच 007500)

स्थान : मुंबई

दिनांक : 13 सितंबर 2017

दिप्ति अतुल मेहता

पार्टनर

सीपी सं. : 3202

एफसीएस सं. : 3667



Sr. No.	Clause	Provisions	Observations
7.	5.1	Each CPSE shall constitute a Remuneration Committee comprising of at least three Directors, all of whom should be part-time Directors (i.e. Nominee Directors or Independent Directors)	During the period June 01, 2016 to December 19, 2016, the Nomination and Remuneration committee of the Board consisted of only two Directors as Members as against the minimum requirement of three Directors as Members.
8.	7.5.2	Senior Management shall make disclosures to the Board relating to all material financial and commercial transactions, where they have personal interest that may have a potential conflict with the interest of the Company (e.g dealing in Company shares, commercial dealings with bodies, which have shareholding of management and their relatives etc.	The Company shall be collecting the disclosures from each of the Senior Management Personnel of the Company and hence we are unable to comment on the compliance of the said provision

**For Mehta & Mehta,
Company Secretaries
(ICSI Unique Code P1996MH007500)**

Place: Mumbai
Date: September 13, 2017

Dipti Atul Mehta
Partner
FCS No.: 3667
CP No. : 3202

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबन्धन का होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसे उनकी संशोधित रिपोर्ट दिनांक 17 अगस्त 2017 के माध्यम से उनके द्वारा किया गया कहा गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के तहत 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों की कार्यकारी कागजों तक पहुँचे बिना की गयी है तथा मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी के कार्मिकों की जाँचों तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जिसकी वजह से सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करनी पड़े अथवा पूरक लेखापरीक्षा करनी पड़े।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 20.09.2017

(एल. सिद्धार्थ सिंह)

वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-IV

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF INDIAN RARE EARTHS LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2017**

The preparation of financial statements of **Indian Rare Earths Limited** for the year ended 31 March 2017 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor/auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their **Revised Report dated 17th August 2017**.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6) (a) of the Act of the financial statements of **Indian Rare Earths Limited** for the year ended 31 March 2017. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place: New Delhi
Date: 20.09.2017

(**L. Siddhartha Singh**)
Principal Director of Commercial Audit &
Ex-Officio Member, Audit Board-IV

इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के सदस्यगण को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की संशोधित रिपोर्ट

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय वक्तव्य के रूप में लेखापरीक्षित किया है, जिसमें 31 मार्च 2017 के अनुसार तुलन पत्र शामिल है, लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह विवरण और वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का बयान तब समाप्त हुआ, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य स्पष्टीकरण संबंधी जानकारी का सारांश की लेखा परीक्षा की है।

भारतीय लेखांकन मानकों वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल इन भारतीय लेखांकन मानकों के वित्तीय विवरण की तैयार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार हैं, वित्तीय विवरणों के रूप में जो वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं आम तौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की इक्विटी में अन्य व्यापक आय, नकदी प्रवाह और वित्तीय प्रदर्शन सहित वित्तीय स्थिति, प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ाए गए अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक (Ind AS) सहित इसके तहत जारी किया गया।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम के लिए एवं उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का अनुरक्षण, उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग, निर्णय करना एवं अनुमान लगाना जो तर्क संगत एवं विवेकपूर्ण हों, तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्पन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण जो सत्य एवं सही स्थिति देनेवाले भारतीय लेखा मानकों वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित लेखांकन नीतियों की सटीकता एवं पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित रहे और जो किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से मुक्त है, भी सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन भारतीय लेखा मानकों वित्तीय विवरणों पर राय अभिव्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है।

हमारे लेखापरीक्षा के संचालन में हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा और लेखा परीक्षा के मानकों और मामलों को ध्यान में रखा है, जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल करने की आवश्यकता है।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा वित्तीय विवरण के साथ मानक लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षण की। ये मानक एवं उद्घोषणाएं अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं एवं योजना का अनुपालन करें तथा तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में धनराशियों एवं प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनिष्पादन करने वाली प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्या कथन के जोखिमों का मूल्यांकन करने सहित सभी चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती हैं। उन जोखिम मूल्यांकनों को करते समय लेखापरीक्षक परिस्थितियों के अनुसार उचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का अभिकल्पन करने के लिए सत्य एवं सही स्थिति देने वाले भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने की कंपनी की तैयारी के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है परंतु इस बात पर अपनी राय अभिव्यक्त करने के लिए विचार नहीं करता है कि क्या कंपनी में वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित है और क्या ऐसे नियंत्रण की प्रचालनीय प्रभावकता है।

REVISED INDEPENDENT AUDITORS' REPORT TO THE MEMBERS OF INDIAN RARE EARTHS LIMITED

Report on the Ind AS Financial Statements

We have audited the accompanying Ind AS financial statements of Indian Rare Earths Limited ("the company"), which comprise the balance sheet as at 31 March 2017, the statement of profit and loss (including other comprehensive income), the cash flow statement and the statement of changes in equity for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Ind AS Financial Statements

The company's board of directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these Ind AS financial statements that give a true and fair view of financial position, financial performance including other comprehensive income, cash flows and the changes in equity of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Act read with the relevant rules issued thereunder.

This responsibility also includes the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provision of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting the frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial control, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Ind AS financial statements that give a true and fair view and are free from material mis statement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these Ind AS financial statements based on our audit.

In conducting our audit we have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under

We conducted our audit of the Ind AS financial statements in accordance with the Standards on Auditing specified under section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the Ind AS financial statements are free from material mis statement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the Ind AS financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material mis statement of the Ind AS financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the company's preparation of the Ind AS financial statements that give true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the Ind AS financial statements.

हमें विश्वास है कि लेखा साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुए, भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उचित हैं।

राय

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार अन्य नोट्स के साथ पूर्वोक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के राज्य मामलों (वित्तीय स्थिति) यथावश्यक ढंग से अधिनियम द्वारा अपेक्षित जानकारी देते हैं तथा 31 मार्च 2017 को उसके लाभ (अन्य व्यापक आय सम्मिलित वित्तीय पालन) के अनुसार कंपनी के मामलों की स्थिति की एवं इसके लाभ एवं उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह की भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत एवं सम्मिलित भारतीय लेखा मानक लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य एवं सही स्थिति देते हैं।

मामले का ज़ोर :

हम निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं :

- क) दर संख्या प्रति किलो के बारे में वित्तीय वक्तव्यों पर नोट 27 परमाणु ग्रेड अमोनियम डी-युरानेट (एनजीएडीयू) के लिए मुआवजे/प्रसंस्करण शुल्क के संबंध में आकलन राजस्व के लिए अपनाया गया। कंपनी इन शुल्कों को भारत सरकार (जीओआई) से एनजीएडीयू संसाधित करने के लिए प्राप्त करती है। इस तरह के प्रसंस्करण के लिए दरें भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन के स्तर, वास्तविक लागत आदि को ध्यान में रखते हुए नोट किया गया है। हालांकि, दावा किया गया राशि उस दर से अधिक है जिस पर राजस्व का अनुमान लगाया गया है, दर रुपये 13,557/- (जो वित्तीय वर्ष 10-11 के लिए मंजूरी दे दी गई) ने वित्तीय वर्ष 2010-11 से वित्तीय वर्ष 16-17 तक लगातार प्रारंभिक अनुमान के लिए लिया था, क्योंकि लगभग 3 वर्षों के अंतराल के बाद स्वीकृत दर को भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सूचित किया जाता है। वर्ष में एक विशेष वर्ष के लिए अनुमोदित दर को सूचित किया जाता है, अंतर राशि मान्यता प्राप्त है। तदनुसार, वर्ष 2016-17 के दौरान भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2012-13 में आपूर्ति की गई एनजीएडीयू के संबंध में रु. 16,971/- प्रति किग्रा और चालू वर्ष में 786.31 लाख रुपये के अंतर प्रभाव को राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है।
- ख) कर्मचारियों के लाभ के लिए खर्च किए गए राशियों के कारण इंडियन रेअर अर्थ्स के कर्मचारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड को कंपनी ने 632.19 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया है, लेकिन वर्तमान रोजगार शर्तों के अनुसार अनुबंध संबंधी दायित्वों के लिए राशि नहीं है। सोसायटी के लिए रु. 632.19 लाख की राशि के मुकाबले प्रावधान, रु. 489.20 लाख पूर्ववर्ती वर्ष से शॉर्ट 'टर्म प्रावधान' के तहत अग्रसारित हैं। अग्रिम के रूप में दर्शाई गई राशि वास्तव में नकदी या प्रकार में अनुकूलनीय नहीं हो सकती है, हालांकि यह अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है और अब तक दी गई राशि के अनुसार उक्त राशि से अधिक है। कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसे रकम का भुगतान करने का दायित्व निर्धारित होने पर 142.99 लाख का खर्च बढ़ने के कारण होता है।
- ग) कंपनी ने अतीत में राजस्व अधिकारियों द्वारा/लगाए गए उत्पाद शुल्क के संबंध में कुछ प्रावधान किए थे। इस संबंध में अपील करने के लिए कंपनी के पक्ष में निर्णय लिया गया है और अपील दर्ज करने की अवधि समाप्त होने के बावजूद, एक्साइज अधिकारियों ने किसी भी अपील नहीं की। किसी भी अपील के बारे में कंपनी को सूचित नहीं किया है। इस प्रकार, पूर्व में किए गए प्रावधान, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के आदेशों के अनुसार किए जाने के परिणामस्वरूप आयुक्त (अपील) के आदेश के अनुसार किसी बहिर्वाह निधि का परिणाम होने की संभावना नहीं होती है और तदनुसार आवश्यक नहीं माना गया हद तक प्रावधान लिखा गया है वापस (47.62 करोड़ रुपये) और शीर्ष के तहत एक अलग लाइन मद "असाधारण आइटम" के रूप में परिलक्षित होता है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय योग्य नहीं है।



We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Ind AS financial statements.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Ind AS financial statements, give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India including the Ind AS, of the state of affairs (financial position) of the Company as at 31st March 2017, and its profit **(financial performance including other comprehensive income)**, its cash flows and the changes in equity for the year ended on that date.

Emphasis of Matter:

We draw attention to the following matters:

- a) Note number 27 to the financial statements regarding the rate per kg. adopted for estimation revenue in regard to compensation/ processing charges for the Nuclear Grade Ammonium Di-Uranate (NGADU). The company receives these charges from the Government of India (GoI) for the NGADU processed by it. The rates for such processing are determined by the GoI taking into consideration various factors including level of output, actual costs incurred etc. As mentioned in the note, although the amount claimed is higher than the rate at which the revenue is estimated, the rate of Rs. 13,557/- (which was approved for FY 2010-2011) has been consistently taken for initial estimation from FY 2010-11 to FY 2016-2017 since the approved rate is usually intimated by GoI after a lag of approximately 3 years. In the year in which approved rate for a particular year is communicated, the differential sum is recognised. Accordingly, during the year 2016-17 GoI has approved the rate of Rs. 16,971/- per kg in respect of NGADU supplied in FY 2012-13 and the differential impact of Rs.786.31 Lakhs has been recognised as revenue in the current year.
- b) The company has made advance payment of Rs. 632.19 lakhs to The Indian Rare Earths Employees Co-Operative Society Ltd on account of sums expended for the benefit of employees, but which as per the present employment terms do not amount to contractual obligations. As against the sum of Rs. 632.19 lakhs advanced to the society, a provision of Rs. 489.20 lakhs is carried forward from the preceding year under the head 'Short Term Provisions. The amount represented by the advances may infact not be realisable in cash or kind though reflected as an advance and the excess of the said sum over the amount provided till date i.e. Rs. 142.99 lakhs would result in an increased charge to the expenses once the obligation to pay such sums for the benefit of employees is determined.
- c) The company had made certain provisions in regard to excise duty claimed / levied by the revenue officials in the past. Appeal in this regard has been decided in favour of the Company and despite the period for filing of appeal having expired, there is no intimation to the company of any appeal having been preferred by the excise officials. As such, the provision made earlier pursuant to orders of the Commissioner of Central Excise do not appear likely to result in an outflow funds pursuant to the order of the Commissioner (Appeals) and accordingly the provision to the extent no longer considered necessary has been written back (Rs. 47.62 Crores) and is reflected as a separate line item under the head "Exceptional Items"

Our opinion is not qualified in respect of the above matters.

अन्य मामलों :

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की तुलनात्मक वित्तीय जानकारी और इन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के रूप में 1 अप्रैल 2015 तक संक्रमण खोलने की शेष राशि पत्र, कंपनियों के अनुसार तैयार किए गए पहले जारी किए गए वैधानिक वित्तीय वक्तव्यों पर आधारित हैं (लेखांकन मानक) नियम, 2006, जिसकी रिपोर्ट 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा द्वारा क्रमशः 24 अगस्त 2016 और 3 सितंबर 2015 को क्रमशः लेखांकन में अंतर के लिए समायोजित के रूप में, कंपनी द्वारा संक्रमण के लिए अपनाया गया सिद्धांत उन वित्तीय वक्तव्यों पर एक अधोषित राय व्यक्त की, भारतीय लेखा मानक के अनुसार हमारे द्वारा लेखा परीक्षा किया गया है।

इन मामलों के बारे में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2016 द्वारा यथा अपेक्षित अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के रूप में तथा हम **संशोधित अनुलग्नक क** में आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर कथन देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(5) की शर्त के अनुसार, हम **अनुलग्नक ख** में एक विवरण ऊपर बताया गया धारा के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश दिया।
3. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित रिपोर्ट हम करते हैं कि :
 - (क) हमने ऐसी सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे :
 - (ख) हमारी राय में जहाँ तक उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा अभी तक कानून द्वारा यथापेक्षित उचित लेख बहियां रखी गयी है।
 - (ग) इस रिपोर्ट द्वारा देखे गये तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सम्मिलित) नकद प्रवाह विवरण एवं इक्विटी के संबंध में परिवर्तन विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।
 - (घ) हमारी राय में पूर्वोक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के साथ पठित उसके अंतर्गत जारी नियमों का अनुपालन करते हैं।
 - (ङ) कंपनी सरकार की कंपनी होने के नाते, तदनुसार एमसीए द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार अधिनियम की धारा 164(2) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।
 - (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट देने के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है तथा ऐसे नियंत्रण का प्रचालन प्रभाव है, **अनुलग्नक ग** का हमारे अलग रिपोर्ट में संदर्भित है।
 - (छ) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए गये अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में तथा हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी तथा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार :

Other Matters:

The comparative financial information of the Company for the year ended 31st March 2016 and the transition date opening balance sheet as at 1st April 2015 included in these Ind AS financial statements, are based on the previously issued statutory financial statements prepared in accordance with the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 audited by the predecessor auditor whose report for the year ended 31st March 2016 and 31st March 2015 dated 24th August 2016 and 3rd September 2015 respectively expressed an unmodified opinion on those financial statements, as adjusted for the differences in the accounting principles adopted by the Company on transition to the Ind AS, which have been audited by us.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the **"Revised Annexure A"** a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.
2. In terms of section 143(5) of the act, we give in **"Annexure B"** a statement on the directions issued under the aforesaid section by the Comptroller and Auditor General of India.
3. As required by section 143(3) of the Act, we report that:
 - a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
 - b) In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books;
 - c) The Balance Sheet, Statement of Profit and Loss (including other Comprehensive Income), Cash Flow Statement and the Statement of Changes in Equity dealt with by this report are in agreement with the books of account;
 - d) In our opinion, the aforesaid Ind AS financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act read with the relevant rules issued thereunder,
 - e) The company being a Government Company, the provisions of section 164(2) are not applicable in accordance with the Notification no. GSR 463(E) dated 5th June, 2015 issued by the MCA.
 - f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in **"Annexure C"**.
 - g) With respect to the other matters included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to our best of our information and according to the explanations given to us :



- (i) कंपनी ने अपनी वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार लंबित मुकदमों के प्रभाव को अपने भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में प्रकट किया है - नोट 40 भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों को देखें :
- (ii) कंपनी के पास अनिवार्य नुकसान होनेवाली व्युत्पन्नी संविदाओं के साथ दीर्घकालिक संविदाएं नहीं है।
- (iii) ऐसी कोई धनराशियाँ नहीं थी जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित था।
- (iv) कंपनी ने 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर, 2016 तक की अवधि के दौरान वित्तीय विवरणों में अपेक्षित खुलासा प्रदान किया है, साथ ही निर्दिष्ट बैंक नोट्स में लेनदेन के लिए और आगे भी कंपनी द्वारा बनाए गए खातों की पुस्तकों के अनुसार हैं और जिन्हे प्रबन्धक ने हमें प्रबंधन प्रस्तुत किया। भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के नोट 49 देखें।

संशोधन के लिए कारण

इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट को संशोधित अनुलग्नक क संदर्भ में समायोजित करने के लिए संशोधित किया जा रहा है, माने कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 जिसमें कुछ संशोधनों के अनुसार जारी किया गया था।

कृते गोखले एण्ड साथे,
सनदी लेखापाल
फर्म पंजीकरण संख्या : 103264डब्ल्यू

स्थान : मुंबई
दिनांक : 17 अगस्त, 2017

जयन्त पी. गोखले
भागीदार
सदस्य संख्या : 33767



- i. The company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Ind AS financial statements – Refer Note 40 to the Ind AS financial statements;
- ii. The Company did not have any long-term contracts including derivatives contracts for which there were any material foreseeable losses;
- iii. There were no amounts which required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company;
- iv. The Company has provided requisite disclosures in the financial statements as to holding as well as dealings in Specified Bank Notes during the period from 8th November 2016 to 30th December, 2016 and further these are in accordance with books of accounts maintained by the Company and as produced to us by the management.— Refer Note 49 to the Ind AS financial statements.

Reason for Revision

This audit report is being revised to accommodate the reference to Revised Annexure A i.e. Companies (Auditor's Report) Order, 2016 issued pursuant to some revisions therein.

**For Gokhale & Sathe,
Chartered Accountants**
Firm Reg. No.: 103264W

Place: Mumbai
Date: 17th August, 2017

Jayant P. Gokhale
Partner
M. No. 33767

31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष

कंपनी (लेखा परीक्षक) आदेश 2016 के अनुसार अपेक्षित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का संशोधित अनुलग्नक क (31 दिसंबर, 2017 के अनुसार इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के सीमित खातों के बारे में हमारी रिपोर्ट की अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं के अनुच्छेद 1 के संदर्भ में)।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (11) और जांच के आधार पर, जैसा कि हमने उपयुक्त माना, केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2016 के अनुसार आवश्यक है, हम पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर कंपनी को लागू हद तक इस संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट में रिपोर्ट करते हैं।

कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 के तहत रिपोर्ट के संशोधन के लिए कारण अनुपूरक लेखापरीक्षा के तहत टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की 146 (6) और कहा टिप्पणियों और परिणामस्वरूप सत्यापन से उत्पन्न होने वाले मामलों।

- (i) क) कंपनी आमतौर पर पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखती है, जिसमें मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति शामिल है।
- ख) मुख्य कार्यालय सहित सभी इकाइयों में स्थित कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को सत्यापन के एक कार्यक्रम के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है, जो हमारी राय में, सभी भौतिक संपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए प्रदान करता है, ऐसे सत्यापनों पर गौर की जा रही है। विसंगतियों को सामग्री नहीं थी और खातों की पुस्तकों में सही तरीके से निपटाया गया है, हालांकि चावरा यूनिट में कुछ परिसंपत्तियों के मामले में रुपये का शुद्ध डब्ल्यूडीवी 13,68,362/- (सकल मूल्य 1,00,52,486/-) जो खातों की पुस्तकों में समायोजित नहीं किए गए हैं। हमारी राय में भौतिक सत्यापन की आवृत्ति उचित है।
- ग) कंपनी के प्रबंधन द्वारा समझाया और सूचित किया गया, सभी अचल संपत्तियों के शीर्षक कार्यों (राजस्व अभिलेखों सहित) जैसे स्थिर विवरणों के नोट नंबर 2 में बताया गया है कि वित्तीय विवरणों के रूप में वित्तीय विवरणों के नाम पर रखे गए हैं। कंपनी प्रदान किए गए कार्यों के नमूना अनुवाद पर विचार कर रही है (मूल शीर्षकी दस्तावेज मलयालम में हैं जो स्थानीय भाषा है) निम्नलिखित मामले में अपेक्षा करते हैं :

क्र.सं.	अचल संपत्ति का प्रकृति	स्थान	सकल ब्लाक (रु. लाखों में)	नेट ब्लाक (रु. लाखों में)
1.	भवन (पूर्ण स्वामित्व)	प्र का	53.43	24.58
2.	भूमि (पट्टेवाली)	ऑसकॉम	61.11	1.00
3.	भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	चवरा	17.68	17.68
4.	भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	रेअप्र-चवरा	0.27	0.27
5.	भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	ऑसकॉम	7.68	7.68

FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2017
REVISED ANNEXURE A TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT AS REQUIRED BY THE
COMPANIES (AUDITOR'S REPORT) ORDER, 2016

(Referred to in Paragraph 1 of the section 'Other legal & regulatory requirements of our Report of even date on accounts of Indian Rare Earths Limited as at 31st March 2017.)

As required by the Companies (Auditors Report) Order 2016 issued by the Central Government in terms of Section 143 (11) of the Companies Act 2013 and on the basis of the checks, as we considered appropriate, we report on the matters specified in paragraph 3 and 4 of the said order to the extent applicable to the company, in this revised audit report.

Reason for revision of the report under Companies (Auditor's Report) Order, 2016: Considering the comments under supplementary audit u/s. 143(6) of the Companies Act, 2013 and matters arising out of the said comments and consequent verification.

- (I) a) The Company is generally maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of property, plant and equipment.
- b) The property, plant and equipment of the company located at all the units including Head Office have been physically verified by the management during the year as per a programme of verification which, in our opinion, provides for physical verification of all the material property, plant and equipment at reasonable intervals. Discrepancies noticed on such verifications were not material and have been properly dealt with in the books of accounts except in case of certain assets at the Chavara Unit having net WDV of Rs. 13,68,362/- (Gross Value of Rs. 1,00,52,486/-) which have not been adjusted in the books of accounts. In our opinion, the frequency of the physical verification is reasonable.

As explained & informed by the management of the company, the title deeds (including revenue records) of all the immovable properties as disclosed in Note No. 2 of Fixed Assets to the standalone Ind AS financial statements are held in the name of the company considering the sample translation of deeds provided (original title documents are in Malayalam which is the local language) expect in the following case:-

Sr. No.	Nature of Immovable Property	Location	Gross Block (Rs. in lakhs)	Net Block (Rs. in lakhs)
1	Building (Freehold)	HO	53.43	24.58
2	Lands (Leasehold)	OSCOM	61.11	1
3	Lands (Freehold)	Chavara	17.68	17.68
4	Lands (Freehold)	RED - Chavara	0.27	0.27
5	Land (Freehold)	OSCOM	7.68	7.68

- (ii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा इन्वेंट्री का उचित रिकॉर्ड बनाए रखा गया है। प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर इन्वेंट्री को भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है। भौतिक स्टॉक और बुक रिकॉर्ड के बीच भौतिक सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गई।
- (iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी कानून के अनुमोदन के तहत कंपनी, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य दलों के लिए किसी भी ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया। 189 धारा के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर और तदनुसार प्रावधान खंड 3(iii) (क), (ख), (ग) के लागू नहीं हैं।
- (iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई भी ऋण, गारंटी और सुरक्षा नहीं दी है और निवेश के संबंधी में, कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।
- (v) हमें सूचित किया गया है कि कंपनी ने सार्वजनिक रूप से किसी भी प्रकार की जमा राशि को उस अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधानों के तहत स्वीकार नहीं किया है और इसके तहत तैयार किए गए नियम और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश लागू नहीं हैं।
- (vi) कंपनी के उत्पादों के संबंध में अधिनियम के धारा 148 (1) के तहत लागत के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा बनाए गए खातों और अभिलेखों की व्यापक रूप से समीक्षा की गई है, जिसके अनुसार जो नियम हैं लागू किया गया और इस राय के हैं कि, प्रथम द्रष्टया निर्धारित खातों और अभिलेखों को बनाए रखा गया है। हालांकि, हमने यह निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड के साथ एक विस्तृत जांच नहीं की है कि वे सही हैं या नहीं।
- (vii) क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी ने हमारे द्वारा जांच करवायी, हमारी राय में, कंपनी आमतौर पर उचित प्राधिकारियों के साथ जमा करने में नियमित रूप से जमा कर रही है, जिसमें भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, धन कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर और जहां कहीं लागू हो, किसी भी अन्य वैधानिक देय राशि शामिल हैं।

सांविधि का नाम	देयों का नाम	अवधि जिससे धनराशि संबंधित है	देयता (रु. लाखों में)
केरल मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003	आईपीटी की अनुमति नहीं दी गई (मूल्य वर्धित कर एवं ब्याज)	2013-14	12.52

- ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांचे गये कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, आबकारी, मूल्य वर्धित कर, सेस की कोई देयता नहीं है, जिन्हें किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, जो नीचे निर्दिष्ट है :



- (ii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, proper records of inventory have been maintained by the company. The inventory has been physically verified at reasonable intervals by the management. No material discrepancies were noticed on physical verification between the physical stocks and the book records.
- (iii) According to the information and explanations given to us, the Company has not granted any loans, secured or unsecured to companies, firms, limited liability partnerships or other parties covered in register maintained u/s 189 of the Companies Act and accordingly provisions of clause 3 (iii) (a), (b), (c) are not applicable.
- (iv) According to the information and explanations given to us, the company has not given any loans, guarantees and security and in respect of investment, the provisions of section 185 and 186 of the Companies Act has been complied with.
- (v) We have been informed that the Company has not accepted any deposits from public and accordingly the provisions of section 73 to 76 of the Act, and Rules framed there under and any directive issued by the Reserve Bank of India are not applicable.
- (vi) We have broadly reviewed the accounts and records maintained by the Company pursuant to rules made by the Central Government for the maintenance of cost records under Section 148 (1) of the Act, in respect of Company's products to which the said rules are made applicable and are of the opinion that, prima facie the prescribed accounts and records have been made and maintained. We have, however, not made a detailed examination of records with a view to determine whether they are accurate.
- (vii) a) According to the information and explanations given to us and according to the records of the Company examined by us, in our opinion, the Company is generally regular in depositing with the appropriate authorities undisputed statutory dues including Provident Fund, Income-tax, Sales Tax, Wealth Tax, Service Tax, Customs Duty, Excise Duty, Value Added Tax and any other statutory dues, wherever applicable.

According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of aforesaid dues were outstanding as at March 31, 2017 for a period of more than 6 months from the date they became payable except those specified below:-

Name of Statute	Nature of the Dues	Period to which amount relates	Liability (Rs. in Lakhs)
Kerala Value Added Tax Act, 2003	IPT Disallowed (VAT & Interest)	2013 - 14	12.52

- b) According to the information and explanations given to us and the records of the company examined by us, there are no dues of income tax, sales tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess which have not been deposited on account of any dispute, except those specified below:-

सांविधि का नाम	संबंधित यूनिट	देयों का नाम/प्रकृति	अवधि जिससे राशि संबंधित है।	देयता (रु.लाख में)	फोरम जहां विवाद लंबित है।
केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944	रेअप्र-अलुवा	उत्पाद शुल्क	2005-06 से 2008-09	1972.51	सीमा, उत्पाद एवं सेवा कर अपील न्यायाधिकरण, बंगलूर
केरल मूल्य संवर्धित कर, 2003 अधिनियम, 2003	रेअप्र-	बिक्री कर	2011-12	2.89	उच्च न्यायालय, त्रिवेन्द्रम, केरल
कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952	चवरा	भविष्य निधि प्रेषण में विलंब हेतु नुकसान	1997-98 से 2005-06	6.79	उच्च न्यायालय, त्रिवेन्द्रम, केरल
केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944	चवरा	खनिजों पर उत्पाद शुल्क एवं बिक्री कर-पेनाल्टी	1996-97 से 1998-99	986.00	सीमा, उत्पाद एवं सेवा कर अपील न्यायाधिकरण, बंगलूर
वित्त अधिनियम, 1994	चवरा	ब्याज एवं पेनाल्टी अन्तर्विस्त परिनिर्धारित क्षति पर सेवा कर	2012-13 से 2013-14	3.68	आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद, सीमा एवं सेवा कर, कोची
वित्त अधिनियम, 1994	चवरा	ब्याज एवं पेनाल्टी के साथ जीटीए पर सेवा कर	2005-06 से 2009-10	58.83	आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद, सीमा एवं सेवा कर, कोची
खनन एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957	ऑसकॉम	किराया, सेस एवं ब्याज	1976-2011	33.32	उच्च न्यायालय, भुवनेश्वर, ओडिशा
ओडिशा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2004	ऑसकॉम	राज्य बिक्री कर	1989-90 से 2001-02	19.70	विभिन्न अपीलेट प्राधिकरण
केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	ऑसकॉम	केन्द्रीय बिक्री कर	1981-82 से 1998-99	21.13	विभिन्न अपीलेट प्राधिकरण
ओडिशा प्रवेश कर अधिनियम, 1999	ऑसकॉम	दावा किए गए प्रवेश कर के सेट ऑफ की अनुमति नहीं देना।	1999-00 से 2007-08	69.51	उच्च न्यायालय, भुवनेश्वर, ओडिशा
ओडिशा प्रवेश कर अधिनियम, 1999	ऑसकॉम	दावा किए गए प्रवेश कर के सेट ऑफ की अनुमति नहीं देना।	2007-08 से 2013-14	189.59	अतिरिक्त आयुक्त (अपील)
आय कर अधिनियम, 1961	प्र का	आय कर	एवाई 2010-11	532.91	आय कर आयुक्त (अपील)-2 मुंबई
महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2002	प्र का	बिक्री कर, ब्याज एवं पेनाल्टी	2012-13	668.67	बिक्री कर उप आयुक्त (अपील-VI), मुंबई



Name of Statute	Concerned Unit	Nature of the Dues	Period to which amount relates	Liability (Rs. in Lakhs)	Forum where dispute is pending
Central Excise Act, 1944	RED – Aluva	Excise Duty	2005 - 06 to 2008 - 09	1972.51	Custom, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, Bangalore
Kerala Value Added Tax, 2003	RED – Aluva	Sales Tax	2011 - 12	2.89	High Court, Trivandrum, Kerala
The Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952	Chavara	Damages for Delayed remittance of Provident Fund	1997 - 98 to 2005 - 06	6.79	High Court, Trivandrum, Kerala
Central Excise Act, 1944	Chavara	Excise Duty & Sales Tax on Minerals – Penalty	1996 – 97 to 1998 - 99	986.00	Custom, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, Bangalore
The Finance Act, 1994	Chavara	Service Tax on Liquidated Damages including Interest & Penalty	2012 – 13 to 2013 -14	3.68	Commissioner (A), Central Excise, Custom and Service Tax, Kochi
The Finance Act, 1994	Chavara	Service Tax on GTA including Interest & Penalty	2005 – 06 to 2009 - 10	58.83	Commissioner (A), Central Excise, Custom and Service Tax, Kochi
Mines and Minerals Development and Regulation Act, 1957	OSCOM	Rent, Cess and Interest	1976 - 2011	33.32	High Court, Bhubaneswar, Orissa
Orissa Value Added Tax Act, 2004	OSCOM	State Sales Tax	1989 – 90 to 2001 - 02	19.70	Various Appellate Authorities
Central Sales Tax Act, 1956	OSCOM	Central Sales Tax	1980 – 81 to 1998 - 99	21.13	Various Appellate Authorities
Orissa Entry Tax Act, 1999	OSCOM	Disallowance of Set off of Entry Tax	1999 – 00 to 2007 - 08	69.51	High Court, Bhubaneswar, Orissa
Orissa Entry Tax Act, 1999	OSCOM	Disallowance of Set off of Entry Tax	2007 – 08 to 2013 - 14	189.59	Addl. Commissioner (A)
Income Tax Act, 1961	HO	Income Tax	AY 2010 – 11	532.91	CIT (A) – 2, Mumbai
Maharashtra Value Added Tax Act, 2002	HO	Sales Tax, Interest & Penalty	2012 -13	668.67	Dy. Commissioner of Sales Tax (A – VI), Mumbai

उपरोक्त वर्णित राशियाँ, राशि के समायोजन के बाद निवल राशि हैं जो संरक्षण के तहत भुगतान की गई हैं।

- (viii) हमारे राय में, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों और सरकारों को देय राशि के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है। कंपनी ने डिबेंचर के माध्यम से कोई भी धन नहीं उठाया है।
- (ix) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण साधनों सहित) और अवधि ऋण के माध्यम से कोई भी धन नहीं उठाया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(ix) लागू नहीं है।
- (x) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी भौतिक धोखाधड़ी या उसके अधिकारी/कर्मचारी द्वारा, वर्ष के दौरान हमारे नोटिस या रिपोर्ट की गई है।
- (xi) कंपनी एक सरकारी कंपनी है, अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान इसके लिए लागू नहीं है और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।
- (xii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी परीक्षा के आधार पर, संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेनदेन को धारा 177 और 188 के अनुपालन में बनाया गया है। इसका विवरण भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के रूप में कंपनी के लिए लागू लेखा मानक के अनुसार नोट संख्या 39 के तहत पर्याप्त रूप से प्रकट किया गया है।
- (xiv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी भी तरजीही आवंटन या शेषों की निजी नियुक्ति या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं बनाए हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान निदेशक या उनके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ किसी गैर-नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (xv) कंपनी के लिए लागू नहीं है।
- (xvi) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत कंपनी को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (xvi) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

कृते गोखले एण्ड साथे,
सनदी लेखापाल
फर्म पंजीकरण संख्या : 103264डब्ल्यू

स्थान : मुंबई
दिनांक : 17 अगस्त, 2017

जयन्त पी. गोखले
भागीदार
सदस्य संख्या : 33767



Amounts mentioned above are the net amount outstanding after adjusting the sum paid under protest.

- (viii) In our opinion, according to the information and explanation given to us, the company has not defaulted in repayment of dues to Financial Institutions, Banks and Government. The Company has not raised any funds through debentures.
- (ix) The Company has not raised any funds by way of Initial Public Offer or further Public offer (including debt instruments) and term loans during the year. Accordingly, paragraph 3(ix) of the Order is not applicable.
- (x) According to the information and explanations given to us, no material fraud by the Company or on the Company by its officer/s or employee/s, has come to our notice or reported during the year.
- (xi) The Company being a Government Company, provisions of section 197 of the act are not applicable to it and accordingly provisions of clause 3 (xii) of the order are not applicable to company.
- (xii) In our opinion and according to information given to us, the Company is not Nidhi Company. Therefore, reporting under clause 3(xii) of Order is not applicable.
- (xiii) According to the information and explanation given to us and based on our examination, all the transactions with related parties have been made in compliance with sections 177 and 188. The details thereof have been adequately disclosed in the Ind AS financial statements under Note No. 39 in accordance with the Accounting Standards applicable to the Company.
- (xiv) According to the information and explanations given to us, the company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review. Accordingly, provisions of clause 3 (xiv) of the Order are not applicable to the Company.
- (xv) According to information & explanation given to us, the Company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him during the year. Accordingly, paragraph 3 (xv) of the Order is not applicable to the Company.
- (xvi) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly, paragraph 3 (xvi) of the Order is not applicable to the Company.

For Gokhale & Sathe,
Chartered Accountants
Firm Reg. No.: 103264W

Place: Mumbai
Date: 17th August, 2017

Jayant P. Gokhale
Partner
M. No. 33767

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखा पर इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत अनुलग्नक ख स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट।

1. क्या कंपनी का स्पष्ट हक क्रमशः पूर्ण स्वामित्व एवं पट्टा भूमि के लिए पट्टा विलेख है। यदि नहीं तो पूर्ण स्वामित्व का क्षेत्र एवं पट्टा भूमि क्षेत्र में किसका हक/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं तो कृपया विवरण दें।

प्रदान किए गए कार्यों के नमूना अनुवाद के आधार पर मूल शीर्षक दस्तावेजों मलयाली में है, जो स्थानीय भाषा है (निम्नलिखित को छोड़कर क्रमशः कंपनी को स्पष्ट हक/पूर्ण स्वामित्व एवं पट्टा भूमि है।

विवरण	क्षेत्र
कंपनी के ऑसकॉम इकाई में पूर्ण स्वामित्व भूमि - उसका हक कंपनी के पक्ष में नहीं है।	116.099 एकड़
कंपनी के ऑसकॉम इकाई में पट्टा भूमि उसका विलेख कंपनी के पक्ष में नहीं है।	244.436 एकड़
कंपनी के चवरा इकाई में पूर्ण स्वामित्व भूमि - जिसका हक कंपनी के पक्ष में है, जहाँ अन्य द्वारा अतिक्रमण किया गया।	130 सेंट
कंपनी के रेअर-अलुवा इकाई में पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि - यूनिट/कंपनी के पास उसका विलेख उपलब्ध नहीं है।	0.81 सेंट

2. क्या कुछ अधित्याग/कर्ज बढ़ते खाते में डालना/ऋण/ब्याज आदि मामला है। यदि हाँ तो उसका कारण एवं निहित राशि।

शून्य

3. क्या भारत सरकार या अन्य प्राधिकरण से दान/अनुदान के रूप में प्राप्त परिसंपत्ति एवं अन्य पक्षकारों के इन्वेंटरी के लिए उपयुक्त रिकार्ड रखा जाता है।

प्रबंधन की सूचना के अनुसार कंपनी अन्य पक्षकारों के उपर्युक्त रिकार्ड रखती है, कंपनी भारत सरकार या अन्य प्राधिकरण से दान/अनुदान के रूप में कुछ भी परिसंपत्ति प्राप्त नहीं की है।

कृते गोखले एण्ड साथे,
सनदी लेखापाल
फर्म पंजीकरण संख्या : 103264डब्ल्यू

स्थान : मुंबई
दिनांक : 17 अगस्त, 2017

जयन्त पी. गोखले
भागीदार
सदस्य संख्या : 33767



FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

ANNEXURE B INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT UNDER SECTION 143(5) OF COMPANIES ACT, 2013 in respect of INDIAN RARE EARTHS LIMITED on the Accounts for the year ended 31 March, 2017.

1. Whether the Company has clear title/ lease deeds for freehold and leasehold land respectively? If not, please state the area of freehold and leasehold land for which title/lease deeds are not available.

Based on the sample translation of deeds provided (original title documents are in Malayalam which is the local language) the Company has clear title/ lease deeds for freehold and leasehold land respectively except as stated below:

Particulars	Area
Freehold Land at OSCOM unit of the Company - Title of the same is not in favour of the Company	116.099 Acre
Leasehold Land at OSCOM unit of the Company - Deed of the same is not in favour of the Company	244.436 Acre
Freehold Land at Chavara unit of the Company - Title of the same is in favour of the Company whereas the same has been encroached by others	130 Cents
Freehold Land at RED - Aluva unit of the Company – Title of the same is not available with Unit / Company	0.81 Cents

2. Whether there are any cases of waiver /write off of debts / loans / interest etc. If yes, the reasons thereof and amount involved.

Nil

3. Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties and assets received as gift/ grant(s) from the Government or other authorities.

The Company is maintaining proper records for inventories lying with third parties and as informed by the management, the Company has not received any assets as grants/ gifts from the Government or other authorities.

**For Gokhale & Sathe,
Chartered Accountants
Firm Reg. No.: 103264W**

Place: Mumbai
Date: 17th August, 2017

**Jayant P. Gokhale
Partner
M. No. 33767**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में अनुलग्नक ग

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 के उप-भाग 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

(31 मार्च 2017 तक इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के सीमित खातों के बारे में हमारी रिपोर्ट की 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताएं' अनुभाग के पैरा 3 (एफ) में संदर्भित किया गया।)

हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय वक्तव्य के रूप में भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के हमारे लेखापरीक्षा के साथ 31 मार्च 2017 तक इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-परीक्षण किया।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा-परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक पर विचार कर कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर ('मार्गदर्शन नोट') भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए कंपनी का प्रबंधन जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के नीतियों के अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित, अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। लेखा अधिनियम की सटीकता और पूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत जरूरी विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा-परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है।

हमने आईसीएआई द्वारा जारी किए गए 'गाइडेंस नोट' और ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार हमारे लेखा-परीक्षा का आयोजन किया, और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित वित्तीय आंतरिक नियंत्रणों के लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक लेखा परीक्षण किया। मानदंड और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और अनुपालन के लिए अनुपालन करें और वित्तीय आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का पालन करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और अगर इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में कारगर ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके ऑपरेटिंग प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना, जो कि एक सामग्री कमजोरी मौजूद है, और आकलन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती है, जिसमें भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के रूप में चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलतफहमी के जोखिम के आकलन शामिल हैं।

हमारा मानना है कि वित्तीय रिपोर्टिंग से कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा के प्रमाण पर्याप्त और उपयुक्त हैं।



FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

ANNEXURE C TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

REPORT ON THE INTERNAL FINANCIAL CONTROLS UNDER CLAUSE (i) OF SUB-SECTION 3 OF SECTION 143 OF THE COMPANIES ACT, 2013 ("THE ACT")

(Referred to in Paragraph 3(f) of the section 'Other legal & regulatory requirements' of our Report of even date on accounts of Indian Rare Earths Limited as at 31st March 2017.)

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Indian Rare Earths Limited ("the Company") as of March 31, 2017 in conjunction with our audit of the Ind AS financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ('Guidance Note') issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit.

We conducted our audit in accordance with the 'Guidance Note and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. The Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Ind AS financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल करता है जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन देते हैं कि लेनदेन आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्य तैयार करने की अनुमति के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किए जाते हैं, और कंपनी की प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार कंपनी की प्राप्तियां और व्यय ही बनाये जा रहे हैं; और (3) वित्तीय विवरणों पर सामग्री प्रभाव हो सकता है कि कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पहचान के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग से अधिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, संगठित या अनुचित प्रबंधन नियंत्रणों की ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक अयथार्थ विवरण हो सकता है और पता नहीं किया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में होने वाले परिवर्तनों की वजह से अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को 31 मार्च 2017 तक प्रभावी ढंग से काम कर रही थी, जो वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर और आंतरिक नियंत्रण पर आधारित थी। कंपनी आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक पर विचार कर रही है।

कृते गोखले एण्ड साथे,
सनदी लेखापाल
फर्म पंजीकरण संख्या : 103264 डब्ल्यू

स्थान : मुंबई
दिनांक : 17 अगस्त, 2017

जयन्त पी. गोखले
भागीदार
सदस्य संख्या : 33767



Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2017, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

**For Gokhale & Sathe,
Chartered Accountants**
Firm Reg. No.: 103264W

Place: Mumbai
Date: 17th August, 2017

Jayant P. Gokhale
Partner
M. No. 33767

31 मार्च 2017 का तुलन पत्र

रु. लाख में

क्र. सं.		नोट सं.	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
I.	इक्विटी एवं देयताएं				
1	गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ				
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2	22,279.71	24,074.59	14,086.50
	अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3	254.53	359.50	486.80
	प्रणामी पूंजी कार्य	4	4,171.33	2,983.45	13,182.04
	वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
	गैर वर्तमान निवेश	5	1.42	1.42	1.62
	ऋण	6	2,822.39	2,827.70	2,790.83
	अस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	7	7,531.14	5,983.22	5,651.94
	गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ	8	4,553.86	5,229.96	3,602.65
	अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ	9	637.00	555.78	577.65
			42,251.38	42,015.62	40,380.03
2	वर्तमान परिसंपत्तियाँ				
	वस्तुसूचियाँ	10	12,878.20	12,797.38	13,473.01
	वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
	निवेश	11	6,172.69	-	-
	प्राप्य ट्रेड	12	585.84	1,066.35	2,654.86
	नकद और नकद समकक्ष	13	1,753.72	1,862.62	4,714.62
	अन्य बैंक जमाशेष	14	27,852.11	31,051.60	37,259.83
	ऋण	15	8,724.24	7,499.26	3,244.05
	अन्य मौजूदा वित्तीय परिसंपत्तियाँ	16	3,058.72	324.25	164.49
	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	17	2,813.65	2,993.79	2,361.38
			63,839.17	57,595.25	63,872.24
			106,090.55	99,610.87	104,252.27
II.	इक्विटी एवं देयताएं				
क.	इक्विटी				
	इक्विटी शेअर पूंजी	18	8,636.50	8,636.50	8,636.50
	अन्य इक्विटी	19	59,348.04	54,274.28	66,810.14
			67,984.54	62,910.78	75,446.64
ख	देयताएं				
1	गैर-वर्तमान देयताएं				
	वित्तीय देयताएं				
	अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताएं	20	14.49	14.50	14.50
	गैर-वर्तमान प्रावधान	21	10,918.09	10,159.57	6,287.57
	अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	22	5,000.00	5,000.00	5,000.00
			15,932.58	15,174.07	11,302.07
2	वर्तमान देयताएं				
	वित्तीय देयताएं				
	देय ट्रेड	23	2,468.85	1,377.04	1,316.17
	अन्य वित्तीय देयताएं	24	5,101.83	4,877.05	5,076.13
	अन्य वर्तमान देयताएं	25	5,422.65	3,758.43	2,922.94
	मौजूदा प्रावधान	26	9,180.10	11,513.50	8,188.32
			22,173.43	21,526.02	17,503.56
	कुल इक्विटी एवं देयताएं		106,090.55	99,610.87	104,252.27
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों	1			
	वित्तीय विवरणों पर नोट्स	35-50			

उसी तारीख की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

गोखले एवं साये

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या : 103264डब्ल्यू

जयंत पी. गोखले

भागीदार

मुंबई,

दिनांक : 16 जुलाई 2017

कृते निदेशक मण्डल/बोर्ड

बी.आर. तरफदार

कंपनी सचिव

मुंबई

दिनांक : 16 जुलाई 2017

राकेश तुमाने

निदेशक (वित्त एवं मुविज)

सदस्यता संख्या : 33767

डी. सिंह

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक



Balance Sheet as at 31st March, 2017

(₹ in lakh)

Sr. No.	Particulars	Note No.	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
I.	ASSETS				
1	Non-current assets				
	Property, Plant and Equipment	2	22,279.71	24,074.59	14,086.50
	Intangible assets	3	254.53	359.50	486.80
	Capital work-in-progress	4	4,171.33	2,983.45	13,182.04
	Financial Assets				
	Non-current Investments	5	1.42	1.42	1.62
	Loans	6	2,822.39	2,827.70	2,790.83
	Deferred tax assets (net)	7	7,531.14	5,983.22	5,651.94
	Non-current tax assets	8	4,553.86	5,229.96	3,602.65
	Other non-current assets	9	637.00	555.78	577.65
			42,251.38	42,015.62	40,380.03
2	Current assets				
	Inventories	10	12,878.20	12,797.38	13,473.01
	Financial Assets				
	Investment	11	6,172.69	-	-
	Trade receivables	12	585.84	1,066.35	2,654.86
	Cash and cash equivalents	13	1,753.72	1,862.62	4,714.62
	Other bank balances	14	27,852.11	31,051.60	37,259.83
	Loans	15	8,724.24	7,499.26	3,244.05
	Other current financial assets	16	3,058.72	324.25	164.49
	Other current assets	17	2,813.65	2,993.79	2,361.38
			63,839.17	57,595.25	63,872.24
	TOTAL ASSETS		106,090.55	99,610.87	104,252.27
II.	EQUITY AND LIABILITIES				
A	Equity				
	Equity share capital	18	8,636.50	8,636.50	8,636.50
	Other equity	19	59,348.04	54,274.28	66,810.14
			67,984.54	62,910.78	75,446.64
B	LIABILITIES				
1	Non-current liabilities				
	Financial Liabilities				
	Other non-current financial liabilities	20	14.49	14.50	14.50
	Non-current provisions	21	10,918.09	10,159.57	6,287.57
	Other non-current liabilities	22	5,000.00	5,000.00	5,000.00
			15,932.58	15,174.07	11,302.07
2	Current liabilities				
	Financial Liabilities				
	Trade payables	23	2,468.85	1,377.04	1,316.17
	Other financial liabilities	24	5,101.83	4,877.05	5,076.13
	Other current liabilities	25	5,422.65	3,758.43	2,922.94
	Current provisions	26	9,180.10	11,513.50	8,188.32
			22,173.43	21,526.02	17,503.56
	TOTAL EQUITY AND LIABILITIES		106,090.55	99,610.87	104,252.27
	Significant accounting policies	1			
	Notes on financial statements	35-50			

As per our report of even date attached

Gokhale & Sathe

Chartered Accountant

Firm Registration Number: 103264W

Membership Number: 33767

Jayant P Gokhale

Partner

For and on behalf of the Board of Directors

B R Tarafdar

Company Secretary

Rakesh Tumane

Director (Finance) & CFO

D Singh

Chairman & MD

Mumbai

Dated : 6th July, 2017

Mumbai

Dated: 6th July, 2017

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण

रु. लाख में

क्र. सं.		नोट सं.	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष
I.	दिनांक : 16 जुलाई, 2017	27	46,209.64	36,298.75
II.	अन्य आय	28	5,267.91	4,105.71
III.	कुल आय (I + II)		51,477.55	40,404.46
IV.	व्यय :			
	उपभोग की गई सामग्री की लागत	29	6,420.12	4,515.57
	तैयार माल, प्रगामी कार्य एवं व्यापारिक स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन	30	(571.63)	285.46
	माल की बिक्री पर उत्पाद शुल्क		912.45	1,073.30
	कर्मचारी लाभ व्यय	31	23,167.43	22,286.90
	वित्त लागतें	32	50.22	542.22
	मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	2	3,684.17	2,990.31
	अन्य व्यय	33	18,417.71	20,083.33
	कुल व्यय (IV)		52,080.47	51,777.09
V.	अपवाद मदों, असाधारण मदों एवं कर (III-IV) पूर्व लाभ (हानि)		(602.92)	(11,372.63)
VI.	अपवाद मदें		(4,761.87)	-
VII.	कर (V-VI) पूर्वलाभ/(हानि)		4,158.95	(11,372.63)
VIII.	कर व्यय	34		
	(i) वर्तमान कर		631.64	(360.22)
	(ii) आस्थगित कर व्यय		(1,547.48)	(400.57)
			(915.84)	(760.79)
IX.	कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) (VII-VIII)		5,074.79	(10,611.84)
X.	अन्य व्यापक आमदनी		(1.03)	154.96
A.	(i) आइटम जो लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे	31	(1.49)	224.26
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो कि लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	34	0.46	(69.30)
B.	(i) आइटम जो लाभ या हानि के लिए पुनः परिष्कृत किए जाएंगे			
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो कि लाभ या हानि के लिए पुनः परिष्कृत किया जाएगा			
XI.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (IX + X) (अवधि के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल है)		5,073.76	(10,456.88)
XII.	Earnings per equity share:	43		
	मूल और डाइलुटेड (रुपये में)		587.60	(1,228.72)
	फेस वैल्यू प्रति शेयर (रुपये में)		1,000.00	1,000.00
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1		
	नोट्स इन वित्तीय विवरणों	35-50		

उसी तारीख की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

गोखले एवं साये	जयंत पी. गोखले	बी.आर. तरफदार	कृते निदेशक मण्डल/बोर्ड	राकेश तुमाने	डी. सिंह
सनदी लेखाकार	भागीदार	कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त एवं मुविअ)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	
फर्म पंजीकरण संख्या : 103264डब्ल्यू			सदस्यता संख्या : 33767		
	मुंबई,		मुंबई		
	दिनांक : 16 जुलाई 2017		दिनांक : 16 जुलाई 2017		



STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017

₹ in lakh

Sr. No.	Particulars	Note No	Year ended 31 st March, 2017	Year ended 31 st March, 2016
I.	Revenue From Operations	27	46,209.64	36,298.75
II.	Other Income	28	5,267.91	4,105.71
III.	Total Income (I + II)		51,477.55	40,404.46
IV.	EXPENSES:			
	Cost of materials consumed	29	6,420.12	4,515.57
	Changes in inventories of finished goods, Stock-in-Trade and work-in-progress	30	(571.63)	285.46
	Excise duty on sale of goods		912.45	1,073.30
	Employee benefits expense	31	23,167.43	22,286.90
	Finance costs	32	50.22	542.22
	Depreciation and amortization expense	2	3,684.17	2,990.31
	Other expenses	33	18,417.71	20,083.33
	Total Expenses (IV)		52,080.47	51,777.09
V.	Profit/(loss) before exceptional items and tax (III-IV)		(602.92)	(11,372.63)
VI.	Exceptional Items		(4,761.87)	-
VII.	Profit / (loss) before tax (V-VI)		4,158.95	(11,372.63)
VIII.	Tax Expense:	34		
	(i) Current Tax		631.64	(360.22)
	(ii) Deferred Tax		(1,547.48)	(400.57)
			(915.84)	(760.79)
IX.	Net profit / (loss) After Tax (VII-VIII)		5,074.79	(10,611.84)
X.	Other Comprehensive Income		(1.03)	154.96
A.	(i) Items that will not be reclassified to profit or loss	31	(1.49)	224.26
	(ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss	34	0.46	(69.30)
B.	(i) Items that will be reclassified to profit or loss			
	(ii) Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss			
XI.	Total Comprehensive Income for the period (IX+X) (Comprising Profit (Loss) and Other Comprehensive Income for the period)		5,073.76	(10,456.88)
XII.	Earnings per equity share:	43		
	Basic & Diluted (in Rs.)		587.60	(1,228.72)
	Face Value per Share (in Rs.)		1,000.00	1,000.00
Significant accounting policies		1		
Notes on financial statements		35-50		

As per our report of even date attached

Gokhale & Sathe
Chartered Accountant
Firm Registration Number: 103264W
Membership Number: 33767

For and on behalf of the Board of Directors
Jayant P Gokhale
Partner

B R Tarafdar
Company Secretary

Rakesh Tumane
Director (Finance) & CFO

D Singh
Chairman & MD

Mumbai
Dated : 6th July, 2017

Mumbai
Dated: 6th July, 2017

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

रु. लाख में

	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष	
A. प्रचालनीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
लाभ और हानि के विवरण के अनुसार कर से पहले शुद्ध लाभ इसके लिए समायोजित :		4,258.95		(11,372.61)
असाधारण मद :				
किराया और अन्य खर्च		47.20		(76.34)
एलसी विक्री पर ब्याज आय	1.76		47.38	
अन्य व्यापक आय के लिए वीमांकिक घाटे का पुनः वर्गीकरण		(1.49)		-
पूर्व आइटम व्यय का उलट	(275.00)		-	
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	3,684.17		2,993.84	
ब्याज खर्च		48.61		540.61
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की विक्री पर नुकसान		6.37		0.94
गैर मोरिंग स्टोर्स पर हानि		38.00		59.29
भंडार वर्तमान परिसंपत्तियों/अग्निमो को बट्टे खाते में डालना		13.57		0.08
उत्पाद शुल्क हेतु प्रावधान	(5,012.24)		(1.95)	
सीएसआर हेतु प्रावधान	-		45.29	
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उपदान (अंतरात्मक)	206.13		39.72	
उपदान निधि अंतर	84.65		(180.16)	
वर्कमन के वेतन पुनरीक्षण हेतु वेतन प्रावधान	2,796.00		1,500.00	
ऋणों, परिसंपत्तियों एवं अग्निमो हेतु प्रावधान	0.01		1,894.77	
अतिरिक्त प्रावधान अब जरूरी नहीं	(163.55)		(80.85)	
पीछे लिखित खराब एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(17.34)		(3.20)	
ब्याज आय	(3,413.06)		(3,318.97)	
म्यूचल फंड से लाभांश आय	(196.69)		(178.21)	
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की विक्री पर लाभ	(29.85)	(2,182.74)	(16.17)	3,266.07
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालनीय लाभ		1,976.21		(8,106.54)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन :				
वस्तुयुची		(118.84)		616.32
ट्रेड एवं अन्य प्राप्य		(6,423.13)		735.44
देय ट्रेड एवं अन्य देयताएं		3,945.01		1,489.86
कार्यशील पूंजी बदलाव के बाद परिचालन लाभ		(620.76)		(5,264.92)
प्रत्यक्ष कर भुगतान (वापसी का शुद्ध)		(1,200.00)		(1,201.22)
प्रचालन कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी		(1,820.76)		(6,466.14)
B. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की विक्री		28.42		21.37
सीडब्ल्यूआईपी सहित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद		(2,976.92)		(2,658.66)
सावधि जमा पर आय		2,845.18		5,603.39
प्राप्त ब्याज		1,754.64		2,453.28
म्यूचल फंड से लाभांश आय		196.69		178.21
सुरक्षा जमाओं को खोलने पर वित्त आय		(74.24)		137.40
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी		1,773.77		5,734.99
C. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
प्रदत्त लाभांश		-		(2,078.98)
प्रदत्त ब्याज		(48.61)		(26.44)
कर्मचारी ऋण के परिशोधन पर वित्त व्यय		(13.31)		(15.45)
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		(61.92)		(2,120.87)
नकदी एवं नकदी तुल्य (क + ख + ग) में शुद्ध (वृद्धि) (A+B+C)		(108.91)		(2,852.01)
कैश एंड कैश समकक्षों का बैलेंस खोलना		1,862.61		4,714.62
नकद और नकद समतुल्य का समापन शेष		1,753.70		1,862.61
नकद और नकद समरूपों के घटक :				
वर्तमान खातों में बैंकों के साथ बैलेंस		1,752.58		1,859.69
हाथ में नकद		1.14		2.93

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

गोखले एवं साथे
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 103264डब्ल्यू

जयंत पी. गोखले
भागीदार
मुंबई,
दिनांक : 16 जुलाई 2017

कृते निदेशक मण्डल/बोर्ड
बी.आर. तरफदार
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या : 33767
मुंबई
दिनांक : 16 जुलाई 2017

डी. सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक



CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st March 2017

₹ in Lakh

	Year ended 31st March 2017		Year ended 31st March 2016	
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES				
Net Profit before tax as per Statement of Profit and Loss		4,158.95		(11,372.61)
Adjusted for:				
Exceptional Items:				
Rent and other expenses	47.20		(76.34)	
Interest income on LC Sales	1.76		47.38	
Reclassification of actuarial losses to Other comprehensive income	(1.49)		-	
Reversal of prior item expenses	(275.00)		-	
Depreciation and amortization expense	3,684.17		2,993.84	
Interest expenses	48.61		540.61	
Loss on sale of Property, plant and equipment	6.37		0.94	
Loss on Non Moving Stores	38.00		59.29	
Write-off of Stores Current Assets/ Advances	13.57		0.08	
Provision for Excise Duty	(5,012.24)		(1.95)	
Provision for CSR	-		45.29	
Gratuity (Differentials) for retired employees	206.13		39.72	
Gratuity Fund Gap	84.65		(180.16)	
Salary provision for pay revision of workmen	2,796.00		1,500.00	
Provision for debts, assets and advances	0.01		1,894.77	
Excess Provision no longer required	(163.55)		(80.85)	
Provision For Bad and Doubtful debts written back	(17.34)		(3.20)	
Interest income	(3,413.06)		(3,318.97)	
Dividend Income from Mutual Fund	(196.69)		(178.21)	
Profit on sale of property, plant and equipment	(29.85)		(16.17)	
Operating profit before working capital changes		1,976.21		(8,106.54)
Changes in working capital:				
Inventories		(118.84)		616.32
Trade and other receivables		(6,423.13)		735.44
Trade payables and other liabilities		3,945.01		1,489.86
Operating profit after working capital changes		(620.76)		(5,264.92)
Direct taxes paid (net of refund)		(1,200.00)		(1,201.22)
Net Cash From Operating Activities		(1,820.76)		(6,466.14)
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES				
Sale of property, plant and equipment		28.42		21.37
Purchase of property, plant and equipment including CWIP		(2,976.92)		(2,658.66)
Receipt from Fixed deposits		2,845.18		5,603.39
Interest received		1,754.64		2,453.28
Dividend Income from Mutual Fund		196.69		178.21
Finance Income on unwinding of security deposits		(74.24)		137.40
Net Cash From Investing Activities		1,773.77		5,734.99
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES				
Dividend paid		-		(2,078.98)
Interest paid		(48.61)		(26.44)
Finance expense on amortisation of employee loan		(13.31)		(15.45)
Net Cash from Financing Activities		(61.92)		(2,120.87)
Net (Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)		(108.91)		(2,852.01)
Opening Balance of Cash and Cash Equivalents		1,862.61		4,714.62
Closing balance of Cash and Cash Equivalents		1,753.70		1,862.61
Components of Cash and Cash Equivalents:				
Balances with banks in Current accounts		1,752.58		1,859.69
Cash on hand		1.14		2.93

As per our report of even date attached

Gokhale & Sathe

Chartered Accountant

Firm Registration Number:103264W

Membership Number: 33767

Jayant P Gokhale

Partner

B R Tarafdar

Company Secretary

For and on behalf of the Board of Directors

Rakesh Tumane

Director (Finance) & CFO

D Singh

Chairman & MD

Mumbai

Dated : 6th July, 2017

Mumbai

Dated: 6th July, 2017

नोट - 1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.1 (i) लेखांकन का आधार :

कुछ निश्चित वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं जो उचित मूल्य का मापन करते हैं जिन्हें छोड़कर वित्तीय विवरणिया ऐतिहासिक लागत पद्धति के तहत तथा आमतौर पर भारत में मान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार उपचय आधार पर तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानकों) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के आधार पर तथा यथा लागू अधिसूचित लेखांकन मानक नियमों (भालेमा) तथा अन्य लागू सांविधिक दिशा-निर्देशों संबंधित प्रावधानों के अनुरूप है।

(ii) आकलनों का इस्तेमाल :

वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण के लिए अपेक्षा है कि उन आकलनों और पूर्वानुभवों का सहारा लिया जाए जो वित्तीय विवरण की तिथि पर और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व की सूचित परिसंपत्तियों और देयताओं की राशि और व्ययों को प्रभावित करती हैं। वास्तविक परिणामों और आकलनों के मध्य अंतर को उस अवधि में जिसमें परिणामों की जानकारी हो / संसाधित किया जाता है।

(ii) मुख्य लेखा आकलन और निर्णय :

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को लेखा नितियों में निर्णय, आकलन और मान्यताओं को बनाने की आवश्यकता है, जो परिसंपत्तियों, ऋणों, आय और व्यय की रिपोर्ट की गई मात्रा को प्रभावित करती है।

वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। ऐतिहासिक अवलोकन और अन्य कारकों के आधार पर अनुमान और फैसले पर निरंतर मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें भविष्य की घटनाओं की उम्मीदें शामिल हैं जिन्हें उचित माना जाता है।

लेखानितियों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानकारी, साथ ही साथ अनुमान और मान्यताएं जोकि अगले वित्तीय वर्ष के भीतर संपत्तियों और ऋणों को ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है, निम्नलिखित नोट्स में शामिल हैं :

- (क) परिभाषित लाभदायित्वों का मापन
- (ख) आकस्मिकताओं और प्रावधानों घटित होने की पैमाइश और संभावना - नोट 40 और 46
- (ग) स्थगित संपत्ति की मान्यता - नोट 34
- (घ) उचित मूल्य मापन और आकलन - नोट 35

1.2 संपत्ति, प्लॉट एवं उपकरण :

- (क) (i) संपत्ति, प्लॉट एवं उपकरण (पीपीई) को शुद्ध वसूली योग्य करें में से संचित मूल्यहास/परिशोधन एवं क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर उनकी ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है। मूल परिसंपत्तियों की लागत में उनकी अर्जन लागत तथा परिसंपत्तियों को उनके आशातीत प्रयोग के लिए चालू दशा में लाने की लागत शामिल है।

उपयोग हेतु रखे गए परिसंपत्तियों पर किए गए खर्च को तब ही उपयोग में लाया गया है जब वह ऐसी परिसंपत्तियों के पूर्व अनुमानित कार्यनिष्पादन के मानक से परे भावी लाभ में वृद्धि करता है जैसे कि परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन में विस्तार, इसकी क्षमता में वृद्धि, अथवा उसके परिणाम की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण सुधार अथवा पूर्व निर्धारित प्रचालनीय लागत में कमी।

Note-1: SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1.1 (i) Basis of Accounting:

In accordance with the notification issued by the Ministry of Corporate Affairs, the Company has adopted with effect from April 1, 2016, Indian Accounting Standards (referred to as Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. Previous periods have been restated to Ind AS. In accordance with Ind AS 101 First-time Adoption of Indian Accounting Standards, the Company has presented a reconciliation from the presentation of financial statements under Accounting Standards notified under the Companies' (Accounting Standards) Rules 2006 (Previous GAAP) to Ind AS of shareholders' equity as per as at March 31, 2016 and April 1, 2015 and of the comprehensive net income for the year ended March 31, 2016.

The financial statements are prepared under historical cost convention except for certain financial assets and liabilities which are measured at fair value in accordance with the generally accepted accounting principles in India on an accrual basis and comply with provisions of the Companies Act 2013 read with Ind AS notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 read with Section 133 of the Companies Act, 2013 and other statutory guidelines as applicable.

(ii) Use of Estimates:

The presentation of financial statements requires estimates and assumptions to be made that affect the reported amount of assets and liabilities on the date of financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Differences between the actual results and estimates are recognized in the period in which the results are known materialized.

(iii) Key Accounting Estimates And Judgements:

The preparation of financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions in the application of accounting policies that affect the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these estimates. Continuous evaluation is done on the estimation and judgements based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable. Revisions to accounting estimates are recognised prospectively.

Information about critical judgments in applying accounting policies, as well as estimates and assumptions that have the most significant effect to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are included in the following notes:

- (a) Measurement of defined benefit obligations - Note 41
- (b) Measurement and likelihood of occurrence of contingencies and provisions - Note 40 and 46
- (c) Recognition of deferred tax assets - Note 34
- (d) Fair Value Measurement & Estimates - Note 35

1.2 Property, Plant and Equipment:

- a) (i) All items of property, plant and equipment (PPE) are stated at their historical cost net of recoverable taxes less accumulated depreciation / amortization and impairment loss, if any. The cost of tangible assets comprises of the acquisition cost and any attributable cost of bringing the assets to its working condition for its intended use.

Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets beyond its previously assessed standard of performance e.g. an extension in the asset's useful life, an increase in its capacity, or a substantial improvement in the quality of the output or a reduction in previously assessed operating costs.

कंपनी द्वारा अधिग्रहित परिसंपत्ति जो भारत सरकार (जीओआई) की ओर से आयोजित और उपयोग की जाती है। भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी / प्रतिपूर्ति की राशि के समायोजन के बाद मूल्यवान हैं। हालांकि, नियंत्रण / ट्रेकिंग के उद्देश्य के लिए ऐसी सभी संपत्तियों को न्यूनतम रु. 1/- का सौंपा गया है।

(ii) स्वनिर्मित मूल परिसंपत्तियों की लागत में विशिष्ट परिसंपत्तियों से सीधे संबंधित लागतें और वे लागतें सम्मिलित हैं जो सामान्य रूप से निर्माणकारी गतिविधि से संबद्ध होती हैं तथा विशिष्ट परिसंपत्ति को आबंटित की जा सकें।

(ख) वर्ष के दौरान अलग कर दी गई / निकाल दी गई आस्तियों के संबंध में निवल बही मूल्य या साल्वेज समिति द्वारा यथा आकलित अनुमानित वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम है, बहियों में रखा जाता है। अलग कर दी गई / निकाल दी गई आस्तियों के निपटान के समय प्रतिधारित मूल्य के संदर्भ में लाभ / हानि को निपटान के वर्ष में समायोजित किया जाता है। तथापि, यदि इनमें से किसी भी आस्ति की उनके निकालने / अलग करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर निपटान नहीं किया जाता है तो जिस वर्ष में यह तीन वर्षीय कालखंड समाप्त हो जाता है उस वर्ष से प्रतिधारित मूल्य को पूर्णतः बड़े खाते में डालकर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभावित किया जाता है।

(ग) कंपनी के स्वामित्व में नहीं आने वाली परिसंपत्तियों पर वहन किया गया व्यय ऐसे व्यय को वहन की गई लेखा अवधि में राजस्व से प्रभावित किया गया है।

(घ) खनन के लिए धारित भूमि में भूमि की लागत, पेड़ों की क्षतिपूर्ति एवं उस पर बनने वाले भवनों तथा शिपिंग प्रभार के लिए भुगतान क्षतिपूर्ति, पंजीकरण प्रभार, स्टैप ड्यूटी आदि का समावेश है जिसमें से वसूली, यदि कोई हो, को घटा दिया जाता है।

(ङ) परिसंपत्तियों के मूल्य का निर्धारण करने के लिए परिसंपत्तियों के विखंडित करना और पुनर्वास की लागत का अनुमान लगाया गया है।

1.3 अमूर्त परिसंपत्तियां :

अमूर्त अचल परिसंपत्तियों को शुद्ध वसूलीयोग्य करें में से संचित मूल्यहास/परिशोधन एवं क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर उनकी ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है। अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत में उनकी अर्जन लागत तथा परिसंपत्तियों को उनके आशातीत प्रयोग के लिए चालू दशा में लाने की लागत शामिल है।

स्थानीय सरकार (सरकारों) को भुगतान किए स्टॉप शुल्क, पंजीकरण शुल्क सहित खनन पट्टा अधिकारों के अधिग्रहण के लिए वहन किए गए व्ययों को एक प्रकार के अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में माना जाता है।

1.4 मूल्यहास/परिशोधन :

(क) संपदा, प्लांट एवं उपकरण पर मूल्यहास का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट प्रयोजनमूलक परिसंपत्तियों के जीवनकाल के अनुसार तथा उस अनुसूची II में निर्दिष्ट आधार पर किया गया है, तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर निम्नलिखित के लिए छोड़कर :

क्र. सं.	परिसंपत्ति का विवरण	उपयोगी जीवनकाल(वर्षों में)	तकनीकी औचित्य
1	स्लरी पम्प	5	प्रचालन की प्रकृति एवं कार्य माहौल को ध्यान में रखते हुए जीवनकाल तकनीकी रूप से निर्धारित किया गया।
2	एअर कंडीशनर	8	संक्षारीय कार्य माहौल को ध्यान में रखते हुए जीवनकाल तकनीकी रूप से निर्धारित किया गया।
3	अग्निशामक	6	पुनः स्थापक मानदण्ड एवं संक्षारीय कार्य माहौल को ध्यान में रखते हुए जीवनकाल तकनीकी रूप से निर्धारित किया गया।
4	मोबाईल फोन्स	2	निरंतर प्रौद्योगिकी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए जीवनकाल तकनीकी रूप से निर्धारित किया गया।

Asset acquired by the company which are held and & used on behalf of Govt. of India(GOI) are valued after adjustment by the amount of subsidy/reimbursement received from GOI. However, a minimum value of Rs.1/- is assigned to all such assets for the purpose of control/tracking.

- (ii) The cost of self-constructed tangible assets comprises of the costs directly relating to the specific assets and those that are attributable to the construction activity in general and which can be allocated to the specific asset.
- b) In respect of assets discarded/scrapped, the net book value or the estimated realizable value as assessed by the Salvage Committee, whichever is lower is retained in the books. At the time of disposal of the discarded/scrapped assets, the loss/gain with reference to the retained value is adjusted in the year of disposal. However, if any of these assets is not disposed off within a period of three years from the date on which the same is discarded / scrapped, the value retained is fully written off and charged to the Statement of Profit and Loss on expiry of three years.
- c) Expenditure incurred on assets not owned by the Company is charged off to revenue in the accounting period of incurrence of such expenditure.
- d) Land held for mining includes cost of land, compensation for trees & buildings thereon and payment towards shifting charges, solatium, registration charges, stamp duty, etc. less realization, if any.
- e) The estimated of the cost of dismantling and rehabilitation of the assets are capitalized for determining the value of asset.

1.3 Intangible Assets:

Intangible fixed assets are stated at their historical cost net of recoverable taxes less accumulated amortization and impairment loss, if any. The cost of intangible assets comprises of the acquisition cost and any attributable cost of bringing the assets to its working condition for its intended use.

Expenses including stamp duty, registration fees paid to the local Government(s) incurred for the acquisition of mining lease rights are recognized as one type of intangible asset.

1.4 Depreciation/ Amortization:

- a) Depreciation on Property, Plant and Equipment is provided for on straight line basis on the basis of the useful life of the assets as specified under Schedule II of the Companies Act, 2013 and in the manner as specified in that Schedule II, except for the following on the basis of technical evaluation:

Sl. No.	Particulars of Asset	Useful life (in Years)	Technical justification
1	Slurry Pumps	5	Life is technically assessed considering the nature of operation and working environment.
2	Air conditioners	8	Life is technically assessed considering the corrosive working environment.
3	Fire extinguishers	6	Life is technically assessed considering the corrosive working environment and replacement norms
4	Mobile Phones	2	Life is technically assessed considering the frequent technological changes.

अंकित मूल्य के रूप में रु 1/- बनाए रखने को छोड़कर नेट ब्लॉक के शून्य होने तक मूल्यहास प्रभारित किया जाता है ।

(ख) भूमि की लागत सहित ठोस कचरा नाली के निर्माण की लागत में नाली की कुल क्षमता तक भरी हुई मात्रा के अनुपात में मूल्यहास किया जाता है ।

व्यय के वर्ष में नाली की सीलबंदी की लागत में मूल्यहास किया जाता है ।

(ग) वर्ष के दौरान शामिल की गई परिसंपत्तियों के संबंध में नीचे “ड” में उल्लिखित परिसंपत्तियों को छोड़कर मूल्यहास उनके शामिल करने की तारीख से आनुपातिक आधार पर वसूला गया है ।

(घ) अलग/समाप्त/नष्ट कर दी गई आस्तियों के संबंध में मूल्यहास ऐसे अलगाव/समापन/नाशन की तारीख तक आनुपातिक आधार पर प्रभारित किया गया है ।

(द) जहां रु 5000/- या उससे कम लागत के प्लांट एवं मशीनरी की अलग-अलग मदों की कुल वास्तविक लागत प्लांट एवं मशीनरी की कुल वास्तविक लागत का 10% से अधिक होता हो तो ऐसे मामलों को छोड़कर अलग-अलग रु. 5000/- या इससे कम मूल्य की परिसंपत्तियों पर उनके शामिल करने के वर्ष में अंकित मूल्य के रूप में रु. 1/- बनाए रखते हुए 100% की दर से मूल्यहास किया जाता है ।

(च) जिन अचल आस्तियों का ऐतिहासिक मूल्य कीमत समायोजन, शुल्क में परिवर्तन आदि के कारण बदल गई है, ऐसी आस्तियों के संबंध में संशोधित अपरिशोधित मूल्यहास योग्य राशि पर मूल्यहास आस्ति के अवशेष उपयोगी जीवन में प्रभावी रूप से दिया जाता है ।

(छ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर खनन के लिए धारित भूमि के संबंध में भावी खनन योग्य भारी खनिजों का उपलब्ध खनन पट्टे तथा/या सतही पट्टे जो भी स्थिति हो पर विचार करते हुए तकनीकी अनुमानों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है ।

ऐसी भूमि के मूल्य में कमी की पहचान ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार वर्ष के दौरान खनन से प्राप्त भारी खनिजों की वास्तविक मात्रा के अनुपात ने मूल्यांकित भावी खनन योग्य भारी खनिजों के अलावा वर्ष के दौरान खनन की गई भारी खनिजों की वास्तविक मात्रा तक की जाती है ।

(ज) अमूर्त परिसंपत्तियों के परिशोधन का निम्नलिखित रूप में सीधी रेखा के आधार पर प्रावधान किया गया है :

क्र.सं.	विवरण	परिशोधन
1	खनन पट्टा	परिशोधन की राशि को वर्ष में खनित भारी खनिजों की वास्तविक मात्रा के अनुपात को निर्धारित भावी खनन योग्य भारी खनिज प्लस पट्टे की अवधि को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष में खनित भारी खनिजों की वास्तविक मात्रा को मान्यता दिया जाता है ।
2	प्रतिपूरक वनरोपण प्रभार	परिशोधन की राशि को वर्ष में खनित भारी खनिजों की वास्तविक मात्रा के अनुपात को निर्धारित भावी खनन योग्य भारी खनिज प्लस पट्टे की अवधि में रखते हुए इस वर्ष में खनित भारी खनिजों की वास्तविक मात्रा को मान्यता दिया जाता है ।
3	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	4 (चार) वर्षों की अवधि के लिए

नेट ब्लॉक के शून्य होने तक परिशोधन प्रभारित किया जाता रहता है ।

The depreciation is continued to be charged till the net block becomes Nil except retaining Re. 1/- as nominal value.

- b) Cost of construction of solid waste trench together with the cost of the land thereof is depreciated in proportion of the quantity filled to the total capacity of the trench.

The cost of sealing of trench is depreciated in the year of expenditure.

- c) In respect of assets added during the year except assets mentioned under (e) below, depreciation is charged pro-rata from the date of addition.

- d) In respect of assets discarded/demolished/destroyed during the year, depreciation is charged pro-rata up to the date of such discard/demolition/destruction.

- e) Assets costing Rs. 5,000/- or less individually are depreciated at 100% retaining Re. 1/- as nominal value in the year of addition except in cases where the aggregate actual cost of individual items of plant and machinery costing Rs.5000/- or less constitutes more than 10% of the total actual cost of plant and machinery.

- f) In respect of fixed assets whose historic cost has undergone a change due to price adjustments, change in duties etc., depreciation on the revised unamortized depreciable amount is provided prospectively over the residual useful life of the asset.

- g) At the end of each financial year, future mineable heavy minerals in respect of land held for mining are assessed based on technical estimates considering available mining lease and/or surface lease as the case may be.

Diminution in the value of such land is recognized in proportion of actual quantity of heavy minerals mined during the year to the assessed future mineable heavy minerals plus actual quantity of heavy minerals mined during the year.

- h) Amortization of intangible assets is provided for on straight line basis as per the followings:

Sl. No.	Particulars	Amortisation
1	Mining lease	Amount of amortization is recognized in proportion of actual quantity of heavy minerals mined during the year to the assessed future mineable heavy minerals plus actual quantity of heavy minerals mined during the year taking cognizance of the lease period.
2	Compensatory Afforestation Charges	Amount of amortization is recognized in proportion of actual quantity of heavy minerals mined during the year to the assessed future mineable heavy minerals plus actual quantity of heavy minerals mined during the year taking cognizance of the lease period.
3	Computer Software	Over a period of 4(Four) years

The amortization is continued to be charged till the net block becomes Nil.

1.5 परिसंपत्तियों की क्षति :

प्रत्येक तुलन-पत्र दिनांक पर परिसंपत्तियों की वहनीय धनराशि की समीक्षा की जाती है कि क्या बाह्य/आंतरिक तथ्यों के आधार पर क्षतिग्रस्तता का कोई चिह्न है। यदि ऐसे चिह्न पाए जाते हैं तो कंपनी उस परिसंपत्ति के प्रतिप्राप्ति मूल्य का अनुमान लगाती है। परिसंपत्ति का यह प्रतिप्राप्ति मूल्य जिस नकद निर्माण ईकाई के करने में यह परिसंपत्ति हो उसका प्रतिप्राप्ति मूल्य यदि उसकी अग्रणीत राशि से कम है तो अग्रणीत राशि को प्रतिप्राप्ति राशि तक घटाया जाता है। इस घटत को क्षति हानि माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि के विवरण में अंकित किया जाता है। तुलन-पत्र दिनांक पर यदि पाया जाए कि गत काल में आंकी गई क्षति अब उपस्थित नहीं है तो प्रतिप्राप्ति मूल्य को दोबारा आंका जाता है और उस परिसंपत्ति को उस परिसंपत्ति की प्रतिप्राप्ति न्यूनतम धनराशि पर या वहनीय धनराशि पर अंकित किया जाता है जिसे निश्चित किया गया होगा (मूल्यहास अथवा परिशोधन का शुद्ध) कि उसे पूर्व लेखांकन अवधि में परिसंपत्ति के लिए क्षति हानि नहीं माना जाएगा।

1.6 निवेश और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां :

वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देयताओं की प्रारंभिक माप उचित मूल्य पर दर्ज की गई है। ऋण और अग्रिम एवं प्राप्ति यां जैसी वित्तीय संपत्तियां बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

1.7 वस्तुसूचियों का मूल्यांकन :

- (क) कच्चे माल/मार्गस्थ माल का मूल्यांकन लागत पर या निवल वसूली योग्य मूल्य जो भी कम है पर किया जाता है।
- (ख) भंडार अतिरिक्त पुर्जों तथा खुले उपकरणों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।
- (ग) चालू कार्य के स्टॉक, अतिरिक्त संसाधन के लिए मध्यवर्ती उत्पाद और तैयार उत्पाद का मूल्यांकन लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।
- (घ) ऑफ-ग्रेड सामग्री तथा दूषित स्टॉक का मूल्यांकन निम्नतर लागत के 80% या पुनर्प्रक्रिया लागत पर विचार करते हुए सामान्य व्यापार के बाजार मूल्य पर किया जाता है।
- (च) 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जिन भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जों को हटाया नहीं जाता उन्हें लागत के 95% हासिल मूल्य पर आंका जाता है।
- (छ) कंपनी भारत औसत सूत्र का पालन करती है।

1.8 बीमा दावे :

प्राप्त बीमा दावों को उस समय हिसाब में लिया जाता है जब वे बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार कर लिये जाते हैं।

1.9 परियोजना पूर्व व्यय :

कंपनी के स्वयं के तत्वावधान में तथा/या संयुक्त उद्यम के अंतर्गत नई-विस्तार परियोजनाओं के संबंध में संभाव्यता, अध्ययन, फ्लो-शीट विकास परियोजना, रिपोर्ट की तैयारी, पर्यावरण मंजूरी तथा अन्य संबंधित मामलों पर व्यय को पूंजीकरण/समायोजन/बट्टे खाते डालने तक “परियोजना पूर्व व्यय” के अंतर्गत समूहित किया गया है जिस सीमा तक उन्हें समायोजित नहीं किया गया है।

1.10 विदेशी मुद्रा में लेन-देन :

- (क) विदेशी मुद्रा लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर प्रारंभिक रूप से दर्ज किया जाता है।
- (ख) विदेशी मुद्रा से संबंधित अंकित ऐतिहासिक लागत पर लिए गए गैर मौद्रिक मदों को लेन देन की तारीख पर लागू विनिमय दर का उपयोग करते हुए अनुवर्ती तुलन पत्र में दिया जाता है।

1.5 Impairment of Assets:

The carrying amount of assets are reviewed at each balance sheet date to ascertain whether there is any indication of impairment based on external/internal factors. If any such indication exists, the Company estimates the recoverable amount of the asset. If such recoverable amount of the asset or the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs is less than its carrying amount, the carrying amount is reduced to its recoverable amount. The reduction is treated as an impairment loss and is recognized in the Statement of Profit and Loss. If at the balance sheet date there is an indication that if a previously assessed impairment no longer exists, the recoverable amount is reassessed and the asset is reflected at the minimum of the recoverable amount or the carrying amount of the asset that would have been determined (net of depreciation or amortization) had no impairment loss been recognized for the asset in prior accounting periods.

1.6. Investments and Other Financial Assets:

Initial measurement of financial asset & financial liabilities is recorded at fair value. Financial assets like loans & advances and receivables are subsequently measured at amortized cost.

1.7 Valuation of Inventories:

- a) Raw material and material in-transit are valued at cost or net realizable value whichever is lower.
- b) Stores, spare parts and loose tools are valued at cost.
- c) Inventory of work-in-progress, intermediate products for further processing and finished products are valued at cost or net realizable values whichever is lower.
- d) Off-grade material / contaminated stock is valued at 80 % of lower of cost or market value of normal merchandise considering the reprocessing cost.
- e) Stores and spares not moved for more than 3 years are written down by 95 % of the cost.
- f) The company follows weighted average cost formula.

1.8 Insurance claims:

Insurance claims receivable are accounted for only when admitted by the Insurance Company.

1.9 Pre-Project Expenditure:

Expenditure on feasibility studies, flow sheet development, preparation of project report, environmental clearance and other related matters on new/expansion projects under its own auspices and/or joint venture, to the extent not adjusted, are grouped under "Pre-Project Expenditure" pending capitalization/adjustment/write off.

1.10 Transactions in Foreign Currency:

- a) Foreign currency transactions are initially recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the transaction.
- b) Non monetary items which are carried at historic cost denominated in terms of foreign currency are reported in subsequent balance sheets using the exchange rate prevailing on the date of transaction.

- (ग) तुलन पत्र की तारीख पर विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को उस तारीख पर लागू विनिमय दर पर पुनः दर्ज किया जाता है।
- (घ) निपटान अथवा पुनर्विवरण पर विनिमय अंतर :
- अर्हक परिसंपत्ति से संबंधित विदेशी मुद्रा उधार के मामले में इन्हें कुछ सीमा तक ब्याज लागत में समायोजन, उधार लागत के रूप में माना जाता है।
 - अन्य मामलों में जिस अवधि में निपटान या पुनर्विवरण किया जाता है, को आय या व्यय के रूप में माना जाता है।

1.11 राजस्व मान्यता :

बिक्री की मान्यता प्राप्त या प्राप्य विचार के उचित मूल्य पर वितरण आधार पर है। राजस्व के रूप में प्रकट राशि में उत्पाद शुल्क और रिटर्न का नेट, व्यापार भत्ते, छूट, मूल्य वर्धित कर आदि शामिल हैं। आउट-टर्न वजन के कारण समायोजन, ग्राहकों से उपलब्ध जानकारी के आधार पर राजस्व में किए जाते हैं।

- 1.12 निर्यात बिक्री के संबंध में लदान पत्तन/उतराई पत्तन से संबंधित बोनस/विलंब शुल्क ग्राहकों से उपलब्ध जानकारी के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

1.13 कर्मचारी लाभ :

- (क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ :

कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवा प्रदान करने की अवधि के पश्चात 12 महिनों के अन्दर पूर्ण रूप से देय सभी कर्मचारी लाभों को अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा सेवा किए जाने वाले वर्ष में ही प्रदान किए जाते हैं।

- (ख) नौकरी पश्चात तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :

- अ) परिभाषित योगदान योजनाएं :

सभी कर्मचारियों हेतु कर्मचारी पेंशन योजना तथा कंपनी के कर्मचारियों के विशिष्ट समूह हेतु अधिवर्षिता योजना एवं नई पेंशन योजना परिभाषित योगदान योजनाएं होती हैं। परिभाषित योगदान योजनाओं के प्रति कंपनी का योगदान लाभ एवं हानि के विवरण में चिह्नित किया जाता है तथा कर्मचारी द्वारा सेवा किए जाने के वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

कर्मचारी पेंशन योजना के प्रति योगदान भविष्य निधि एवं अन्य विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अधीन संबंधित भविष्य निधि प्राधिकारियों को प्रेषित किया जाता है तथा नई पेंशन योजना के प्रति योगदान को उपस्थिति के अभिहित बिंदु तक किया जाता है। कंपनी की योगदान के परे अन्य कोई देयता नहीं होती है।

कंपनी की अधिवर्षिता योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से प्रदान की जाती है। मासिक वेतन पर विशिष्ट दरों पर परिगणित योगदान विशिष्ट तारीख को एलआईसी को भेजा जाता है। कंपनी के उपर्युक्त निर्धारित योगदान के परे अन्य कोई देयता नहीं होती है।

- ब) परिभाषित लाभ योजनाएं :

- उपदान : कंपनी कर्मचारियों के लिए उपदान योजना चलाती है तथा उपदान दायित्व को पूरा करने के लिए बीमा कंपनी को योगदान करती है।



- c) Monetary assets and liabilities as on the balance sheet date, denominated in foreign currency are restated at the rate of exchange as on that date.
- d) Exchange differences either on settlement or on restatement:
 - i. in the case of foreign currency borrowings relating to a 'Qualifying Asset', to the extent they are regarded as an adjustment to the interest costs, are treated as borrowing cost.
 - ii. in other cases, are recognised as income or as expense in the period in which settlement or restatement is made.

1.11 Revenue Recognition :

Recognition of sales is on delivery basis at fair value of the consideration received or receivable. Amounts disclosed as revenue are inclusive of excise duty and net of returns, trade allowances, rebates, value added taxes etc. Adjustments on account of out-turn weight are made in revenue on the basis of available information from customers.

- 1.12 Bonus/demurrage in respect of load port/discharge port, relating to export sales is accounted on the basis of available information from customers.

1.13. Employee Benefits:

- A. Short term employee benefits:

All employee benefits payable wholly within twelve months after the end of the period in which the employees render the related service are classified as short-term employee benefits and are charged off in the year in which the related service is rendered.

- B. Post employment and other long term employee benefits:

- a) Defined Contribution plans:

Defined contribution plans are Employees' Pension Schemes covering all employees and Superannuation Scheme and new pension scheme for specified group of employees of the Company. The Company's contribution to defined contribution plans are recognized in the Statement of Profit and Loss and charged off in the year in which the employee has rendered service.

The contribution towards Employees' Pension Scheme is remitted to the Provident Fund authority concerned under the Provident Fund and Other Miscellaneous Provisions Act, 1952 and contribution towards New Pension Scheme is made to designated point of presence. The Company has no further liability beyond the contribution.

The Superannuation Scheme of the Company is administered through Life Insurance Corporation of India (LIC). The contribution calculated at the specified rates on the monthly salary is remitted to LIC on the specified dates. The Company has no further liability beyond the contribution determined as above.

- b) Defined Benefit Plans:

- i) Gratuity : The company operates a gratuity scheme for employees and contributes to Life Insurance Corporation of India (LIC) towards meeting the gratuity obligation.

- (ii) भविष्य निधि : कंपनी द्वारा प्रदत्त न्यास को कंपनी भविष्य निधि के लिए विशिष्ट मासिक अंशदान करती है। प्रत्येक वर्ष सदस्यों को न्यास द्वारा देय ब्याज सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है। कंपनी के लिए न्यास के निवेश के लाभ एवं अधिसूचित ब्याज के बीच की कमी, यदि कोई हो, को पूरा करने की बाध्यता होती है।
- (iii) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना : कंपनी पूर्व कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए सभी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना प्रचालित करती है तथा उसके लाभ परिभाषित हैं।

(क) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :

अर्जित अवकाश एवं बीमारी अवकाश/अर्ध वेतन अवकाश की हकदारी तभी मानी जाती है जब वे कर्मचारी को उपाजित की जाती है। जबकि वार्षिक अवकाश अवकाशों के संचयन की अधिकतम संख्या पर प्रतिबंध के अधीन या तो प्राप्त किए अथवा नकदीकृत किए जा सकते हैं, बीमारी अवकाश/अर्ध वेतन अवकाश सेवा के दौरान केवल प्राप्त किए जा सकते हैं तथा उनको नकदीकृत नहीं किया जा सकता है। तथापि समस्त संचित अर्जित अवकाश, पात्रता के अंतर्गत बीमारी, अर्ध वेतन अवकाश सेवा छोड़ते समय नकदीकृत किए जा सकते हैं।

कंपनी जहां भी आवश्यक हो वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रतिवर्ष नौकरी पश्चात तथा अन्य दीर्घकालिक लाभ हेतु देयताएं निश्चित करती है।

नौकरी पश्चात एवं अन्य दीर्घकालिक लाभ के संबंध में वास्तविक लाभ/हानि लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभाषित किए जाते हैं।

1.14 वीआरएस क्षतिपूर्ति :

वीआरएस का विकल्प लेने वालों को क्षतिपूर्ति उसी वर्ष में लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभाषित किया जाता है जिस वर्ष में वीआरएस विकल्प लेने वालों को कार्यमुक्त किया जाता है।

1.15 रॉयल्टी :

खनिजों पर रॉयल्टी उत्पादन के आधार पर लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभाषित की जाती है तथापि, खनिजों की हानि/कमी/सीमित खपत सहित कंपनी प्रेषण के आधार पर भुगतान किया जाता है। देशी बिक्री मूल्य/निवल मूल्य के आधार पर अंतिम स्टॉक पर रॉयल्टी दी जाती है।

1.16 अनुसंधान एवं विकास :

अचल आस्तियों के अर्जन पर व्यय को छोड़कर अनुसंधान एवं विकास पर खर्च को लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभाषित किया जाता है। अनुसंधान एवं विकास उत्पादन को तैयार माल के मूल्य में तभी शामिल किया जाता है जब उत्पाद को विक्रय स्टॉक/भंडार में स्थानांतरित किया जाता है।

1.17 उत्पाद शुल्क :

- (क) उत्पाद-शुल्क प्रभार्य तैयार उत्पाद के मामले में उत्पाद शुल्क को जब कभी देय होने पर हिसाब में लिया जाता है।
- (ख) देश के अंदर बिक्री के लिए उपर्युक्त संदर्भित तैयार उत्पादों की माल सूची के संबंध में उत्पाद-शुल्क का प्रावधान तुलन-पत्र की तिथि पर विद्यमान बिक्री मूल्य पर शुल्क दर पर किया जाता है। देश के अंदर बिक्री के लिए माल सूची का आकलन वर्ष के दौरान घरेलू एवं निर्यात बिक्री के अनुपात के आधार पर किया जाता है। ऐसे प्रावधान को तैयार उत्पाद के माल सूची मूल्य में शामिल किया जाता है।



- ii) **Provident Fund:** The Company makes specified monthly contributions towards provident fund to a trust administered by the Company. The interest payable by the trust to the members every year is being notified by the Government. The Company has an obligation to make good the shortfall, if any, between the return on investments of the trust and the notified interest.
- iii) **Post Retirement Medical Scheme.**

The Company operates a Post Retirement Medical Scheme covering the past employees and the benefits are defined.

c) **Other Long-term Employee Benefits:**

Entitlements to earned leave and sick leave/half pay leave are recognized when they accrue to employees. While annual leave can be either availed or encashed subject to restriction on the maximum number of accumulation of leaves, sick leave/half pay leave can only be availed and can not be encashed during service. However, the entire accumulated earned leave, sick / half pay leave subject to eligibility, can be encashed while leaving service.

The Company determines the liability for the Post employment and other long term benefits every year on actuarial valuation wherever mandated.

Actuarial gain/loss in respect of benefit plans are taken to Other Comprehensive Income.

1.14 VRS Compensation:

Compensation paid to VRS optees is charged to Statement of Profit and Loss in the same year in which VRS optees are relieved.

1.15 Royalty:

Royalty on the minerals is charged to the Statement of Profit and Loss on the basis of production. However, payment is made on the basis of dispatches from the factory including losses/shortages of minerals/captive consumption. Royalty on closing stock is provided on the basis of domestic sale/ net realizable value.

1.16 Research and Development:

Expenses on Research and Development (R&D) other than expenditure on acquiring fixed assets are charged to the Statement of Profit and Loss. R&D production is included in value of finished goods only when the products are transferred to Stock-in-trade/stores.

1.17 Excise Duty:

- a) In case of excisable finished products, excise duty is accounted for as and when becomes due.
- b) In respect of inventory of above-referred finished products, meant for indigenous sale, provision for excise duty is made at the duty-rates and selling prices prevailing on the date of Balance sheet. The inventory meant for indigenous sale is estimated based on the ratio of domestic and export sale during the year. Such provision is included in the value of inventory of finished products.

(ग) लाभ और हानि के विवरण में खर्च के भाग के रूप में विक्री पर उत्पाद शुल्क प्रस्तुत की जाती है।

1.18 प्रावधान, प्रासंगिक देयताएं तथा प्रासंगिक परिसंपत्तियां :

1. प्रावधान केवल तब ही पहचाने गए हैं जब उसे पिछले घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है और यह संभव है कि आर्थिक लाभों में शामिल संसाधनों का बहिर्वाह दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक होगा और जब उस राशि का विश्वसनीय अनुमान दायित्व बनाया जा सकता है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक खर्च के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के वर्तमान मूल्य पर प्रावधानों को मापा जाता है। यदि धन के समय मूल्य के प्रभाव सामग्री है, तो प्रावधान वर्तमान मूल्य से पूर्व-कर दर में मापा जाता है। छूट दर को खोलने के कारण प्रावधान में बदलाव ब्याज व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2. की स्थिति में :

- (i) पूर्व घटनाओं से उत्पन्न कोई संभावित दायित्व एवं जिसके अस्तित्व को केवल कंपनी के नियंत्रण के अधीन पूर्ण रूप से नहीं भविष्य की एक या अधिक अनिश्चित घटनाओं के होने अथवा न होने के द्वारा पुष्टि की जाएगी, अथवा

- (ii) पूर्व घटनाओं से उत्पन्न कोई वर्तमान दायित्व क्योंकि :

- अ) यह संभावित नहीं होता है कि आर्थिक लाभों को मूर्त रूप देते हुए दायित्वों को निपटाने के लिए संसाधनों का बाह्यप्रवाह आवश्यक होगा, अथवा

- ब) दायित्वों हेतु धनराशि का एक विश्वसनीय आंकलन नहीं किया जा सकता है,

उपर्युक्त घटनाओं में किसी भी प्रावधान को मान्यता नहीं दी जाती है, परन्तु ऐसे दायित्व प्रासंगिक देयताओं के रूप में नोट में प्रकट किए जाते हैं।

3. प्रासंगिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो मान्यता दी जाएगी और न ही प्रकट किया जाएगा।

1.19 पिछले वर्षों के आय और व्यय की बुकिंग में त्रुटि का सुधार :

1. त्रुटियों या चूक के साथ-साथ प्री-पेड व्यय के परिणामस्वरूप वर्तमान वर्ष में होनेवाली पूर्व अवधि से संबंधित व्यय/आय, रु. 10,00,000/-या ऑपरेटिंग राजस्व का 1% से अधिक नहीं जो भी प्रत्येक मामले में हो, चालू वर्ष के व्यय के रूप में माना जाता है।
2. उल्लेखनीय सीमा से अधिक होने वाले किसी भी व्यय का असर बनाए रखा आय में समायोजन के माध्यम से प्रारंभिक तुलन पत्र के बहाली के लिए विचार किया जाएगा।

1.20 चालू और आस्थगित कर के लिए प्रावधान :

1. आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा कर की प्रावधान दी गई है।
2. वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों के टैक्स आधार के बीच उत्पन्न होने वाले तथा उनकी बची हुई मात्रा के बीच होने वाले अस्थायी मतभेदों पर, डिफर्ड आयकर पूरी तरह से दायित्व विधि का उपयोग करके प्रदान किया जाता है। डिफर्ड आयकर का निर्धारण कर अवधि (और कानून) के द्वारा किया जाता है जो कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या पर्याप्त रूप से लागू किया गया है और जब संबंधित स्थगित आय कर परिसंपत्ति का आकलन किया जाता है या आस्थगित आय कर देनदारी का निपटारा होता है।



- c) Excise duty on sales is presented as part of expenses in statement of profit and loss.

1.18 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

1. Provisions are recognized only when there arises present legal or constructive obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Provisions are measured at the present value of management's best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period. If the effect of time value of money is material, provision is measured in present value in a pre-tax rate. The change in the provision due to unwinding of discount rate is recognised as interest expense.

2. In the event of:
 - i. any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Company; or
 - ii. any present obligation that arises from past events because:
 - a) it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
 - b) a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

No provision is recognized, but such obligations are disclosed in the notes as Contingent Liabilities.

3. Contingent assets are not recognized but are disclosed in the financial statements only if an inflow of economic benefits are probable and capable of reasonable estimation.

1.19 Rectification of Error in booking of Income & Expenses of earlier years.

1. Expenditure / Income relating to prior periods arising in current year as a result of errors or omissions as well as pre-paid expenses, not exceeding Rs. 10,00,000/- or 1% of operating revenue whichever is in each case shall be treated as expenditure of the current year.
2. The effect of any expenditure exceeding the noted limit will be considered for reinstatement of the opening balance sheet by way of adjustments in retained earnings.

1.20 Provision for Current tax and Deferred Tax:

1. Provision for current tax is made after taking into consideration the provisions of the Income-tax Act, 1961.
2. Deferred income tax is provided in full, using the liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled.

3. स्थाई कर संपत्ति सभी घटाया अस्थायी अंतरों और अप्रयुक्त कर हानियों के लिए ही मान्यता प्राप्त है, यदि यह संभावित है कि भविष्य में कर योग्य मात्रा उन अस्थायी अंतरों और नुकसानों का उपयोग करने के लिए उपलब्ध होगी।
4. वर्तमान और आस्थगित कर लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है, इस हद तक कि वह अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त वस्तुओं या इक्विटी में सीधी संबंधित है। इस मामले में, कर भी क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त है,।

1.21 नकदी एवं नकदी तुल्य :

सभी वित्तीय उपकरण जिनकी मूल परिपक्वताएं खरीद की तिथि से तीन माह या उससे कम होती हैं तथा वे वित्तीय उपकरण भी जो महत्वपूर्ण हानि के बिना तत्काल रूप से नकदी में परिवर्तन योग्य होते हैं, 'नकदी तुल्य' माने जाते हैं। वे वित्तीय उपकरण जो प्रतिभूतियों अथवा धारणाधिकार के तहत अथवा किसी उद्देश्य के लिए चिन्हित किए गए हों, को नकदी तुल्य नहीं माना जाता है।

1.22 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के संबंध में व्यय :

कंपनी की सीएसआर नीति के अनुपालन में, कंपनी के औसत शुद्ध मुनाफे में से कम से कम दो प्रतिशत वित्तीय वर्ष के पहले तीन वर्षों के दौरान खर्च किये गए हैं, इस वर्ष के दौरान इस संबंध में पहचानी गई गतिविधियों के लिए खर्च किया जाता है।

1.23 उधार संबंधी लागतें :

उधार संबंधी लागतें जो अर्ह परिसंपत्तियों के अर्जन/निर्माण हेतु आरोप्य हैं, ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत की जाती हैं। अर्ह परिसंपत्ति वो होती है जो अपने आशातीत उपयोग हेतु तैयार होने के लिए पर्याप्त समयावधि लेती है। अन्य सभी उधार संबंधी लागतें राजस्व के लिए प्रभारित की गई हैं।

1.24 कार्य संविदा सव्यवहार :

“लागत अतिरिक्त लाभ” के आधार पर किए गए कामकाज के मामले में, लागत की प्रतिपूर्ति और लाभ के तत्व को उचित दर और/या मूल्य पर जो भी स्थिति हो, अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार संविदागत दायित्व को पूरा करने पर मान्यता दी जाती है।

1.25 अन्य आय :

सावधि जमा से ब्याज की आय समय के आधार पर मान्यता प्राप्त है, जो कि बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हैं। प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके कर्मचारी ऋण पर अर्जित ब्याज मान्यता प्राप्त है। लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर लाभांश को मान्यता प्राप्त है।

1.26 सरकारी परियोजनाएं :

भारत सरकार (GoI) की तरफ से कंपनी द्वारा लिये गये विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में प्राप्ति एवं भुगतान अलग से अधिग्रहण कर लिया तथा प्रत्येक परियोजना का निवल शेष उचित रूप में प्रकट किया गया।

1.27 इनवेंटरी : बही समायोजन :

यदि अधिकांश तैयार माल वैल्यूमैट्रिक मापन के आधार पर परिमाणित करना है तो भौतिक सन्तुलन का अन्तर वैल्यूमैट्रिक मापन का स्वीकार्य त्रुटि सीमा तक लेखा बही में यूनिट प्रधान से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद समायोजित किया जाएगा। उपर्युक्त सूचित सीमा से अधिक अंतर होने पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बही में समायोजित किया जाएगा।



3. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and unused tax losses only if it is probable that future taxable amounts will be available to utilize those temporary differences and losses.
4. Current and deferred tax is recognized in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

1.21 Cash and cash equivalents:

All financial instruments, which have original maturities of three months or less from the date of purchase and also financial instruments which are readily convertible into cash without significant loss are considered 'cash equivalents'. Those financial instruments pledged as securities or under lien or earmarked for any purpose, are not considered cash equivalents.

1.22 Expenses in respect of Corporate Social Responsibility (CSR)

In pursuance to the CSR policy of the Company, at least two percent of the average net profits of the Company made during the three immediately preceding financial years is spent during the year towards the activities identified in this regard.

1.23 Borrowing costs:

Borrowing costs that are attributable to the acquisition/ construction of qualifying assets are capitalized as part of the cost of such assets. A qualifying asset is one that takes substantial period of time to get ready for its intended use. All other borrowing costs are charged to revenue.

1.24 Job Contract transactions:

In case of Job work undertaken on "cost plus profit" basis, reimbursement of cost and the element of profit are recognized at the appropriate rate and /or value as the case may be on completion of the contractual obligation as per the terms of the contract.

1.25 Other Income:

Interest income from Fixed Deposits is recognized on time proportion basis taking into account the amount outstanding and the interest rate applicable. Interest earned on Employee Loans is recognized using the effective interest method. Dividend is recognized when the right to receive is established.

1.26 Government projects:

Receipts and payments in relation to various projects undertaken by the Company on behalf of Government of India (GoI) are captured separately and the net balance of each project is disclosed as appropriately in the Balance Sheet.

1.27 Inventory: Book Adjustment:

In case of bulk finished goods which are to be quantified based on volumetric measurement, a deviation in the physical balance upto the acceptable error limit of volumetric measurement is adjusted in the books of accounts after obtaining approval from unit head. Any deviation which is more than the said limit, adjustment in the book is made with the approval of competent authority.

1.28 पट्टा :

1. पट्टे पर संपत्ति के उचित मूल्य के निचले स्तर पर या न्यूनतम पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य के आधार पर वित्त पट्टों को पट्टे की स्थापना में पूंजीकृत किया जाता है। संबंधित किराये की दायित्वों, वित्त प्रभार का शुद्ध, उचित रूप में उधार या अन्य वित्तीय देयताओं में शामिल हैं। प्रत्येक पट्टा भुगतान को देनदारी और वित्त लागत के बीच आबंटित किया जाता है। वित्त अवधि को पट्टा अवधि में लाभ या हानि के लिए चार्ज किया जाता है ताकि प्रत्येक अवधि के लिए देयता के शेष पर एक निरंतर आबंटित ब्याज दर का उत्पादन किया जा सके।
2. ऑपरेटिंग पट्टा के तहत भुगतान (पट्टादाता से प्राप्त किसी भी प्रोत्साहन का भुगतान) पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ या हानि पर लगाया जाता है, जब तक कि भुगतान अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के साथ लाइन में वृद्धि के लिए संरक्षित नहीं होता है, पट्टादाता की अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत बढ़ जाती है।



1.28 Lease :

1. Finance leases are capitalized at the lease's inception at the lower of fair value of the leased property or the present value of the minimum lease payments. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in borrowings or other financial liabilities as appropriate. Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to the profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.
2. Under Operating lease, payments made (net of any incentives received from the lessor) are charged to profit or loss on a straight-line basis over the period of the lease unless the payments are structured to increase in line with expected general inflation to compensate for the lessor's expected inflationary cost increases.

INDIAN RARE EARTHS LIMITED

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट - 2: संपत्ति, प्लांट और उपकरण

रु. लाख में

क्र.सं.	विवरण	लागत पर सकल ब्लॉक			मूल्य हास			शुद्ध ब्लॉक			
		01.04.2016को	परिवर्धन	कटौती	31.03.2017 को	01.04.2016 तक	वर्ष में उपलब्ध	कटौतियाँ	31.03.2017तक	31.03.2017को	31.03.2016को
1	पट्टा होल्ड भूमि क. खनन के लिए आयोजित ख. अन्य	61.11 4.13	- -	- -	61.11 4.13	61.11 1.19	- 0.04	- -	61.11 1.23	0.00 2.90	0.00 2.94
2	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि क. खनन के लिए आयोजित ख. अन्य	7,953.42 436.05	504.77 -	- -	8,458.19 436.05	2,045.16 -	600.85 -	- -	2,646.01 -	5,812.18 436.05	5,908.26 436.05
3	पुल, पूलिया, बंडर्स	215.08	-	-	215.08	9.94	7.06	-	17.01	198.07	205.14
4	रोड	672.00	14.99	-	686.99	459.68	64.25	-	523.93	163.06	212.32
5	इमारतें	9,371.94	102.56	4.58	9,469.92	4,517.63	330.07	4.08	4,843.62	4,626.30	4,854.31
6	संयंत्र एवं मशीनरी	33,975.11	897.19	104.60	34,767.70	23,805.25	2,163.93	102.31	25,866.87	8,900.83	10,169.86
7	फर्नीचर एवं फिक्चर	651.97	56.42	1.21	707.18	516.47	29.71	1.21	544.97	162.21	135.50
8	मोटर गाड़ियां	391.76	-	35.54	356.22	349.01	17.24	35.54	330.71	25.51	42.75
9	रेलवे साइडिंग	436.15	-	-	436.15	436.15	-	-	436.15	-	-
10	कार्यालय उपकरण	553.73	50.66	9.30	595.09	414.35	46.27	9.30	451.33	143.76	139.37
11	कंप्यूटर एवं डाटा प्रोसेसिंग	590.69	71.21	12.71	649.18	427.08	66.11	12.56	480.64	168.54	163.60
12	प्रयोगशाला, औषधालय एवं अनुसंधान एवं वि. उपकरण	1,495.90	52.99	129.96	1,418.93	1,253.03	32.13	-	1,285.16	153.50	165.90
13	विद्युत प्रतिष्ठापन एवं उपकरण	3,843.64	64.85	29.95	3,878.54	2,205.06	216.63	29.95	2,391.74	1,486.80	1,638.58
	कुल	60,575.72	1,782.37	197.89	62,160.19	36,501.13	3,574.30	194.94	39,880.48	22,279.71	24,074.59
	पिछले वर्ष	50,108.56	12,851.99	2,384.84	60,575.72	36,022.07	2,858.90	2,379.84	36,501.13	24,074.59	14,086.50

कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंधित शीर्ष को कंप्यूटर एवं डाटा प्रोसेसिंग का प्रारंभिक कुल ब्लॉक एवं प्रारंभिक मूल्य हास से 3.53 लाख स्थानांतरित किया गया।

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017

NOTE 2: Property, Plant and Equipment
TANGIBLE ASSETS

TANGIBLE ASSETS												(₹ in lakh)
Sl. No.	Particulars	Gross block at cost				Depreciation			Net block			
		As on 1st April 2015	Addition	Deduction	As at 31st March 2015	Up to 1st April 2015	Provided during the Year	Deductions	Up to 31st March 2016	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015	
1	Lease hold land											
	a. Held for mining	61.11	-	-	61.11	57.90	3.21	-	61.11	0.00	3.21	
	b. Others	4.13	-	-	4.13	1.15	0.04	-	1.19	2.94	2.98	
2	Free hold land											
	a. Held for mining	7,189.82	763.60	-	7,953.42	2,008.62	36.53	-	2,045.16	5,908.26	5,181.19	
	b. Others	436.05	-	-	436.05	-	-	-	-	436.05	436.05	
3	Bridges,Culverts,bunders	3.98	211.10	-	215.08	2.80	7.15	-	9.94	205.14	1.18	
4	Roads	456.66	215.55	0.20	672.00	395.58	64.30	0.20	459.68	212.32	61.08	
5	Buildings	6,602.47	2,818.80	49.33	9,371.94	4,275.06	290.62	48.06	4,517.63	4,854.31	2,327.41	
6	Plant and Machinery	28,365.36	7,187.56	1,577.81	33,975.11	23,348.56	2,032.25	1,575.55	23,805.25	10,169.86	5,016.80	
7	Furniture & Fixtures	670.00	28.21	46.24	651.97	527.65	34.18	45.35	516.47	135.50	142.35	
8	Motor Vehicles	406.12	-	14.35	391.76	336.69	26.68	14.35	349.01	42.75	69.42	
9	Railway Siding	436.15	-	-	436.15	436.15	-	-	436.15	0.00	0.00	
10	Office equipment	613.61	61.35	121.24	553.73	486.81	48.74	121.19	414.35	139.37	126.80	
11	Computers and Data processing	553.62	116.60	79.53	590.69	445.99	60.37	79.27	427.08	163.60	107.62	
12	Laboratory, Dispensary and R &D equipments	1,495.90	52.99	129.96	1,418.93	1,338.91	44.11	130.00	1,253.03	165.90	156.99	
13	Electrical installations & equipments	2,813.58	1,396.24	366.18	3,843.64	2,360.19	210.73	365.86	2,205.06	1,638.58	453.40	
	Total	50,108.56	12,851.99	2,384.84	60,575.72	36,022.07	2,858.90	2,379.84	36,501.13	24,074.59	14,086.50	

* Represents deemed cost on the date of transition to Ind AS. Gross block and accumulated depreciation from the previous GAAP have been disclosed for the purpose of better understanding of the original cost of assets.

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

क्र.सं.	विवरण	लागत पर सकल ब्लॉक			मूल्य हास			शुद्ध ब्लॉक	
		01.04.2015 को	परिवर्धन	कटौती	31.03.2016 तक	01.04.2015 तक	वर्ष में उपलब्ध	कटौतियाँ	31.03.2016 तक
1	पट्टा होल्ड भूमि								
	क. खनन के लिए आयोजित	61.11	-	-	61.11	61.11	-	-	0.00
	ख. अन्य	4.13	-	-	4.13	1.19	0.04	-	2.90
2	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-
	क. खनन के लिए आयोजित	7,953.42	504.77	-	8,458.19	2,045.16	600.85	-	5,812.18
	ख. अन्य	436.05	-	-	436.05	-	-	-	436.05
3	पुल, पुलिया, बंडर्स	215.08	-	-	215.08	9.94	7.06	-	198.07
4	रोड	672.00	14.99	-	686.99	459.68	64.25	-	523.93
5	इमारतें	9,371.94	102.56	4.58	9,469.92	4,517.63	330.07	4.08	4,843.62
6	संयंत्र एवं मशीनरी	33,975.11	897.19	104.60	34,767.70	23,805.25	2,163.93	102.31	25,866.87
7	फर्नीचर एवं फिक्चर	651.97	56.42	1.21	707.18	516.47	29.71	1.21	544.97
8	मोटर गाड़ियां	391.76	-	35.54	356.22	349.01	17.24	35.54	330.71
9	रेलवे साइडिंग	436.15	-	-	436.15	436.15	-	-	0.00
10	कार्यालय उपकरण	553.73	50.66	9.30	595.09	414.35	46.27	9.30	451.33
11	कंप्यूटर और डाटा प्रोसेसिंग	590.69	71.21	12.71	649.18	427.08	66.11	12.56	480.64
12	प्रयोगशाला, औषधालय और अनुसंधान एवं विक	1,418.93	19.73	-	1,438.66	1,253.03	32.13	-	1,285.16
13	विद्युत प्रतिष्ठान और उपकरण	3,843.64	64.85	29.95	3,878.54	2,205.06	216.63	29.95	2,391.74
	कुल	60,575.72	1,782.37	197.89	62,160.19	36,501.13	3,574.30	194.94	22,279.71
									24,074.59

नोट : अमूर्त संपत्ति

क्र.सं.	विवरण	लागत पर सकल ब्लॉक			मूल्य हास			शुद्ध ब्लॉक	
		01.04.2015 को	परिवर्धन	कटौती	31.03.2016 तक	01.04.2015 तक	वर्ष में उपलब्ध	कटौतियाँ	31.03.2016 तक
1	खनन अधिकार	1,063.32	-	-	1,063.32	580.40	129.03	-	709.43
2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	10.48	4.11	1.15	13.44	6.60	2.38	1.15	7.82
	कुल	1,073.80	4.11	1.15	1,076.76	587.00	131.41	1.15	717.26
									486.80

क्र.सं.	विवरण	लागत पर सकल ब्लॉक			मूल्य हास			शुद्ध ब्लॉक	
		01.04.2015 को	परिवर्धन	कटौती	31.03.2016 तक	01.04.2015 तक	वर्ष में उपलब्ध	कटौतियाँ	31.03.2016 तक
1	खनन अधिकार	1,063.32	-	-	1,063.32	709.43	106.75	-	816.18
2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	13.44	5.66	2.98	16.11	7.82	2.90	2.00	8.73
	कुल	1,076.76	5.66	2.98	1,079.44	717.26	109.65	2.00	824.91
									254.53
									359.50

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017

Sl. No.	Particulars	Gross block at cost			Depreciation			Net block	
		As on 1st April 2016	Addition	Deduction	As at 31st March 2017	Up to 1st April 2016	Provided during the Year	Up to 31st March 2017	As at 31st March 2017
1	Lease hold land								
	a. Held for mining	61.11	-	-	61.11	61.11	-	61.11	0.00
	b. Others	4.13	-	-	4.13	1.19	0.04	1.23	2.94
2	Free hold land								
	a. Held for mining	7,953.42	504.77	-	8,458.19	2,045.16	600.85	2,646.01	5,812.18
	b. Others	436.05	-	-	436.05	-	-	-	436.05
3	Bridges,Culverts,bunders	215.08	-	-	215.08	9.94	7.06	17.01	205.14
4	Roads	672.00	14.99	-	686.99	459.68	64.25	523.93	163.06
5	Buildings	9,371.94	102.56	4.58	9,469.92	4,517.63	330.07	4,843.62	4,626.30
6	Plant and Machinery	33,975.11	897.19	104.60	34,767.70	23,805.25	2,163.93	25,866.87	8,900.83
7	Furniture & Fixtures	651.97	56.42	1.21	707.18	516.47	29.71	544.97	162.21
8	Motor Vehicles	391.76	-	35.54	356.22	349.01	17.24	330.71	25.51
9	Railway Siding	436.15	-	-	436.15	436.15	-	436.15	0.00
10	Office equipment	553.73	50.66	9.30	595.09	414.35	46.27	451.33	143.76
11	Computers and Data processing equipments	590.69	71.21	12.71	649.18	427.08	66.11	480.64	163.60
12	Laboratory, Dispensary and R & D equipments	1,418.93	19.73	-	1,438.66	1,253.03	32.13	1,285.16	153.50
13	Electrical installations & equipments	3,843.64	64.85	29.95	3,878.54	2,205.06	216.63	2,391.74	1,486.80
	Total	60,575.72	1,782.37	197.89	62,160.19	36,501.13	3,574.30	39,880.48	22,279.71

* Represents deemed cost on the date of transition to Ind AS. Gross block and accumulated depreciation from the previous GAAP have been disclosed for the purpose of better understanding of the original cost of assets.

NOTE 3: INTANGIBLE ASSETS

Sl. No.	Particulars	Gross block at cost			As at 31st March 2016	Depreciation			Net block	
		As on 1st April 2015	Addition	Deduction		Up to 1st April 2015	Provided during the Year	Up to 31st March 2016	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
1	Mining Rights	1,063.32	-	-	1,063.32	580.40	129.03	709.43	353.89	482.92
2	Computer Software	10.48	4.11	1.15	13.44	6.60	2.38	7.82	5.61	3.88
	Total	1,073.80	4.11	1.15	1,076.76	587.00	131.41	717.26	359.60	486.80

Sl. No.	Particulars	Gross block at cost			As at 31st March 2017	Depreciation			Net block	
		As on 1st April 2016	Addition	Deduction		Up to 1st April 2016	Provided during the Year	Up to 31st March 2017	As at 31st March 2017	As at 1st April 2016
1	Mining Rights	1,063.32	-	-	1,063.32	709.43	106.75	816.18	247.14	353.89
2	Computer Software	13.44	5.66	2.98	16.11	7.82	2.90	8.73	7.39	35.61
	Total	1,076.76	5.66	2.98	1,079.44	717.26	109.65	824.91	254.53	359.50

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट्स :

1. पट्टेदार भूमि

- क) उड़ीसा सैंड्स कॉम्प्लेक्स (ऑसकॉम) की साइट पर 21.832 एकड़ (पिछले साल 21.832 एकड़) की जमीन को छोड़ दिया गया है, जिस पर कंपनी द्वारा अधिग्रहण किया गया है, लेकिन मुआवजे की राशि का निर्णय नहीं लिया गया है और पट्टे के रखरखाव के भूमि अधिकारों के हस्तांतरण के लिए औपचारिकताएं पूरा नहीं किया गया।
- ख) ओडिशा में 244.436 एकड़ जमीन (पिछले वर्ष 244.436 एकड़) भूमि को दूसरे चरण के तहत पट्टे पर ओडिशा सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया था। 475.436 एकड़ जमीन ₹ 1 के प्रीमियम पर स्थानांतरित किया गया था। तहसीलदार द्वारा कंपनी के नाम के लिए 118.86 लाख 30-12-1992 के आदेश के अनुसार राजस्व अधिकारियों ने 12-04-2002 को यह बतलाया था कि इस जमीन का हस्तांतरण अनियमित और अमान्य है और उन्होंने तहसीलदार के पहले के आदेश को खारिज कर दिया है। 475.436 एकड़ जमीन में से 231 एकड़ खनन की गई भूमि ओडिशा सरकार द्वारा 22-04-2002 के कलेक्टर के आदेश के तहत ली गई थी। कंपनी ने सरकार से उपरोक्त राशि (118.86 लाख रुपये) की वापसी की मांग की है ओडिशा या वैकल्पिक रूप से खनन उद्देश्य के लिए समतुल्य भूमि आवंटित करने के लिए।

2. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि

- क) लगभग ₹ 1/- (प्रीवियस साल ₹ 1/-) शामिल है। केरल सरकार से अलवेर्ड पर 24.26 एकड़ भूमि मुफ्त मिली।
- ख) केरल के चवरा में 9.43 एकड़ (पिछले साल 9.43 एकड़) भूमि शामिल है, जो कि जमींदारों को मुफ्त में दी जाएगी, जिनसे कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने पर भूमि अधिग्रहण की गई है।
- ग) चावला यूनिट द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए विशेष तहसीलदार (एलए), केएमएमएल, चावरा के निर्देशन के अनुसार जमा किए गए ₹ 4.84 लाख (पिछले वर्ष 0.31 लाख) को शामिल किया गया।
- घ) वर्ष 1964 में रे अ प्रभाग को सौंपा गया 4.75 एकड़ (पिछले साल 4.75 एकड़) की एक पट्टा भूमि शामिल है, को आदेश दिया गया है कि वह केरल सरकार द्वारा वापस लाया जाए। कंपनी ने उस आदेश को रद्द करने के लिए केरल सरकार से संपर्क किया है।
- ड) लगभग शामिल है कन्याकुमारी जिले के मनवलकारिची गांव में सरकार को पट्टे पर दिए गए 75.37 सेंट (पिछले साल लगभग 75.37 सेंट) तमिलनाडु का कार्यकाल की तारीख से 30 वर्ष की अवधि के लिए 11.08.2006 को नाम मात्र लीज किराया 1000 रुपये के लिए बस स्टैंड के निर्माण के लिए।
- च) लगभग शामिल है एनके ब्लॉक छठी अल्पादु क्षेत्र और एनके ब्लॉक द्वितीय केरीथुरा क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किए गए कुल संपत्ति में 130 सेंट (पिछले साल 130 सेंट) की जमीन पर, इस तरह के अतिक्रमण को दूर करने के लिए कंपनी ने कानूनी आधार लिया है।

3. इमारतें

- क) मुम्बई में आवासीय और अन्य इमारतों की लागत शामिल है, जिस पर कंपनी को रुपये का भुगतान करने का अधिकार दिया गया था। 53.43 लाख (पिछले वर्ष 53.43 लाख रुपये) और जिसके लिए कंपनी के पक्ष में वाहन/हस्तांतरण दस्तावेजों का निष्पादन लंबित है।



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017

Notes:

1. Leasehold Land

- a) Excludes 21.832 acres (previous year 21.832 acres) of land at Orissa Sands Complex (OSCOM) site, possession of which has been taken over by the Company, but the compensation amount is not decided and formalities for transfer of lease hold land rights have not been completed.
- b) Includes 244.436 acres (previous year 244.436 acres) of land in Odisha acquired by the Company from the Government of Odisha on lease under second phase. The 475.436 acres of land was transferred at a premium of Rs. 118.86 lakhs by the then Tahsildar to the Company's name by an order dated 30-12-1992. The Revenue authorities had since on 12-04-2002 observed that the transfer of this land was irregular & void ab-initio and have quashed the earlier order of Tahsildar. Out of 475.436 acres of land, 231 acres of mined out land had been taken over by the Government of Odisha vide collector order dated 22-04-2002. The Company has sought refund of aforesaid amount (Rs. 118.86 lakhs) from the Govt. of Odisha or alternatively to allot equivalent land for mining purpose.

2. Freehold Land

- a) Includes ₹ 1/- (previous year ₹ 1/-) towards approx. 24.26 acres land received free of cost from the Government of Kerala at Alwaye.
- b) Includes 9.43 acres (previous year 9.43 acres) of land at Chavara in Kerala agreed to be given free of cost to the landlords from whom land is acquired on completion of certain formalities.
- c) Includes ₹ 4.48 lakhs (previous year ₹ 0.31 lakhs) deposited as directed by the special Tahasildar (LA), KMML, Chavara towards enhanced compensation for the land acquired by Chavara Unit.
- d) Includes a patta land of 4.75 acres (previous year 4.75 acres) assigned to R E Division in the year 1964 has been ordered to be resumed back by the Government of Kerela. The Company has approached the Kerala Government for cancellation of the said order.
- e) Includes Approx. 75.37 cents (previous year approx. 75.37 cents) of land situated at Manavalakurichi Village in Kanyakumari District given on lease to the Govt. of Tamil Nadu for a period of 30 years from the date of deed i.e. 11.08.2006 for the construction of bus stand on a nominal lease rent of Rs. 1000 p.a.
- f) Includes Approx. 130 cents (previous year 130 cents) of land in aggregate situated at NK Block VI Alappadu area & NK Block II Karithura area encroached by some persons, the Company has taken legal recourse to clear such encroachment.

3. Buildings

- a) Includes cost of residential and other buildings at Mumbai the possession of which was handed over to the Company on payment of ₹ 53.43 lakhs (previous year ₹ 53.43 lakhs) and for which execution of conveyance/transfer documents in favor of the Company is pending.

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

- ख) विभिन्न सहकारी आवास समितियों में ₹ 0.02 लाख (पिछले वर्ष ₹ 0.02 लाख) के शेयर शामिल हैं। कंपनी द्वारा आयोजित शेयरों की संख्या 50 प्रत्येक की कीमत 35 है।
- ग) आईजीसीएआर, कलकत्ता में गोदाम को ₹ 80.15 लाख (पिछले वर्ष ₹ 80.15 लाख), पूरी लागत भारत सरकार से प्राप्त धन से मुलाकात की जाती है।
- घ) ₹ 5/- (पिछले साल ₹ 5/-) एमके और ऑसकॉम पर मोनाजाइट गोदाम / खाइयों के लिए बनी राशि है, जिसकी लागत भारत सरकार ₹ 73.76 लाख (पिछले साल ₹ 73.76) से प्राप्त हुई है।
- ङ) आरई प्रभाग पर थोरियम सिलो की ओर रखी गई राशि ₹ 1/- (पिछले साल ₹ 1/-) है, जिसकी लागत भारत सरकार ₹ 122.33 लाख (पिछले वर्ष ₹ 122.33 लाख) से प्राप्त धन से मिली है।
- च) ₹ 132.09 लाख (पिछले वर्ष ₹ 132.09 लाख) की कीमत शामिल है जो मनवलकुरिची इकाई में आवास परिसर का मूल्य है, जो विभिन्न अधिकारियों से आवश्यक अनुमति के बिना किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण किया गया है।
- छ) ₹ 162.06 लाख (पिछले वर्ष ₹ 162.06 लाख) की लागत वाली भवन शामिल है जो कि थ्रस्ट परियोजना का मूल्य है और ₹ 7/- (पिछले वर्ष ₹ 7/-) पर मूल्यवान है क्योंकि पूरी लागत भारत सरकार से प्राप्त धनराशि से मिले है।
- ज) भुवनेश्वर समन्वय केंद्र की लागत में ₹ 21.36 लाख (पिछले वर्ष ₹ 21.36 लाख) का निर्माण किया गया है जो ओडिशा सरकार द्वारा प्रदान की गई पट्टेदार भूमि पर की गई है।
- झ) पट्टेदार भूमि पर आंशिक रूप से निर्माण ₹ 346.63 लाख (पिछले वर्ष ₹ 346.63 लाख) की राशि ऑसकॉम आवास कॉलोनी की लागत शामिल है।
- ञ) ₹ 2/- (पिछले वर्ष ₹ 2/-) ₹ 10.78 लाख (पिछले वर्ष ₹ 10.78 लाख) की लागत से बनाए गए खाइयों के लिए रखी गई राशि है जिसे भारत सरकार से प्राप्त धनराशि से पूरा किया गया है।
- ट) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय भवन में ₹ 26.07 लाख (पिछले वर्ष ₹ 26.07 लाख) की सुधार की लागत शामिल है जो मेसर्स ईसीआईएल, डीएई के तहत एक पीएसयू, सरकार द्वारा पट्टे पर ली गई है। ₹ 1069.20 लाख की कुल गैर-ब्याज वाली ब्याज जमा के मुकाबले 20 साल की अवधि के लिए ₹ 1000 के पट्टा किराया के साथ।

4. रोड

₹ 1/- (पिछले वर्ष ₹ 1/-) की लागत वाली THRUST परियोजना के मूल्य के रूप में ₹ 2.98 लाख (पिछला वर्ष ₹ 2.98 लाख) की लागत वाली सड़कों को शामिल किया गया है क्योंकि पूरी लागत भारत सरकार से प्राप्त धनराशि से मिले है।

5. संयंत्र एवं मशीनरी

थ्रस्ट परियोजना के मूल्य के रूप में ₹ 743.92 लाख (पिछले वर्ष ₹ 743.92 लाख) की लागत वाली संयंत्र और मशीनरी शामिल हैं और इसकी कीमत ₹ 126/- (पिछला वर्ष ₹ 126/-) है क्योंकि पूरी लागत सरकार से प्राप्त धनराशि से मिले है।



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017

- b) Includes shares of ₹ 0.02 lakhs (previous year ₹ 0.02 lakhs) in various Co-Operative Housing Societies. Number of the shares held by the Company are 35 at a cost of ₹ 50 each.
- c) Excludes Godown at IGCAR, Kalpakam costing ₹. 80.15 lakhs (Previous year ₹ 80.15 lakhs), the entire cost is met out of funds received from the Government of India.
- d) Includes ₹ 5/- (Previous year ₹ 5/-) being amount retained towards Monazite godown / trenches at MK and OSCOM, the cost of which is met out of funds received from Government of India ₹ 73.76 lakhs (Previous year ₹ 73.76 lakhs).
- e) Includes ₹ 1/- (Previous year ₹ 1/-) being amount retained towards thorium silo at R. E. Division, the cost of which is met out of funds received from the Government of India ₹ 122.33 lakhs (Previous year ₹ 122.33 lakhs).
- f) Includes cost of ₹ 132.09 lakhs (Previous year ₹ 132.09 lakhs) being value of the housing complex at Manavalakurichi unit which has been constructed in a prohibited area without the required permission from various authorities.
- g) Includes building costing ₹ 162.06 lakhs (Previous year ₹ 162.06 lakhs) being value of THRUST project and valued at ₹ 7/- (Previous year ₹ 7/-) as the entire cost is met out of funds received from the Government of India.
- h) Includes cost of Bhubaneshwar co-ordination centre amounting to ₹ 21.36 lakhs (previous year ₹ 21.36 lakhs) constructed on leasehold land provided by Government of Odisha.
- i) Includes cost of OSCOM housing colony amounting to ₹ 346.63 lakhs (previous year ₹ 346.63 lakhs) constructed partly on leasehold land.
- j) Includes ₹ 2 /- (previous year ₹ 2) being the amount retained towards trenches constructed at a cost of ₹ 10.78 lakhs (previous year ₹ 10.78 lakhs) which is met out of the funds received from the Government of India.
- k) Includes cost of improvement of the Registered Office building of the Company amounting to ₹ 26.07 lakhs (previous year ₹ 26.07 lakhs) which is taken on lease from M/s ECIL, a PSU under DAE, Govt. of India for a period of 20 years against a total non-interest bearing deposit amounting to ₹ 1069.20 lakhs alongwith a lease rent of ₹ 1000 p.a.

4. Roads

Includes roads costing ₹ 2.98 lakh (Previous year ₹ 2.98 lakh) being the value of THRUST project valued at ₹ 1/- (Previous year ₹ 1/-) as the entire cost is met out of funds received from Government of India.

5. Plant and Machinery

Includes Plant and Machinery costing ₹ 743.92 lakhs (Previous year ₹ 743.92 lakhs) being value of the THRUST Project and valued at ₹ 126/- (Previous year ₹ 126/-) as the entire cost is met out of funds received from the Government of India.

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स**6. विद्युत स्थापना और उपकरण**

थ्रुस्ट प्रोजेक्ट के मूल्य के रूप में ₹ 37.73 लाख (पिछला वर्ष ₹ 37.73 लाख) की लागत वाली विद्युत स्थापना और उपकरणों और ₹ 10/- (पिछले वर्ष ₹ 10/-) के मूल्य के अनुसार पूरी लागत के रूप में भारत सरकार से प्राप्त धनराशि से मिले।

7. प्रयोगशाला, औषधालय और अनुसंधान एवं विकास उपकरण

क. आर.ई. प्रभाग में स्थापित ₹ 132.87 लाख (पिछला वर्ष ₹ 132.87 लाख) लागत वाली प्रयोगशाला उपकरणों को शामिल करता है। प्रभाग और मूल्य ₹ 107 (पिछला वर्ष ₹ 107) के रूप में पूरी लागत भारत सरकार से प्राप्त धन से मुलाकात की है।

8. फर्नीचर एवं फिक्चर

ख. फर्नीचर की लागत ₹ 0.15 लाख (पिछले साल ₹ 0.15 लाख) रे.अ. प्रभाग में शामिल है डिजीजन और ₹ 3/- (पिछले वर्ष ₹ 3/-) पर मूल्यवान है क्योंकि पूरी लागत भारत सरकार से प्राप्त धनराशि से मुलाकात की गई है।

9. कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग

ग. रे.अ. प्रभाग, ऑसकॉम और एमक की ₹ 1.05 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1.05 लाख) की लागत वाली कम्प्यूटरों को शामिल किया गया है जो कि ₹ 3/- (पिछले वर्ष ₹ 3/-) पर है, क्योंकि संपूर्ण लागत भारत सरकार से प्राप्त धनराशि से मिले है।

नोट 4 : पूंजीगत कार्य-प्रगति

विवरण	31 मार्च, 2017 तक	31 मार्च, 2016 तक	1 अप्रैल, 2015 तक
पूंजी कार्य में प्रगति	3,905.28	2,877.88	12,525.73
परिवहन में स्थापना के दौरान लंबित पूंजीगत मद	266.05	105.57	656.31
कुल	4,171.33	2,983.45	13,182.04

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017**6. Electrical Installation & Equipments**

Includes Electrical Installation and Equipments costing ₹ 37.73 lakhs (Previous year ₹ 37.73 lakhs) being value of the THRUST Project and valued at ₹ 10/- (Previous year ₹ 10/-) as the entire cost is met out of funds received from the Government of India.

7. Laboratory, Dispensary and R&D Equipments

a. Includes laboratory equipment costing ₹ 132.87 lakhs (Previous year ₹ 132.87 lakhs) installed in R.E. Division and valued at ₹ 107 (Previous year ₹ 107) as the entire cost is met out of funds received from the Government of India.

8. Furniture and Fixtures

b. Includes furniture costing ₹ 0.15 lakhs (Previous year ₹ 0.15 lakhs) at R.E. Division and valued at ₹ 3/- (Previous year ₹ 3/-) as the entire cost is met out of funds received from the Government of India.

9. Computers and data Processing

c. Includes computers costing ₹ 1.05 lakhs (Previous year ₹ 1.05 lakhs) at R. E. Division, OSCOM, and MK valued at ₹ 3/- (Previous year ₹ 3/-) as the entire cost is met out of funds received from the Government of India.

Note 4: Capital work-in-progress

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 01st April 2015
Capital work in progress	3,905.28	2,877.88	12,525.73
Capital items pending installation/in transit	266.05	105.57	656.31
Total	4,171.33	2,983.45	13,182.04

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट - 5 : अप्रचलित निवेश

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2017			31 मार्च, 2016			1 अप्रैल, 2015	
	मात्रा (संख्याएं)	अंकित मूल्य	राशि	मात्रा (संख्याएं)	अंकित मूल्य	राशि	मात्रा (संख्याएं)	अंकित मूल्य
एफवीटीपीएल पर इक्विटी निवेश अनकोटेड पूरी तरह से भुगतान किया								
(i) आईआरई कर्मचारी कंज्यूमर को-ऑपरेटिव स्टोर लिमिटेड, एलूर	833	100	0.83	0.83	100	0.83	833	100
(ii) आईआरई कर्मचारी कंज्यूमर को-ऑपरेटिव स्टोर लिमिटेड, मनवलाकुरिची	1,094	10	0.11	1,094	10	0.11	1,094	10
(iii) आईआरई कर्मचारी किफायति बचत एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड. मनवलाकुरिची	200	10	0.02	200	10	0.02	200	10
(iv) आईआरई कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार लिमिटेड, चावरा	4,550	10	0.46	4,550	10	0.46	4,550	10
एनएससी में निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल अप्रचलित निवेश	-	-	1.42	-	-	1.42	-	-
बिना निवेश वाले निवेश की संकलित राशि	-	-	1.42	-	-	1.42	-	-
उद्धृत निवेश और वाजार मूल्य की कुल राशि	-	-	-	-	-	-	-	-
निवेश के मूल्य में कमी के लिए संकलित प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017

Note 5: Non-current Investments

Particulars	31-Mar-17			31-Mar-16			01-Apr-15		
	Quantity (Nos.)	Face value	Amount	Quantity (Nos.)	Face value	Amount	Quantity (Nos.)	Face value	Amount
Equity investment at FVTPL									
Unquoted fully paid up									
(i) IRE Employees' Consumers' Co-operative Stores Ltd., Eloor	833	100	0.83	833	100	0.83	833	100	0.83
(ii) IRE Employees' Consumers' Co-operative Stores Ltd., Manavalakurichi	1,094	10	0.11	1,094	10	0.11	1,094	10	0.11
(iii) IRE Employees' Thrift and Credit Society Ltd., Manavalakurichi	200	10	0.02	200	10	0.02	200	10	0.02
(iv) IRE Employees' Consumer Co-operative stores Ltd ,Chavara	4550	10	0.46	4,550	10	0.46	4,550	10	0.46
Investment in NSC	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20
Total non-current investments	-	-	1.42	-	-	1.42	-	-	1.62
Aggregate amount of unquoted investments	-	-	1.42	-	-	1.42	-	-	1.62
Aggregate amount of quoted investments and market value thereof	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aggregate provision for diminution in value of investments	-	-	-	-	-	-	-	-	-

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट - 6 गैर वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ - ऋण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
सुरक्षा जमा			
असुरक्षित शोध माने गए	1,632.84	1,483.89	1,415.40
संदिग्ध माने गए	45.29	60.01	60.38
कम : संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान	(45.29)	(60.01)	(60.38)
सुरक्षित शोध माने गये अन्य ऋण एवं अग्रिम कर्मचारी			
असुरक्षित शोध माने गए	926.90	1,091.18	1,087.24
	245.90	252.10	283.74
कम : संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान			
अन्य ऋण और अग्रिम-नकद या प्रकार या मूल्य प्राप्त करने के लिए वसूली योग्य अग्रिम			
असुरक्षित शोध माने गए	16.75	0.53	4.45
संदिग्ध माने गए	-	-	42.36
कम : संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान	-	-	(42.36)
कुल	2,822.39	2,827.70	2,790.83

नोट 7 : अस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
के खाते में विलम्बित कर देयताएं :			
पुस्तक एवं कर मूल्यहास के बीच अंतर	2,076.31	2,258.41	233.29
कुल आस्थगित कर देयताएं	2,076.31	2,258.41	233.29
इसके बदले आस्थगित कर संपत्ति :			
धारा 43 ख के तहत नामंजूरियाँ समयांतरो के रूप में मंजूरी योग्य	2,385.24	3,336.18	3,231.14
संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	646.25	651.61	75.38
सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा योजना	1,674.41	1,578.86	1,780.39
अन्य समस्यांतर	2,175.26	1,388.69	790.03
अनवशोषित मूल्यहास	1,293.99	1,280.56	-
अनवशोषित नुकसान	636.73	-	-
ब्याज आय का निर्धारण	1.80	1.25	3.81
वित्त पट्टा दायित्व	4.48	4.48	4.48
एमएटी आकलन पात्रता	789.30		
कुल अस्थगित कर संपत्ति	9,607.46	8,241.63	5,885.23
कुल	7,531.14	5,983.22	5,651.94

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017

Note 6: Non current financial assets - Loans

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
Security deposit			
Unsecured considered Good	1,632.84	1,483.89	1,415.40
Considered doubtful	45.29	60.01	60.38
Less: Provision for Doubtful Loans	(45.29)	(60.01)	(60.38)
Other Loans and advances - employees			
Secured considered good	926.90	1,091.18	1,087.24
Unsecured considered good	245.90	252.10	283.74
Less: Provision for Doubtful Loans			
Other loans and advances- advances recoverable in cash or kind or for value to be received			
Unsecured considered Good	16.75	0.53	4.45
Considered doubtful	-	-	42.36
Less: Provision for Doubtful		-	(42.36)
Total	2,822.39	2,827.70	2,790.83

Note 7: Deferred tax assets (net)

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
Deferred tax liabilities on account of:			
Difference between book and tax depreciation	2,076.31	2,258.41	233.29
Total deferred tax liabilities	2,076.31	2,258.41	233.29
Deferred tax assets on account of:			
Disallowances U/s 43B allowable as timing differences	2,385.24	3,336.18	3,231.14
Provision for Doubtful debts and Advances	646.25	651.61	75.38
Post Retirement Medical Scheme	1,674.41	1,578.86	1,780.39
Other timing differences	2,175.26	1,388.69	790.03
Unabsorbed Depreciation	1,293.99	1,280.56	-
Unabsorbed loss	636.73		
Deferment of interest income	1.80	1.25	3.81
Finance lease obligation	4.48	4.48	4.48
MAT credit entitlement	789.30		
Total deferred tax assets	9,607.46	8,241.63	5,885.23
Total	7,531.14	5,983.22	5,651.94

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट - 8 अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
अग्रिम कर - गैर चालू	4,553.86	5,229.96	3,602.65
कुल	4,553.86	5,229.96	3,602.65

नोट 9 : अन्य और वर्तमान परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
पूंजी अग्रिम			
अच्छा माना जाता है	299.25	115.72	63.54
संदिग्ध माना जाता है	6.67	6.67	6.67
कम : संदिग्ध ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	(6.67)	(6.67)	(6.67)
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम			
(क) सुरक्षा जमा	6.97	6.97	7.36
(ख) अन्य ऋण और अग्रिम-नकद या दयालु में वसूली योग्य अग्रिम या मूल्य प्राप्त करने के लिए			
अच्छा माना जाता है	6.77	17.65	13.88
संदिग्ध माना जाता है	1,898.27	1,898.26	65.46
कम : संदिग्ध ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	(1,898.27)	(1,898.26)	(65.46)
(ग) आस्थगित कर्मचारी लागत			
(घ) पूर्वदत्त खर्च			
पूर्वदत्त रेलवे साइडिंग व्यय	-	-	2.28
पूर्वदत्त खनन पट्टा नवीकरण	-	0.01	0.01
पूर्वदत्त पट्टा किराया	83.08	128.01	172.93
कुल	637.00	555.78	577.65

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017

Note 8 - Non-current tax assets

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
Advance Tax - Non current	4,553.86	5,229.96	3,602.65
Total	4,553.86	5,229.96	3,602.65

Note 9 - Other non current assets

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
Capital advances			
Considered good	292.25	115.72	63.54
Considered doubtful	6.67	6.67	6.67
Less: Provision for doubtful debts and Advances	(6.67)	(6.67)	(6.67)
Advances other than capital advances			
(a) Security deposit	6.97	6.97	7.36
(b) Other loans and advances- advances recoverable in cash or kind or for value to be received			
Considered good	6.77	17.65	13.88
Considered doubtful	1,898.27	1,898.26	65.46
Less: Provision for doubtful debts and Advances	(1,898.27)	(1,898.26)	(65.46)
(c) Deferred employees cost	247.93	287.42	317.65
(d) Prepaid expenses			
Prepaid railway siding expenses	-	-	2.28
Prepaid mining lease renewal	-	0.01	0.01
Prepaid lease rent	83.08	128.01	172.93
Total	637.00	555.78	577.65

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट - 10 संपत्ति-सूची

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
कच्चा माल			
परिवहन किया समान	-	16.85	0.89
स्टॉक में	347.05	678.43	969.31
कार्य प्रगति पर	822.02	991.30	1,088.82
तैयार माल #	8,188.80	7,820.98	8,457.12
स्टोर और पुर्जों			
परिवहन किया समान	285.56	39.27	185.19
स्टॉक में	2,943.33	3,119.93	2,721.41
खुला टूल	5.88	6.11	4.62
अन्य - आगे की प्रक्रिया के लिए इंटरमीडिएट उत्पादों	285.56	124.51	45.65
कुल	12,878.20	12,797.38	13,473.01

₹ लाख परीक्षण चलाने के उत्पादन शामिल है (पिछला वर्ष ₹ 5.11 लाख)

1. इन्वेंटरी (₹ लाख) से संबंधित पारगमन में माल शामिल है।

कच्चा माल	0	16.85
स्टोर और पुर्जों	285.56	39.27

2. आगे की प्रक्रिया के लिए इंटरमीडिएट उत्पाद में मोनोजिट के ₹ 57.27 लाख (पिछला वर्ष 18.93 लाख) की राशि शामिल है।

3. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की नोट संख्या 1 में मूल्यांकन का तरीका बताया गया है।

4. भंडार और पुर्जों की सूची 101-840 किलो चांदी (पिछले वर्ष 101.440 किग्रा) 1988-89 और 1990-91 के दौरान बरामद की गई है। चूंकि चांदी के अवशेषों के लिए कोई शुल्क आवंटित नहीं किया गया था और बीएआरसी को कोई शुल्क नहीं दिया गया था, इसलिए कहा जाता है कि इन्वेंटरी की कीमत का मूल्य 1/- रुपये है। (पिछला वर्ष ₹ 1)।

5. एफजी में भारत सरकार को आपूर्ति के लिए ₹ 419.15 लाख का मूल्यवान एनजी एडीयू के 3.524 टन शामिल हैं।

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017**Note 10 - Inventories**

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
Raw Materials			
Goods in transit	-	16.85	0.89
In Stock	347.05	678.43	969.31
Work-in-Progress	822.02	991.30	1,088.82
Finished Goods#	8,188.80	7,820.98	8,457.12
Stores and Spares			
Goods in transit	285.56	39.27	185.19
In Stock	2,943.33	3,119.93	2,721.41
Loose tools	5.88	6.11	4.62
Others- Intermediate products for further processing	285.56	124.51	45.65
Total	12,878.20	12,797.38	13,473.01

Includes ₹ 5.11 lakhs trial run production. (Previous year ₹ 5.11 lakhs)

1. Inventories includes goods in transit relating to (₹ / lakhs)

Raw materials	0	16.85
Store & spares	285.56	39.27

2. Intermediate product for further processing includes an amount of ₹ 57.27 lakhs (Previous year ₹ 18.93 lakhs) of monazite.
3. Mode of valuation is stated in Note no 1 of Significant accounting policies.
4. Inventory of stores and spares includes 101.440 kg of silver (Previous year 101.440 kg) recovered during 1988-89 and 1990-91. Since no cost was allocated to silver residue and no charges were paid to BARC, the said inventory has notionally been valued at ₹ 1/- (Previous year ₹ 1).
5. FG includes 3.524 tons of NGADU valued at ₹ 419.15 lakhs meant for supply to Govt of India.

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट 11 निवेश

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017			31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
	मात्र (संख्या)	अंकित मूल्य	राशि	राशि	राशि
एफवीटीपीएल में म्यूचुअल फंड में निवेश (उद्धरीत)					
यूटीआई निवेश (कैश लिक्विड प्लान)	605,494.38	1,019.45	6,172.69	-	-
कुल वर्तमान निवेश					
बिना निवेश वाले निवेश की कुल राशि	-	-	-	-	-
उद्धत निवेश और बाजार मूल्य की कुल राशि	-	-	6,172.69	-	-
निवेश के मूल्य में कमी के लिए कुल प्रावधान	-	-	-	-	-

नोट 12 - व्यापार प्राप्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	576.56	446.01	801.90
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	9.28	620.34	1,852.96
असुरक्षित, संदिग्ध माना जाता है	5.29	5.29	3.32
	591.13	1,071.64	2,658.18
कम : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(5.29)	(5.29)	(3.32)
कुल	585.84	1,066.35	2,654.86

नोट 13 - नकद और नकद समकक्ष

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
वर्तमान खातों में बैंको के साथ शेष	1,752.58	1,859.69	1,710.67
कम से कम 3 महीनों के लिए बैंक जमा	-	-	3,000.00
हाथ में नकद	1.14	2.93	3.95
कुल	1,753.72	1,862.62	4,714.62

नोट 14 - अन्य बैंक बैलेंस

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
बैंकों के साथ निर्धारित जमा (पीआरएमएस)	3,500.00	2,500.00	2,500.00
12 महीनों से अधिक के लिए जमा राशि	26.44	0.80	1,910.76
12 महीनों के लिए जमा राशि	24,210.60	28,550.36	32,736.70
जमा राशि को मार्जिन धन के रूप में रखा गया	115.07	0.44	112.37
कुल	27,852.11	31,051.60	37,259.83



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017

Note 11 - Investment

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31st March 2017			As at 31st March 2016	As at 31st March 2015
	Quantity (No's)	Face value	Amount	Amount	Amount
Investment in mutual fund at FVTPL (Quoted)					
UTI Investment (Cash Liquid Plan)	605,494.38	1,019.45	6,172.69	-	-
Total Current investments	605,494.38	1,019.45	6,172.69	-	-
Aggregate amount of unquoted investments		-			
Aggregate amount of quoted investments and market value thereof			6,172.69	-	-
Aggregate provision for diminution in value of investments	-	-	-	-	-

Note 12 - Trade receivables

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
Secured, considered good	576.56	446.01	801.90
Unsecured, considered good	9.28	620.34	1,852.96
Unsecured, considered doubtful	5.29	5.29	3.32
	591.13	1,071.64	2,658.18
Less: Provision for doubtful debts	(5.29)	(5.29)	(3.32)
Total	585.84	1,066.35	2,654.86

Note 13 - Cash and cash equivalents

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
Balances with banks in Current accounts	1,752.58	1,859.69	1,710.67
Bank deposits for less than 3 months	-	-	3,000.00
Cash on Hand	1.14	2.93	3.95
Total	1,753.72	1,862.62	4,714.62

Note 14 - Other Bank Balances

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
Earmarked deposits with banks (PRMS)	3,500.00	2,500.00	2,500.00
Deposits placed for more than 12 months	26.44	0.80	1,910.76
Deposits placed for 12 months	24,210.60	28,550.36	32,736.70
Deposits held as margin money	115.07	0.44	112.37
Total	27,852.11	31,051.60	37,259.83

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट 15 - वर्तमान वित्तीय संपत्ति - ऋण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
ऋण और अग्रिम - निदेशक			
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	0.58	0.58
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	0.82	0.14	0.14
ऋण और अग्रिम - कर्मचारी			
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	303.95	339.37	534.19
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	543.25	568.52	521.31
ऋण और अग्रिम-नकद या दयालु या पुनः प्राप्त करने योग्य हैं मूल्य प्राप्त करने के लिए			
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	53.08	-	3.56
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	7,823.14	6,590.65	2,184.27
असुरक्षित, संदिग्ध माना जाता है	17.52	17.52	17.52
कम : संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान	(17.52)	(17.52)	(17.52)
कुल	8,724.24	7,499.26	3,244.05

नोट 16 - अन्य मौजूदा वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
बकाया आय / प्रेषण शुल्क	1,156.90	9.12	6.07
दावा प्राप्य			
अच्छा माना जाता है	1,901.82	311.94	155.05
संदिग्ध माना जाता है	116.63	121.01	22.11
कम : संदिग्ध ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	(116.63)	(121.01)	(22.11)
अन्य अग्रिम - वित्तीय	-	3.19	3.37
कुल	3,058.72	324.25	164.49

नोट 17 - अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम			
नकद या दयालु या मूल्य प्राप्त करने के लिए वसूल योग्य ऋण और अग्रिम	2,705.73	2,881.78	2,229.91
ऋण और अग्रिम-कर्मचारी-असुरक्षित अच्छा माना जाता है	13.15	9.14	13.95
आस्थगित कर्मचारी लागत	48.22	54.13	68.83
संपत्ति लंबित निपटान	1.62	1.53	1.31
पूर्वदत्त खर्च			
पूर्वदत्त शिपिंग खर्च	-	-	0.05
पूर्वदत्त रेलवे साइडिंग व्यय	-	2.28	2.28
पूर्वदत्त पट्टा किराया	44.93	44.93	45.05
कुल	2,813.65	2,994.00	2,361.38

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017**Note 15 - Current financial assets - Loans**

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
Loans and advances - directors			
Secured, considered good	-	0.58	0.58
Unsecured, considered good	0.82	0.14	0.14
Loans and advances - employees			
Secured, considered good	303.95	339.37	534.19
Unsecured, considered good	543.25	568.52	521.31
Loans and advances -advances recoverable in cash or kind or for value to be received			
Secured, considered good	53.08	-	3.56
Unsecured, considered good	7,823.14	6,590.65	2,184.27
Unsecured, considered doubtful	17.52	17.52	17.52
Less: Provision for doubtful debts and advances	(17.52)	(17.52)	(17.52)
Total	8,724.24	7,499.26	3,244.05

Note 16 - Other current financial assets

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
Outstanding income / Despatch Money	1,156.90	9.12	6.07
Claims receivable			
Considered good	1,901.82	311.94	155.05
Considered doubtful	116.63	121.01	22.11
Less: Provision for doubtful debts and advances	(116.63)	(121.01)	(22.11)
Other advances - Financial	-	3.19	3.37
Total	3,058.72	324.25	164.49

Note 17 - Other current assets

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
Advances other than capital advances			
Loans and advances recoverable in cash or kind or for value to be received	2,705.73	2,881.78	2,229.91
Loans and advances - Employees - unsecured considered good	13.15	9.14	13.95
Deferred employees cost	48.22	54.13	68.83
Asset pending disposal	1.62	1.53	1.31
Prepaid Expenses			
Prepaid Shipping expenses	-	-	0.05
Prepaid railway siding expenses	-	2.28	2.28
Prepaid Lease rent	44.93	44.93	45.05
Total	2,813.65	2,994	2,361.38

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट 18 - इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
अधिकृत :			
₹ 1000/- प्रत्येक के 10,00,000 इक्विटी शेयर (पीवाई ₹ 1000/- प्रत्येक के 10,00,000 इक्विटी शेयर)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
कुल	10,000.00	10,000.00	10,000.00
जारी, सदस्यता लिया और भुगतान किया :			
8,63,650 (पीवाई : 8,63,650) प्रत्येक ₹ 1000/- का इक्विटी शेयर पूरी तरह से भुगतान किया गया	8,636.50	8,636.50	8,636.50
कुल	8,636.50	8,636.50	8,636.50

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
समेकित संख्या और शेयरों के वर्ग को आवंटित किए गए शेयरों के रूप में पांच साल की अवधि के दौरान नकद में भुगतान किए बिना अनुबंध के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि के ठीक पहलेपूरी तरह से भुगतान किया जाता है।	शून्य	शून्य	शून्य
समेकित संख्या और शेयरों की श्रेणी, जिसे पांच साल की अवधि के दौरान पूरी तरह से बोनस शेयरों के माध्यम से रिपोर्टिंग तिथि के ठीक पहले भुगतान किया जाता है।	शून्य	शून्य	शून्य
कुल संख्या और शेयरों की संख्या रिपोर्टिंग तारीख से पहले तुरंत पांच साल की अवधि के दौरान खरीदी गई।	शून्य	शून्य	शून्य।
रिपोर्टिंग तिथि से पहले पांच साल की अवधि के दौरान कंपनी ने किसी भी शेयर को वापस / खरीदा नहीं किया है।	शून्य।	शून्य	शून्य

कंपनी का एक वर्ग इक्विटी शेयर है जिसका सममूल्य ₹ 1000/- प्रति शेयर है। प्रत्येक शेयरधारक को प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र हैं। परिसमापन की घटना में, इक्विटी शेयरधारक अपने शेयरधारिता के अनुपात में, कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

शुरुआत में और वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या का समाधान :

विवरण	2016-17		2015-16	
	(संख्या में)	(लाख में)	(संख्या में)	(लाख में)
वर्ष के शुरुआत में बकाया शेयर	863,650	8,636.50	863,650	8,636.50
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	863,650	8,636.50	863,650	8,636.50

5% से अधिक शेयरों वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा आयोजित कंपनी के शेयरों का विवरण :

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		1 अप्रैल 2015 को	
	आयोजित शेयरों की संख्या	होल्डिंग का %	आयोजित शेयरों की संख्या	होल्डिंग का %	आयोजित शेयरों की संख्या	होल्डिंग का %
सामान्य शेयर :						
भारत सरकार और इसके उम्मीदवार	863,650	100%	863,650	100%	863,650	100%

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017

Note 18 - Equity share capital

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
Authorised: 10,00,000 Equity shares of ₹ 1000/- each (PY: 10,00,000 Equity shares of ₹.1000/- each)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Total	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Issued, subscribed and paid up: 8,63,650 (PY: 8,63,650) Equity shares of ₹1000/- each fully paid up	8,636.50	8,636.50	8,636.50
Total	8,636.50	8,636.50	8,636.50

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
Aggregate number and class of shares allotted as fully paid up pursuant to contract without payment being received in cash during the period of five years immediately preceding the reporting date	Nil	Nil	Nil
Aggregate number and class of shares allotted as fully paid up by way of bonus shares during the period of five years immediately preceding the reporting date	Nil	Nil	Nil
Aggregate number and class of shares bought back during the period of five years immediately preceding the reporting date	Nil	Nil	Nil
During the period of five years immediately preceding the reporting date the Company has not issued/bought back any shares.	Nil	Nil	Nil

The Company has one class of equity shares having a par value of ₹ 1000/- per Share. Each Share holder is eligible for one vote per share held. In the Event of Liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the Company, in proportion to their shareholding

Reconciliation of number of Equity Shares outstanding at the beginning and at the end of the year:

Particulars	2016-17		2015-16	
	(In Nos.)	(₹ in lakh)	(In Nos.)	(₹ in lakh)
Shares outstanding at the beginning of the year	863,650	8,636.50	863,650.00	8,636.50
Shares outstanding at the end of the year	863,650	8,636.50	863,650.00	8,636.50

Details of shares in the Company held by each shareholder holding more than 5% shares:

Name of Shareholder	As at 31st March 2017			As at 31 March 2016		
	Number of Shares held	% of Holding	Number of Shares held	% of Holding	Number of Shares held	% of Holding
Equity Shares: Government of India and its nominee	863,650	100%	863,650	100%	863,650	100%

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट 19 - अन्य इक्विटी

सामान्य आरक्षित

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
प्रारंभिक शेष	8,200.18	8,200.18
वर्ष के दौरान लेनदेन	-	-
जमा शेष	8,200.18	8,200.18

प्रकृति और प्रयोजन - यह कंपनी के लाभ और हानि में अधिशेष से निर्मित वितरण योग्य आरक्षित है।

प्रतिधारित उपार्जन

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
प्रारंभिक शेष	46,074.10	58,609.96
वर्ष के दौरान लेनदेन		
वर्ष के लिए लाभ / (नुकसान)	5,074.79	(10,611.84)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	(1.03)	154.96
पूर्वनिर्धारित कमाई में मान्यता प्राप्त पूर्व अवधि		
वस्तुओं के कारण प्रभाव	-	-
प्रस्तावित लाभांश	-	(2,078.98)
जमा शेष	51,147.86	46,074.10

प्रकृति और प्रयोजन - रखी गई कमाई कंपनी द्वारा वर्षों से एकत्रित आय और हानियों का प्रतिनिधित्व करती है।

(₹ लाख में)

विवरण	इक्विटी धारकों के लिए जिम्मेदार			
	शेयर पूंजी	आरक्षण एवं अधिशेष		कुल
		सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित कमाई	
1 अप्रैल, 2015 को शेष राशि	8,636.50	8,200.18	58,609.96	75,446.64
इस साल का मूनाफा/लाभ	-	-	(10,611.84)	(10,611.84)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, आयकर का शुद्ध	-	-	154.96	154.96
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	(10,456.00)	(10,456.88)
प्रस्तावित लाभांश का भूगतान (डीडीटी) सहित)	-	-	(2,078.98)	(2,078.98)
इस साल का मूनाफा	-	-	5,074.79	5,074.79
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, आयकर का शुद्ध	-	-	(1.03)	(1.03)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	5,073.769	5,073.76
31 मार्च 2017 को शेष राशि	8,636.50	8,200.18	51,147.86	67,984.54

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017

Note 19 - Other equity

General reserve		(₹ in lakh)
Particulars	31-Mar-17	31-Mar-16
Opening balance	8,200.18	8,200.18
Transaction during the year	-	-
Closing balance	8,200.18	8,200.18

Nature and Purpose - This is distributable reserve created out of surplus in profit and loss of the Company.

Retained earnings

Particulars	31-Mar-17	31-Mar-16
Opening balance	46,074.10	58,609.96
Transaction during the year -		
Profit / (loss) for the year	5,074.79	(10,611.84)
Other comprehensive income for the year	(1.03)	154.96
Impact on account of prior period items recognised in Retained Earnings		-
Proposed dividend		(2,078.98)
Closing balance	51,147.86	46,074.10

Nature and Purpose - Retained earnings represents accumulated earnings and losses made by the Company over the years.

Statement of changes in equity for the year ended March 31, 2017

(₹ in lakh)

Particulars	Attributable to equity holders			
	Share Capital	Reserves and Surplus		Total
		General Reserve	Retained earnings	
Balance at April 1, 2015	8,636.50	8,200.18	58,609.96	75,446.64
Profit for the year	-	(10,611.84.)	(10,611.84)	
Other comprehensive income for the year, net of income tax	-		154.96	154.96
Total comprehensive income for the year	-	-	(10,456.88)	(10,456.88)
Payment of Proposed dividend (Including DDT)	-	(2,078.98)	(2,078.98)	
Balance at March 31, 2016	8,636.50	8,200.16	46,074.10	62,910.78
Profit for the year	-		5,074.79	5,074.79
Other comprehensive income for the year	-		(1.03)	(1.03)
Total comprehensive income for the year	-	-	5,073.76	5,073.76
Balance at March 31, 2017	8,636.50	8,200.18	51,147.86	67,984.54

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट 20 - अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
वित्त षट्टा दायित्वों	14.49	14.50	14.50
कुल	14.49	14.50	14.50

नोट 21 - गैर-वर्तमान प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
क) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	10,644.50	9,874.18	5,963.68
ख) अन्य			
अन्य दीर्घकालीन प्रावधान	204.07	208.28	235.42
प्रवेश कर के लिए प्रावधान #	69.52	77.11	88.47
कुल	10,918.09	10,159.57	6,287.57

कंपनी के ऑसकॉम यूनिट, कच्चे माल के रूप में फर्नेस ऑयल और कोयला मानते हुए, उड़ीसा प्रवेश कर अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के तहत उन पर लगाए गए प्रविष्टि कर से छूट का दावा किया। वाणिज्यिक कर, कटक के आयुक्त सीसीटी द्वारा इसकी अस्वीकृति के खिलाफ कंपनी ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के सामने एक याचिका दायर की। हालांकि, खार्तों में ₹ 146.95 लाख (पिछले वर्ष ₹ 139.91 लाख) की विवादित राशि प्रदान की गई है। कंपनी ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्देशित सीसीटी के साथ ₹ 77.44 लाख (पिछले वर्ष ₹ 71.78 लाख) की एक कुल राशि समायोजित की है, जो सकल देयता के खिलाफ शुद्ध किया गया है। इसके अलावा, एंट्री प्रावधान में विवादित उत्पाद शुल्क पर प्रविष्टि कर के लिए शून्य (पिछले साल ₹ 8.98 लाख) की राशि शामिल है।

नोट 22 - अन्य गैर-वर्तमान देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
अन्य देयताएं #	5,000.00	5,000.00	5,000.00
कुल	5,000.00	5,000.00	5,000.00

अन्य देयताएं - बैंक की गारंटी के रूप में शामिल होने पर रिफंड दावा किया।

नोट 23 - वर्तमान व्यापार भुगतान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	471.19	215.27	214.82
अन्य	1,997.66	1,161.77	1,101.35
कुल	2,468.85	1,377.04	1,316.17

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017**Note 20 - Other non-current financial liabilities**

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
Finance lease obligations	14.49	14.50	14.50
Total	14.49	14.50	14.50

Note 21 - Non-current provisions

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
a) Provision for employee benefits	10,644.50	9,874.18	5,963.68
b) Others			
Other long term provision	204.07	208.28	235.42
Provision for entry tax #	69.52	77.11	88.47
Total	10,918.09	10,159.57	6,287.57

The Oscom unit of the Company, considering furnace oil and coal as raw material claimed set off of entry tax paid on them under the provisions of Orissa Entry Tax Act, 1999. Against the disallowance of this by the Commissioner of Commercial Tax, Cuttack "CCT" the Company filed a writ petition before the Hon'ble Orissa High Court. However, the disputed amount of ₹146.95 lakhs (previous year ₹ 139.91 lakhs) has been provided in the accounts. The Company adjusted an aggregate amount of ₹ 77.44 lakhs (previous year ₹ 71.78 lakhs) with CCT as directed by the competent authorities which has been netted against the gross liability.

Further, said entry tax provision includes an amount of ` NIL (previous year ` 8.98 lakhs) towards Entry tax on disputed Excise duty.

Note 22 - Other non-current liabilities

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
Other liabilities#	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Total	5,000.00	5,000.00	5,000.00

#Other Liabilities - Being Bank Guarantee Encashed but refund claimed.

Note 23 - Current trade payables

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
Micro, Small and Medium Enterprises	471.19	215.27	214.82
Others	1,997.66	1,161.77	1,101.35
Total	2,468.85	1,377.04	1,316.17

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी) के तहत परिभाषित माइक्रो और लघु उद्यमों की कुल बकाया देय राशि (मूलधन और ब्याज) के बारे में जानकारी नीचे दी गई है।

विवरण	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		1 अप्रैल 2015 को	
	गैर चालू-दीर्घकालिक देनदारियां-भुगतान करने योग्य और अन्य वर्तमान देयताएं	वर्तमान-ट्रेड भुगतान और अन्य वर्तमान देनदारियां	गैर चालू-दीर्घकालिक देनदारियां-भुगतान करने योग्य और अन्य वर्तमान देयताएं	वर्तमान-ट्रेड भुगतान और अन्य वर्तमान देनदारियां	गैर चालू-दीर्घकालिक देनदारियां-भुगतान करने योग्य और अन्य वर्तमान देयताएं	वर्तमान-ट्रेड भुगतान और अन्य वर्तमान देनदारियां
एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की वजह से प्रिंसिपल राशि और वर्ष के अंत में शेष बकाया राशि	शून्य	472.68	शून्य	215.27	5.00	214.82
एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं के कारण ब्याज और वर्ष के अंत में शेष बकाया भुगतान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत वर्ष के दौरान नियत दिन से परे, एमएसएमईडी के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को ब्याज का भुगतान किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ब्याज की राशि और भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय (जो कि भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियुक्त दिन से अधिक) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज के बिना।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ब्याज की राशि और वर्ष के अंत में बकाया शेष।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती के खर्च की अस्वीकृति के उद्देश्य से ऊपर की ब्याज की बकाया राशि को वास्तव में छोटे उद्यमों के लिए भुगतान किया जाता है जब तक कि अगले ब्याज की देय और देय राशि की राशि, ऊपर की ब्याज बकाया राशि तब तक की तारीख तक।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017

The information regarding total outstanding dues (principal & interest) of micro and small enterprises as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED) is given below.

Particulars	As at 31st March 2017		As at 31st March 2016		As at 1st April 2015	
	Non current - Long term liabilities - Trade payable & Other current liabilities	Current - Trade payable & Other current liabilities	Non current - Long term liabilities - Trade payable & Other current liabilities	Non current - Long term liabilities - Trade payable & Other current liabilities	Current - Trade payable & Other current liabilities	Non current - Long term liabilities - Trade payable & Other current liabilities
Principal amount due to suppliers registered under the MSMED Act and remaining unpaid as at the end of year	NIL	472.68	NIL	215.27	5.00	214.82
Interest due to suppliers registered under the MSMED Act and remaining unpaid as at the end of year	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Interest paid, under section 16 of the MSMED Act, to suppliers registered under MSMED, beyond the appointed day during the year	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under MSMED Act.	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of year.	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprises, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the MSMED Act.	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट 24- अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
खर्चों के लिए देयताएं	2,546.32	3,255.31	3,584.46
सुरक्षा और प्रतिधारण मुद्रा	875.82	811.55	811.07
अन्य देनदारियां	1,679.69	810.19	680.60
कुल	5,101.83	4,877.05	5,076.13

नोट 25 - अन्य वर्तमान देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
ग्राहकों से अग्रिम रकम लेना	4,186.75	2,142.46	1,241.72
सुरक्षा और प्रतिधारण मुद्रा	149.22	201.49	417.62
अन्य देनदारियां	1,086.68	1,414.48	1,253.60
कुल	5,422.65	3,758.43	2,922.94

नोट 26 - वर्तमान प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	8,392.33	5,558.39	3,248.11
अन्य			
धन कर के लिए प्रावधान	-	0.07	1.37
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लिए प्रावधान	118.80	5,157.88	4,661.26
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर राज्य कर के लिए प्रावधान	-	175.21	153.03
अनुबंध की व्यवस्था	668.97	621.95	124.55
कुल	9,180.10	11,513.50	8,188.32

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लिए प्रावधान में उत्पाद शुल्क और खनिजों पर संबंधित ब्याज के लिए शून्य (पिछले साल ₹ 4,788.60 लाख) की राशि शामिल है और संतुलन पर उत्पाद शुल्क का प्रतिनिधित्व करता है।

कंपनी को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, भुवनेश्वर से दिनांक 16 मार्च, 2012 की मांग और कारण बताओ सूचना (एससीएन) प्राप्त हुआ था, जो कि मार्च 2011, जुलाई 2011 के लिए ऑसकॉम इकाई के सभी खनिज उत्पादों पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की मांग कर रहा था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (सीईटीए) के वित्त अधिनियम, 2011 के अध्याय 26 के नोट 4 के मध्य से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के दायरे में समुद्र तट रेत खनिजों को 1.3.2011 से लिया गया। कानूनी राय के आधार पर, कंपनी ने ध्यान रखा था कि नोट 4 के अध्याय 26 को सम्मिलित करना समुद्र तट रेत के खनिजों का उपयोग नहीं करता है। हालांकि, प्रचुर सावधानी से, कंपनी ने ₹ 3867.99 लाख और कंपनी के सभी इकाइयों की इल्मेनाइट, रूटाइल और ज़िरकॉन (आईआरजेड) पर उत्पाद शुल्क का प्रावधान किया और परिणामस्वरूप राज्य कर और उत्पाद शुल्क और राज्य कर के लिए ब्याज वर्ष 2011-12 में क्रमशः ₹ 139.75 लाख और ₹ 303.36 लाख और आईआरजेड के संबंध में 1.4.2012 से विरोध के तहत उत्पाद शुल्क एकत्र करने और भुगतान करना शुरू कर दिया।

कंपनी ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), भुवनेश्वर के आयुक्त के सामने उक्त एससीएन को चुनौती दी थी और 03.04.2013 को अपील आदेश प्राप्त किया था। जिसमें सिलीमानाइट और गार्नेट सहित सभी खनिजों पर दंड के बिना उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की देनदारी की पुष्टि की गई थी। कंपनी ने मार्च 2011 से मार्च 2012 की अवधि के लिए चवरा यूनिट के सभी खनिज उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के भुगतान की

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017**Note 24 - Other current financial liabilities**

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
Liabilities for expenses	2,546.32	3,255.31	3,584.46
Security and retention money	875.82	811.55	811.07
Other liabilities	1,679.69	810.19	680.60
Total	5,101.83	4,877.05	5,076.13

Note 25 - Other current liabilities

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
Advances from Customers	4,186.75	2,142.46	1,241.72
Statutory Liabilities	149.22	201.49	427.62
Other liabilities	1,086.68	1,414.48	1,253.60
Total	5,422.65	3,758.43	2,922.94

Note 26 - Current provisions

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
Provision for employee benefits	8,392.33	5,558.39	3,248.11
Others			
Provision for Wealth tax	-	0.07	1.37
Provision for central excise#	118.80	5,157.88	4,661.26
Provision for State tax on central excise	-	175.21	153.03
Contractual Provision	668.97	621.95	124.55
Total	9,180.10	11,513.50	8,188.32

Provision for central excise includes an amount of ` Nil lakhs (previous year ₹ 4,788.6 lakhs) towards excise duty and corresponding interest on minerals and the balance represents excise duty on the closing stock.

Company had received Demand cum Show-Cause Notice (SCN) dated 16th March, 2012 from the Commissioner of Central Excise, Bhubaneswar demanding payment of Excise Duty on all mineral products of OSCOM unit for the period March, 2011 to July 2011, stating that insertion of note 4 to Chapter 26 of Central Excise Tariff Act, 1985 (CETA) vide Finance Act, 2011 brought the beach sand minerals under the ambit of central excise w.e.f 1.3.2011. Based on the legal opinion, the Company maintained that insertion of note 4 to Chapter 26 does not make beach sand minerals excisable. However, out of abundant caution, the Company made provision of excise duty on Ilmenite, Rutile and Zircon (IRZ) of all the units of the Company aggregating to ` 3867.99 lakhs and for consequential state tax and interest on excise duty and state tax amounting to ` 139.75 lakhs and ₹ 303.36 lakhs respectively in year 2011-12 and started to collect and pay excise duty under protest w.e.f 1.4.2012 only in respect of IRZ.

The Company contested the said SCN before the Commissioner of Central Excise (appeal), Bhubaneswar and received appeal order dated 03.04.2013 confirming the liability to pay excise duty alongwith interest thereon without penalty on all minerals including Sillimanite & Garnet. The Company

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट 24- अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
खर्चों के लिए देयताएं	2,546.32	3,255.31	3,584.46
सुरक्षा और प्रतिधारण मुद्रा	875.82	811.55	811.07
अन्य देनदारियां	1,679.69	810.19	680.60
कुल	5,101.83	4,877.05	5,076.13

नोट 25 - अन्य वर्तमान देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
ग्राहकों से अग्रिम रकम लेना	4,186.75	2,142.46	1,241.72
सुरक्षा और प्रतिधारण मुद्रा	149.22	201.49	417.62
अन्य देनदारियां	1,086.68	1,414.48	1,253.60
कुल	5,422.65	3,758.43	2,922.94

नोट 26 - वर्तमान प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	8,392.33	5,558.39	3,248.11
अन्य			
धन कर के लिए प्रावधान	-	0.07	1.37
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लिए प्रावधान	118.80	5,157.88	4,661.26
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर राज्य कर के लिए प्रावधान	-	175.21	153.03
अनुबंध की व्यवस्था	668.97	621.95	124.55
कुल	9,180.10	11,513.50	8,188.32

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लिए प्रावधान में उत्पाद शुल्क और खनिजों पर संबंधित ब्याज के लिए शून्य (पिछले साल ₹ 4,788.60 लाख) की राशि शामिल है और संतुलन पर उत्पाद शुल्क का प्रतिनिधित्व करता है।



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017

Note 24 - Other current financial liabilities

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	(₹ in lakh) As at 1st April 2015
Liabilities for expenses	2,546.32	3,255.31	3,584.46
Security and retention money	875.82	811.55	811.07
Other liabilities	1,679.69	810.19	680.60
Total	5,101.83	4,877.05	5,076.13

Note 25 - Other current liabilities

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	(₹ in lakh) As at 1st April 2015
Advances from Customers	4,186.75	2,142.46	1,241.72
Statutory Liabilities	149.22	201.49	427.62
Other liabilities	1,086.68	1,414.48	1,253.60
Total	5,422.65	3,758.43	2,922.94

Note 26 - Current provisions

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	(₹ in lakh) As at 1st April 2015
Provision for employee benefits	8,392.33	5,558.39	3,248.11
Others			
Provision for Wealth tax	-	0.07	1.37
Provision for central excise#	118.80	5,157.88	4,661.26
Provision for State tax on central excise	-	175.21	153.03
Contractual Provision	668.97	621.95	124.55
Total	9,180.10	11,513.50	8,188.32

Provision for central excise includes an amount of ` Nil lakhs (previous year ₹ 4,788.6 lakhs) towards excise duty and corresponding interest on minerals and the balance represents excise duty on the closing stock.

Company had received Demand cum Show-Cause Notice (SCN) dated 16th March, 2012 from the Commissioner of Central Excise, Bhubaneswar demanding payment of Excise Duty on all mineral

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट 27 - संचालन से राजस्व

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री	41,201.78	32,400.96
अन्य ऑपरेटिव राजस्व / सेवाओं की बिक्री	5,007.86	3,897.79
कुल	46,209.64	36,298.75

नोट :

उत्पादों की बिक्री में ₹ 19,842.72 लाख (पिछले साल ₹ 13,793.75 लाख) की विदेशी मुद्रा में कमाई शामिल है जो एफओबी आधार पर की जाती है।

13 अप्रैल, 2012 को हुए संचार के माध्यम से वर्ष 2010-11 के लिए अनुमोदित दर के आधार पर भारत सरकार (भारत सरकार) को विशेष रूप से प्रदान किए गए परमाणु ग्रेड अमोनियम डी-अर्नाट (एनजीएडीयू) के लिए मुआवजे के लिए राजस्व को जारी रखा गया है, अर्थात् ₹ 13,557/- प्रति किलोग्राम यह दर वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक सभी वर्षों की प्रारंभिक मान्यता के लिए लगातार लागू की गई है। इसका कारण यह है कि एक उच्च दर का दावा कभी-कभार ही हो सकता है, फिर भी वास्तविक लागत (दावे का आधार है) अंतर संयंत्रों/प्रक्रियाओं में पिछले अनुमोदित दरों (2014 में मंजूरी के अनुसार ₹ 19,665/- प्रति किग्रा 2011-12 में प्रभावित होने के लिए 15 और 2012-13 में प्रभावित आपूर्ति के लिए 2016-17 में ₹ 16,970/- प्रति किग्रा को मंजूरी दी गई) विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त होने पर, इस तरह के अनुमोदन प्राप्त होने के वर्ष में अंतर को राजस्व के हिस्से के रूप में माना जाता है। तदनुसार, ₹ 786.31/- लाख एफ/वाई के लिए प्रारंभिक रूप से मान्यता प्राप्त राशि का अंतर है। 2012-13 और स्वीकृत राशि अब 2016-17 में मान्यता प्राप्त है।

नोट 28 - अन्य आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष
परिशोधित लागत पर मापा वित्तीय संपत्ति पर ब्याज आय		
बैंक में जमा पर	2,066.49	2,737.57
अन्यों पर	1,566.02	790.40
लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा वित्तीय संपत्तियों से लाभांश	196.69	178.22
शुद्ध विदेशी मुद्रा लाभ	164.13	1.73
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	29.85	16.17
अन्य गैर-ऑपरेटिव आय	1,244.73	381.62
कुल	5,267.91	4,105.71

सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, तमिलनाडु सरकार से रॉयल्टी और वसूली योग्य ब्याज और अधिभार सुरक्षा विभाग पर सेंस की वापसी के लिए ₹ 1,202.44 लाख की राशि और 05.12.1995 से 04.11.1999 को भुगतान किया गया था। उक्त राशि से ₹ 614.48 लाख अन्य गैर ऑपरेटिंग आय के तहत दिखाया गया है और ₹ 587.96 लाख ब्याज आय के रूप में दिखाया गया है।

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017**Note 27 - Revenue from operations**

(₹ in lakh)

Particulars	For the Year ended 31st March 2017	For the Year ended 31st March 2016
Sale of Products	41,201.78	32,400.96
Other Operating Revenues / Sale of Services	5,007.86	3,897.79
Total	46,209.64	36,298.75

Note:

Sale of products includes earning in foreign exchange amounting to ₹ 19842.72 lakhs (Previous year ₹ 13,793.75 lakhs) calculated on FOB basis.

Revenue towards compensation for Nuclear Grade Amonium Di-uranate (NGADU) supplied exclusively to Government of India (GoI) is continued to be recognised on the basis of rate approved for the year 2010-11 vide communication dated 13th April, 2012; i.e. at ₹ 13,557/- per kg. This rate has been consistently applied for the initial recognition for all year from 2012-13 to 2016-17. This is because even though a higher rate may at times be claimed, the actual cost incurred (Which is the basis of the claim) may at difference plants/processes be less than the last approved rates (₹ 19,655/- per kg approved in 2014-15 for supplied effected in 2011-12 and ₹ 16,971/- per kg approved in 2016-17 for supplied effected in 2012-13). Upon receipt of specific approval, the differential impact is considered as part of the revenue in the year of receipt of such approval. Accordingly, ₹ 786.31 Lakhs being the difference of the sum initially recognised for F.Y. 2012-13 and the sum now approved is recognised in the year 2016-17.

Note 28 - Other income

(₹ in lakh)

Particulars	For the Year ended 31st March 2017	For the Year ended 31st March 2016
Interest Income on financial assets measured at amortised cost		
On Bank deposits	2,066.49	2,737.57
On others	1,566.02	790.40
Dividend income from financial assets measured at Fair value through profit or loss	196.69	178.22
Net foreign exchange gain	164.13	1.73
Profit on sale of property, plant and equipment	29.85	16.17
Other non-operating income	1,244.73	381.62
Total	5,267.91	4,105.71

As per order of Supreme Court & High Court, an amount of ₹ 1,202.44 lakh due from Tamil Nadu Govt towards refund of cess and surcharge on royalty and realisable interest thereon and security deposit paid 05.12.1995 to 04.11.1999. Out of the said amount ₹ 614.48 lakh is shown under other non operating Income and ₹ 587.96 lakh is shown as interest income.

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट 29 - खपत परिचालित सामग्री की लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष
कच्चा माल खपत	5,032.88	3,799.81
रसायन खपत	1,387.24	715.76
कुल	6,420.12	4,515.57

नोट 30 - तैयार वस्तुओं की सूची में परिवर्तन, स्टॉक-इन-ट्रेड और कार्य-प्रगति

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष
साल के अंत में		
तैयार माल #	8,434.06	7,817.82
कार्य प्रगति पर	822.02	991.30
आगे की प्रक्रिया के लिए इंटरमीडिएट उत्पाद	228.30	105.58
	9,484.38	8,914.70
साल की शुरुआत में		
तैयार माल	7,815.87	8,105.05
कार्य प्रगति पर	991.30	1,088.82
आगे की प्रक्रिया के लिए इंटरमीडिएट उत्पाद	105.58	6.29
	8,912.75	9,200.16
कुल	(517.63)	285.46

250.37 लाख के स्टॉक अंतर पर उत्पाद शुल्क शामिल है

नोट 31 - कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष
वेतन और मजदूरी	17,279.08	16,424.23
प्रोविडेंट और अन्य फंडों में योगदान	2,426.06	2,677.89
कर्मचारी कल्याण व्यय	3,601.70	3,504.02
कम : अन्य प्रमुखों को हस्तांतरित व्यय और सरकारी परियोजनाओं / पूंजी कार्यों से उपरिभार का पुनः आधार	(139.41)	(319.24)
कुल	23,167.43	22,286.90
बिमांकिक अभिलाभ / (हानि)		
उपदान	5.73	(126.47)
पीआरएमएस	(7.22)	350.73
कुल	(1.49)	224.26

नोट : विभिन्न कर्मचारियों के लाभ के लिए दिये गये प्रावधानों के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक-19 के लिए जरूरी प्रकटीकरण नोट नंबर 41 के तहत दिखाया गया है।

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017**Note 29 - Cost of materials consumed**

(₹ in lakh)

Particulars	For the Year ended 31st March 2017	For the Year ended 31st March 2016
Raw material consumed	5,032.88	3,799.81
Chemicals consumed	1,387.24	715.76
Total	6,420.12	4,515.57

Note 30 - Changes in inventories of finished goods, Stock-in-Trade and work-in-progress

(₹ in lakh)

Particulars	For the Year ended 31st March 2017	For the Year ended 31st March 2016
At the end of the Year		
Finished Goods#	8,434.06	7,817.82
Work-In-Progress	822.02	991.30
Intermediate product for further processing	228.30	105.58
	9,484.38	8,914.70
At the beginning of the Year		
Finished Goods	7,815.87	8,105.05
Work-In-Progress	991.30	1,088.82
Intermediate product for further processing	105.58	6.29
	8,912.75	9,200.16
Total	(571.63)	285.46

Includes Excise duty on stock difference of ₹ 250.37 lakhs

Note 31 - Employee benefits expense

(₹ in lakh)

Particulars	For the Year ended 31st March 2017	For the Year ended 31st March 2016
Salaries and wages	17,279.08	16,424.23
Contribution to provident and other funds	2,426.06	2,677.89
Staff welfare expense	3,601.70	3,504.02
Less: Expenditure transferred to other heads & recoupment of overhead charges from the Government projects/capital works	(139.41)	(319.24)
Total	23,167.43	22,286.90

Acturial Gain / (Loss)

Gratuity	5.73	(126.47)
PRMS	(7.22)	350.73
Total	(1.49)	224.26

Note: Disclosures required by Ind AS -19 in respect of provision made towards various Employees benefits is shown under Note no 41.

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट 32 - वित्त लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष
परिशोधित लागत पर मापा गया वित्तीय देनदारियों पर ब्याज व्यय:		
बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	36.76	20.31
ब्याज - अन्य	13.46	521.91
कुल	50.22	542.22

नोट 33 - अन्य खर्च

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष
भंडार और पुर्जों की खपत	2,124.25	2,108.45
बिजली और ईंधन	6,894.42	6,108.58
किराया	67.04	67.32
इमारतों की मरम्मत	463.11	546.10
मशीनरी की मरम्मत	745.01	639.61
मरम्मत-अन्य	979.63	588.07
बीमा	106.22	207.97
दरें और करों	68.43	79.49
रॉयल्टी	1,021.26	867.29
आर एंड डी व्यय	192.96	180.81
अपशिष्ट निपटान व्यय	176.23	137.48
पैकिंग और खर्च को संभालना	1,690.03	2,894.44
कमीशन	6.54	1.44
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण बेचे / छोड़ दिया पर नुकसान	6.37	0.94
संदिग्ध, ऋण, संपत्ति और अग्रिम के लिए प्रावधान	13.58	1,894.85
गैर-चलती स्टोर्स का नुकसान	38.00	59.29
सीएसआर और स्थिरता	58.33	211.45
यात्रा	256.90	343.32
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	9.08	8.13
कर लेखा परीक्षा शुल्क	-	1.78
लागत लेखा परीक्षा शुल्क	0.49	1.00
अन्य सेवाएं	0.04	0.25
यात्रा और जेब खर्च से बाहर	4.99	4.66
खनिजों पर निर्यात शुल्क	1,412.83	1,170.45
विविध व्यय	2,294.34	2,231.50
	18,630.08	20,354.67
कम : अन्य प्रमुखों को हस्तांतरित व्यय और सरकारी परियोजनाओं / पूंजीगत कार्यों से उपरि प्रभार का पुनर्पूजीकरण	(212.37)	(271.34)
कुल	18,417.71	20,083.33

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017**Note 32 - Finance costs**

(₹ in lakh)

Particulars	For the Year ended 31st March 2017	For the Year ended 31st March 2016
Interest expense on financial liabilities measured at amortised cost:		
Interest on bank overdraft	36.76	20.31
Interest - others	13.46	521.91
Total	50.22	542.22

Note 33 - Other expenses

(₹ in lakh)

Particulars	For the Year ended 31st March 2017	For the Year ended 31st March 2016
Consumption of stores and spares	2,124.25	2,108.45
Power and fuel	6,894.42	6,108.58
Rent	67.04	67.32
Repairs to buildings	463.11	546.10
Repairs to machinery	745.01	639.61
Repairs- others	979.63	588.07
Insurance	106.22	207.97
Rates and taxes	68.43	79.49
Royalty	1,021.26	867.29
R & D Expenses	192.96	180.81
Waste disposal expenses	176.23	137.48
Packing and handling expenses	1,690.03	2,894.44
Commission	6.54	1.44
Loss on property, plant and equipment sold/discarded	6.37	0.94
Provision for doubtful debts, assets and advances	13.58	1,894.85
Loss of non-moving stores	38.00	59.29
CSR & Sustainability	58.33	211.45
Travelling-	256.90	343.32
Statutory Audit fees	9.08	8.13
Tax audit fees	-	1.78
Cost Audit fees	0.49	1.00
Other services	0.04	0.25
Travelling and out of pocket expenses	4.99	4.66
Export Duty on minerals	1,412.83	1,170.45
Miscellaneous expenses	2,294.34	2,231.50
	18,630.08	20,354.67
Less: Expenditure transferred to other heads & recoupment of overhead charges from Government projects/capital works	(212.37)	(271.34)
Total	18,417.71	20,083.33

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

उत्पाद शुल्क में निम्न शामिल है :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष
उत्पाद शुल्क-अंतिम स्टॉक	118.42	535.18
उत्पाद शुल्क-प्रारंभिक स्टॉक	368.79	1,473.08
अंतर	(250.37)	(937.90)
उत्पाद शुल्क-अन्य	-	284.06
शुद्ध लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित	(250.37)	(653.84)
# नोट : आयातित / स्वदेशी स्पेयर पार्ट्स और खपत घटकों का मूल्य		
आयातित	0.21	0.47
स्वदेशी	99.79	99.53
कुल	100.00	100.00

नोट - सीएसआर व्यय

(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च किए जाने के लिए सकल राशि ₹ 102.44 लाख

(ख) 31.03.2017 को वर्ष के दौरान ₹ 58.33 लाख खर्च किए गए राशि।

विवरण	नकद में	कुल
(i) किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	30.80	30.80
(ii) उपर्युक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	27.53	27.53
कुल	58.33	58.33
फिर भी साल के लिए नकद में भुगतान किया जा रहा है शून्य है		

नोट : 19.05.2008 को चावरा में नौवहन और बैगिंग फोरम के श्रमिकों के लिए पृथक्करण पैकेज की पेशकश करने के लिए सहमत था। उपरोक्त, 108 शिपिंग फोरम श्रमिकों (पिछले वर्ष 26.9) के जवाब में और शून्य बैगिंग फोरम श्रमिकों (पिछले वर्ष 20) को साल 2016-17 के अंत तक खंडन पैकेज का भुगतान किया गया है। पैकिंग, हैंडलिंग और अग्रेषण खर्च में इसके लिए ₹ 130.20 लाख (पिछले वर्ष ₹ 308.62 लाख) की राशि शामिल है।

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017**Excise duty includes the following:**

(₹ in lakh)

Particulars	For the Year ended 31st March 2017	For the Year ended 31st March 2016
Excise duty-Closing Stock	118.42	535.18
Excise duty-Opening Stock	368.79	1,473.08
Difference	(250.37)	(937.90)
Excise duty-others	-	284.06
Net charged to Statement of Profit and Loss	(250.37)	(653.84)

Note: Value of imported / Indigenous spare parts & components consumed For the year ended 31st March 2017

Particulars	For the Year ended 31st March 2017	For the Year ended 31st March 2016
Imported	0.21	0.47
Indigenous	99.79	99.53
Total	100.00	100.00

Note - CSR Expenditure

- (a) Gross amount required to be spent by the company during the year ₹ 102.44 lakhs.
- (b) Amount spent during the year on 31.03.2017 ₹ 58.33 lakhs.

Particulars	In cash	Total
(i) Construction / acquisition of any asset	30.80	30.80
(ii) On purposes other than (i) above	27.53	27.53
Total	58.33	58.33

Yet to be paid in cash for the year is Nil.

It was agreed to offer severance package to the shipping and bagging forum workers at Chavara on 19.05.2008. In response to the above, 108 shipping forum workers (previous year 269) and Nil bagging forum workers (previous year 20) have been paid severance package up to the end of year 2016-17. Packing, handling and forwarding expenses includes an amount of ₹ 130.20 lakh (previous year ₹ 308.62 lakh) for the same.

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट 34 - आयकर व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
(क) आयकर व्यय		
वर्तमान कर		
चालू वर्ष के लिए		
आय कर	789.30	-
पहले के वर्षों के लिए		
आय कर	-157.66	(360.22)
कुल वर्तमान कर	631.64	(360.22)
आस्थगित कर		
अस्थगित कर प्रभार / (क्रेडिट)	(1,547.48)	(400.57)
कुल अस्थगित कर	(1,547.48)	(400.57)
कुल	(915.84)	(760.79)

नोट 34.1 : कर व्यय का सुलह और कर की दर से गुणा लेखा लाभ
(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
कर से पहले शुद्ध लाभ	4,158.95	(11,372.63)
कर 21.34% की दर से (पिछला वर्ष 30.90%) कम मेट का उपयोग	-	-
कर योग्य आय की गणना में कटौती / नहीं कर योग्य राशि के कर प्रभाव		
मूल्यहास	(182.11)	744.56
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	5.35	(576.23)
धारा के तहत अस्वीकृत	950.94	(105.04)
पोस्ट सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना	(95.56)	201.53
अन्य समय अंतर	(799.98)	(598.66)
असंभव नुकसान	(636.73)	-
ब्याज आय का निर्धारण	(0.54)	2.56
आस्थगित कर पर विमांकिक लाभ/हानि पर परिभाषित दायित्व लाभ	0.46	(69.30)
पिछले वर्ष में किए गए अतिरिक्त प्रावधानों का उलट होना	(157.67)	(360.22)
आयकर खर्च	(915.84)	(760.80)

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017**Note 34: Income tax expense**

(₹ in lakh)

Particulars	31st March 2017	31st March 2016
(a) Income tax expense		
Current tax		
For Current Year		
Income tax	789.30	-
For earlier years		
Income tax	-157.66	(360.22)
Total of Current tax	631.64	(360.22)
Deferred Tax		
Deferred tax charge/(credit)	(1,547.48)	(400.57)
Total of Deferred tax	(1,547.48)	(400.57)
Total	(915.84)	(760.79)

Note 34.1: Reconciliation of tax expense and the accounting profit multiplied by tax rate

(₹ in lakh)

Particulars	31st March 2017	31st March 2016
Net Profit before tax	4,158.95	(11,372.63)
Tax at the rate of 21.34% (Previous year: 30.90%) less MAT utilised	-	-
Tax effect of amounts which are not deductible / not taxable in calculating taxable income		
Depreciation	(182.11)	744.56
Provision for doubtful debts	5.35	(576.23)
Disallowance u/s 43B	950.94	(105.04)
Post retirement medical scheme	(95.56)	201.53
Other timing differences	(799.98)	(598.66)
Unabsorbed Loss	(636.73)	
Deferment of interest income	(0.54)	2.56
Deferred tax on actuarial gain / loss on defined benefit obligation	0.46	(69.30)
Reversal of excess provision made in earlier year	(157.67)	(360.22)
Income Tax expense	(915.84)	(760.80)

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

आस्थगित कर शेष के संबंध में	31 मार्च 2016 को	मान्यता प्राप्त/ उलट लाभ और नुकसान के माध्यम से	में मान्यता प्राप्त/ पुनः वर्गीकृत ओसीआई से	31 मार्च 2017 को
अस्थगित कर देयताएं के बदले में:				
पुस्तक और कर अवमूल्यन के बीच का अंतर	233.29	2,025.12		2,258.41
कुल आस्थगित कर देयताएं	233.29	2,025.12	-	2,258.41
इसके बदले अस्थगित कर परिसंपत्तियां				
अस्वीकृतियाँ धारा 43बी	3,231.14	105.04		3,336.18
संदेहास्पद ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	75.38	576.23		651.61
पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल स्कीम	1,780.39	(132.23)	-69.3	1,578.86
अन्य समय अंतर	790.03	598.66		1,388.69
अनवशेषित अवमूल्यन	-	1,280.56		1,280.56
अनवशेषित हानि	-	-		-
ब्याज आय का निर्धारण	3.81	(2.56)		1.25
वित्त पट्टा दायित्व	4.48	-		4.48
एमएटी क्रेडिट हकदारी	-	-		-
कुल आस्थगित कर संपत्तियाँ	5,885.23	2,425.70	(69.30)	8,241.63
कुल	5,651.94	400.58	(69.30)	5,983.22

वित्त वर्ष 2015-16 में ₹ 1,926.55 लाख की डीएफ़र्ड टैक्स परिसंपत्तियों को चालू वर्ष के नुकसान के संबंध में ₹ ६,२३४.८० लाख की राशि नहीं मिली है क्योंकि कंपनी की आशंका है कि भविष्य में उपलब्ध पर्याप्त लाभ नहीं हो सकता है जिसके खिलाफ स्थगित कर का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर शेष के संबंध में	31 मार्च 2016 को	मान्यता प्राप्त/ उलट लाभ और नुकसान के माध्यम से	में मान्यता प्राप्त/ पुनः वर्गीकृत ओसीआई से	31 मार्च 2017 को
अस्थगित कर देयताएं के बदले में:				
पुस्तक और कर अवमूल्यन के बीच का अंतर	2,258.41	(182.10)		2,076.31
कुल आस्थगित कर देयताएं	2,258.41	(182.10)	-	2,076.31
इसके बदले अस्थगित कर परिसंपत्तियां				
अस्वीकृतियाँ धारा 43बी	3,336.18	(950.94)		2,385.24
संदेहास्पद ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	651.61	(5.36)		646.25
पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल स्कीम	1,578.86	95.09	0.46	1,674.41
अन्य समय अंतर	1,388.69	786.57		2,175.26
अनवशेषित अवमूल्यन	1,280.56	13.43		1,293.99
अनवशेषित हानि	-	636.73		636.73
ब्याज आय का निर्धारण	1.25	0.54		1.80
वित्त पट्टा दायित्व	4.48	-		4.48
एमएटी क्रेडिट हकदारी	-	789.30	789.30	-
कुल आस्थगित कर संपत्तियाँ	8,241.63	1,365.37	0.46	9,607.46
कुल	5,983.22	1,547.47	0.46	7,531.14

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017

(₹ in lakh)

Deferred tax balance in relation to	As at 1st April 2015	Recognised/ reversed through profit and loss	Recognised in / reclassified from OCI	As at 31st March 2016
Deferred tax liabilities on account of:				
Difference between book and tax depreciation	233.29	2,025.12		2,258.41
Total deferred tax liabilities	233.29	2,025.12	-	2,258.41
Deferred tax assets on account of:				
Disallowances U/s 43B allowable as timing differences	3,231.14	105.04		3,336.18
Provision for Doubtful debts and Advances	75.38	576.23		651.61
Post Retirement Medical Scheme	1,780.39	(132.23)	-69.3	1,578.86
Other timing differences	790.03	598.66		1,388.69
Unabsorbed Depreciation	-	1,280.56		1,280.56
Unabsorbed loss	-	-		-
Deferment of interest income	3.81	(2.56)		1.25
Finance lease obligation	4.48	-		4.48
MAT credit entitlement	-	-		-
Total deferred tax assets	5,885.23	2,425.70	(69.30)	8,241.63
Total	5,651.94	400.58	(69.30)	5,983.22

In FY 2015-16, Deferred tax assets of ₹1,926.55 lakhs have not been recognised in respect of current year losses amounting to ₹ 6,234.80 lakhs since the Company anticipates that, there might not be sufficient profit available in future against which deferred tax can be utilised.

Deferred tax balance in relation to	As at 1st April 2016	Recognised/ reversed through profit and loss	Recognised in / reclassified from OCI	As at 31st March 2017
Deferred tax liabilities on account of:				
Difference between book and tax depreciation	2,258.41	(182.10)	-	2,076.31
Total deferred tax liabilities	2,258.41	(182.10)	-	2,076.31
Deferred tax assets on account of:				
Disallowances U/s 43B allowable as timing differences	3,336.18	(950.94)		2,385.24
Provision for Doubtful debts and Advances	651.61	(5.36)		646.25
Post Retirement Medical Scheme	1,578.86	95.09	0.46	1,674.41
Other timing differences	1,388.69	786.57		2,175.26
Unabsorbed Depreciation	1,280.56	13.43		1,293.99
Unabsorbed loss	-	636.73		636.73
Deferment of interest income	1.25	0.54		1.80
Finance lease obligation	4.48	-		4.48
MAT credit entitlement	-	789.30		789.30
Total deferred tax assets	8,241.63	1,365.37	0.46	9,607.46
Total	5,983.22	1,547.47	0.46	7,531.14

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट 35 : उचित मूल्य माप

श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन

विवरण	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		1 अप्रैल 2015 को	
	एफविटीपीएल	परिशोधित राशि	एफविटीपीएल	परिशोधित राशि	एफविटीपीएल	परिशोधित राशि
वित्तीय संपत्तियां : गैर-वर्तमान						
गैर-मौजूदा निवेश	1.42	-	1.42	-	1.62	-
सुरक्षा जमा राशि	-	1,632.84	-	1,483.89	-	1,415.40
ऋण और अग्रिम - कर्मचारी	-	1,172.80	-	1,343.28	-	1,370.98
अन्य ऋण और अग्रिम	-	16.75	-	0.53	-	4.45
वित्तीय संपत्ति : वर्तमान						
निवेश	6,172.69	-	-	-	-	-
व्यापार स्वीकार योग्य-	585.84	-	1,066.35	-	2,654.86	-
नकद और नकद समकक्ष	-	1,753.72	-	1,862.62	-	4,714.62
अन्य बैंक शेष राशि -	27,852.11	-	31,051.60	-	37,259.83	-
ऋण और अग्रिम - निदेशक	-	0.82	-	0.72	-	0.72
ऋण और अग्रिम - कर्मचारीवर्ग	-	847.20	-	907.89	-	1,055.50
अन्य ऋण और अग्रिम	-	7,876.22	-	6,590.65	-	2,187.83
अन्य मौजूदा वित्तीय संपत्तियां	-	3,058.72	-	324.25	-	164.49
कुल वित्तीय संपत्तियां	6,174.11	44,797.02	1.42	44,631.78	1.62	50,828.68
वित्तीय दायित्व : गैर-वर्तमान						
वित्त पट्टा दायित्वों	-	14.49	-	14.50	-	14.50
वित्तीय दायित्व : वर्तमान						
व्यापार देनदारियां	-	2,468.85	-	1,377.04	-	1,316.17
अन्य वर्तमान वित्तीय दायित्व	-	5,101.83	-	4,877.05	-	5,076.13
कुल वित्तीय दायित्व	-	7,585.17	-	6,268.59	-	6,406.80

I. उचित मूल्य पदानुक्रम

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्यों को उस राशि पर शामिल किया जाता है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त की जाती है या माप की तारीख में बाजार सहभागियों के बीच व्यवस्थित लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाता है। इस खंड में वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने में किए गए निर्णय और अनुमान बताते हैं (ए) उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त और मापा जाता है और (बी) परिशोधित लागत पर मापा जाता है और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों को प्रकट किया जाता है। उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने के लिए कंपनी ने अपने वित्तीय साधनों को लेखा मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर का स्पष्टीकरण तालिका के नीचे दिया गया है।

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017**Note 35: Fair value measurements****Financial instruments by category**

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31st March 2017		As at 31st March 2016		As at 1st April 2015	
	FVTPL	Amortised cost	FVTPL	Amortised cost	FVTPL	Amortised cost
Financial assets: Non-current						
Non-current investments	1.42	-	1.42	-	1.62	-
Security deposit	-	1,632.84	-	1,483.89	-	1,415.40
Loans and advances - employees	-	1,172.80	-	1,343.28	-	1,370.98
Other Loans and advances	-	16.75	-	0.53	-	4.45
Financial assets: Current						
Investment	6,172.69	-	-	-	-	-
Trade receivables	-	585.84	-	1,066.35	-	2,654.86
Cash and cash equivalents	-	1,753.72	-	1,862.62	-	4,714.62
Other Bank balances	-	27,852.11	-	31,051.60	-	37,259.83
Loans and advances-directors	-	0.82	-	0.72	-	0.72
Loans and advances-employees	-	847.20	-	907.89	-	1,055.50
Other Loans and advances	-	7,876.22	-	6,590.65	-	2,187.83
Other current financial assets	-	3,058.72	-	324.25	-	164.49
Total financial assets	6,174.11	44,797.02	1.42	44,631.78	1.62	50,828.68
Financial liabilities: Non-current						
Finance lease obligations	-	14.49	-	14.50	-	14.50
Financial liabilities: Current						
Trade payables	-	2,468.85	-	1,377.04	-	1,316.17
Other current financial liabilities	-	5,101.83	-	4,877.05	-	5,076.13
Total financial liabilities	-	7,585.17	-	6,268.59	-	6,406.80

I. Fair value hierarchy

The fair values of the financial assets and liabilities are included at the amount that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. This section explains the judgements and estimates made in determining the fair values of the financial instruments that are (a) recognised and measured at fair value and (b) measured at amortised cost and for which fair values are disclosed in the financial statements. To provide an indication about the reliability of the inputs used in determining fair value, the Company has classified its financial instruments into the three levels prescribed under the accounting standard. An explanation of each level follows underneath the table.

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

- स्तर 1 :** स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके वित्तीय साधनों का मूल्यांकन किया गया है। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी इंस्ट्रुमेंट्स, ट्रेडड बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड शामिल हैं जो कीमत उद्धृत करते हैं। सभी इक्विटी इंस्ट्रुमेंट्स (बॉन्ड सहित) का उचित मूल्य, जो स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार किया जाता है, को रिपोर्टिंग अवधि के रूप में समापन मूल्य इंस्ट्रुमेंट्स उपयोग करके मूल्यांकन किया जाता है। म्यूचुअल फंड बंद एनएवी का उपयोग करके मूल्यवान हैं।
- स्तर 2 :** वित्तीय साधनों का उचित मूल्य जो एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है (उदाहरण के लिए, व्यापार किए गए बांड, ओवर-द-काउंटर व्युत्पत्ती) वैल्यूएशन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जो माननीय बाजार डेटा के उपयोग को अधिकतम करते हैं और यथासंभव कम निर्भर करते हैं। इकाई-विशिष्ट अनुमान पर यदि उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण निविष्टियाँ एक साधन को देखे जाने योग्य हैं, तो उपकरण स्तर 2 में शामिल है।
- स्तर 3 :** यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियाँ अन्वेषणीय बाजार आंकड़ों के आधार पर नहीं है, तो उपकरण को स्तर 3 में शामिल किया गया है। यह अनलिस्टेड इक्विटी प्रतिभूति, आकस्मिक विचार और क्षतिपूर्ति परिसंपत्ति स्तर 3 में शामिल है।

II. उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों के लिए इस्तेमाल महत्वपूर्ण मूल्यांकन तकनीकों में शामिल हैं :

सुरक्षा जमाओं के लिए उचित मूल्य, कर्मचारियों के लिए ऋण, एसबीआई की मौजूदा ब्याज दर के औसत पर विचार करते हुए निर्धारित छूट का उपयोग करके छूट वाले नकदी प्रवाह पर आधारित होते हैं, 10 साल के बंधन पर औसत उपज दर, पिछले 10 वर्षों के औसत प्राइम लेंडिंग दर।

III. मूल्य प्रक्रिया

कंपनी का वित्त विभाग वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए आवश्यक परिसंपत्तियों और देनदारियों का मूल्यांकन करता है टीम मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुमोदन के लिए निदेशक वित्त को सीधे रिपोर्ट करता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए मुख्य स्तर 2 इनपुट प्राप्त और मूल्यांकन किया गया है :

एसबीआई की मौजूदा ब्याज दर 10 साल के बॉन्ड पर औसत उपज दर, पिछले 10 साल औसत प्राइम लेंडिंग रेट के औसत के मुकाबले डिस्काउंट दर निर्धारित की जाती है, जो परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन और जोखिम का प्रतिबिंबित करती है।

IV. उचित मूल्य पदानुक्रम - आवर्ती उचित मूल्य माप :

6,174.11 लाख की राशि के मुकाबले म्यूचुअल फंड में निवेश, लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य के हिसाब से वर्गीकृत किया गया है।

- V.** परिष्कृत मूल्यों पर मापा गया वित्तीय संपत्ति और देनदारियों का उचित मूल्य जिसके लिए उचित मूल्यों को प्रकट किया गया है। (यह उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर 2 के अंतर्गत वर्गीकृत है)

विवरण	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		1 अप्रैल 2015 को	
	ले जाने वाली राशि	उचित मूल्य	ले जाने वाली राशि	उचित मूल्य	ले जाने वाली राशि	उचित मूल्य
वित्तीय संपदा :						
सुरक्षा जमा राशि	1,632.84	1,569.22	1,483.89	1,467.87	1,415.40	1,415.40
ऋण और अग्रिम - कर्मचारी	2,020.00	2,173.04	2,251.17	2,423.03	2,426.48	2,426.48
वित्तीय देयताएं - गैर-वर्तमान						
वित्त पट्टा दायित्वों	14.49	18.38	14.50	16.88	14.50	14.50
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	14.49	18.38	14.50	16.88	14.50	14.50

व्यापार प्राप्य, नकद और नकद समकक्ष, ऋण और अग्रिमों के संचालन मात्रा - निदेशकों, अन्य ऋण और अग्रिम, अन्य मौजूदा वित्तीय संपत्तियां, व्यापार भुगतान और अन्य मौजूदा वित्तीय देनदारियों को उनके लघु प्रकृति के कारण उचित मूल्यों के समान ही माना जाता है।

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017

Level 1: Level 1 hierarchy includes financial instruments measured using quoted prices. This includes listed equity instruments, traded bonds and mutual funds that have quoted price. The fair value of all equity instruments (including bonds) which are traded in the stock exchanges is valued using the closing price as at the reporting period. The mutual funds are valued using the closing NAV.

Level 2: The fair value of financial instruments that are not traded in an active market (for example, traded bonds, over-the-counter derivatives) is determined using valuation techniques which maximise the use of observable market data and rely as little as possible on entity-specific estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in level 2.

Level 3: If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in level 3. This is the case for unlisted equity securities, contingent consideration and indemnification asset included in level 3.

There are no transfers between fair value hierarchy levels during the year.

Loans to employees and security deposits have been categorised into level 2 of fair value hierarchy. All the other items have been categorised into level 3.

II. Valuation technique used to determine fair value

Significant valuation techniques used to value financial instruments include:

The fair value of the financial instruments (i.e. Non current security deposits and loans to employees) is determined using discounted cash flow analysis.

The fair values for Security deposits, loan to employees are based on discounted cash flows using a discount rate determined considering the average of prevailing interest rate of SBI, average yield rate on 10 year bond, last 10 years average prime lending rate.

III. Valuation processes

The finance department of the company performs the valuation of assets and liabilities required for financial reporting purposes. The team directly reports to the Director Finance for approval of the valuation method.

The main Level 2 input for the valuation process are derived and evaluated as follows:

Discount rates are determined considering the average of prevailing interest rate of SBI, average yield rate on 10 year bond, last 10 years average prime lending rate that reflect current market assessment of the time value of money and the risk specific to the asset.

IV. Fair value hierarchy - recurring fair value measurement:

Investment in mutual fund amounting to ₹ 6,174.11 lakhs accounted at Fair value through profit and loss is categorised into Level 1 of hierarchy.

V. Fair value of financial assets and liabilities measured at amortised cost for which fair values are disclosed (It is categorised under Level 2 of fair value hierarchy)

(₹ in lakh)

Particulars	31st March 2017		31st March 2016		1st April 2015	
	Carrying amount	Fair value	Carrying amount	Fair value	Carrying amount	Fair value
Financial assets:						
Security deposit	1,632.84	1,569.22	1,483.89	1,467.87	1,415.40	1,415.40
Loans and advances - employees	2,020.00	2173.04	2,251.17	2423.03	2,426.48	2,426.48
Financial liabilities: Non-current						
Finance lease obligations	14.49	18.38	14.50	16.88	14.50	14.50
Total financial assets	14.49	18.38	14.50	16.88	14.50	14.50

The carrying amounts of Trade receivables, Cash and cash equivalents, loans and advances - directors, other Loans and advances, other current financial assets, trade payables and other current financial liabilities are considered to be the same as their fair values, due to their short-term nature.

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट 36 : वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में वित्त पट्टे के दायित्व, व्यापार और अन्य देनदारी शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्त करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण व्यापार और अन्य प्राप्तियों, एवं नकदी और नकद समकक्ष शामिल हैं जो अपने कार्यों से सीधे प्राप्त होते हैं। कंपनी सहकारी समितियों में एफवीटीपीएल निवेश भी रखती है। कंपनी क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और तरलता जोखिम के संपर्क में है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करते हैं।

I. ऋण जोखिम

कंपनी अपने परिचालन गतिविधियों (मुख्य रूप से व्यापार प्राप्तियों के लिए) से और अपने वित्तीय गतिविधियों (बैंकों और अन्य वित्तीय साधनों के साथ जमा) से क्रेडिट जोखिम से अवगत कराई गई है।

ऋण जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन करने के लिए, कंपनी एक नीति का पालन करती है जिसमें ग्राहकों को सामान खरीदने से पहले एक अग्रिम भुगतान करना पड़ता है। इस प्रकार, व्यापार प्राप्तियों पर हानि के नुकसान का आकलन करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि संगठनात्मकता जोखिम को कम किया जाता है।

बैंक के बैलेंस केवल उच्च दर वाले बैंकों के साथ आयोजित किए जाते हैं और अधिकांश अन्य सुरक्षा जमा सरकारी एजेंसियों के साथ बड़े पैमाने पर रखे जाते हैं।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
6 महीने तक	582.84	550.62	2,617.42
6 से 12 महीने	0.12	5.31	35.12
12 से 24 महीने	2.84	509.94	0.97
24 से 36 महीने	0.04	0.00	-
36 महीने से अधिक	-	0.49	1.36
कुल	585.84	1,066.35	2,654.86

II. लिक्विडिटी जोखिम

लिक्विडिटी जोखिम को जोखिम के रूप में परिभाषित किया जाता है कि कंपनी समय पर या उचित मूल्य पर अपने दायित्वों को व्यवस्थित या पूरा करने में सक्षम नहीं होगी। कंपनी के लिए, वित्तीय देनदारियों जैसे कि वित्त पट्टे, व्यापार भुगतान और अन्य वित्तीय देनदारियों के कारण चलनिधि में जोखिम उठता है।

(क) लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन

कंपनी के कॉर्पोरेट ट्रेजरी विभाग तरलता और फंडिंग और साथ ही निपटान के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त, ऐसे जोखिमों से संबंधित प्रक्रियाओं और नीतियों वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा देखरेख की जाती हैं। प्रबंधन उम्मीद की नकदी प्रवाह के आधार पर रोलिंग पूर्वानुमान के माध्यम से कंपनी की शुद्ध तरलता स्थिति पर नज़र रखती है।

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017

Note 36: Financial risk management

The Company's principal financial liabilities comprise finance lease obligations, trade and other payables. The main purpose of these financial liabilities is to finance the Company's operations. The Company's principal financial assets include loans, trade and other receivables, and cash and cash equivalents that derive directly from its operations. The Company also holds FVTPL investments in co-operative societies. The Company is exposed to credit risk, market risk and liquidity risk. The Company's senior management oversees the management of these risks.

I. Credit risk

The company is exposed to credit risk from its operating activities (primarily for trade receivables) and from its financing activities (deposits with banks and other financial instruments).

Credit risk management

To manage the credit risk, the Company follows a policy wherein the customers are required to make an advance payment before procurement of goods. Thus, the requirement of assessing the impairment loss on trade receivables does not arise, since the collectibility risk is mitigated.

Bank balances are held with only high rated banks and majority of other security deposits are placed majorly with government agencies.

Age of receivables that are past due but not impaired

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
Upto 6 months	582.84	550.62	2,617.42
6 to 12 months	0.12	5.31	35.12
12 to 24 months	2.84	509.94	0.97
24 to 36 months	0.04	0.00	-
More than 36 months	-	0.49	1.36
Total	585.84	1,066.35	2,654.86

II. Liquidity risk

Liquidity risk is defined as the risk that the company will not be able to settle or meet its obligations on time or at a reasonable price. For the company, liquidity risk arises from obligations on account of financial liabilities such as finance lease, trade payables and other financial liabilities.

(a) Liquidity risk management

The Company's corporate treasury department is responsible for liquidity and funding as well as settlement. In addition, processes and policies related to such risks are overseen by senior management. Management monitors the Company's net liquidity position through rolling forecasts on the basis of expected cash flows.

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं की परिपक्वता

(₹ लाख में)

विवरण	6 महीने से कम	6 महीने से 1 साल	1 से 5 साल के बीच	5 साल से परे	कुल
व्यापार देनदारियां	2,468.83	-	-	-	2,468.83
वित्त पट्टा	-	1.61	8.05	86.94	96.60
अन्य वित्तीय देयताएं	3,971.46	1,130.38	-	-	5,101.84
कुल	6,440.29	1,131.99	8.05	86.94	7,667.27

31 मार्च 2016 तक

गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं की परिपक्वता

(₹ लाख में)

विवरण	6 महीने से कम	6 महीने से 1 साल	1 से 5 साल के बीच	5 साल से परे	कुल
व्यापार देनदारियां	1,377.04	-	-	-	1,377.04
वित्त पट्टा	-	1.61	8.05	88.55	98.21
अन्य वित्तीय देयताएं	3,754.46	1,122.58	-	-	4,877.04
कुल	5,131.50	1,124.19	8.05	88.55	6,352.29

31 मार्च 2015 तक

गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं की परिपक्वता

(₹ लाख में)

विवरण	6 महीने से कम	6 महीने से 1 साल	1 से 5 साल के बीच	5 साल से परे	कुल
व्यापार देनदारियां	1,316.18	-	-	-	1,316.18
वित्त पट्टा	-	1.61	8.05	90.16	99.82
अन्य वित्तीय देयताएं	3,971.18	1,104.95	-	-	5,076.13
कुल	5,287.36	1,105.56	8.05	90.16	6,492.13

III. बाजार जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के जोखिम के लिए कंपनी का एक्सपोजर मुख्य विदेशी बिक्री (यानी यूएस डॉलर) के कारण मुख्य रूप से कंपनी के परिचालन गतिविधियों से संबंधित होता है। इसलिए, विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का मुकाबला करने के लिए, कंपनी एक ऐसी पॉलिसी का अनुसरण करती है जिसमें बिक्री केवल ग्राहकों से अग्रिम प्राप्त होने पर की जाती है। इस प्रकार, कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम से प्रभावित नहीं होती है।

मूल्य जोखिम

कंपनी को म्यूचुअल फंड में अपने निवेश से मूल्य जोखिम से अवगत कराया जाता है और लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर तुलन पत्र में वर्गीकृत किया जाता है।

निवेश से उत्पन्न होने वाले अपने मूल्य जोखिम को प्रबंधित करने के लिए कंपनी ने जोखिम का ख्याल रखने के बाद म्यूचुअल फंड में निवेश किया है और रिटर्न प्रोफाइल यानी म्यूचुअल फंड का ऋण प्रोफाइल इंगित करता है कि ऋण के लिए ऋण और अन्य संस्थागत दलों को ऋण दिया गया है।

संवेदनशीलता	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
एनएवी में 2% की वृद्धि के लिए कर के बाद लाभ पर प्रभाव	123.45	-
एनएवी में 2% कमी के लिए कर के बाद लाभ पर प्रभाव	(123.45)	-

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017**As at 31st March 2017****Maturities of non-derivative financial liabilities**

(₹ in lakh)

Particulars	Less than 6 months	6 months to 1 year	Between 1 and 5 years	Beyond 5 years	Total
Trade payables	2,468.83	-	-	-	2,468.83
Finance lease	-	1.61	8.05	86.94	96.60
Other financial liabilities	3,971.46	1,130.38	-	-	5,101.84
Total	6,440.29	1,131.99	8.05	86.94	7,667.27

As at 31st March 2016**Maturities of non-derivative financial liabilities**

(₹ in lakh)

Particulars	Less than 6 months	6 months to 1 year	Between 1 and 5 years	Beyond 5 years	Total
Trade payables	1,377.04	-	-	-	1,377.04
Finance lease	-	1.61	8.05	88.55	98.21
Other financial liabilities	3,754.46	1,122.58	-	-	4,877.04
Total	5,131.50	1,124.19	8.05	88.55	6,352.29

As at 1 April 2015**Maturities of non-derivative financial liabilities**

(₹ in lakh)

Particulars	Less than 6 months	6 months to 1 year	Between 1 and 5 years	Beyond 5 years	Total
Trade payables	1,316.18	-	-	-	1,316.18
Finance lease	-	1.61	8.05	90.16	99.82
Other financial liabilities	3,971.18	1,104.95	-	-	5,076.13
Total	5,287.36	1,106.56	8.05	90.16	6,492.13

III. Market risk**Foreign currency risk**

The company's exposure to the risk of changes in foreign exchange rates relates primarily to the company's operating activities due to major overseas sales (i.e. US dollars). Hence, to combat the foreign currency exposure, the company follows a policy wherein the sale is made only on receipt of advance from the customers. Thus, the company is not exposed to foreign currency risk.

Price risk

The company is exposed to price risk from its investment in mutual fund and classified in the balance sheet at fair value through profit and loss.

To manage its price risk arising from the investment, the Company has invested in the mutual fund after considering its risk and return profile i.e. the debt profile of the mutual fund indicates that the debt has been given to creditworthy banks and other institutional parties.

Sensitivity	31st March 2017	31st March 2016
Impact on profit after tax for 2% increase in NAV	123.45	-
Impact on profit after tax for 2% decrease in NAV	(123.45)	-

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स**नोट 37 : पूंजी प्रबंधन**

कंपनी की पूंजी प्रबंधन के प्रयोजन के लिए, पूंजी में जारी इक्विटी पूंजी और इक्विटी धारकों के लिए अन्य सभी इक्विटी रिजर्व शामिल हैं। कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करना है।

कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक स्थितियों में परिवर्तनों और वित्तीय करारों की आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजन करता है। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को लाभांश भुगतान समायोजित कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी वापस कर सकती है या नए शेयर जारी कर सकता है। कंपनी गियरिंग अनुपात का उपयोग करके पूंजी का निरीक्षण करती है, जो कुल पूंजी और शुद्ध ऋण द्वारा विभाजित शुद्ध ऋण है। कंपनी में शुद्ध ऋण, व्यापार और अन्य भुगतान, कम नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
व्यापार देयताएं	2,468.85	1,377.04	1,316.17
अन्य मौजूदा वित्तीय देयताएं	5,101.83	4,877.05	5,076.13
कम : नकद और नकद समकक्ष	(1,753.72)	(1,862.62)	(4,714.62)
शुद्ध ऋण	5,816.96	4,391.47	1,677.68
इक्विटी	67,984.54	62,910.78	75,446.64
कुल पूंजी	67,984.54	62,910.78	75,446.64
पूंजी और शुद्ध ऋण	62,167.58	58,519.31	73,768.96
गियरिंग का अनुपात	9.36%	7.50%	2.27%

लाभांश

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
(i) इक्विटी शेयर पूर्ण रूप से भुगतान किए गए शेयरों के लिए ₹ 200 के 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	शून्य	172,730,000
(ii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लाभांश मान्यता प्राप्त नहीं है	शून्य	शून्य

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017

Note 37: Capital management

For the purpose of the Company's capital management, capital includes issued equity capital and all other equity reserves attributable to the equity holders. The primary objective of the Company's capital management is to maximise the shareholder value.

The Company manages its capital structure and makes adjustments in light of changes in economic conditions and the requirements of the financial covenants. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares. The Company monitors capital using a gearing ratio, which is net debt divided by total capital plus net debt. The Company includes within net debt, trade and other payables, less cash and cash equivalents.

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
Trade payables	2,468.85	1,377.04	1,316.17
Other current financial liabilities	5,101.83	4,877.05	5,076.13
Less: Cash and cash equivalents	(1,753.72)	(1,862.62)	(4,714.62)
Net debt	5,816.96	4,391.47	1,677.68
Equity	67,984.54	62,910.78	75,446.64
Total capital	67,984.54	62,910.78	75,446.64
Capital and net debt	62,167.58	58,519.31	73,768.96
Gearing ratio	9.36%	7.50%	2.27%

Dividends

Particulars	31st March 2017	31st March 2016
(i) Equity shares Final dividend for the year ended 31st March 2015 of ₹ 200 per fully paid share	NIL	172,730,000
(ii) Dividends not recognised at the end of the reporting period	NIL	NIL

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट 38 : घटक सूचना

घटक का विवरण एवं मुख्य कार्यकलाप

कंपनी के मुख्य संचालन निर्णय निर्माता - कार्यकारी निदेशकों का समूह ने कंपनी के प्रदर्शन की जांच करता है। प्रबंधन ने ऑपरेटिंग घटक की पहचान मुख्य ऑपरेटिंग निर्णय निर्माता द्वारा समीक्षा के आधार पर की है। प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए, कंपनी को अपने उत्पादों के आधार पर व्यापारिक इकाइयों में संगठित किया जाता है और दो रिपोर्ट करने योग्य घटक निम्नानुसार हैं :

- (क) खनिज प्रभाग जिसमें ऑस्कॉम, एमके, एवं चवरा यूनिट सम्मिलित है।
- (ख) रसायन यूनिट जिसमें एमओपीपी एवं आरईडी यूनिट सम्मिलित हैं।

घटक की ऑपरेटिंग गतिविधियों के संबंध में राजस्व और व्यय का संबंध उनके संबंधों के आधार पर किया गया है। आय और व्यय, जो कंपनी को पूरी तरह से संबंधित हैं और उचित आधार पर खंडों के लिए आवंटित नहीं हैं, को क्रमशः “अपरिवर्तनीय आय” और “अविनिधानीय व्यय” के अंतर्गत शामिल किया गया है। संपत्ति और देयताओं, जो पूरे उद्यम से संबंधित हैं और एक उचित आधार पर खंडों के लिए आवंटित नहीं हैं, को “असहनीय संपत्ति / देनदारियों” के अंतर्गत शामिल किया गया है। इंटर-सेगमेंट स्थानान्तरण को समान वस्तुओं के लिए असंबद्ध ग्राहकों से जुड़े प्रतिस्पर्धी बाजार मूल्यों के लिए देयताओं माना जाता है।

घटक राजस्व एवं परिणाम

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 को			31 मार्च 2016 को		
	खनिज पृथक्करण	रसायन यूनिटों	कुल	खनिज पृथक्करण	रसायन यूनिटों	कुल
राजस्व						
बाह्य ग्राहक	36,907.37	3,381.96	40,289.33	31,655.33	4,527.77	36,183.10
अंतरघटक बिक्री	-	-	-	12.07	(12.07)	-
<u>अन्य आय</u>						
बाह्य ग्राहक	1,676.53	4,909.70	6,586.23	583.13	68.70	651.83
अंतरघटक	-	-	-	-	-	-
कुल घटक राजस्व	38,583.90	8,291.66	46,875.56	32,250.53	4,584.40	36,834.93
गैरविनिधान	-	-	276.47	-	-	250.56
कुल राजस्व (अंतरघटक से पृथक् निवल)	-	-	-	32,250.53	4,584.40	37,085.49
परिणाम						
घटक परिणाम	330.74	(2,769.58)	(2,438.84)	(7,018.86)	(3,795.13)	(10,813.99)
गैर आवंटित कारपोरेट व्यय (शुद्ध)	-	-	3,015.50	-	-	(3,544.36)
प्रचालन लाभ	-	-	576.66	-	-	(14,358.35)
ब्याज व्यय	-	-	50.22	-	-	542.22
ब्याज आय	-	-	3,632.50	-	-	3,527.97
कर पूर्व लाभ	-	-	4,158.95	-	-	(11,372.60)

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017

Note 38: Segment information

Description of segments and principal activities

The company's chief operating decision maker - Group of executive directors examines the company's performance. The management has identified the operating segment on the basis of review by chief operating decision maker. For management purposes, the Company is organised into business units based on its products and has two reportable segments, as follows:

- (a) Mineral division, which comprises of OSCOM, M.K. and Chavara units
- (b) Chemical units, which comprises of MOPP and RED units.

Revenue and expenses has been accounted on the basis of their relationship to the operating activities of the segment. Income and expenses, which relate to the Company as a whole and are not allocable to segments on a reasonable basis, have been included under "Unallocable Income" and "Unallocable Expenses" respectively. Assets and Liabilities, which relate to the enterprise as a whole and are not allocable to segments on a reasonable basis, have been included under "Unallocable Assets/ Liabilities". Inter-segment transfers are accounted for at competitive market prices charged to unaffiliated customers for similar goods.

Segment revenue and results:

(₹ in lakh)

	31st March 2017			31st March 2016		
	Mineral Separation Units	Chemical units	Total	Mineral Separation Units	Chemical units	Total
Revenue						
External customers	36,907.37	3,381.96	40,289.33	31,655.33	4,527.77	36,183.10
Inter-Segment Sales	-	-	-	12.07	(12.07)	-
Other Income						-
External customers	1,676.53	4,909.70	6,586.23	583.13	68.70	651.83
Inter-Segment				-	-	-
Total segment revenue	38,583.90	8,291.66	46,875.56	32,250.53	4,584.40	36,834.93
Unallocable			276.47			250.56
Total Revenue (Net-off Inter-segment)				32,250.53	4,584.40	37,085.49
Results						
Segment result	330.74	(2,769.58)	(2,438.84)	(7,018.86)	(3,795.13)	(10,813.99)
Unallocated Corporate expenses (Net)			3,015.50			(3,544.36)
Operating Profit			576.66			(14,358.35)
Interest Expenses			50.22			542.22
Interest Income			3,632.50			3,527.97
Profit Before Tax			4,158.95			(11,372.60)

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाने नोट्स

घटक परिसंपत्तियाँ एवं देयताएं:

वित्तीय विवरण में घटक परिसंपत्तियाँ एवं देयताओं को उसी प्रकार मापा जाता है। इन परिसंपत्तियों एवं देयताओं को घटक परिचालन एवं मौलिक स्थान की संपत्ति के आधार पर आबंटित किया जाता है।

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2017			31 मार्च, 2016			1 अप्रैल, 2015		
	खनिज पृथक्करण यूनितों	रसायन यूनितों	कुल	खनिज पृथक्करण यूनितों	रसायन यूनितों	कुल	खनिज पृथक्करण यूनितों	रसायन यूनितों	कुल
घटक परिसंपत्तियाँ									
गैर आबंटित परिसंपत्तियाँ	15,126.65	(29.44)	15,097.22	(144.20)	(3,096.90)	(3,241.10)	3,888.23	793.34	4,681.57
कुल परिसंपत्तियाँ			90,972.66			102,851.93			95,633.98
			106,069.87			99,610.83			100,315.56
घटक देयताएं									
गैर आबंटित देयताएं	33,342.19	18,496.95	51,839.14	31,605.28	17,548.26	49,153.53	47,710.15	7,635.40	55,345.55
कुल देयताएं			54,165.31			50,463.32			48,572.66
			106,004.44			99,616.85			103,918.21
अन्य देयताएं									
पूंजीगत व्यय	1,417.04	357.54	1,774.58	1,875.28	190,951.26	12,826.54	1,503.33	170.15	1,673.48
गैर आबंटित पूंजीगत व्यय			13.45			29.56			16.79
कुल योग			1,788.03			12,856.10			1,690.27
मूल्यहास									
गैर आबंटित मूल्यहास	2,346.28	1,311.03	3,657.31	1,713.86	1,249.30	2,963.16	1,978.51	140.82	2,119.33
कुल योग			26.86			30.69			37.17
			3,684.17			2,993.85			2,156.50
मूल्यहास के अलावा गैर-नकद व्यय									
मूल्यहास के अलावा गैर आबंटित गैर-नकद व्यय	(224.69)	32.27	(192.42)	1734.72	53.81	1,788.53	(724.49)	(101.57)	(826.06)
कुल योग			-			0.16			-
			(192.42)			1,788.69			(826.06)
गैर चालू संपत्ति (वित्तीय साधन, डीटीए और कर्मचारी लाभ के अलावा)									
भारत			27,342.57			27,973.32			28,332.99
भारत के बाहर			-			-			-
कुल योग			27,342.57			27,973.32			28,332.99

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017

Segment assets and liabilities:

Segment assets and liabilities are measured in the same way as in the financial statements. These assets and liabilities are allocated based on the operations of the segment and the physical location of the asset.

(₹ in lakh)

Particulars	31st March 2017		31st March 2016		1st April 2015	
	Mineral Separation Units	Chemical Units	Total	Mineral Separation Units	Chemical Units	Total
Segment assets						
Unallocated assets	15,126.65	(29.44)	15,097.22	(144.20)	(3,096.90)	(3,241.10)
			90,972.66			102,851.93
Total assets			106,069.87			99,610.83
Segment liabilities						
Unallocated liabilities	33,342.19	18,496.95	51,839.14	31,605.28	17,548.26	49,153.53
			54,165.31			50,463.32
Total liabilities			106,004.44			99,616.85
Other disclosures						
Capital Expenditure	1,417.04	357.54	1,774.58	1,875.28	10,951.26	12,826.54
Unallocated capital expenditure			13.45			29.56
Total			1,788.03			12,856.10
Depreciation	2,346.28	1,311.03	3,657.31	1,713.86	1,249.30	2,963.16
Unallocated depreciation			26.86			30.69
Total			3,684.17		2,993.85	
Non-cash expenses other than depreciation	(224.69)	32.27	(192.42)	1,734.72	53.81	1,788.53
Unallocated non-cash expenses other than depreciation				-		(724.49)
Total			(192.42)		0.16	(101.57)
Non Current Assets (Other than Financial Instrument, DTA& Employee Benefits)						
India			27,342.57			27,973.32
Outside India			-			-
Total			27,342.57		27,973.32	28,332.99

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट 39 : संबंधित पार्टी लेनदेन

भारतीय लेखामानक 24 "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" के अनुसार, लेखा मानक में परिभाषित संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन का प्रकटीकरण नीचे दिया गया है :

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक :

कार्यात्मक निदेशक

1.	श्री डी. सिंह	:	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
2.	श्री सी.के. असनानी	:	निदेशक (तकनीकी) - 31.08.2016 तक
3.	श्री राकेश तुमाने	:	निदेशक (वित्त)
4.	श्री के.के. महान्ती	:	निदेशक (विपणन) - 01.02.2017 से
5.	श्री बी. ज्योतिकुमार	:	स्वतंत्र निदेशक
6.	डॉ. अशोक कुमार लोमास	:	स्वतंत्र निदेशक
7.	श्री शकील अहमद	:	स्वतंत्र निदेशक
8.	सुश्री शीला संगवान	:	स्वतंत्र निदेशक
9.	श्री बी.आर. तरफदार	:	कंपनी सचिव

प्रमुख निदेशकों के साथ लेनदेन का विवरण इस प्रकार है :

वर्ष 2016-17 के दौरान बैठे फीस के लिए स्वतंत्र निदेशकों को ₹ 3,40,000 (पिछला वर्ष ₹ 3,50,000) का भुगतान किया गया था।

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेन-देन के विवरण निम्नानुसार है :

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
1.	परिश्रमिक	101.52	119.93
2.	दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान	0.70	1.20
3.	ब्याज	0.82	1.18
4.	31 मार्च को बकाया शेष वसूली योग्य धनराशि	0.82	0.70

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के वैयक्तिक पारिश्रमिक विवरण

क्र.सं.	नाम	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
1.	डॉ. आर.एन. पात्र	-	26.43
2.	श्री डी. सिंह	35.02	26.58
3.	श्री सी.के. असनानी	16.82	25.85
4.	श्री राकेश तुमाने	27.06	25.54
5.	श्री के.के. महान्ती	4.91	15.53
6.	श्री बी.आर. तरफदार	17.71	-
	कुल	101.52	119.93

दिये गये ऋण एवं अग्रिम का भुगतान एवं पुनर्भुगतान

क्र.सं.	नाम	दिए गए ऋण का भुगतान			दी गई अग्रिम			बकाया शेष		
		31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
1.	डॉ. आर.एन. पात्र	-	0.58	0.72	-	-	-	-	-	0.58
2.	श्री राकेश तुमाने	0.54	0.30	0.91	-	0.77	-	0.82	0.54	0.07
3.	श्री बी.आर. तरफदार	0.16	0.32	0.30	-	0.41	-	-	0.16	0.07
	कुल	0.70	1.20	1.93	-	1.18	-	0.82	0.70	0.72

**Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017****Note 39: Related party transactions**

As per Ind AS 24 "Related party Disclosures", disclosure of transactions with the related parties as defined in the Accounting Standard are given below:

Key Management Personnel:**Functional Directors:**

1	Shri D. Singh	:	Chairman and Managing Director
2	Shri C. K. Asnani	:	Director (Technical) - Till 31.08.2016
3	Shri Rakesh Tumane	:	Director (Finance)
4	Shri K K Mohanty	:	Director (Marketing) - From 1.02.2017
5	Shri B Jyotikumar	:	Independent Director
6	Dr Ashok Kumar Lomas	:	Independent Director
7	Shri Shakeel Ahmed	:	Independent Director
8	Ms. Sheila Sangwan	:	Independent Director
9	Shri. B.R.Tarafdar	:	Company Secretary

Details of transactions with Independent directors are as follows:

An amount of ₹ 3,40,000 (Previous year : ₹ 3,50,000) was paid to the independent directors towards sitting fees during the year 2016-17.

Details of transactions with key management personnel are as follows:

(₹ in lakh)

Sr No	Particulars	31st March 2017	31st March 2016
1	Remuneration	101.52	119.93
2	Repayment of loans and advances given	0.70	1.20
3	Advances given	0.82	1.18
4	Outstanding balance as at 31st March: Amount recoverable	0.82	0.70

Remuneration particulars of individual key management personnel

(₹ in lakh)

Sr No	Name	31st March 2017	31st March 2016
1	Dr. R.N.Patra	-	26.43
2	Shri. D.Singh	35.02	26.58
3	Shri C.K.Asnani	16.82	25.85
4	Shri. Rakesh Tumane	27.06	25.54
5	Shri K K Mohanty	4.91	15.53
6	Shri. B.R.Tarafdar	17.71	-
	Total	101.52	119.93

Re-Payment of Loans and Advances, payment of advances and outstanding

(₹ in lakh)

Sr No	Name	Repayment of loans			Advances given			Outstanding balances		
		31st March 2017	31st March 2016	1st April 2015	31st March 2017	31st March 2016	1st April 2015	31st March 2017	31st March 2016	1st April 2015
1	Dr. R.N.Patra	-	0.58	0.72	-	-	-	-	-	0.58
2	Shri. Rakesh Tumane	0.54	0.30	0.91	-	0.77	-	0.82	0.54	0.07
3	Shri. B.R.Tarafdar	0.16	0.32	0.30	-	0.41	-	-	0.16	0.07
	Total	0.70	1.20	1.93	-	1.18	-	0.82	0.70	0.72

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट 40 : आकस्मिक देयताएं, फुटकर परिसंपत्तियां एवं अन्य प्रतिबद्धताएं :

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल 2015
1.	आकस्मिक देयताएं			
(अ)	कंपनी पर दावे, जिन्हें ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।			
i)	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के दावे			
	क) मनवलाकुरिची	41.06	271.85	246.65
	ख) चवरा	9.38	9.13	8.87
	ग) ऑसकॉम	1,405.33	1,561.86	1,482.34
ii)	कर्मचारियों एवं अन्यो द्वारा किए गए दावे जो न्यायालयों में लंबित हैं			
	क) कर्मचारी-आलवे, एमक, एवं ऑसकॉम	367.91	367.80	377.97
	ख) अन्य - फोरम वर्कर्स-सिविल, लोडिंग एवं बैगिंग	117.66	102.16	97.23
iii)	कर्मचारियों एवं अन्यो	अनिश्चित राशि	अनिश्चित राशि	अनिश्चित राशि
iv)	कंपनी के लिए अधिग्रहीत भूमि के लिए उच्चतर मुआवजा (चावरा, एमके एवं ऑसकॉम)	403.75	391.47	432.32
v)	भूमि किराया दरों, उपकरणों और उस पर ब्याज में परिवर्तन के कारण उड़ीसा सरकार का दावा	53.32	53.32	135.97
vi)	कंपनी के विरुद्ध अन्य दावा	3.06	247.22	227.72
vii)	संविदा/फोरम वर्कर्स को देय राशि के भुगतान में देरी के लिए भविष्य निधि प्राधिकरणों के दावे	6.79	5.68	4.29
viii)	खोले गए और बकाया साख पत्रों का जारी मूल्य	-	-	-
(ख)	गारंटियां (कंपनी की तरफ से दी गई बैंक गारंटी की अस्वीकृत मूल्य)	87.49	87.49	89.10
(ग)	अन्य धन जिसके लिए कंपनी अनुषंगिक उत्तरदायी है			
i)	विवादित कर मांग			
	क) किब्री कर	85.71	93.84	93.84
	ख) सेवा कर	3.68	13.16	11.88
	ग) प्रवेश कर	189.58	189.58	202.66
ii)	रिबेट पर अंतरीय रॉयल्टी के लिए दावा - एमके	68.75	68.75	68.75
iii)	इनपुट पर क्रेडिट के लिए विक्री कर प्राधिकरण द्वारा एमके	-	41.71	41.71
iv)	शिपिंग फोरम कर्मचारियों के लिए वियोग धनराशि-चवरा	-	25.80	186.06
v)	एनजीएडीयू के उत्पादन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क दावा - आलवे	5,653.59	5,206.98	4,739.51
vi)	एनजीएडीयू के उत्पादन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क दावे पर ब्याज - आलवे	5,364.37	4,582.59	3,689.01
vii)	केंद्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा सेवा कर दावा - चवरा	58.83	58.83	58.83
viii)	इल्मेनाइट के प्रेषण पर अंतरीय रॉयल्टी - ऑसकॉम	-	-	113.30
ix)	रॉयल्टी पर स्थानीय उपकर एवं अधिभार - एमके	-	-	-
x)	उत्पाद शुल्क	986.00	5,982.92	986.00
2.	प्रतिबद्धता			
(क)	अभी तक कार्यान्वित नहीं किए गए पूंजीगत ठेकों के लिए प्रदान नहीं की गई अनुमानित धनराशि	4,527.25	1,526.98	1,474.62
(ख)	शेयरों और अन्य निवेशों पर असंबद्ध दायित्वों का आंशिक रूप से किया गया भुगतान	-	-	-
(ग)	अन्य प्रतिबद्धताएं	-	-	-

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017

Note 40: Contingent liabilities, contingent assets and other commitments:

(₹ in lakh)

Sl. No	Particulars	31st March 2017	31st March 2016	1st April 2015
1	Contingent Liabilities			
(a)	Claims against the Company not acknowledged as debts			
i)	Claims by Contractors/Suppliers			
	a) Manavalakurichi	41.06	271.85	246.65
	b) Chavara	9.38	9.13	8.87
	c) OSCOM	1,405.33	1,561.86	1,482.34
ii)	Suits filed by employees and others pending in Courts			
	a) Employees- Alwaye, MK and OSCOM	367.91	367.80	377.97
	b) Others – Forum workers-civil ,loading & bagging	117.66	102.16	97.23
iii)	Employees and others Amount not ascertainable			
iv)	Higher Compensation for land acquired for the Company (Chavara, MK and OSCOM)	403.75	391.47	432.32
v)	Claim by the Government of Orissa on account of revision of ground rent rates, cess and interest thereon.	53.32	53.32	135.97
vi)	Other claims against the Company	3.06	247.22	227.72
vii)	Claim by Provident fund authorities for belated payments of contract/forum workers dues	6.79	5.68	4.29
viii)	Unexpired value of Letters of credit opened and outstanding	-	-	-
(b)	Guarantees (Unexpired value of Bank Guarantees given on behalf of company)	87.49	87.49	89.10
(c)	Other Money for which company is contingently liable			
i)	Disputed Tax demands			
	a) Sales tax	85.71	93.84	93.84
	b) Service tax	3.68	13.16	11.88
	c) Entry tax	189.58	189.58	202.66
ii)	Claim for differential royalty on rebate – MK	68.75	68.75	68.75
iii)	Claim by sales tax authority for input tax credit-MK	-	41.71	41.71
iv)	Severance amount for shipping forum employees-Chavara	-	25.80	186.06
v)	Central Excise claim on production of NGADU-Alwaye	5,653.59	5,206.98	4,739.51
vi)	Interest on central Excise claim on production of NGADU-Alwaye	5,364.37	4,582.59	3,689.01
vii)	Service tax claim by central excise-Chavara	58.83	58.83	58.83
viii)	Differential Royalty on Ilmenite Dispatch -OSCOM	-	-	113.30
ix)	Local Cess & Surcharge on Royalty- MK	-	-	-
x)	Excise duty -Chavara,MK	986.00	5,982.92	986.00
2	Commitments			
(a)	Estimated amount of capital contracts remaining to be executed and not provided for	4,527.25	1,526.98	1,474.62
(b)	Uncalled liability on shares and other investments partly paid	-	-	-
(c)	Other commitments	-	-	-

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट 41 : कर्मचारी लाभ दायित्व

एएस 19 (पुनरीक्षित) "कर्मचारी लाभ" के अनुसार लेखा मानक में परिभाषित प्रकटन नीचे दिए गए हैं :

क. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के प्रति देयता को वर्ष के लिए लाभ एवं हानि के विवरण में एक व्यय के रूप में माना जाता है।

ख. नियोजन पश्चात् लाभ :

i. परिभाषित योगदान योजना :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
भविष्य निधि में नियोक्ता का योगदान	212.33	234.16
नई पेंशन योजना में नियोक्ता का योगदान	34.08	37.02
अधिवर्षिता योजना में नियोक्ता का योगदान	497.29	496.95

ii. परिभाषित लाभ योजना :

कंपनी की निम्नलिखित परिभाषित लाभ योजनाएं हैं :

विवरण	टिप्पणी
उपदान	एलआईसी के माध्यम से निधिप्रदत्त
भविष्य निधि (पीएफ)	न्यास के माध्यम से निधिप्रदत्त
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (पीआरएमएस)	निधिप्रदत्त नहीं

उपदान

न्यास द्वारा व्यवस्थित कर्मचारी उपदान निधि योजना एक परिभाषित लाभ योजना है। दायित्व का वर्तमान मूल्य परियोजित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर निश्चित किया जाता है जो सेवा की प्रत्येक अवधि को लाभ हकदारी की एक अतिरिक्त यूनिट को बढ़ाने वाला मानता है तथा अंतिम दायित्व के निर्माण के लिए प्रत्येक यूनिट को अलग अलग मापता है।

महत्वपूर्ण बीमांकक पूर्वानुमान निम्नानुसार थे :

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल 2015
रोज़गार के दौरान मृत्यु दर	आईएएलएम (2006-08) अल्टीमेट	आईएएलएम (2006-08) अल्टीमेट	आईएएलएम (2006-08) अल्टीमेट
बढ़ा दर (प्रति वर्ष)	7.09%	7.80%	7.98%
योजना परिसंपत्तियों पर लाभ की प्रत्याशित दर (प्रति वर्ष)	7.09%	7.80%	7.98%
वेतन में वृद्धि की दर (प्रति वर्ष)	5.50%	5.50%	5.50%
कर्मचारी कारोबार की दर (प्रति वर्ष)	2.00%	2.00%	2.00%
सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)	60	60	60

बीमांकक मूल्यांकन में विचारित लाभ की प्रत्याशित दर पीपीएफ जैसी जोखिम मुक्त निवेशों पर उपलब्ध मानी जाती है क्योंकि एलआईसी के साथ निवेश होता है तथा निवेशों की सूची उपलब्ध नहीं है।

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017**Note 41: Employee benefit obligations**

As per Ind AS-19 "Employee Benefits", the disclosures as defined in the Indian Accounting Standard are furnished below:

(a) Short term employee benefits:

The liability towards short term employee benefits is recognized as an expense for the year in the Statement of Profit and Loss .

(b) Post employment benefits:**i. Defined contribution plan:**

(₹ in lakh)

Particulars	31st March 2017	31st March 2016
Employer's contribution to Pension Scheme	212.33	234.16
Employer's contribution to New Pension Scheme	34.08	37.02
Employer's contribution to Superannuation scheme	497.29	496.95

ii. Defined Benefits Plan:

The Company has the following defined benefits plans:

Particulars	Remarks
Gratuity	Funded through LIC
Provident Fund (PF)	Funded through Trust
Post Retirement Medical Scheme (PRMS)	Unfunded

Gratuity:

The employees, gratuity fund scheme managed by a trust is a defined benefit plan. The present value of obligation is determined based on actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method, which considers each period of service as giving rise to an additional unit of benefit entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation.

The significant actuarial assumptions were as follows:

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
Mortality rate during Employment	IALM (2006-08) Ultimate	IALM (2006-08) Ultimate	IALM (2006-08) Ultimate
Discount rate (per annum)	7.09%	7.80%	7.98%
Expected rate of return on plan assets (per annum)	7.09%	7.80%	7.98%
Rate of escalation in salary (per annum)	5.50%	5.50%	5.50%
Rate of employee turnover (per annum)	2.00%	2.00%	2.00%
Retirement age (years)	60	60	60

The expected rate of return considered in actuarial valuation is assumed to be available on risk free investments like PPF as the investment is with LIC and list of investments is not available.

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स
परिभाषित लाभ दायित्व के आरंभ शेष शेष एवं अंतिम शेष का समाधान :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल 2015
वर्ष के प्रारंभ में परिभाषित लाभ दायित्व	10,824.06	10,874.26	10,138.81
चालू सेवा लागत	275.94	298.09	295.83
ब्याज लागत	844.28	867.77	941.89
पिछली सेवा लागत - गैर निहित लाभ	-	-	-
पिछली सेवा लागत - निहित लाभ	-	-	-
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	11,944.27	12,040.12	11,376.53
बीमांकक (लाभ) / हानि	59.28	212.86	424.97
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	59.28	212.86	424.97
अंदर अंतरित देयता	-	3.59	-
(बाहर अंतरित देयता)	-	-	-
भुगतान किए गए लाभ	(1,183.49)	(1,432.51)	(927.24)
वर्षांत पर परिभाषित लाभ दायित्व	10,820.06	10,824.06	10,874.26

योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य के आरंभ शेष एवं अंतिम शेष का समाधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल 2015
वर्ष के प्रारंभ में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	10,089.15	9,734.93	8,893.53
योजना परिसंपत्तियों की प्रत्याशित वापसी	786.95	776.85	773.74
बीमांकक (लाभ)/हानि	65.01	86.39	84.93
नियोक्ता का योगदान	433.75	919.90	909.97
अन्य कंपनी से अंतरित	-	3.59	-
(अन्य कंपनी को अंतरित)	-	-	-
भुगतान किए गए लाभ	(1,183.49)	(1,432.51)	(927.24)
वर्षांत पर योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	10,191.38	10,089.15	9,734.93
योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक वापसी	851.97	863.24	858.67

योजना परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के उचित मूल्य का समाधान :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल 2015
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	10,191.38	10,089.15	9,734.93
दायित्वों का वर्तमान मूल्य	10,820.06	10,824.06	10,874.26
अवधि की समाप्ति पर गैर चिन्हित पिछली सेवा लागत	-	-	-
अवधि की समाप्ति पर गैर चिन्हित संक्रमणकालीन देयता	-	-	-
तुलन पत्र में चिन्हित शुद्ध (देयता)/परिसंपत्ति	(628.69)	(734.91)	(1,139.33)

वर्ष के दौरान चिन्हित बीमांकक (लाभ)/हानि :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकक (लाभ)/हानि	(65.01)	(86.39)
दायित्वों पर बीमांकक (लाभ)/हानि	59.28	212.86
शुद्ध कुलयोग	(5.74)	126.47

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017

Reconciliation of opening and closing balances of defined benefit obligation:

(₹ in lakh)

Particulars	31st March 2017	31st March 2016	1st April 2015
Defined benefit obligation at beginning of the year	10,824.06	10,874.26	10,138.81
Current service cost	275.94	298.09	295.83
Interest cost	844.28	867.77	941.89
Past service cost- non vested benefit	-	-	-
Past service cost- vested benefit	-	-	-
Total amount recognised in profit or loss	11,944.27	12,040.12	11,376.53
Actuarial (gain)/loss	59.28	212.86	424.97
Total amount recognised in other comprehensive income	59.28	212.86	424.97
Liability transferred in	-	3.59	-
(Liability transferred out)	-	-	-
Benefits paid	(1,183.49)	(1,432.51)	(927.24)
Defined benefit obligation at year end	10,820.06	10,824.06	10,874.26

Reconciliation of opening and closing balances of fair value of plan assets:

(₹ in lakh)

Particulars	31st March 2017	31st March 2016	1st April 2015
Fair value of plan assets at beginning of the year	10,089.15	9,734.93	8,893.53
Expected return of plan assets	786.95	776.85	773.74
Actuarial gain/(Loss)	65.01	86.39	84.93
Employer's contribution	433.75	919.90	909.97
Transfer from other Company	-	3.59	-
(Transfer to Other Company)	-	-	-
Benefits paid	(1,183.49)	(1,432.51)	(927.24)
Fair value of plan assets at year end	10,191.38	10,089.15	9,734.93
Actual return on plan assets	851.97	863.24	858.67

Reconciliation of fair value of plan assets and obligations:

(₹ in lakh)

Particulars	31st March 2017	31st March 2016	1st April 2015
Fair value of plan assets	10,191.38	10,089.15	9,734.93
Present value of obligation	10,820.06	10,824.06	10,874.26
Unrecognized past service cost at the end of the period	-	-	-
Unrecognized transitional liability at the end of the period	-	-	-
Net (Liability)/ Asset recognized in the Balance Sheet	(628.69)	(734.91)	(1,139.33)

Actuarial (gain)/Loss recognized during the year:

(₹ in lakh)

Particulars	31st March 2017	31st March 2016
Actuarial (gain)/Loss on plan assets	(65.01)	(86.39)
Actuarial (gain)/Loss on obligation	59.28	212.86
Net Total	(5.74)	126.47

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

वर्तमान अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
अवधि की शुरुआत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	10,824.06	10,874.26
(अवधि की शुरुआत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य)	(10,089.15)	(9,734.93)
शुरुआत में नेट देयता/(संपत्ति)	734.91	1,139.33
ब्याज दर	844.28	867.77
(ब्याज आय)	(786.95)	(776.85)
वर्तमान अवधि के लिए शुद्ध ब्याज दर	57.32	90.92

वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में पहचाने गए व्यय :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
वर्तमान सेवा लागत	275.94	298.09
शुद्ध ब्याज लागत	57.32	90.92
(कर्मचारी द्वारा अपेक्षित योगदान)	-	-
(लाभ)/कटौती और बस्तियों पर नुकसान	-	-
विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव	-	-
मान्यता प्राप्त खर्च	333.26	389.01

वर्तमान अवधि के लिए अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त व्यय :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
अवधि के लिए दायित्व पर मीबीमांकक लाभ/(हानि)	59.28	212.86
ब्याज आय को छोड़कर, योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न	(65.01)	(86.39)
संपत्ति की सिलिंग में बदलाव	-	-
ओसीआई में मान्यता प्राप्त अवधि के लिए शुद्ध (आय)/व्यय	(5.74)	126.47

तुलन पत्र समाधान :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
आरंभिक शुद्ध देयता	734.91	1,139.33
लाभ और हानि के विवरण में पहचाने गए व्यय	333.26	389.01
ओसीआई में मान्यता प्राप्त व्यय	(5.74)	126.47
शुद्ध दायित्व/(संपत्ति) में स्थानांतरण	-	-
शुद्ध (देयता)/परिसंपत्तियों ट्रांसफर आउट	-	-
(लाभ नियोक्ता द्वारा सीधे भुगतान)	-	-
नियोक्ता का योगदान	(433.75)	(919.90)
शुद्ध (देयता)/बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त संपत्ति	628.69	734.91

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017**Net Interest cost for Current period**

(₹ in lakh)

Particulars	31st March 2017	31st March 2016
Present value of Benefit obligation at the beginning of the period	10,824.06	10,874.26
(Fair value of Plan Assets at the beginning of the Period)	(10,089.15)	(9,734.93)
Net liability / (Asset) at the beginning	734.91	1,139.33
Interest cost	844.28	867.77
(Interest income)	(786.95)	(776.85)
Net Interest cost for Current period	57.32	90.92

Expenses recognized in Statement of Profit and Loss during the year:

(₹ in lakh)

Particulars	31st March 2017	31st March 2016
Current Service cost	275.94	298.09
Net Interest cost	57.32	90.92
Past service cost	-	-
(Expected Contributions by the Employees)	-	-
(Gains)/Losses on curtailments and settlements	-	-
Net effect of changes in Foreign exchange rates		
Expenses recognised	333.26	389.01

Expenses recognised in Other comprehensive Income (OCI) for current period:

(₹ in lakh)

Particulars	31st March 2017	31st March 2016
Actuarial Gains / (losses) on obligation for the period	59.28	212.86
Return on Plan Assets, Excluding Interest income	(65.01)	(86.39)
Change in Asset ceiling	-	-
Net (Income) / Expense for the period recognised in OCI	(5.74)	126.47

Balance sheet reconciliation:

(₹ in lakh)

Particulars	31st March 2017	31st March 2016
Opening net liability	734.91	1,139.33
Expenses recognised in Statement of Profit and Loss	333.26	389.01
Expenses recognised in OCI	(5.74)	126.47
Net Liability / (Asset) Transfer In	-	-
Net (Liability) / Asset Transfer Out	-	-
(Benefits paid directly by the Employer)	-	-
Employer's contribution	(433.75)	(919.90)
Net (Liability) / Asset recognized in the Balance Sheet	628.69	734.91

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

निवेश विवरण :

(निवेश का %)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल 2015
भारत सरकार की परिसंपत्तियाँ		-	-
कॉर्पोरेट बंधपत्र		-	-
विशेष जमा योजना		-	-
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर		-	-
संपत्ति		-	-
बीमा निधि	100.00	100.00	100.00
अन्य		-	-
कुल	100.00	100.00	100.00

अगले साल के लिए शुद्ध ब्याज लागत :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
अवधि की शुरुआत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	10,820.06	10,824.06
(अवधि की शुरुआत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य)	(10,191.38)	(10,089.15)
शुद्ध (दयता)/(संपत्ति) शुरू में	628.68	734.91
ब्याज लागत	767.14	844.28
(ब्याज आय)	(722.57)	(786.95)
वर्तमान अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत	44.57	57.32

वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में पहचाने गए व्यय :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
वर्तमान सेवा लागत	234.51	275.94
शुद्ध ब्याज लागत	44.57	57.32
(कर्मचारी द्वारा अपेक्षित योगदान)	-	-
शुद्ध लागत	279.09	333.26

अनुमानित लाभ दायित्व का परिवक्वता विश्लेषण : फंड से रिपोर्टिंग की तारीख से भविष्य के वर्षों में देय अनुमानित लाभ

1 अनुवर्ति वर्ष	1,585.01	1,493.43
2 अनुवर्ति वर्ष	869.36	893.97
3 अनुवर्ति वर्ष	1,755.29	1,457.61
4 अनुवर्ति वर्ष	1,695.69	1,720.76
5 अनुवर्ति वर्ष	1,365.42	1,647.71
6 से 10 साल के योग	5,216.26	5,696.16



Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017

Investment details:

(% of investment)

Type of Assets	31st March 2017	31st March 2016	1st April 2015
Government of India Assets		-	-
Corporate Bonds		-	-
Special Deposits Scheme		-	-
Equity shares of listed Companies		-	-
Property		-	-
Insurance fund	100.00	100.00	100.00
Others		-	-
Total	100.00	100.00	100.00

Net Interest cost for Next year:

(₹ in lakh)

Particulars	31st March 2017	31st March 2016
Present value of Benefit obligation at the beginning of the period	10,820.06	10,824.06
(Fair value of Plan Assets at the beginning of the Period)	(10,191.38)	(10,089.15)
Net liability / (Asset) at the beginning	628.68	734.91
Interest cost	767.14	844.28
(Interest income)	(722.57)	(786.95)
Net Interest cost for Current period	44.57	57.32

Expenses recognized in Statement of Profit and Loss during the year:

(₹ in lakh)

Particulars	31st March 2017	31st March 2016
Current Service cost	234.51	275.94
Net Interest cost	44.57	57.32
(Expected contributions by the Employees)	-	-
Net Cost	279.09	333.26

Maturity Analysis of Projected Benefit Obligation: From the Fund

Projected Benefits payable in future years from the date of reporting

1st Following year	1,585.01	1,493.43
2nd Following year	869.36	893.97
3rd Following year	1,755.29	1,457.61
4th Following year	1,695.69	1,720.76
5th Following year	1,365.42	1,647.71
Sum of Years 6 to 10	5,216.26	5,696.16

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

संवेदनशीलता विश्लेषण :

संवेदनशीलता विश्लेषण विश्लेषण है जो देयता में आंदोलन देता यदि मान्यताओं को विभिन्न गिनती पर सही साबित नहीं किया गया है। यह केवल दायित्व में परिवर्तन को दर्शाता है यदि धारणा और वास्तविक में अंतर संवेदनशीलता विश्लेषण के पैरामीटर का पालन नहीं कर रहा है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
वर्तमान अनुमानों पर अनुमानित लाभ दायित्व	10,820.06	10,824.06
डेल्टा प्रभाव + 1% छूट की दर में परिवर्तन	(441.89)	(456.46)
डेल्टा प्रभाव + 1% छूट की दर में परिवर्तन	482.33	497.95
डेल्टा प्रभाव + वेतन बढ़ने की दर में 1% बदलाव	485.13	504.31
डेल्टा प्रभाव + वेतन बढ़ने की दर में 1% बदलाव	(452.38)	(470.26)
डेल्टा प्रभाव + 1% कर्मचारी कारोबार की दर में बदलाव	35.47	55.11
डेल्टा प्रभाव + 1% कर्मचारी कारोबार की दर में बदलाव	(38.18)	(59.17)

वर्तमान वार्षिक अवधि और पिछले चार वार्षिक अवधि के लिए राशि :

(₹ लाख में)

विवरण	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
दायित्व के वर्तमान मूल्य	10,820.06	10,824.06	10,874.26	10,138.81	9,515.98
योजना संपत्ति का उचित मूल्य	10,191.38	10,089.15	9,734.93	8,893.53	8,026.55
अधिशेष/योजना में (डेफिसिट)	(628.69)	(734.91)	(1,139.33)	(1,245.28)	(1,489.43)
अनुभव समायोजन :					
योजना देयता (लाभ)/हानि पर	(258.34)	131.36	(185.46)	305.94	514.57
योजना संपत्तियों पर लाभ/(हानि)	65.01	86.39	84.93	75.71	138.32

भविष्य निधि (पीएफ) :

कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि ट्रस्ट के माध्यम से भविष्य निधि का प्रबंधन करती है, जिन्हें भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत अनुमति दी गई।

महत्वपूर्ण बीमांकीक मान्यताओं नियमानुसार थी।

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल 2015
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.09%	7.80%	7.98%
गारंटीकृत वापसी (प्रति वर्ष)	8.65%	8.75%	8.75%
आकर्षक मूल्य (प्रति वर्ष)	2.00%	2.00%	2.00%

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017**Sensitivity Analysis:**

Sensitivity analysis is analysis which will give the movement in liability if the assumptions were not proved to be true on different count. This only signifies the change in the liability if the difference between assumed and the actual is not following the parameters of the sensitivity analysis.

(₹ in lakh)

Particulars	31st March 2017	31st March 2016
Projected Benefit Obligation on current assumptions	10,820.06	10,824.06
Delta Effect of +1% Change in Rate of discounting	(441.89)	(456.46)
Delta Effect of -1% Change in Rate of discounting	482.33	497.95
Delta Effect of +1% Change in Rate of Salary Increase	485.13	504.31
Delta Effect of -1% Change in Rate of Salary Increase	(452.38)	(470.26)
Delta Effect of +1% Change in Rate of Employee turnover	35.47	55.11
Delta Effect of -1% Change in Rate of Employee turnover	(38.18)	(59.17)

Amounts for the current annual period and previous four annual periods:

(₹ in lakh)

Particulars	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
Present value of obligation	10,820.06	10,824.06	10,874.26	10,138.81	9,515.98
Fair value of plan assets	10,191.38	10,089.15	9,734.93	8,893.53	8,026.55
Surplus /(Deficit) in the plan	(628.69)	(734.91)	(1,139.33)	(1,245.28)	(1,489.43)
Experience Adjustment:					
On plan liability (gain)/loss	(258.34)	131.36	(185.46)	305.94	514.57
On plan assets gain/(loss)	65.01	86.39	84.93	75.71	138.32

Provident Fund (PF) :

The Company manages provident fund through a provident fund trust for its employees which is permitted under the Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952. The plan envisages contribution by employer and employees and guaranteed interest at the rate notified by the provident fund authority.

The significant actuarial assumptions were as follows:

Particulars	31st March 2017	31st March 2016	1st April 2015
Discount rate (per annum)	7.09%	7.80%	7.98%
Guaranteed return (per annum)	8.65%	8.75%	8.75%
Attrition rate (per annum)	2.00%	2.00%	2.00%

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

परिभाषित लाभ दायित्वों के प्रारंभ और अंत शेष का समाधान :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल 2015
वर्ष के प्रारंभ में परिभाषित लाभ दायित्व	30,454.13	29,299.91	27,103.58
चालू सेवा लागत	1,081.79	1,067.01	1,101.90
ब्याज लागत	2,587.58	2,522.27	2,345.33
कर्मचारी योगदान (वीपीए सहित)	2,172.83	2,165.66	2,062.44
अंदर अंतरित देयता	313.67	337.21	45.45
(बाहर अंतरित देयता)	0.00	(400.33)	(62.67)
बीमांकक (लाभ)/हानि	0.00	-	-
भुगतान किए गए लाभ	-4,223.13	(4,537.60)	(3,296.12)
वर्षांत पर परिभाषित दायित्व	32,356.88	30,454.13	29,299.91

योजना संपत्तियों के उचित मूल्य के प्रारंभ और अंत शेष का समाधान :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल 2015
वर्ष के प्रारंभ में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	30,886.37	29,632.33	27,386.35
योजना परिसंपत्तियों की प्रत्याशित वापसी	2,587.58	2,522.27	2,345.33
अन्य कंपनी से अंतरित	313.67	337.21	45.45
(अन्य कंपनी को अंतरित)	0.00	(400.33)	(62.67)
बीमांकक (लाभ)/हानि	199.90	99.82	49.65
अंश दान	3,224.62	3,232.67	3,164.34
भुगतान किए गए लाभ	-4,223.13	(4,537.60)	(3,296.12)
वर्षांत पर योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	32,989.02	30,886.37	29,632.33

योजना परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के उचित मूल्य का समाधान :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल 2015
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	32,989.02	30,886.37	29,632.33
दायित्वों का वर्तमान मूल्य)	(32,356.88)	(30,454.13)	(29,299.91)
निधि की स्थिति	632.14	432.24	332.42
बुक में चिह्नित नहीं हुई शुद्ध (देयता)/परिसंपत्ति	(632.14)	(432.24)	(332.42)
तुलन पत्र में चिह्नित राशि	-	-	-

वर्ष के दौरान चिह्नित व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल 2015
चालू सेवा लागत	1,081.79	1,067.01	1,101.90
ब्याज लागत	2,587.58	2,522.27	2,345.33
(योजना परिसंपत्तियों की प्रत्याशित वापसी)	(2,587.58)	(2,522.27)	(2,345.33)
बीमांकक (लाभ/हानि)	199.90	99.82	49.65
पुस्तकों में गैर चिह्नित शुद्ध व्यय/(आय)	(199.90)	(99.82)	(49.65)
उपयोग में लाया गया अधिशेष	-	-	-
ब्याज में कमी	-	-	-
शुद्ध लागत	1,081.79	1,067.01	1,101.90

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017**Reconciliation of opening and closing balances of defined benefit obligation :**

(₹ in lakh)

Particulars	31st March 2017	31st March 2016	1st April 2015
Defined benefit obligation at beginning of the year	30,454.13	29,299.91	27,103.58
Current service cost	1,081.79	1,067.01	1,101.90
Interest cost	2,587.58	2,522.27	2,345.33
Employee Contribution (Including VPF)	2,142.83	2,165.66	2,062.44
Liability Transferred In	313.67	337.21	45.45
(Liability Transferred Out)	0.00	(400.33)	(62.67)
Actuarial (gain)/loss	0.00	-	-
Benefits paid	-4,223.13	(4,537.60)	(3,296.12)
Defined benefit obligation at year end	32,356.88	30,454.13	29,299.91

Reconciliation of opening and closing balances of fair value of plan assets:

(₹ in lakh)

Particulars	31st March 2017	31st March 2016	1st April 2015
Fair value of plan assets at beginning of the year	30,886.37	29,632.33	27,386.35
Expected return of plan assets	2,587.58	2,522.27	2,345.33
Transfer from other Company	313.67	337.21	45.45
(Transfer to Other Company)	0.00	(400.33)	(62.67)
Actuarial gain/(Loss)	199.90	99.82	49.65
Contribution	3,224.62	3,232.67	3,164.34
Benefits paid	-4,223.13	(4,537.60)	(3,296.12)
Fair value of plan assets at year end	32,989.02	30,886.37	29,632.33

Reconciliation of fair value of plan assets and obligations:

(₹ in lakh)

Particulars	31st March 2017	31st March 2016	1st April 2015
Fair value of plan assets	32,989.02	30,886.37	29,632.33
(Present value of obligation)	(32,356.88)	(30,454.13)	(29,299.91)
Funded Status	632.14	432.24	332.42
Net liability/(asset) not recognized in the books	(632.14)	(432.24)	(332.42)
Amount recognized in balance sheet	-	-	-

Expenses recognized during the year:

(₹ in lakh)

Particulars	31st March 2017	31st March 2016	1st April 2015
Current Service cost	1,081.79	1,067.01	1,101.90
Interest cost	2,587.58	2,522.27	2,345.33
(Expected return on Plan assets)	(2,587.58)	(2,522.27)	(2,345.33)
Actuarial gain/(Loss)	199.90	99.82	49.65
Net expense/(income) not recognized in the books	(199.90)	(99.82)	(49.65)
Surplus Utilised	-	-	-
Interest Shortfall	-	-	-
Net Cost	1,081.79	1,067.01	1,101.90

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

तुलन पत्र समाधान :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल 2015
आरंभिक शुद्ध देयता	-	-	-
व्यय	1,081.79	1,067.01	1,101.90
अंतर अंतरिम शुद्ध	-	-	-
(बाहर अंतरिम शुद्ध)	-	-	-
नियोक्ता का योगदान	(1,081.79)	(1,067.01)	(1,101.90)
तुलन पत्र में चिह्नित धनराशि	-	-	-

निवेश का विवरण

(निवेश का प्रतिशत)

परिसंपत्तियों का प्रकार	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल 2015
भारत सरकार की परिसंपत्तियाँ	14.62	15.95	18.52
राज्य सरकार की परिसंपत्तियाँ	21.01	18.79	16.10
विशेष जमा योजना	13.38	14.29	14.89
अन्य बंधपत्र	42.53	43.39	43.22
बैंक शेष	0.80	0.39	0.29
अन्य	7.66	7.19	6.95
समायोजित करने के लिए प्रीमियम जोड़े	0.00	0.00	0.03
कुल	100.00	100.00	100.00

वर्तमान वार्षिक अवधि और पिछले चार वार्षिक अवधियों के लिए धनराशियाँ :

(₹ लाख में)

विवरण	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
दायित्व का वर्तमान मूल्य	32,356.88	30,454.13	29,299.91	27,103.58	24,512.59	22,398.59
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	32,989.02	30,886.37	29,632.33	27,386.35	24,782.12	22,624.83
योजना में अधिशेष/(कमी)	632.14	432.24	6632.42	282.77	269.53	226.24
अनुभव समायोजन :						
योजना देयता (लाभ)/हानि	-	-	-	-	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर लाभ/(हानि)	199.90	99.82	49.65	43.29	43.29	104.61

एनए : उपलब्ध नहीं

सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा योजना (पीआरएमएस) :

सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा योजना में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात उनकी स्वास्थ्य देखभाल लागतों (घरेलु एवं अस्पताल दोनों) की प्रतिपूर्ति की जाती है। प्रतिपूर्ति कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय उसके संवर्ग के आधार पर एक समग्र सीमा के अधीन की जाती है। महत्वपूर्ण बीमांकक पूर्वानुमान निम्नानुसार थे :

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल 2015
मृत्युदर सारणी	आईएएलएम (2006-08) अल्टिमेट	आईएएलएम (2006-08) अल्टिमेट	आईएएलएम (2006-08) अल्टिमेट
बढ़ा दर (प्रति वर्ष)	7.45%	8.06%	7.95%
सामान्य सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)	60	60	60
संनिघर्षण दर (प्रति वर्ष)	2.00%	2.00%	2.00%
चिकित्सा लागत मुद्रास्फीति दर	3.50%	3.50%	5.00%

भावी देयताओं का वर्तमान मूल्य बीमांकक मूल्यांकन में 8.06% ब्याज दर के आधार पर तक पहुँच गया जिसमें यह माना गया है कि इस मूल्यांकन तक पहुँचा चिकित्सा आरक्षित तथा उस पर भावी वृद्धियाँ न्यूनतम 8.06% की ब्याज दर के साथ क्रेडिट होंगी।

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017**Balance sheet reconciliation:**

(₹ in lakh)

Particulars	31st March 2017	31st March 2016	1st April 2015
Opening net liability	-	-	-
Expenses	1,081.79	1,067.01	1,101.90
Net Transfer In	-	-	-
(Net Transfer Out)	-	-	-
(Employer's contribution)	(1,081.79)	(1,067.01)	(1,101.90)
Amount recognized in the balance sheet	-	-	-

Investment details:

(% of investment)

Particulars	31st March 2017	31st March 2016	1st April 2015
Government of India Assets	14.62	15.95	18.52
State Government Assets	21.01	18.79	16.10
Special Deposits Scheme	13.38	14.29	14.89
Other Bonds	42.53	43.39	43.22
Bank Balance	0.80	0.39	0.29
Others	7.66	7.19	6.95
Add premium to be adjusted	0.00	0.00	0.03
Total	100.00	100.00	100.00

Amounts for the current annual period and previous four annual periods:

(₹ in lakh)

Particulars	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
Present value of obligation	32,356.88	30,454.13	29,299.91	27,103.58	24,512.59	22,398.59
Fair value of plan assets	32,989.02	30,886.37	29,632.33	27,386.35	24,782.12	22,624.83
Surplus /(Deficit) in the plan	632.14	432.24	332.42	282.77	269.53	226.24
Experience Adjustment:						
On plan liability (gain)/loss	-	-	-	-	-	-
On plan assets gain/(loss)	199.90	99.82	49.65	43.29	43.29	104.61
NA: Not Available						

Post Retirement Medical Scheme (PRMS):

The post retirement medical scheme provides for reimbursement of health care costs (both domiciliary & hospitalisation) to employees post their retirement. The reimbursement is subject to an overall ceiling based on cadre of the employee at the time of retirement.

The significant actuarial assumptions were as follows:

(₹ in lakh)

Particulars	31st March 2017	31st March 2016	1st April 2015
Mortality Table	IALM (2006-08) Ultimate	IALM (2006-08) Ultimate	IALM (2006-08) Ultimate
Discount rate (per annum)	7.45%	8.06%	7.95%
Normal retirement age (years)	60	60	60
Attrition rate (per annum)	2.00%	2.00%	2.00%
Medical cost inflation rate	3.50%	3.50%	5.00%

The present values of the future liabilities have been arrived at on the basis of 8.06% interest rate in actuarial valuation, assuming that the medical reserve arrived at by this valuation and the future increases thereon will be credited with at least 8.06% interest rate.

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

परिभाषित लाभ दायित्व के आरंभ शेष तथा अंतिम शेष का समाधान :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल 2015
वर्ष के प्रारंभ में परिभाषित लाभ दायित्व	5,109.55	5,144.43	4,730.09
चालू सेवा लागत	137.19	147.32	178.50
ब्याज लागत	411.83	408.98	439.42
पिछली सेवा लागत-गैर निहित लाभ	-	-	-
पिछली सेवा लागत-निहित लाभ	-	-	-
अंदर अंतरित देयता	-	-	-
(बाहर अंतरित देयता)	-	-	-
बीमांकक (लाभ)/हानि	7.23	(350.73)	39.43
भुगतान किए गए लाभ	(247.00)	(240.45)	(243.01)
वर्षांत पर परिभाषित लाभ दायित्व	5,418.80	5,109.55	5,144.43

योजना परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के उचित मूल्य का समाधान :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल 2015
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य :	-	-	-
दायित्व का वर्तमान मूल्य	5,418.80	5,109.55	5,144.43
अवधि की समाप्ति पर गैर चिह्नित पिछली सेवा लागत	-	-	-
तुलन पत्र में चिह्नित धनराशि	5,418.80	5,109.55	5,144.43

शुद्ध ब्याज लागत :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
अवधि की शुरुआत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	5,109.55	5,144.43
(अवधि की शुरुआत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य)	-	-
शुरुआत में शुद्ध / (संपत्ति)	5,109.55	5,144.43
ब्याज लागत	411.83	408.98
(ब्याज आय)	-	-
वर्तमान अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत	411.83	408.98

वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में पहचाने गए व्यय :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
चालू सेवा लागत	137.19	147.32
शुद्ध ब्याज लागत	411.83	408.98
(कर्मचारी द्वारा अपेक्षित योगदान)	-	-
शुद्ध लागत	549.02	556.30

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017**Reconciliation of opening and closing balances of defined benefit obligation:**

(₹ in lakh)

Particulars	31st March 2017	31st March 2016	1st April 2015
Defined benefit obligation at beginning of the year	5,109.55	5,144.43	4,730.09
Current service cost	137.19	147.32	178.50
Interest cost	411.83	408.98	439.42
Past service cost- non vested benefit	-	-	-
Past service cost- vested benefit	-	-	-
Liability transferred in	-	-	-
(Liability transferred out)	-	-	-
Actuarial (gain)/loss	7.23	(350.73)	39.43
Benefits paid	(247.00)	(240.45)	(243.01)
Defined benefit obligation at year end	5,418.80	5,109.55	5,144.43

Reconciliation of fair value of plan assets and obligations:

(₹ in lakh)

Particulars	31st March 2017	31st March 2016	1st April 2015
Fair value of plan assets	-	-	-
Present value of obligation	5,418.80	5,109.55	5,144.43
Unrecognized past service cost at the end of the period	-	-	-
Amount recognized in balance sheet	5,418.80	5,109.55	5,144.43

Net Interest cost:

(₹ in lakh)

Particulars	31st March 2017	31st March 2016
Present value of Benefit obligation at the beginning of the period	5,109.55	5,144.43
(Fair value of Plan Assets at the beginning of the Period	-	-
Net liability / (Asset) at the beginning	5,109.55	5,144.43
Interest cost	411.83	408.98
(Interest income)	-	-
Net Interest cost for Current period	411.83	408.98

Expenses recognized in Statement of Profit and Loss during the year:

(₹ in lakh)

Particulars	31st March 2017	31st March 2016
Current Service cost	137.19	147.32
Net Interest cost	411.83	408.98
(Expected contributions by the Employees)	-	-
Net Cost	549.02	556.30

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स
वर्तमान अवधि के लिए अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त व्यय :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
अवधि के लिए दायित्व पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	7.23	(350.73)
ब्याज आय को छोड़कर, योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न	-	-
संपत्ति की सीलिंग में बदलाव	-	-
ओसीआई में मान्यता प्राप्त अवधि के लिए शुद्ध (आय)/व्यय	7.23	(350.73)

तुलनपत्र समाधान :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
शुद्ध देयता की प्रारंभ	5,109.55	5,144.43
लाभ और हानि के वक्तव्य में पहचाने गए व्यय	549.02	556.30
ओसीआई में मान्यता प्राप्त व्यय	7.23	(350.73)
निवल देयता/(संपत्ति) में स्थानांतरण	-	-
निवल देयता/संपत्ति बाह्य स्थानांतरण	-	-
(लाभ नियोक्ता द्वारा सीधे भुगतान)	(247.00)	(240.45)
नियोक्ता का योगदान		
निवल (देयता)/तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त संपत्ति	5,418.80	5,109.55

अगले साल के लिए शुद्ध ब्याज लागत :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
अवधि की शुरुआत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	5,418.81	5,109.55
(अवधि की शुरुआत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य)	-	-
शुरुआत में शुद्ध देयता/(संपत्ति)	5,418.81	5,109.55
ब्याज लागत	403.70	411.83
(ब्याज आय)	-	-
वर्तमान अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत	403.70	411.83

वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में पहचाने गए व्यय :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
वर्तमान सेवा लागत	127.50	137.19
शुद्ध ब्याज लागत	403.70	403.70
(कर्मचारी द्वारा अपेक्षित योगदान)	-	-
शुद्ध लागत	531.20	549.02

अनुमानित लाभ दायित्व का परिपक्वता विश्लेषण : नियोक्ता से

रिपोर्टिंग की तारीख से भविष्य के वर्षों में देय अनुमानित लाभ

1 अनुवर्ति वर्ष	309.72	308.64
2 अनुवर्ति वर्ष	324.43	319.64
3 अनुवर्ति वर्ष	342.37	333.42
4 अनुवर्ति वर्ष	360.07	349.22
5 अनुवर्ति वर्ष	373.77	364.58
6 से 10 साल के योग	2,104.30	1,967.11

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017

Expenses recognised in Other comprehensive Income (OCI) for current period:

(₹ in lakh)

Particulars	31st March 2017	31st March 2016
Actuarial Gains / (losses) on obligation for the period	7.23	(350.73)
Return on Plan Assets, Excluding Interest income	-	-
Change in Asset ceiling	-	-
Net (Income) / Expense for the period recognised in OCI	7.23	(350.73)

Balance sheet reconciliation:

(₹ in lakh)

Particulars	31st March 2017	31st March 2016
Opening net liability	5,109.55	5,144.43
Expenses recognised in Statement of Profit and Loss	549.02	556.30
Expenses recognised in OCI	7.23	(350.73)
Net Liability / (Asset) Transfer In	-	-
Net (Liability) / Asset Transfer Out	-	-
(Benefits paid directly by the Employer)	(247.00)	(240.45)
Employer's contribution		
Net (Liability)/ Asset recognized in the Balance Sheet	5,418.80	5,109.55

Net Interest cost for Next year:

(₹ in lakh)

Particulars	31st March 2017	31st March 2016
Present value of Benefit obligation at the beginning of the period	5,418.81	5,109.55
(Fair value of Plan Assets at the beginning of the Period)	-	-
Net liability / (Asset) at the beginning	5,418.81	5,109.55
Interest cost	403.70	411.83
(Interest income)	-	-
Net Interest cost for Current period	403.70	411.83

Expenses recognized in Statement of Profit and Loss during the year:

(₹ in lakh)

Particulars	31st March 2017	31st March 2016
Current Service cost	127.50	137.19
Net Interest cost	403.70	403.70
(Expected contributions by the Employees)	-	-
Net Cost	531.20	549.02

Maturity Analysis of Projected Benefit Obligation: From the employer

Projected Benefits payable in future years from the date of reporting

1st Following year	309.72	308.64
2nd Following year	324.43	319.64
3rd Following year	342.37	333.42
4th Following year	360.07	349.22
5th Following year	373.77	364.58
Sum of Years 6 to 10	2,014.30	1,967.11

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

संवेदनशीलता विश्लेषण :

संवेदनशीलता विश्लेषण विश्लेषण है जो देयता में आंदोलन देता यदि मान्यताओं को विभिन्न गिनती पर सही साबित नहीं किया गया है। यह केवल दायित्व में परिवर्तन को दर्शाता है यदि धारणा और वास्तविक में अंतर संवेदनशीलता विश्लेषण के पैरामीटर का पालन नहीं कर रहा है।

(₹ लाख में)

संवेदनशीलता	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल 2015
वर्तमान अनुमानों पर अनुमोदित लाभ दायित्व	5,418.80	5,109.55	5,144.43
वृद्धि दर में 1% की वृद्धि हेतु देयता में परिवर्तन	(500.60)	(459.56)	(456.76)
वृद्धि दर में 1% की कमी हेतु देयता में परिवर्तन	597.73	547.06	542.86
मुद्रास्फीति दर में 1% की वृद्धि हेतु देयता में परिवर्तन	600.88	550.81	547.24
मुद्रास्फीति दर में 1% की कमी हेतु देयता में परिवर्तन	(504.26)	(463.67)	(461.39)

वर्तमान वार्षिक अवधि एवं पिछले चार वार्षिक अवधियों के लिए धनराशियाँ :

(₹ लाख में)

विवरण	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
दायित्व का वर्तमान मूल्य	5,418.80	5,109.55	5,144.43	4,730.09	4,682.84	4,132.35
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-	-	-
योजना में अधिशेष/(घाटा)	(5,418.80)	(5,109.55)	(5,144.43)	(4,730.09)	(4,682.84)	(4,132.35)

ग. अन्य दीर्घकालिक लाभ :

छुट्टी देयता

- i. छुट्टी देयता "अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ" में निधि प्रदत्त है तथा इसका बीमांकक मूल्यांकन किया जाता है तथा वही में तदनुसार दिया जाता है।

(₹ लाख में)

संवेदनशीलता	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल 2015
सकल देयता	6,612.39	5,977.49	5,794.43

- ii. पुनः स्थापन भत्ता : कंपनी से सेवानिवृत्ति पर पुनः स्थापन भत्ता को अन्य दीर्घकालिक गैर निधि प्रदत्त कर्मचारी लाभ के रूप में माना जाता है। बहियों में प्रावधान बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर राशि ₹ 84.23 लाख (पिछले वर्ष ₹ 85.72 लाख) बनाए गए हैं।
- iii. गैर कार्यकारी के लिए छुट्टी यात्रा खर्चा (एलटीसी) : बहियों में प्रावधान बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर एलटीसी यात्रा ₹ 64.24 लाख (पिछले वर्ष ₹ 63.78) बनाए गए हैं।

टिप्पणियाँ :

- i. बीमांकक मूल्यांकन में मानी जाने वाली भावी वेतन की अनुमानित लागत में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य संबंधित तथ्यों जैसे नियोजन बाजार में आपूर्ति एवं मांग का ध्यान रखा जाता है।
- ii. कंपनी वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए उपदान निधि हेतु ₹ 877.77 लाख (पिछले वर्ष ₹ 895.88 लाख) दिए जाने का अनुमान लगाती है।

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017**Sensitivity analysis:**

Sensitivity analysis is analysis which will give the movement in liability if the assumptions were not proved to be true on different count. This only signifies the change in the liability if the difference between assumed and the actual is not following the parameters of the sensitivity analysis.

(₹ in lakh)

Sensitivity	31st March 2017	31st March 2016	1st April 2015
Projected Benefit Obligation on current assumptions	5,418.80	5,109.55	5,144.43
Change in liability for 1% increase in discount rate	(500.60)	(459.56)	(456.76)
Change in liability for 1% decrease in discount rate	597.73	547.06	542.86
Change in liability for 1% increase in inflation rate	600.88	550.81	547.24
Change in liability for 1% decrease in inflation rate	(504.26)	(463.67)	(461.39)

Amounts for the current annual period and previous four annual periods:

(₹ in lakh)

Particulars	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
Present value of obligation	5,418.80	5,109.55	5,144.43	4,730.09	4,682.84	4,132.35
Fair value of plan assets	-	-	-	-	-	-
Surplus /(Deficit) in the plan	(5,418.80)	(5,109.55)	(5,144.43)	(4,730.09)	(4,682.84)	(4,132.35)

(c) Other Long Term Benefits:**Leave liability**

- i. Leave liability is under "Other long term employee benefit" and is valued actuarially and provided in the books accordingly.

(₹ in lakh)

Sensitivity	31st March 2017	31st March 2016	1st April 2015
Gross liability	6,612.39	5,977.49	5,794.43

- ii. Resettlement allowance: Resettlement allowance on retirement from the Company is considered as "Other long term unfunded employee benefit". The provision amounting to ₹ 84.23 lakh (previous year ₹ 85.72 lakh) in the books is made based on actuarial valuation.
- iii. Leave Travel Concession (LTC) for non-executives: Provision for LTC amounting to ₹ 64.24 lakh (previous year ₹ 63.78 lakh) in the books is made based on actuarial valuation.

Notes:

- i. The estimates of future salary increases considered in actuarial valuation, take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market.
- ii. The Company estimates that the amount to be contributed to the gratuity fund for the financial year 2016-17 will be ₹ 877.77 lakhs (Previous year ₹ 895.88 lakhs).

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स**नोट 42 : भालेमा की पहली बार गोद लेने****क. वित्तीय विवरणों के रूप में प्रथम भारतीय लेखा मानक**

ये कंपनी की पहली अलग वित्तीय वक्तव्य है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अनुसार 31 मार्च 2017 के अनुसार कंपनी (भारतीय लेखा मानकों) नियम, 2015 के अनुसार भालेमा के अनुसार तैयार की गई है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करने में 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए इन वित्तीय वक्तव्यों में प्रस्तुत की गई और तुलन पत्र के रूप में एक उद्घाटन भालेमा की तैयारी में नोट 1 में स्थापित लेखांकन नीतियों को लागू किया गया है। 1 अप्रैल 2015 को (संक्रमण की तिथि) तुलन पत्र के रूप में अपना उद्घाटन भालेमा तैयार करने में, कंपनी ने वित्तीय विवरणों में पहले से रिपोर्ट की गई राशि को समायोजित किया है जो कंपनियों (लेखा मानक) नियम, 2006 (संशोधित) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अधिसूचित लेखा मानकों के अनुसार तैयार हैं (पिछले जीएएपी या भारतीय जीएएपी)।

यह नोट इस बात का स्पष्टीकरण प्रदान करता है कि पिछले जीएएपी से कैसे भालेमा ने अप्रैल 2015 और 31 मार्च 2016 को कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित किया है, 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय प्रदर्शन किया है।

i. वैकल्पिक अपवाद लागू**सममित लागत**

101 के रूप में भालेमा, पहली संपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों की अपनी सभी वस्तुओं के लिए पिछले जीएएपी के अनुसार मापा जाने वाला मूल्य जारी रखने का चुनाव करने के लिए पहली बार एडॉप्टर परमिट देता है और इसका इस्तेमाल करने के बाद संक्रमण की तिथि के रूप में इसकी समझाई गई लागत के रूप में उपयोग करता है। डी-कमीशनिंग देनदारी के लिए आवश्यक समायोजन यह छूट देता है अमूर्त संपत्ति के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

तदनुसार कंपनी ने संक्रमण की तिथि पर अपनी समस्त लागत, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों को अपने पिछले जीएएपी ले जाने के मूल्य के रूप में मान लिया है।

ii. अनिवार्य अपवाद लागू**अनुमान**

भालेमा के लिए संक्रमण की तारीख में भालेमा के अनुसार एक इकाई का अनुमान पहले जीएएपी (लेखा नीतियों में कोई अंतर दिखाने के लिए समायोजन के बाद) के अनुसार उसी तिथि के लिए किए गए अनुमानों के अनुरूप होगा, जब तक कि कोई विशिष्ट प्रमाण न हो कि अनुमान त्रुटि में थे। भालेमा के अनुमान के अनुसार 1 अप्रैल 2015 को पिछले जीएएपी के अनुरूप बनाये गये उसी तारीख के अनुमान के साथ संगत है, जहां इंडेक्स को पिछले जीएएपी की तुलना में अनुमान के लिए एक अलग आधार चाहिए।

वित्तीय संपत्तियों और देयताओं की डी-मान्यता

101 के रूप में भालेमा को संक्रमण की तिथि पर या उसके बाद होने वाली लेनदेन के लिए 109 के भालेमा के डी-मान्यता प्रावधानों को लागू करने के लिए पहली बार अपनाने की आवश्यकता है। हालांकि, 101 के रूप में भालेमा ने पहली बार अपॉइंटमेंट को इकाई के चयन की तारीख से 109 के रूप में भालेमा में डी-मान्यता आवश्यकताओं को लागू करने की अनुमति प्रदान की है, बशर्ते वह जानकारी जो कि 109 के रूप में भालेमा को वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को लागू करने के लिए आवश्यक है। पिछले लेनदेन का परिणाम उन लेनदेन के शुरुआती समय के दौरान प्राप्त किया गया था। कंपनी ने भालेमा के रूप में संक्रमण की तिथि से भालेमा के रूप में 109 के डी-मान्यता प्रावधानों को लागू किया है।

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017

Note 42 First time adoption of Ind AS

A First Ind AS Financial statements

These are the company's first separate financial statements prepared in accordance with Ind AS applicable as per Section 133 of Companies Act, 2013 as per Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as at 31st March 2017.

The accounting policies set out in note 1 have been applied in preparing the financial statements for the year ended 31st March 2017, the comparative information presented in these financial statements for the year ended 31st March 2016 and in the preparation of an opening Ind AS balance sheet at 1 April 2015 (the date of transition). In preparing its opening Ind AS balance sheet, the Company has adjusted the amounts reported previously in financial statements prepared in accordance with the accounting standards notified under Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 (as amended) and other relevant provisions of the Act (previous GAAP or Indian GAAP).

This note provides an explanation of how the transition from previous GAAP to Ind AS has affected the company's financial position as on April 2015 and 31st March 2016, financial performance for the year ended 31st March 2016

i Optional exemptions availed

Deemed cost

Ind AS 101 permits a first-time adopter to elect to continue with the carrying value measured as per the previous GAAP for all of its items of property, plant and equipment, and use that as its deemed cost as at the date of transition after making necessary adjustments for de-commissioning liabilities. This exemption can also be used for intangible assets.

Accordingly, the Company has elected to measure all of its property, plant and equipment and intangible assets at their previous GAAP carrying value as its deemed cost on the date of transition.

ii Mandatory exceptions applied

Estimates

An entity's estimates in accordance with Ind ASs at the date of transition to Ind AS shall be consistent with estimates made for the same date in accordance with previous GAAP (after adjustments to reflect any difference in accounting policies), unless there is objective evidence that those estimates were in error.

Ind AS estimates as at 1 April 2015 are consistent with the estimates as at the same date made in conformity with previous GAAP except where Ind AS required a different basis for estimates as compared to the previous GAAP.

De-recognition of financial assets and liabilities

Ind AS 101 requires a first-time adopter to apply the de-recognition provisions of Ind AS 109 prospectively for transactions occurring on or after the date of transition to Ind AS. However, Ind AS 101 allows a first-time adopter to apply the de-recognition requirements in Ind AS 109 retrospectively from a date of the entity's choosing, provided that the information needed to apply Ind AS 109 to financial assets and financial liabilities derecognised as a result of past transactions was obtained at the time of initially accounting for those transactions. The company has applied the de-recognition provisions of Ind AS 109 prospectively from the date of transition to Ind AS.

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और माप

101 के रूप में भालेमा को भालेमा के संक्रमण के दिनांक में मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर 109 के रूप में भालेमा के अनुसार वर्गीकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों का आकलन करने के लिए एक इकाई की आवश्यकता है। यदि किसी संस्था के लिए 109 के भालेमा में पूर्वव्यापी प्रभावी ब्याज पद्धति को लागू करने के लिए यह असंभव है, तो वित्तीय परिसंपत्ति का उचित मूल्य या भालेमा के लिए संक्रमण की तिथि पर वित्तीय देयता उस वित्तीय परिसंपत्ति की नई सकल ले जाने वाली राशि होगी या भालेमा के लिए संक्रमण की तिथि पर उस वित्तीय देयता की नई परिमाणीकृत लागत। तदनुसार कंपनी ने अपने कर्मचारी ऋण और अग्रिम के लिए इस अपवाद को लागू किया है।

ख. भारतीय लेखा मानक के तहत इक्विटी के लिए इक्विटी की समाप्ति, पिछली जीएएपी के तहत इक्विटी

क्र.सं.	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
	आईजीएएपी के अनुसार इक्विटी		63,240.51	73,691.36
1.	भारतीय लेखा मानक को संक्रमण के कारण इक्विटी में समायोजन परिमाणात्मक लागत पर मापा गया वित्तीय सहायता का प्रभाव - सुरक्षा जमा	ख.1	(142.65)	(163.34)
2.	प्रस्तावित लाभांश के उत्क्रमण के कारण प्रभाव	ख.2	-	2,078.98
3.	परिमाणात्मक लागत पर मापा गया वित्तीय सहायता का प्रभाव - कर्मचारी ऋण	ख.3	79.26	-
4.	प्रीपेड कर्मचारी की लागत के परिशोधन के कारण प्रभाव	ख.3	(63.81)	-
5.	वित्त पट्टा दायित्व के कारण प्रभाव	ख.4	(14.17)	(14.17)
6.	ब्याज आय के विलंब के कारण प्रभाव	ख.5	(4.05)	(12.32)
7.	अन्य		(275.00)	(205.73)
8.	आस्थगित कर के कारण प्रभाव	ख.7	90.71	71.86
	भारतीय लेखा मानक के अनुसार इक्विटी		62,910.79	75,446.64

भारतीय लेखा मानक के अंतर्गत लाभ के लिए लाभ की समाप्ति, पिछले जीएएपी के अंतर्गत दर्ज की गई

क्र.सं.	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
	पिछले भारतीय जीएएपी के अनुसार शुद्ध लाभ		(10,450.85)
1.	परिमाणात्मक लागत पर मापा गया वित्तीय सहायता का प्रभाव - सुरक्षा जमा	ख.1	20.69
2.	परिमाणात्मक लागत पर मापा गया वित्तीय सहायता का प्रभाव - कर्मचारी ऋण	ख.3	79.26
3.	प्रीपेड कर्मचारियों की लागत के परिशोधन के कारण प्रभाव	ख.3	(63.81)
4.	ब्याज आय के विलंब के कारण प्रभाव	ख.5	8.27
5.	ओसीआई में बीमांकिक लाभ/हानि को पहचानने का प्रभाव	ख.6	(224.26)
6.	अन्य		(69.27)
7.	ऊपर समायोजन पर डिफर्ड कर प्रभाव	ख.7	154.96
	भारतीय लेखा मानक के अनुसार कर के बाद शुद्ध लाभ		10,456.86

- अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध)

-भालेमा के अनुसार कुल व्यापक आय

**Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017****Classification and measurement of financial assets**

Ind AS 101 requires an entity to assess classification and measurement of financial assets as per Ind AS 109 on the basis of the facts and circumstances that exist at the date of transition to Ind AS.

If it is impracticable for an entity to apply retrospectively the effective interest method in Ind AS 109, the fair value of the financial asset or the financial liability at the date of transition to Ind ASs shall be the new gross carrying amount of that financial asset or the new amortised cost of that financial liability at the date of transition to Ind ASs. Accordingly the company has applied this exception for its staff loans and advances.

B Reconciliations of equity reported under previous GAAP to equity under Ind AS

(₹ in lakhs)

Particulars	Note No	31st March 2016	1st April 2015
Equity as per IGAAP		63,240.51	73,691.36
Adjustments in Equity due to transition to Ind AS			
1 Impact of financial assest measured at amortised cost - Security deposit	B.1	(142.65)	(163.34)
2 Impact on account of reversal of proposed dividend	B.2	-	2,078.98
3 Impact of financial assest measured at amortised cost - Employee Loans	B.3	79.26	-
4 Impact on account of amortisation of prepaid staff cost	B.3	(63.81)	
5 Impact on account of Finance lease obligation	B.4	(14.17)	(14.17)
6 Impact on account of deferment of interest income	B.5	(4.05)	(12.32)
7 Others		(275.00)	(205.73)
8 Impact on account of deferred tax	B.7	90.71	71.86
Equity as per IND AS		62,910.79	75,446.64

Reconciliation of profit reported under previous GAAP to profit under Ind AS

(₹ in lakhs)

Sr. No.	Particulars	Note no.	For the year ended 31st March 2016
	Net profit as per previous Indian GAAP		(10,450.85)
1	Impact of financial assest measured at amortised cost - Security deposit	B.1	20.69
2	Impact of financial assest measured at amortised cost - Employee Loans	B.3	79.26
3	Impact on account of amortisation of prepaid staff cost	B.3	(63.81)
4	Impact on account of deferment of interest income	B.5	8.27
5	Impact of recognising actuarial gains / losses in OCI	B.6	(224.26)
6	Others		(69.27)
7	Deferred tax impacts on above adjustments	B.7	88.15
	Net profit after tax as per Ind AS		(10,611.82)
	Other comprehensive income (net of tax)		154.96
	Total comprehensive income as per Ind AS		(10,456.86)

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह पर अपनाने के लिए भारतीय लेखा मानक के प्रभाव

क्र.सं.	विवरण	नोट सं.	पिछले जीएएपी के अनुसार राशि	भ ले मा के रूप में संक्रमण का प्रभाव	भ ले मा के अनुसार राशि
1.	शुद्ध नकद उत्पन्न/(में प्रयुक्त) ऑपरेटिंग गतिविधियों से	ख.5, ख.6	(1,908.27)	87.52	(1,820.76)
2.	शुद्ध नकद उत्पन्न/(में प्रयुक्त) निवेश गतिविधियों से	ख.1	(997.18)	2,770.94	1,773.77
3.	शुद्ध नकद उत्पन्न/(में प्रयुक्त) वित्त पोषण संबंधी गतिविधियों से	ख.3	(48.61)	(13.31)	(61.92)
	नकदी और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)		(2,954.06)	2845.15	(108.91)
4.	वर्ष/अवधि की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य		1,862.60	0.00	1,862.61
	वर्ष/अवधि के अंत में नकद और नकद समकक्ष		(1,091.46)	2,845.15	1,753.70

समाधान के लिए स्पष्टीकरण :

ख.1 परिमाणात्मक लागत पर मापा गया वित्तीय सहायता का प्रभाव - सुरक्षा जमा

पिछला जीएएपी - ब्याज-मुक्त सुरक्षा जमा (जो अवधि समझौते के समापन पर नकद में वापसी योग्य हैं) उनके लेन-देन मूल्य पर दर्ज किए जाते हैं। भारतीय लेखा मानक ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा (जो अवधि के समझौते के समापन पर नकद में वापसी योग्य हैं) उनके लेन-देन मूल्य पर दर्ज किए जाते हैं। भालेमा रूप में - सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता है। तदनुसार, कंपनी ने भालेमा के अंतर्गत इन सुरक्षा जमाओं को उचित मूल्यवान बताया है। उचित मूल्य और सुरक्षा जमा के लेनदेन मान के बीच का अंतर प्रीपेड किराया और अन्य विस्तार के रूप में पहचाना गया है। इस परिवर्तन के पश्चात, सुरक्षा जमा राशि की राशि 1 अप्रैल 2015 तक ₹ 385.95 लाख की कमी हुई प्रीपेड किराया और अन्य खर्च 1 अप्रैल 2015 तक 221.61 लाख रुपये की वृद्धि हुई। वर्ष 2015-16 के लिए परिरक्षित लागत पर पट्टा और अन्य खर्चों के परिशोधन पर सुरक्षा जमा पर लेखांकन के परिणामस्वरूप ₹ 20.69 लाख है।

ख.2 प्रस्तावित लाभांश के उत्क्रमण के कारण प्रभाव

पिछला जीएएपी - बैलेंस शीट की तारीख के बाद निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित डिविडेंड, लेकिन वित्तीय वक्तव्य के अनुमोदन से पहले ईवेंट समायोजन के रूप में माना जाता था। तदनुसार, प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान एक दायित्व के रूप में मान्यता प्राप्त था। भालेमा के रूप में - ऐसे लाभांश की पहचान की जाती है, जब सामान्य बैठक में शेयरधारकों द्वारा उसे मंजूरी दी जाती है। तदनुसार, 1 अप्रैल 2015 तक ₹ 2,078.98 लाख के प्रस्तावित लाभांश के लिए दायित्व प्रावधानों के अंतर्गत रखी गई है, जो कि बनाए रखा आय के अनुरूप समायोजन के साथ उलट हो गई है। नतीजतन, कुल इक्विटी समकक्ष राशि से बढ़ी है।

ख.3 प्रारंभिक मान्यता पर कर्मचारी ऋण के उचित मूल्यांकन का प्रभाव और बाद में परिशोधित लागत पर

पिछला जीएएपी - सब्सिडी वाले दर (जो कि नकद में वापसी योग्य है) पर वितरित किए गए कर्मचारी ऋण उनके लेन-देन मूल्य पर दर्ज किए जाते हैं। कर्मचारी ऋण पर ब्याज आय संविदात्मक दरों पर मान्यता प्राप्त थी। भालेमा के रूप में - सभी वित्तीय संपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता में उचित मूल्य पर पहचाना जाना आवश्यक है। तदनुसार, संक्रमण की तिथि के अनुसार भालेमा के तहत कंपनी के पास इन कर्मचारी ऋण (हाउस बिल्डिंग लोन) को काफी महत्व है। इसके बाद कर्मचारी ऋण (हाउस बिल्डिंग लोन) का भुगतान अमूमन लागत के आधार पर किया गया है। ऋण के उचित मूल्य और लेनदेन मान के बीच का अंतर डिफर्ड कर्मचारी की लागत के रूप में पहचाना गया है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप, परिशोधित लागत के अनुसार ब्याज आय को पहचानने का प्रभाव ₹ 78.78 लाख और स्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन ₹ 63.82 लाख तक है। अन्य सभी कर्मचारी ऋणों को वास्तविक भुगतान/रसीद के आधार पर लिया गया है।

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017

Effects of Ind AS adoption on Cash flows for the year ended 31st March 2017

Sr. No.	Particulars	Note	Amount as per previous GAAP	Effect of transition to Ind AS	Amount as per Ind AS
1	Net cash generated from/(used in) operating activities	B.5, B.6	(1,908.27)	87.52	(1,820.76)
2	Net cash generated from/(used in) investing activities	B.1	(997.18)	2,770.94	1,773.77
3	Net cash generated from/(used in) financing activities	B.3	(48.61)	(13.31)	(61.92)
	Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents		(2,954.06)	2,845.15	(108.91)
4	Cash and cash equivalents at start of year/period		1,862.60	0.00	1,862.61
	Cash and cash equivalents at close of year/period		(1,091.46)	2,845.15	1,753.70

Explanation to reconciliation:

B.1 Impact of financial asset measured at amortised cost - Security deposit
Previous GAAP - Interest free security deposits (that are refundable in cash on completion of the term agreement) are recorded at their transaction value. Ind AS - Interest free security deposits (that are refundable in cash on completion of the term agreement) are recorded at their transaction value. Ind AS - All financial assets are required to be recognised at fair value. Accordingly, the Company has fair valued these security deposits under Ind AS. Difference between the fair value and transaction value of the security deposit has been recognised as prepaid rent and other exp. Consequent to this change, the amount of security deposits decreased by ₹ 385.95 lakhs as at 1 April 2015. The prepaid rent and other expenses increased by ₹ 222.61 lakhs as at 1 April 2015. Total equity decreased by ₹ 163.34 lakhs as at 1 April 2015. Subsequent impact on accounting of security deposit at amortised cost and amortisation of lease and other expenses is ₹ 20.69 lakhs for the year 2015-16.

B.2 Impact on account of reversal of proposed dividend

Previous GAAP - Dividends proposed by the board of directors after the balance sheet date but before the approval of the financial statements were considered as adjusting events. Accordingly, provision for proposed dividend was recognised as a liability. Ind AS - Such dividends are recognised when the same is approved by the shareholders in the general meeting. Accordingly, the liability for proposed dividend of ₹ 2,078.98 lakhs as at 1 April 2015 included under provisions has been reversed with corresponding adjustment to retained earnings. Consequently, the total equity increased by an equivalent amount.

B.3 Impact of fair valuation of Employee loans at initial recognition and subsequently at amortised cost

Previous GAAP - Employee loans disbursed at the subsidised rate (that are refundable in cash) are recorded at their transaction value. Interest income on employee loans was recognised at contractual rates. Ind AS - All financial assets are required to be recognised at fair value in initial recognition. Accordingly, the Company has fair valued these employee loans (House Building Loan) under Ind AS as on the date of transition. Subsequently employee loans (House Building Loan) have been accounted on amortised cost basis. Difference between the fair value and transaction value of the loan has been recognised as Deferred employee cost. Consequent to this change, impact of recognising Interest income as per amortised cost is ₹ 78.78 lakhs and amortisation of deferred employee cost amounts to ₹ 63.82 lakhs. All other Employee loans have been accounted on the basis of actual Payment/Receipt.

ख.4 वित्त पट्टा दायित्व के कारण प्रभाव

पिछला जीएएपी - पट्टे पर भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रीमियम का भुगतान पट्टेदार भूमि के रूप में किया गया है। भावी पट्टे के भुगतान के लिए किसी भी प्रासंगिक वित्त पट्टा दायित्व का हिसाब नहीं किया गया है। भालेमा- भालेमा के अनुसार 17 पट्टों पर प्राप्त भूमि का मूल्यांकन पट्टे वर्गीकरण अर्थात् वित्त या परिचालन पट्टा के लिए किया गया है और इसलिए वित्त पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तदनुसार वित्त पट्टे के दायित्व का ₹ 14.50 लाख और “लीज़होल्ड” भूमि का मूल्य 1 अप्रैल 2015 को ₹ 0.33 लाख तक बढ़ा दिया गया है।

ख.5 ब्याज आय के विलंब के कारण प्रभाव

पिछला जीएएपी - कई तत्व व्यवस्था के मामलों में बिक्री लेनदेन से पूरी आय को माल से संबंधित जोखिमों और पुरस्कारों के तस्फार के समय पहचाना गया था

भारतीय लेखा मानक के रूप में - एक अनुबंध के प्रत्येक पृथक तत्व से 18 राजस्व के रूप में भारतीय लेखा मानक अलग से पहचाने जाने योग्य घटकों के सापेक्ष निष्पक्ष मूल्यों के आधार पर अलग से पहचाना जाना चाहिए। इसीलिए एलसी की बिक्री के मामले में ब्याज आय को अनुबंध की अवधि के दौरान ब्याज आय के रूप में समानार्थित किया गया है। इसलिए इक्विटी पर असर 1 अप्रैल 2015 को ((12.32) लाख और 31 मार्च 2016 को ₹ (4.05) लाख और 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ या हानि ₹ 8.27 लाख पर प्रभाव है।

ख.6 अन्य व्यापक आय में परिभाषित लाभ दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि को पहचानने का प्रभाव

पिछला जीएएपी - परिभाषित लाभ दायित्वों पर एक्स्ट्रूअरियल लाभ/हानि को लाभ और हानि के बयान में मान्यता दी गई है।

भारतीय लेखा मानक - परिभाषित लाभ दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है।

पिछले जीएएपी के तहत, कंपनी को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) को अलग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी इसलिए, इसने इंडियन जीएएपी लाभ या हानि को नुकसान पहुंचाया है जैसे इंडस्ट्रीज़ के अनुसार इसके अलावा, इंडस्ट्रीज़ के मुताबिक लाभ या हानि इंडस्ट्रीज़ के अनुसार कुल व्यापक आय के साथ मेल खाता है।

ख.7 आस्थगित करों के कारण प्रभाव

पिछला जीएएपी - डिफर्ड कर लाभ और हानि द्रष्टिकोण का उपयोग किया गया था, जो अवधि के लिए कर योग्य मुनाफे और लेखा मुनाफे के बीच अंतर पर केंद्रित है।

भारतीय लेखा मानक - भारतीय लेखा मानक 12 को स्थाई शीट द्रष्टिकोण का उपयोग कर स्थगित करों के लिए संस्थाओं की आवश्यकता है, जो कि तुलन पत्र और उसकी कर आधार में किसी परिसंपत्ति या देयता के ले जाने की मात्रा के बीच अस्थायी अंतर पर केंद्रित है। भारतीय लेखा मानक 12 के आवेदन के परिणामस्वरूप नए अस्थायी अंतरों पर आस्थगित कर की पहचान हुई है जो पिछला जीएएपी के तहत जरूरी नहीं था।

अन्य नोटस् :

उत्पाद शुल्क :

पिछला जीएएपी - माल की बिक्री से राजस्व उत्पाद शुल्क के शुद्ध प्रस्तुति में प्रस्तुत किया गया था।

भारतीय लेखा मानक - माल की बिक्री से राजस्व उत्पाद शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जाता है। खर्च के हिस्से के रूप में लाभ और हानि के विवरण के मुताबिक उत्पाद शुल्क को प्रस्तुत किया गया है।

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017

B.4 Impact on account of Finance lease obligation

Previous GAAP - Premium paid for acquisition of land on lease has been accounted as leasehold land. No corresponding finance lease obligation has been accounted for future lease payments. Ind AS - As per Ind AS 17 Land obtained on leases has been assessed for lease classification i.e. finance or operating lease and hence classified as finance lease. Accordingly finance lease obligation has been accounted at ₹ 14.50 lakhs and value of leasehold land has been increased by ₹ 0.33 Lakhs as at 1 April 2015.

B.5 Impact on account of deferment of interest income

Previous GAAP - In case of multiple element arrangement entire income from sale transactions was recognised at the time of transfer of risks and rewards pertaining to the goods Ind AS - As per Ind AS 18 revenue from each separable element of a contract should be recognised separately based on the relative fair values of the separately identifiable components. Hence interest income in case of LC sales has been recognised separately as interest income over the period of contract. Hence impact on equity is ₹ (12.32) Lakhs as at 1 April 2015 and ₹ (4.05) Lakhs as at 31st March 2016 and impact on profit or loss is ₹ 8.27 Lakhs for the year ended 31st March 2016

B.6 Impact of recognising actuarial gains / losses on defined benefit obligations in other comprehensive income Previous GAAP - Actuarial gains / losses on defined benefit obligations is recognised in statement of profit and loss. Ind AS - Actuarial gains / losses on defined benefit obligations is recognised in other comprehensive income. Under pervious GAAP, the Company was not required to present other comprehensive Income (OCI) separately. Hence, it has reconciled Indian GAAP profit or loss to profit or loss as per Ind AS. Further, Ind AS profit or loss is reconciled to total Comprehensive Income as per Ind AS.

B.7 Impact on account of deferred taxes

Previous GAAP - Deferred tax was accounted using the profit and loss approach, which focuses on differences between taxable profits and accounting profits for the period.

Ind AS - Ind AS 12 requires entities to account for deferred taxes using the balance sheet approach, which focuses on temporary differences between the carrying amount of an asset or liability in the balance sheet and its tax base. The application of Ind AS 12 approach has resulted in recognition of deferred tax on new temporary differences which was not required under Previous GAAP.

Other notes :

Excise Duty:

Previous GAAP - Revenue from sale of goods was presented net of excise duty.

Ind AS - The revenue from sale of goods is presented inclusive of excise duty. The excise duty is presented on the face of the Statement of Profit and Loss as part of expenses.

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स

नोट 44 :

वर्ष के अंत में, ₹ 55,085.84 लाख (पिछले ₹ 55,492.43 लाख) की कर की राशि के लिए प्रावधान किया गया है, अग्रिम कर की कुल राशि और ₹ 60,429.00 लाख (पिछले वर्ष ₹ 60,722.33 लाख) और शेष राशि के लिए एकत्रित टीडीएस गैर-मौजूदा कर परिसंपत्तियों और तुलन-पत्र में अल्पावधि प्रावधानों के तहत शामिल है जैसा मामला हो सकता है। एमएटी के विरुद्ध बनाई गई ₹ 789.30 लाख (पिछला साल की नहीं) के आगे प्रावधान भी अग्रिम कर/अस्थगित कर के खिलाफ समायोजित किया गया है।

नोट 45 :

कंपनी को भारत सरकार (भारत सरकार) की ओर से कुछ सामरिक परियोजनाओं के निष्पादन के लिए सौंपा गया है। उक्त परियोजनाओं की पूरी लागत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। सरकार को देय राशि ₹ 1,150.88 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1258.45 लाख) का है 'वर्तमान देयताओं' के अंतर्गत और सरकार से प्राप्त शून्य नहीं लाखों (पिछले वर्ष ₹ 48.85 लाख) की कुछ अन्य परियोजनाओं अल्पावधि ऋण और अग्रिम में शामिल है।

नोट 46 : प्रावधानों का प्रकटीकरण :

विवरण	01.04.2015 को प्रारंभिक शेष राशि	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	वर्ष के दौरान समायोजित प्रावधान	31.03.2016 को अंतिम शेष	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	वर्ष के दौरान समायोजित समायोजन	31.03.2017 को अंतिम शेष
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लिए प्रावधान (विवादित)	4,659.57	1,028.17	533.89	5,153.85	-	5,153.85	-
इसके परिणामस्वरूप राज्य कर के प्रावधान	153.03	22.18	-	175.21	-	175.21	-
विवादित प्रवेश कर-ऑसकॉम के लिए प्रावधान	88.47	7.32	18.68	77.11	7.42	15.02	69.51

नोट 47 :

कंपनी को भारत सरकार की ओर से एक परियोजना के निष्पादन के साथ सौंपा गया है। इस परियोजना से संबंधित संचालन कंपनी द्वारा अपने नाम पर किया जा रहा है। इस परियोजना से संबंधित ₹ 315.88 लाख (पिछले वर्ष ₹ 315.88 लाख) और अन्य लेनदेन और बैंक बैलेंस, हालांकि कंपनी द्वारा अपने नाम से प्रबंधित किया जाता है, भारत सरकार की सलाह के अनुसार कंपनी के वार्षिक खातों में शामिल नहीं है। कंपनी ने दिनांक 29.06.2013 को सहायक आयुक्त, बिक्री कर, मुंबई से इस परियोजना के लिए बिक्री कर भुगतान की मांग, ब्याज और पेनाल्टी संकलित रु. 668.67 लाख के जुर्माने के लिए मांग भुगतान एवं कारण बताओ सूचना (एस सी एन) प्राप्त किया। भारत सरकार की तरफ से, कंपनी ने एस सी एन को चुनौती दी और अपील, उपआयुक्त बिक्री कर (अपील-VI), मुंबई के साथ लंबित है।

नोट 48 :

30.06.2013 को समाप्त होनेवाले पांच वर्षों की अवधि के लिए वैध कामगारों के साथ दीर्घकालिक निपटान के लिए वेतन अनुबंध। वार्ता की प्रक्रिया शुरू की गई है और दो इकाइयों में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं और कंपनी की अन्य इकाइयों में बातचीत की प्रक्रिया का इंतजार है। समझौता ज्ञापन के रूप में, 2016-17 के दौरान खाते की पुस्तकों में वेतन संशोधन के लिए प्रावधान किया गया है।

Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017**Note 44:**

At the end of the year, provision for tax amounting to ₹ 55,085.84 lakhs (previous year ₹ 55,492.43 lakhs) has been adjusted against the total amount of advance tax and TDS aggregating to ₹ 60,429.00 lakhs (previous year ₹ 60,722.33 lakhs) and the balance amount is included under Non-current tax assets, and short term provisions in the balance sheet as the case may be. Further provision of ₹ 789.30 laks (previous year Nil) created against MAT is also adjusted against advance tax / deferred tax.

Note 45:

The Company has been entrusted with the execution of certain strategic projects on behalf of the Government of India (GoI). The entire cost of the said projects is funded by the Government. The amount payable to the Government is of ₹ 1,150.88 lakhs (previous year ₹ 1258.45 lakhs) is included under 'Current liabilities' and amount receivable from Gov.on certain other projects amounting to ₹ Nil lakhs (Previous year ₹ 48.85 lakhs) is included under Short term Loans and Advances.

Note 46: Disclosure of Provisions:

Particulars	Opening balance as on 01.04.2015	Provision made during the year	Provision adjusted during the year	Closing balance as on 31.03.2016	Provision made during the year	Provision adjusted during the year	Closing balance as on 31.3.17
Provision for Central Excise Duty (Disputed)	4,659.57	1,028.17	533.89	5,153.85	-	5,153.85	-
Provision for Consequential State Tax thereon	153.03	22.18	-	175.21	-	175.21	-
Provision for disputed entry tax-OSCOM	88.47	7.32	18.68	77.11	7.42	15.02	69.51

Note 47:

The Company has been entrusted with the execution of a project on behalf of the Government of India. The operations relating to this project are being carried on by the Company in its own name. The cash and bank balance of ₹ 315.88 lakhs (Previous year ₹ 315.88 lakhs) and other transactions pertaining to this project, though managed by the Company in its name, are not incorporated in the annual accounts of the Company, as advised by the Government of India. The Company received Demand cum Show-Cause Notice (SCN) dated 29.06.2013 from the Asst. Commissioner of Sales Tax, Mumbai demanding payment of Sales Tax, Interest thereon and penalty aggregating to ₹ 668.67 lakhs relating to this project. On behalf of the Government of India, the Company contested the said SCN and the appeal is pending with Deputy Commissioner of Sales Tax (App-VI), Mumbai.

Note 48:

The wages agreement for long term settlement with workmen which was valid for a period of five years expired on 30.06.2013. The process of negotiations has been initiated and MoU with the unions has been signed in two of the units and the process of negotiation in other units of company is awaiting. In line of the MoU, the provision for wages revision has been made in the books of account during the year 2016-17.

नोट 49 :

अवधि के दौरान नकद लेनदेन का निपटान 08-11-2016 से 30-12-2016 तक

विवरण	1000/- और 500/- के डेनमोनेशन में नोट्स			अन्य नोट्स यदि कोई भी	कुल राशि
	राशि	1000 में कितना नोट्स है	500 में कितना नोट्स है	राशि	
08-11-2016 को अंतिम नकद हाथ में	206,000.00	42.00	328.00	93,453.50	299,453.50
जोड़ें, अनुमति प्राप्त रसीद	3,000.00	0.00	6.00	10,220,870.00	10,223,870.00
घटाकर, अनुमति भुगतान	0.00	0.00	0.00	9,526,623.00	9,526,623.00
कम बैंकों में, जमा राशि	209,000.00	42.00	334.00	670,000.00	879,000.00
30-12-2016 को अंतिम नकद हाथ में	0.00	0.00	0.00	117,700.50	117,700.50

नोट - 50

चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप होने के लिए जब भी आवश्यक हो, पिछली वर्ष के आंकड़ों को पुनर्मूल्यांकन/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

उसी तारीख की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

गोखले एवं साथे

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या : 103264डब्ल्यू

जयंत पी. गोखले
भागीदार

मुंबई,
दिनांक : 6 जुलाई 2017

बी.आर. तरफदार
कंपनी सचिव

कृते निदेशक मण्डल का बोर्ड

राकेश तुमाने

निदेशक (वित्त एवं मुविअ)

सदस्यता संख्या : 33767

मुंबई
दिनांक : 6 जुलाई 2017

डी. सिंह

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

**Notes forming part of financial statements for the year ended 31st March 2017****NOTE : 49****Declaration of cash transaction during the period from 08-11-2016 To 30-12-2016.**

Particulars	Notes In Denomination of ₹ 1000/- & ₹ 500/-			Other Notes If Any Amount	Total Amount
	Amount	No. of Notes In 1000	No. of Notes In 500		
Closing Cash in Hand as on 08-11-2016	206,000.00	42.00	328.00	93,453.50	299,453.50
Add, Permitted Receipt	3,000.00	0.00	6.00	10,220,870.00	10,223,870.00
Less, Permitted Payments	0.00	0.00	0.00	9,526,623.00	9,526,623.00
Less, Amount Deposited in Banks	209,000.00	42.00	334.00	670,000.00	879,000.00
Closing Cash in Hand as on 30-12-2016	0.00	0.00	0.00	117,700.50	117,700.50

Note-50

Previous year's figures have been regrouped/reclassified whenever necessary to correspond with current year's classifications/disclosures.

As per our report of even date attached

Gokhale & Sathe

Chartered Accountant

Firm Registration Number:103264W

Membership Number: 33767

Jayant P Gokhale
PartnerB R Tarafdar
Company SecretaryFor and on behalf of the Board of Directors
Rakesh Tumane
Director (Finance) & CFO
D Singh
Chairman & MD

Mumbai

Dated : 6th July, 2017

Mumbai

Dated: 6th July, 2017